स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

समृद्धतर भविष्य की ओर...

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

47वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

मिशन/विजन एवं उद्देश्य

मिशन/विजन

(i) ग्रामीण एवं शहरी जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्धता को सुकर बनाना।

(ii) देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

मिशन के प्रोत्साहन में, कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं उर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने, उर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट उर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना तथा ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं तथा आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन करना।

2. दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधिता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और प्राइवेट विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करने के दौरान निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना अर्थात् (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (ii) बिजली की मांग का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म-सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय-सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें	4
4.	अध्यक्ष का संदेश	6
5.	सूचना	13
6.	निदेशकों का विवरण	25
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	28
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	60
9.	निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	69
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	91
11.	कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट	92
12.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	102
13.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	105
14.	वार्षिक प्रतिलाभ का सार	116
15.	ठेकों के विवरण अथवा संबद्ध पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं	124
16.	डिबेंचर न्यासियों के विवरण	125
17.	तुलन-पत्र	128
18.	लाभ एवं हानि लेखा	129
19.	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	130
20.	लेखा संबंधी टिप्पणियां	134
21.	नकदी प्रवाह विवरण	171
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	175
23.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	182
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	183
25.	समेकित वित्तीय विवरण	184
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	240
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	244
28.	प्रबंधन दल	245
29.	आरईसी के कार्यालयों के पते	247

कंपनी के बारे में सूचना

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती आभा आनंद किशोर

कार्यकारी निदेशक

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशासन/आरईएन और एसडी/संपदा/उत्पादन निजी क्षेत्र/एए-आरटीआई

डॉ. दिनेश अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक (पीएमजी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी-आरईसीपीडीसीएल

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(वित्त-संसाधन/सीए/बैंकिंग/कराधान/सीएसआर)

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/आईटी/पीएंडसी)

श्रीमती रितु माहेश्वरी
कार्यकारी निदेशक
(टीएंडडी/उत्पादन-राज्य क्षेत्र और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरईसी टीपीसीएल/ एनपीपी/एनईएफ)

श्री टी.एस.सी. बोस
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्रीमती कल्पना कौल
कार्यकारी निदेशक
(मासं/सीसीपीआर/राजभाषा)

श्री जी.एस. भाटी
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई)

महाप्रबंधक

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(टीएंडडी/उत्पादन-राज्य क्षेत्र/एनईएफ)

श्री सी. पी. भाटिया
महाप्रबंधक
(वित्त)-सीएसआर

श्री राकेश सरीन
महाप्रबंधक
(वित्त-ऋण एवं वसूली/एएलएम/जोखिम प्रबंधन/वेतन)

श्री जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक
एवं कंपनी सचिव

श्री एस.एल. बत्ता
महाप्रबंधक (विधि/पीआईओ-आरटीआई)

श्री आर.पी. वैष्णव
महाप्रबंधक
(आंतरिक लेखापरीक्षा)

श्री जी.वी. महेंदर
महाप्रबंधक
(ऐंटिटी अप्रेजल)

श्री अजय चौधरी
महाप्रबंधक
(वित्त)-वित्तीय सहमति और नीति

श्री वी.के. सिंह
महाप्रबंधक (उत्पादन-निजी क्षेत्र/नवीकरणीय ऊर्जा)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक (पीएमजी)

श्री पी.के. मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक (आईटी)

श्री सलिल कुमार
महाप्रबंधक (सतर्कता)

श्री पी.के. सिंघल
महाप्रबंधक
(प्रशासन/संपदा)

श्री राजीव सूद
महाप्रबंधक
(वित्त)-कोष

श्रीमती वल्ली नटराजन
महाप्रबंधक
(टीएंडडी)

श्रीमती मालती सुंदरराजन
महाप्रबंधक
(वित्त और लेखा)-ऋण

श्री पी. बाबूराज
महाप्रबंधक
एवं प्रभारी उत्तरी अंचल

पंजीकृत कार्यालय :

कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष: 91-11-24365161, फैक्स: 91-11-24360644, ईमेल: reccorp@recl.nic.in, वेबसाइट : www.recindia.com

कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

कंपनी सचिव

श्री जे.एस. अमिताभ

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सिलेनियम टावर - बी, प्लाट 31-32, गाछी बावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद-500032, भारत,
दूरभाष : 91-4067161500, फैक्स: 91-40-23420814, ई-मेल : einward.ris@karvy.com, raju.sv@karvy.com,
balaji.reddy@karvy.com, वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बीएसई लिमिटेड

डिपॉजिटरी

नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए. आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

सचिवालयीय लेखापरीक्षक

चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

देना बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आईडीबीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
आरबीएल बैंक

यस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक
विजया बैंक

निदेशक मंडल

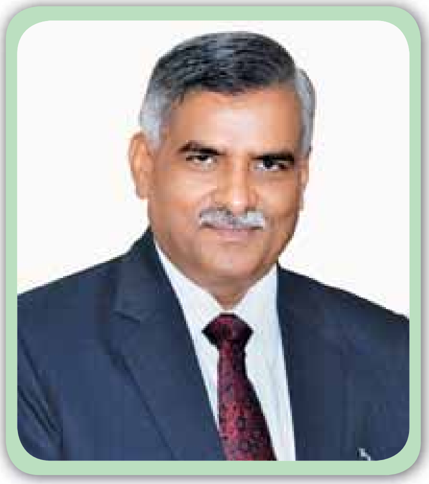

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. अरुण कुमार वर्मा
सरकार नामिती निदेशक

श्री अरुण सिंह
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

कार्य-निष्पादन संबंधी मुख्य-मुख्य बातें

पिछले 10 वर्षों से निरंतर संवृद्धि

ब्योरे	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
शेयरधारकों की निधि										
(वर्ष के अंत में) (₹ करोड़ में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**987.46**	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	987.46	858.66	858.66	780.60
आरक्षित एवं अधिशेष	**27630.30**	23869.57	19682.00	16466.92	13575.58	11801.16	10092.88	5331.42	4509.05	3232.11
नेट वर्थ	**28617.76**	24857.03	20669.46	17454.38	14563.04	12788.62	11080.34	6190.08	5367.71	4012.71
उधार (रुपए करोड़ में)										
भारत सरकार से	**-**	3.07	7.93	15.14	24.64	36.13	49.42	64.74	81.92	100.48
बांड/ऋण-पत्र	**139732.73**	124683.85	102806.71	85249.04	71372.20	51208.53	40857.14	32631.48	24089.61	21611.63
वित्तीय संस्थाओं से	**1100**	1450	2995	4020	4370	4720	4070	3350	3500	3500
विदेशी मुद्रा उधार	**21923.72**	24028.20	17621.15	15238.19	10698.09	7605.90	2076.37	1493.67	1048.45	872.09
बैंकों से मियादी ऋण	**-**	125.00	269.40	788.80	1091.54	6469.14	5811.43	4801.05	4434.80	3796.80
वाणिज्यिक पेपर	**5600.00**	-	2540.00	980.00	-	-	2450.00	1295.00	-	-
अल्पावधि/मांग ऋण	**749.93**	734.00	-	1500.00	2500.00	-	630.00	1300.00	1128.00	400.00
जोड़	**169106.38**	151024.12	126240.19	107791.17	90056.47	70039.70	55944.36	44935.94	34282.78	30281.00
निधि जुटाना	**31254.92**	41189.82	36934.37	30759.16	29709.36	25855.35	24028.24	14895.00	8377.23	9437.74
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान)(₹ करोड़ में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**625**	609	1035	1031	1091	658	492	506	881	748
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***65471.10**	*61421.37	*70739.48	*79470.49	*51296.77	*66419.98	*45357.36	*40745.84	*46769.76	*28629.85
संवितरण	**50630.81**	46446.82	37969.99	40183.06	30593.30	28517.11	27127.14	22277.86	16303.70	13732.99
उधारकर्ताओं द्वारा वापसी	**24394.48**	11812.63	14260.45	13345.92	8119.69	8772.58	5806.54	5119.36	5600.24	4034.44
वर्ष के अंत में शेष रकम	**201278.29**	179646.94	148641.10	127355.52	101426.26	81725.45	65978.75	50652.81	38614.83	31262.18
उपलब्धियां (संख्या में)										
अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**7108**	1405	1197	2587	7934	18306	18374	12056	9301	28706
वर्ष के अंत तक	**116144**	109524	108280	107083	104496	96562	78256	59882	47826	38525
बीपीएल आवासों को बिजली का निःशुल्क कनेक्शन देना										
वर्ष के दौरान	**1439144**	759377	961730	1296541	3444902	5883355	4718468	3084788	1621182	655773
वर्ष के अंत तक	**23225437**	21833995	21683554	20721824	19425283	15980381	10097026	5378558	2293770	672588
ऊर्जायित पम्प सेट										
वर्ष के दौरान	**213926**	256026	264165	254993	329022	318176	240020	188743	181244	174750
वर्ष के अंत तक	**10986558**	10772632	10516606	10252441	9997448	9668426	9350250	9110230	8921487	8740243
कार्य परिणाम (₹ करोड़ में)										
कुल आय	**23756.28**	20388.05	17120.80	13598.67	10509.07	8495.26	6707.60	4931.28	3537.66	2854.00
वित्तीय लागत	**14283.12**	11844.61	10038.46	8083.76	6431.35	4851.01	3912.85	2898.70	2072.75	1764.78
अनंतिम और आकस्मिक	**1089.85**	802.96	312.02	130.68	52.27	0.22	0.22	2.37	39.99	21.05
अन्य व्यय	**332.65**	306.68	234.99	216.53	229.32	164.72	145.27	112.17	111.11	60.85
मूल्यह्रास	**5.45**	6.76	4.21	3.75	3.27	3.03	2.15	1.36	1.39	1.13
कर-पूर्व लाभ	**8045.21**	7427.04	6531.12	5163.95	3792.86	3476.28	2647.11	1916.68	1312.42	1006.19
कराधान के लिए प्रावधान	**2417.55**	2167.17	1847.42	1346.33	975.83	906.35	645.69	644.60	452.27	345.93
कर-पश्चात लाभ	**5627.66**	5259.87	4683.70	3817.62	2817.03	2569.93	2001.42	1272.08	860.15	660.26
इक्विटी पर लाभांश	**1688.55**	1056.58	938.09	814.65	740.59	740.59	603.21	386.40	257.60	177.00

* इसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई मंजूरियां शामिल नहीं है।

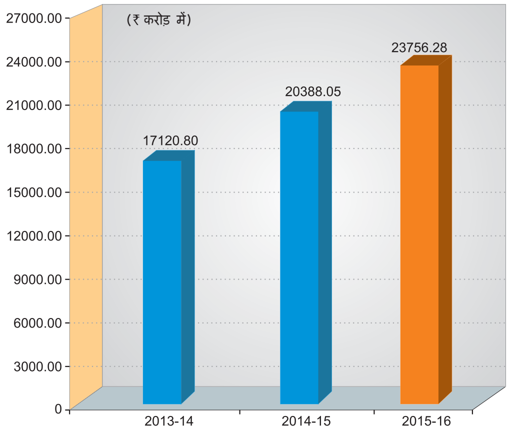

कुल आय

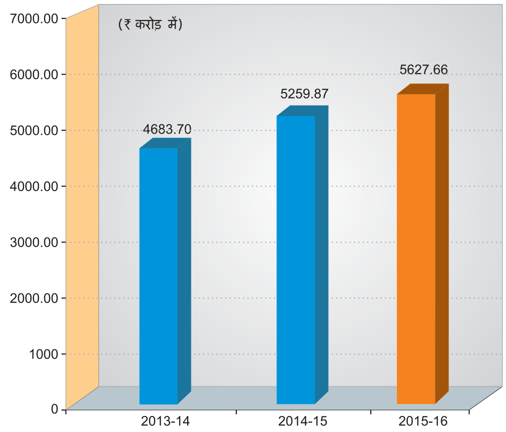

कर–पश्चात लाभ

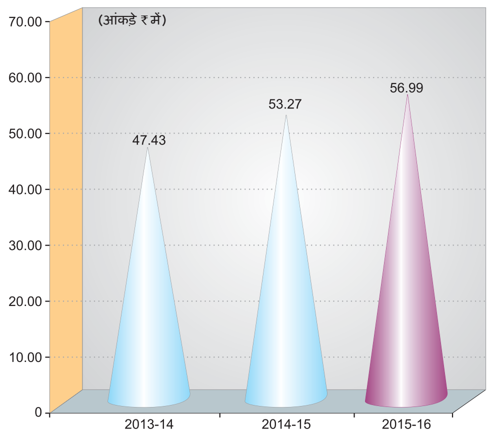

₹10 के प्रति शेयर अर्जन

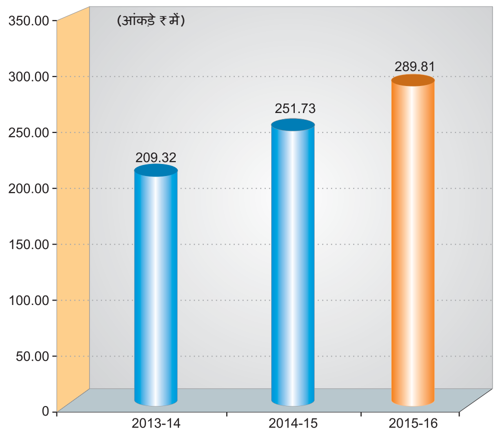

प्रति शेयर बुक वैल्यू

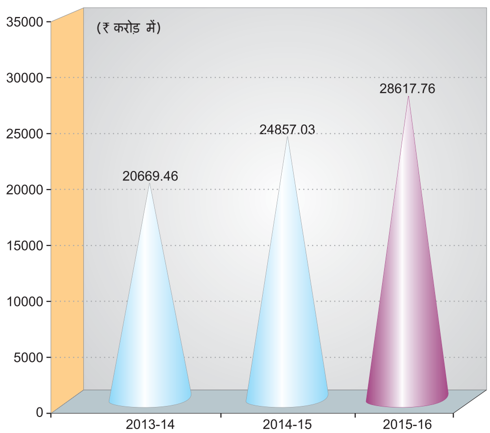

नेट वर्थ

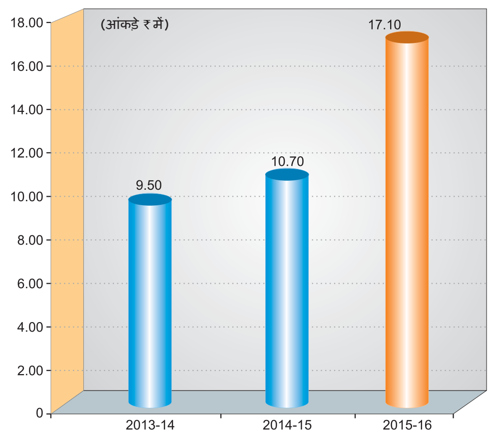

₹10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

अध्यक्ष का संदेश

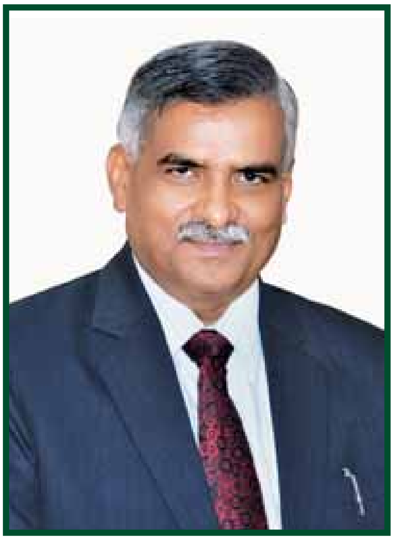

प्रिय शेयरधारकगण,

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी कंपनी की 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। आरईसी ने भारत की एक प्रमुख सरकारी वित्तीय संस्था के रूप में समग्र उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन का एक और वर्ष पूरा कर लिया है। आपकी कंपनी ने देश में विद्युत की संपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की लगभग सभी आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था करने का सतत रिकार्ड रखने के साथ अपनी समृद्धि की कहानी को जारी रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2015-16 में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर एक चमकदार सितारे के रूप में लगातार चमकती रही है। सरकार कार्यों को शुरू करने में और कारोबार तथा उद्योग में अपनी समृद्धि को लगातार बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पहल कर रही है। लेकिन भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र उच्च समृद्धि का प्रदर्शन करने में कुछ और समय लेगा क्योंकि यह अभी पिछले वर्षों की लंबी धीमी गति से उभर रहा है।

कुल मिलाकर, वैश्विक आर्थिक स्थिति में सुधार प्रगति का संकेत है। लेकिन इस बात पर विश्वास करना अभी जल्दबाज़ी होगा कि संकट का समय बीत गया है। विकसित अर्थव्यवस्था में अमरीका एकमात्र देश है, जिसने निवेशकों की रुचि को आकर्षित किया है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था अभी दबाव में चल रही है। अपनी इस मंद समृद्धि से छुटकारा पाने के लिए जापान ने मात्रात्मक सुधारों का सहारा लिया है और चीन अर्थव्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों के दूसरे वर्ष से गुजर रहा है। वस्तुओं का चक्र, जो आर्थिक क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण सूचक है, वह पूरे देश में नहीं फैला है। औद्योगीकृत देशों ने विशेष रूप से इस्पात, कोयला और कच्ची धातु के स्टॉक का एक तंत्र बनाया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की समृद्धि को बढ़ाने के लिए और बड़ी-बड़ी माल-सूचियों के लिए इन वस्तुओं की कीमत काफी कम कर दी गई है। इनके बाज़ार में विद्यमान बाह्य मांग के कारण उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।

जहां तक भारत का संबंध है, इसकी अर्थव्यवस्था के लिए यह दूसरा वर्ष है जब उसने वैश्विक प्रवृत्ति के साथ चलना शुरू किया है और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान समृद्धि में सतत सुधार का स्पष्ट संकेत दिया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, खेती के उत्पादन, विद्युत उत्पादन में सुधार और खनन उत्पादन के कारण वर्ष 2015-16 में 7.6% बढ़ी है। हालांकि, यह भी अपेक्षा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष 2016-17 में वित्त वर्ष 2015-16 से अधिक समृद्धि नहीं होगी, जिसका कारण वैश्विक स्तर पर मंदी का असर है, जो अभी कुछ और समय तक जारी रहेगा।

वर्तमान में देश, चालू लेखा घाटा (सीएडी) और अदायगी संतुलन (बीपीओ) की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर है। विदेशी आरक्षित निधि का स्तर हमेशा उच्च रहा है। इसका मुख्य कारण बेहतर और प्रभावी राजकोषीय समेकन, कच्चे माल की कम कीमत रही है। हालांकि यह पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक रहा है, क्योंकि अमरीका द्वारा किए जाने वाले शेल गैस का उत्पादन का स्तर ऊंचा बना रहा है। विदेशी आरक्षित निधि में बढ़ोतरी का एक कारण विनिर्माण क्षेत्र में समृद्धि को बढ़ाने के लिए आयात के स्तर में कमी आना है। इरान के कच्चे तेल का उत्पादन किए जाने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि सीमित रहने की आशा है। सुलभ स्तर पर तेल की कीमत महंगाई बढ़ने को रोकने में भी सहायक हुई है। इसके अन्य निर्धारक हैं - मुख्य आर्थिक संकेतकों में सुधार का संकेत, विनिमय दरों में स्थिरता और महंगाई में कमी, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2015 से 150 आधार बिंदुओं द्वारा ब्याज की दरों में कमी आई है।

विद्युत क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र की समृद्धि की भूमिका किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख कारक है। देश में विनिर्माण के क्षेत्र में धीमी समृद्धि और पूरे विश्व में वस्तुओं के चक्र में गिरावट के कारण राजकोषीय वर्ष 2016 के दौरान विद्युत क्षेत्र अपने कार्य-निष्पादन पर अडिग रहा है। राजकोषीय वर्ष 2015-16 के अंत में देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 302 जीडब्ल्यू रही है। पारंपरिक विद्युत का 23,976 मेगा वाट का रिकार्ड वर्ष 2015-16 की संस्थापित क्षमता में जुड़ा है। पारंपरिक बिजली के 46,543 मेगा वाट के परिवर्धन को दिखाते हुए पिछले दो वर्ष में 12वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान लक्षित क्षमता परिवर्धन का 53% रहा है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा में भी पिछले दो वर्ष में अभूतपूर्व समृद्धि देखी गई है। पिछले दो वर्ष में सौर ऊर्जा की क्षमता 4,132 गीगा वाट बढ़ी है और पवन विद्युत में ही पिछले राजकोषीय वर्ष में लगभग 3,423 मेगा वाट की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा का भाग बढ़कर लगभग 43 गीगा वाट हुआ है, जो अपने आप में देश में विद्युत उत्पादन के संसाधन के लिए इंधन मिश्रित की बजाय इस प्रकार के विद्युत उत्पादन में आने का संकेत है।

वर्ष 2014 तक विभिन्न रुकावटों यथा दीर्घकालिक कोयला संपर्क की अभिनिर्धारित परियोजनाओं में कमी, कैप्टिव कोयला खान ब्लॉक से योजनाबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता, देशी कोयले में बढ़ोतरी करने में अक्षमता और गैस का उत्पादन, आयातित इंधन की कीमत का बढ़ना, भूमि अधिग्रहण, आर एवं आर तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दों आदि के कारण विद्युत क्षेत्र काफी कठिन समय से गुजरा है।

पिछले दो वर्ष में भारत सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास और पहल की गई हैं, यथा पारदर्शी नीलामी के जरिए कोयला खानों का आबंटन, गैस आधारित परियोजनाओं को गैस की घरेलू आपूर्ति और सब्सिडी देकर 30 प्रतिशत पीएलएफ से कम पर प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं का प्रचालन, रुग्ण इकाइयों को राज्य यूटिलिटी द्वारा प्रचालन के अधीन लेने, देशी कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों, गतिशील निकासी और इंधन संपर्कन करने के लिए विकासकर्ताओं को सुविधा देना, विद्यमान देशी विनिर्माण क्षमता में बढ़ोतरी करना और अद्यतन प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों का बढ़ावा देना।

आज कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के पास लगभग 15 दिन के कोयले का स्टॉक है, जिनके पास पहले 3 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं होता था। इसके अलावा, कोयला उत्पादन में वृद्धि के कारण आयातित कोयले की मात्रा में कमी आई है, जिसके परिणामतः कोयले की कीमतों में प्रभावी कमी आई है और विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन की बचत हुई है। 100% क्रश्ड और धुले कोयले की पहल करने से संयंत्र के प्रचालन में दक्षता बढ़ेगी। बारी-बारी से कोयले का आबंटन और अदक्ष संयंत्रों से दक्ष संयंत्रों में कोयले के संपर्कन में परिवर्तन करना तथा सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) पर आधारित कोयले की गुणवत्ता का गुणवत्ता नियंत्रण करने से संयंत्रों के दक्ष प्रचालन में सहायता मिलेगी और इससे काफी हद तक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

वर्तमान में एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता 59,550 मेगा वाट (30 जून, 2016 को) है और इसे 12वीं योजना के अंत तक 68,050 मेगा वाट किए जाने की योजना है। इससे एक क्षेत्र से अतिरिक्त बिजली की सुविधा को बिजली की कमी झेल रहे दूसरे क्षेत्र में अंतरित कर दिया जाएगा, इस प्रकार राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। 28,114 सीकेएम का उच्च रिकार्ड राजकोषीय वर्ष 2016 में पारेषण क्षमता में जुड़ा है।

बिजली का वितरण विद्युत मूल्य की श्रृंखला में एक कमजोर कड़ी है, अतः बिजली के उत्पादन की गति बढ़ाकर और एक ओर पारेषण की क्षमता को बढ़ाकर तथा दूसरी ओर, विद्यमान अक्षमता को कम करके इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इससे डिस्कॉम/यूटिलिटियां अत्यधिक हानियों और ऋणों से घिरी हुई हैं। राज्य के डिस्कॉमों में बदलाव लाने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) लागू की है। यह एक प्रतिष्ठित योजना है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिवर्तन लाना और डिस्कॉम/राज्य यूटिलिटियों को पुनर्जीवित करना है ताकि एक बार फिर उनकी विश्वसनीयता बढ़े और वे अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। इस क्षेत्र में की गई महत्त्वपूर्ण पहलें हैं - डिस्कॉमों की प्रचालन दक्षता में सुधार करना, बिजली की लागत में कमी करना, डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना और राज्य वित्त व्यवस्था के साथ जुड़कर डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना है।

इसके अलावा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) जैसी प्रतिष्ठित योजनाएं क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहले ही लागू की गई हैं ताकि वितरण प्रणाली को सशक्त बनाया जा सके, बिजली की आपूर्ति उपलब्ध हो और उस तक पहुंच में सुधार हो। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक क्रियाकलापों को भी बल मिलेगा। पूरे देश में इन योजनाओं के व्यापक प्रसार से भारत सरकार को वर्ष 2019 तक सभी को 24X7 बिजली प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

जीवाश्म के इंधन से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को होने वाले खतरों से छुटकारा पाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अतः ग्रीन ऊर्जा का भाग बढ़ाना होगा। इसलिए, जीवाश्म के इंधन के संसाधनों पर निर्भरता को काफी कम करना होगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग करके 100 जीडब्ल्यू के क्षमता परिवर्धन के लक्ष्य राष्ट्रीय सौर मिशन के अधीन वर्ष 2022 तक के लिए योजना बनाई गई है। इसके लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 जीडब्ल्यू रूफ टॉप एंव 60 जीडब्ल्यू सौर विद्युत परियोजनाओं के बड़े और मध्यम स्तर ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाओं शामिल हैं। इनमें सौर पार्क, रक्षा, रेलवे आदि की स्थापनाएं भी शामिल हैं। ग्रीन ऊर्जा पारेषण कॉरिडोर की स्थापना, सौर नगर परियोजना का विकास, सौर पंपों के द्वारा पारंपरिक पंपों को बदलना, ग्रीन विद्युत फंड आबंटन आदि भी इसमें शामिल हैं।

अन्य उल्लेखनीय उपायों में राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमएएए), निष्पादन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना और ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ईसीबीसी) आदि जैसी मांग पक्ष प्रबंधन की पहलें हैं। वर्तमान लाइटिंग लोड के स्थान पर ऊर्जा दक्षता एलईडी बल्ब बड़े स्तर पर लाए गए हैं। यह कार्य महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सभी के लिए सुवाहय एलईडी (उज्जवल) योजना द्वारा उन्नत ज्योति महत्त्वाकांक्षी योजना लागू की गई है डजिसे पहले घेरलू दक्षता प्रकाश कार्यक्रम (डीईएलपी) योजना कहा जाता था। इस योजना के अधीन एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड, जो आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी है, कम लागत पर घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब मुहैया करा रही है। यह पहल सरकार के देश में ऊर्जा दक्षता के संदेश के प्रसार के प्रयासों का एक भाग है। अभी तक इस योजना के अधीन पूरे देश में 9 करोड़ एलईडी बल्ब बेचे गए हैं।

कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने ऋण स्वीकृति, ऋण संवितरण, प्रचालन आय और लाभ के मुख्य क्षेत्रों में लगातार संवृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 65,471.10 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 61,421.37 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया था, जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई घटक और डीडीजी के अधीन दी गई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया एकीकृत संवितरण 46,025.83 करोड़ रुपए था जबकि पिछले वर्ष में यह 42,818.46 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अधीन 5,023.99 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई (जिसमें 4,541.44 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी)। यह सब्सिडी डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अधीन दी गई थी और डीडीजी के अधीन 63.54 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी और ऋण का घटक 419.01 करोड़ रुपए था। यह रकम डीडीयूजीजेवाई के अधीन संवितरित की गई। स्टैंडअलोन आधार पर वित्त वर्ष 2015-16 में कंपनी की कुल प्रचालन आय 17 प्रतिशत बढ़ गई है, यह आय इस वर्ष 23,638.35 करोड़ रुपए हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह 20,229.53 करोड़ रुपए थी। कर-पश्चात लाभ में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 5627.66 करोड़ रुपए हो गई है जबकि पिछले वर्ष 5,259.87 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2016 को आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बुक में 12 प्रतिशत की काफी वृद्धि हुई है जिसे यह इस वर्ष 2,01,278 करोड़ रुपए हो गई है जबकि पिछले वर्ष 1,79,647 करोड़ रुपए थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 में 96.61 प्रतिशत की दर से वसूली की है। आपकी कंपनी की गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) न्यून स्तर पर रही। 31 मार्च, 2016 को कंपनी का सकल एनपीए 4,243.57 करोड़ रुपए था (जिसमें डीसीसीओ के पुनर्गठन/गैर-उपलब्धि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण की 811.33 करोड़ रुपए की रकम भी शामिल है)। सकल ऋण परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में एनपीए की प्रतिशतता 31 मार्च, 2016 को 2.11 प्रतिशत रही जबकि 31 मार्च, 2015 को 0.74 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2016 को निवल एनपीए 3,230.30 करोड़ रुपए था, जो सकल ऋण परिसंपत्तियों 1.60 प्रतिशत है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा असंदिग्ध ऋण को पुनः अनुसूचित किया गया है।

कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान बाज़ार से 31,254.92 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस धनराशि में कर-मुक्त प्रतिभूत उन्मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बांड के रूप में 1,000 करोड़ रुपए, पूंजीगत लाभ कर छूट बांड के जरिए 6,476.70 करोड़ रुपए, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र बांड के जरिए 15,526 करोड़ रुपए, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से 8,046.60 करोड़ रुपए (अर्थात 1,220 मिलियन अमरीकी डालर) और क्रेडिटस्टांल्टफर विडराउफ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के रूप में 2,05.60 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक पेपर (सीपी) के माध्यम से भी 20,771.78 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के अंत में आपकी कंपनी के कुल संसाधन 2,06,352.97 करोड़ रुपए थे।

आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को लगातार 'एएए' रेटिंग मिलती रही है। यह रेटिंग क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग एवं अनुसंधान और इकरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की सर्वोच्च रेटिंग है। कंपनी को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के बराबर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग मिली है, जो क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी" है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जुटाई गई निधियों के लिए उधार की समग्र भारित औसत वार्षिक ब्याज दर 7.30 प्रतिशत और 31 मार्च, 2016 को बाकी उधार 8.21 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। इसका परिणाम यह रहा की आपकी कंपनी प्रतिस्पर्थी दरों पर ऋण का वित्तपोषण कर सकी।

लाभांश

फरवरी, 2016 में प्रदत्त 12.00 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 5.10 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसके संबंध में आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। वित्त वर्ष 2015-16 का कुल लाभांश 17.10 रुपए प्रति शेयर परिकलित किया गया है, जिसमें 10.70 रुपए प्रति शेयर के अनुसार कंपनी के प्रदत्त शेयर पूंजी का 171 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 107 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2015-16 का कुल प्रदत्त लाभांश 1,688.55 करोड़ रुपए होगा, (जिसमें 341.71 करोड़ रुपए का लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है।)

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती रही है। यह देश में अपने टीएंडडी पोर्टफोलियो के अधीन विद्युत संबंधी नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन और पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अधीन सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। 'सबके लिए बिजली' सुलभ करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के देश के उद्देश्य के अनुसार, कंपनी वर्तमान पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं पर विशेष जोर दे रही है और इनमें वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण सबसे महत्त्वपूर्ण है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 19 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 14 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय 27,828.44 करोड़ रुपए था, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सामूहिक वित्तपोषण भी शामिल है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 12,819.53 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने 579 पारेषण और वितरण योजनाए स्वीकृत की हैं, जिनकी कुल ऋण सहायता 23,627.61 करोड़ रुपए थी। इसमें विद्युत उत्पादन संयंत्र, प्रणाली सुधार योजना सहित संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकास योजना शामिल थी, जिनमें पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजनाएं फीडर पृथक्कन योजनाएं, थोक ऋण योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंप सेट ऊर्जायन योजनाएं भी शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान पारेषण और वितरण योजनाओं के अधीन किया गया कुल वितरण 22,565.50 करोड़ रुपए था।

नवीकरणीय ऊर्जा एंव अन्य परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 688 मेगा वाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली 11 नई ग्रिड संयोजनीय नवीकरणीय परियोजनाओं को 2965.72 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की है, जिसमें 662 मेगा वाट तक की 9 सौर फोटो वोल्टेक परियोजनाएं, 6 मेगा वाट की एक बायोमास परियोजना और 20 मेगा वाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना भी शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 4,444.78 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन किया गया कुल संवितरण 304.07 करोड़ रुपए था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

भारत सरकार ने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" नामक योजना अनुमोदित की है। आरईसी डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई योजना ग्रामीण आवासों तक विद्युत की पहुँच को सुगम बनाती है एवं इसका लक्ष्य है कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए सतत विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और परिभाषित परियोजना घटक के माध्यम से कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और 12वीं तथा 13वीं योजना के लिए इसके लक्ष्यों को डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर लिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई में भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 60 प्रतिशत विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों को (विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्य और जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को परियोजना लागत का 85 प्रतिशत) अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसमें से शेष कम से कम 10 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाएगा और शेष 30 प्रतिशत की व्यवस्था (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) राज्य सरकार/ राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा ऋण लेकर की जाएगी। 50 प्रतिशत ऋण घटक का परिवर्तन करके 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5 प्रतिशत) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाएगा। ये लक्ष्य होंगे- परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करना और मीटर्ड खपत, यदि कोई हो, के आधार पर राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी के अपफ्रंट को जारी करना।

डीडीयूजीजेवाई के अधीन अनुमोदित निधि रु 44,033 करोड़ में से भारत सरकार ₹ 33,453 करोड़ की बजट सहायता प्रदान करेगी। 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई योजना को डीडीयूजीजेवाई में मिला दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण घटक है, जिसके लिए सीसीईए ने ₹ 39,275 करोड़ की लागत इस योजना के लिए पहले ही अनुमोदित कर दी है, इसमें ₹ 35,447 करोड़ की बजट सहायता भी शामिल है। इसके परिव्यय को उपर्युक्त परिव्यय के अलावा, डीडीयूजीजेवाई की नई योजना में अग्रेषित किया गया है।

69वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त, 2015 को राष्ट्र को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने यह संकल्प लिया कि देश के शेष 18,452 अविद्युतकृत गांवों को राज्यों और स्थानीय निकायों की सहायता से 1,000 दिन की अवधि के अंदर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। ये 18,452 गांव सुदूर कठिन पर्वतीय क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां का मौसम भी अनुकूल नहीं होता है और वहां किसी प्रकार से पहुंचना भी कठिन होता है। अतः विद्युत मंत्रालय ने आरईसी, जो डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, और राज्यों/ डिस्कॉमों के माध्यम से इन 18,452 गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए एक मिशन के रूप में कार्य किया है। आरईसी ने 12 लक्ष्यों में विद्युतीकरण के कार्यों को विभाजित करके एक अभिनव मॉनीटरिंग तंत्र विकसित किया है, जिसमें 'ग्राम विद्युत अभियंता' (जीवीए) नामक युवा विद्युत इंजीनियरों को इन गांवों में ब्लॉक स्तर पर तैनात किया है और 'गर्व एप्प' का एक मोबाइल वेब पोर्टल (http://garv.gov.in) विकसित किया है ताकि गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा सके। वित्त वर्ष 2015-16 में 5,886 गांवों का विद्युतीकरण करने के लक्ष्य के अनुसार कुल 7,108 गांवों (125 प्रतिशत) को विद्युतीकृत किया गया है और आज की तारीख तक यह उपलब्धि 10,000 गांवों से अधिक रही है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए "एकीकृत विद्युत विकास योजना" अनुमोदित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के उप-वितरण और वितरण तंत्र में सुधार करना है। इसमें (i) उप-पारेषण और वितरण तंत्र को सुदृढ़ करना; (ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराना; और (iii) आईटी सक्षम वितरण क्षेत्रों तथा 12वीं तथा 13वीं योजना के लिए आर-एपीडीआरपी के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वितरण तंत्र को सशक्त बनाना है। यह कार्य आर-एपीडीआरपी के अनुमोदित परिव्यय को आईपीडीएस कार्यक्रमों में एक अलग घटक के रूप में शामिल करना है। इस प्रयोजन के लिए आर-एपीडीआरपी की पिछली योजना और इसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के वित्तपोषण का तरीका वही रहेगा, जो डीडीयूजीजेवाई योजना पर लागू होता है और ऊपर बताया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय)

देश के डिस्कॉमों को लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है और वर्ष 2014-15 तक लगभग ₹ 4.3 लाख करोड़ का उन पर ऋण बकाया है (जिसकी ब्याज दर 14-15 प्रतिशत तक है)। वर्ष 2011-12 में यह बकाया ऋण ₹ 2.4 लाख करोड़ था। भारी ऋण और ब्याज के बोझ के अलावा, वित्तीय रूप से बैंकों के ऋण संबंधी चूक से डिस्कॉम काफी तनाव में हैं और इससे बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर काफी हद तक गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2015-16 में भारत सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) घोषित की है, जिसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था करना और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम को पुनर्जीवित करना है) ताकि इस समस्या का संपोषणीय स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस योजना को लागू करने से डिस्कॉमों को निम्नलिखित चार मुख्य पहलों के माध्यम से अगले दो-तीन वर्षों में उभरने का अवसर प्रदान किया जाएगाः

(i) डिस्कॉमों की प्रचालन दक्षता में सुधार करना;

(ii) बिजली की लागत में कमी करना;

(iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

(iv) राज्य वित्त व्यवस्था के साथ संपर्क करके डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना।

यूडीएवाई पिछले दो वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की दिशा में एक और प्रमुख कदम है। यूडीएवाई योजना विद्युत क्षेत्र की पुराने और भावी संभावित स्थायी समाधानों के माध्यम से जीवंत और दक्ष डिस्कॉमों को सुनिश्चित करती है।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

इस कंपनी की वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) हैः

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; और

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने केवल अपने मूल कारोबार अर्थात विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य ही नहीं किया है अपितु आर-एपीडीआरपी भाग के अधीन परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में गुणवत्ता का एक बेंचमार्क भी स्थापित किया है और स्वच्छ विद्यालय अभियान में आरईसी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पहलों के अधीन पूरे भारत के राज्यों में शौचालयों का निर्माण करने से संबंधित समग्र कार्य भी किया है (जिसमें उन्होंने पारंपरिक और प्रि-फैब प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है)। आरईसीपीडीसीएल द्वारा किए गए कार्यों की सामान्य रूप से विभिन्न मंचों पर व्यापक सराहना की गई है, विशेष रूप से इसके मूल्यवान उपभोक्ताओं ने इनकी सराहना की है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरईसीपीडीसीएल का कुल राजस्व 73 प्रतिशत बढ़कर ₹ 151.54 करोड़ तक पहुंच गया है जबकि पिछले वर्ष में उसका राजस्व ₹ 87.79 करोड़ था। इसका कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 55.44 करोड़ अर्थात 6 प्रतिशत तक बढ़ गया हैं जबकि पिछले वर्ष यह ₹52.52 करोड़ था। इसके अलावा, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) भी ₹ 36.17 करोड़ अर्थात 4 प्रतिशत बढ़ गया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 34.77 करोड़ था। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर ₹ 2,170.56/- करोड का लाभांश देने की सिफारिश की है, जिसके संबंध में आगामी वार्षिक आम बैठक में आरईसीपीडीसीएल के शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

अन्य सहायक कंपनी अर्थात आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पारेषण सेवा प्रदाता का चयन करने के लिए "बोली प्रक्रिया समन्वयक" के रूप में कार्य करती है। यह कार्य पारेषण परियोजनाओं के लिए अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से करता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल परियोजना विशेष के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एसपीवी) निगमित करता है क्योंकि यह इसकी पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है। आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी की भी पूर्ण स्वामित्व की कंपनी होती है। टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाताओं का चयन करने के बाद संबंधित परियोजना का विशिष्ट एसपीवी और उसकी सभी परिसंपत्तियां और देयताएं सफल बोलीदाता को अंतरित की जाती हैं।

31 मार्च, 2016 को आरईसीटीपीसीएल के निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट एसपीवी थे, जो आरईसीटीपीसीएल/आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की कंपनियां थीः

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(ii) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड*

(iii) एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड

(iv) नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड#

(v) खरगौन ट्रांसमिशन लिमिटेड

(vii) डिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड

(viii) एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड

* कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा ने अपने दिनांक 25 मई, 2016 और 16 जुलाई, 2016 के प्रमाणपत्र (पत्रों) के जरिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनी के रजिस्टर से क्रमशः 'नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड' और 'बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड' को हटा दिया है।

\# सहायक कंपनी अर्थात 'नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड' को इसकी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स अडाणी ट्रांसमिशन को दिनांक 08 जुलाई, 2016 को अंतरित कर दिया गया है। इस प्रकार यह कंपनी उपर्युक्त तारीख से आरईसीटीपीसीएल/आरईसी की सहायक कंपनी नहीं रही है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरईसीटीपीसीएल ने ₹ 44.15 करोड़ अर्जित किए हैं। इस वर्ष का कर-पूर्व लाभ और कर-पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 42.42 करोड़ और ₹ 28.80 करोड़ रहा है। 31 मार्च, 2016 को आरईसीटीपीसीएल का नेटवर्थ ₹ 123.40 करोड़ था जबकि वर्ष 2007 में आरईसी द्वारा इसे ₹ 0.05 करोड़ की आरंभिक पूंजी दी गई थी। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आरईसीटीपीसीएल के निदेशक मंडल ने प्रति 10 रुपए के अंकित मूल्य पर ₹ 1,730 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है, जिसे उनकी आगामी वार्षिक आम बैठक आरईसीटीपीसीएल के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

आरईसी ने अन्य 3 सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों अर्थात पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ 10 दिसंबर, 2009 को एनर्जी एफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है। ईईएसएल का गठन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों का सृजन करना और उनकी बाज़ार पहुंच बनाना है। यह कार्य विशेष रूप से नगरपालिकाओं, भवनों, कृषि, उद्योग आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में किया जाना है और इसके जरिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की विभिन्न योजनाओं को लागू करना है। ईईएसएल राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के क्रियाकलापों से संबंधित बाज़ारों का भी नेतृत्व कर रहा है। यह मिशन राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना के अधीन 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक हैं। वर्तमान में ईईएसएल विभिन्न नगर निगमों के साथ नगरपालिका की स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अतः कृषि क्षेत्र में बेकार कृषि पम्प सेटों को बदलने के लिए कृषि डीएसएम की परियोजना और बाह्य एलईडी के द्वारा उन्नत ज्योति योजना सभी के लिए लागू कर रहा है अर्थात उज्जवल योजना (जो पहले घरेलू दक्षता लाइटिंग कार्यक्रम अर्थात डीईएलपी योजना थी) अब ईएससीओ मोड में घरेलू आवासीय क्षेत्रों के लिए विभिन्न यूटिलिटियों और विभिन्न कंपनियों की कॉरपारेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के अधीन लागू की जा रही है। आज तक आरईसी के पास ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 31.7 प्रतिशत है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अलेखापरीक्षित वित्त व्यवस्थाओं के आधार पर ईईएसएल का कुल राजस्व ₹ 714.40 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष का राजस्व ₹ 71.11 करोड़ था। इस वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹ 49.60 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ ₹ 13.57 करोड़ था। इसके अलावा, इस वित्त वर्ष के दौरान ईईएसएल का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) भी बढ़कर ₹ 32.89 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 9.60 करोड़ था।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र तथा विद्युत एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकता को पूरा करना है। सायर द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के महत्त्वपूर्ण मिशन पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डीडीयूजीजेवाई योजना के मानव संसाधन विकास घटक के तहत फ्रैंचाइजी और समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय ने सायर को नोडल एजेंसी का दर्जा दिया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित समूह 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और मॉनीटरिंग करने के अलावा, सायर ने विभिन्न विषयों पर 128 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रशिक्षण के 14353 श्रम दिनों में 2471 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, सायर को एबीपी न्यूज द्वारा इस वर्ष के दौरान, 'नेतृत्व, विकास, नवोन्मेष और औद्योगिक इंटरफेस' के सम्मान में इस संस्था को 'शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार' प्रदान किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की दक्षता और कौशल को उन्नत करने सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और उच्च कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राथमिकता दी जाती रही है। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्य-निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को अधिक प्रखर बनाना है और कर्मचारियों को अपने कार्य-निष्पादन एक उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्हें सभी संभव अवसर तथा सहायता उपलब्ध कराना है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को उन्नत करने और ऐसे सामाजिक-आर्थिक वातावरण, जिसमें कंपनी का प्रचालन है, के प्रति कर्मचारियों को सुग्राही बनाने एवं आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और मनोवृत्ति के लिए कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न पेपर प्रेजेंटेशन और सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से कंपनी में 2009 से एकीकृत ईआरपी तंत्र प्रचालन में है, जिसके अंतर्गत कंपनी के प्रमुख कार्य शामिल हैं। इस तंत्र में नई-नई विशेषताएं जोड़कर इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है। ईआरपी प्रणाली का लाभ बेहतर सेवाओं के भाग के रूप में उधारकर्ताओं को भी दिया गया है। आरईसी का प्राइमरी डेटा सेंटर (पीडीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेंटर (डीआरसी) को आईएसओ/ आईईसी 27001:2013 प्रमाणपत्र प्राप्त है और वह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा अधिसूचित भारत सरकार की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का पालन करता है। इसके अलावा, सीईआरटी-इन-प्रमाणित लेखापरीक्षा, जो सतत आधार पर आंतरिक लेखापरीक्षक है, के माध्यम से कई सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित की जाती हैं।

आरईसी ने पूरे देश में अपने सभी कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग लागू कर दी है। आरईसी का कॉरपोरेट ऑफिस वाईफाई सक्षम बन गया है। और कंपनी के सभी फील्ड कार्यालयों को भी वाईफाई सक्षम बनाया जा रहा है। आरईसी ने इस वर्ष के दौरान इंटरनेट पर एचआर-ईआरपी कर्मचारी स्वतः सेवा (ईएसएस) पोर्टल को भी लागू कर दिया है। इसके अलावा, ₹ 2.00 लाख से अधिक के माल और सेवाओं की सभी खरीद अब ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। उपर्युक्त प्रणाली केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ई-रिवर्स ऑक्शन भी कर सकती है। आरईसी ने कई आंतरिक प्रणालियां भी विकसित की हैं यथा वार्षिक संपत्ति विवरण, बिलों की अदायगी और ट्रैकिंग प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, फाइल संचलन प्रणाली आदि। इनके अलावा, भारत सरकार की कई आईटी पहलों को कंपनी में प्रोन्नत किया जा रहा है यथा माई गवर्नमेंट, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया आदि।

निगमित सुशासन

आरईसी में निगमित सुशासन विद्यमान विनियामक ढांचे के अंदर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए पोषणीय मूल्य सृजन के संबंध में नैतिक और जिम्मेदार तरीके से कारोबार का प्रबंधन किया जा रहा है। कंपनी ऐसी सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास रखती है, जो पूरे विश्व में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाई जाती हैं। सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्रक उद्यम के रूप में आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2015, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों में निर्धारित निगम सुशासन की अपेक्षाओं का पालन कर रही है। इसके अलावा, निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति से संबंधित मामले पर नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात विद्युत मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, आरईसी ने विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया है, यथा 25 सितंबर 2015 से 11 अक्तूबर, 2015 तक 'स्वच्छता अभियान' (राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान) और 22 जून, 2015 से 26 जून, 2015 तक स्वच्छ भारत अभियान आयोजित

किया गया है। ये अभियान कंपनी के स्कोप कार्यालय और सभी अन्य कार्यालयों में आयोजित किए गए हैं। आरईसी के सभी कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालय परिसरों, शौचालयों, सीढ़ियों, लिफ्टों और आसपास के अन्य क्षेत्रों में चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान में बड़े उत्साह और उमंग से भाग लिया है। रिकार्ड रखने की अनुसूची के अनुसार, पुराने और अवांछित रिकार्डों की छंटाई की गई है। इस प्रक्रिया में लगभग 5,000 किलो ग्राम रद्दी कागज, पत्र-पत्रिकाएं, मसौदा रिपोर्टें आदि निपटाई गई हैं। कंपनी के सभी फाइल कवरों, लिफाफों और पत्र शीर्षों पर 'स्वच्छ भारत मिशन' का लोगो अभी भी आरईसी में मुद्रित किया जा रहा है ताकि लोगों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीय विकास (सीएसआर एंड एसडी) की पहलों पर सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। तदनुसार, ₹ 128.00 करोड़ का सीएसआर बजट (अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्ष के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की दर से) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित किया गया था। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता, वृद्धजनों और विकलांग व्यक्तियों सहित स्वास्थ्य के प्रोन्नयन, पीने के पानी और स्वच्छता अभियान में भाग लेने सहित स्वच्छता सुविधाएं, चुनिंदा अविद्युतकृत/कम विद्युतीकृत गांवों में सौर स्मार्ट माइक्रो ग्रिड लाइट जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कई पहल की हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 163.17 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है और खाता लेखा में उपलब्ध रकम सहित ₹ 128.20 करोड़ खर्च किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन की रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' श्रेणी दी गई है। वर्ष 1993-94 से, जब पहली बार सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, लगातार यह 22वां वर्ष है, कंपनी को उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है। वित्त वर्ष 2015-16 में भी कंपनी को आशा है कि इसे 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होगी। इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को इंडिया टुडे से 'तेजी से उभरता हुआ नवरत्न पीएसयू' का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

अन्य पहलें

आपकी कंपनी ने बाज़ार की अपेक्षाओं और अपने कॉरपोरेट के उद्देश्यों तथा लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार, समय-समय पर अपनी नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा की है। इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न नीतियों और दिशानिर्देशों को अंगीकृत/संशोधित किया है यथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कोयला खान की वित्त व्यवस्था (राज्य क्षेत्र) के लिए एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देशों, दीर्घकालिक निवेश नीति, नम्य ढांचे के लिए परियोजना वित्त व्यवस्था ढांचे संबंधी दिशानिर्देशों, परियोजना ऋणों के पुनः वित्तपोषण संबंधी दिशानिर्देशों, स्ट्रेस एसेट के बारे में विनियामक अनुपालन संबंधी दिशानिर्देशों और कौशल विकास के अधीन कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सहायता संबंधी नीति।

बाज़ार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता के बावजूद, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने स्वस्थ प्रसार और कारोबार की समृद्धि तथा लाभकारिता के अपने उद्देश्यों में संतुलन बनाए रखा।

भावी कार्यनीति

आपकी कंपनी उपभोक्ताओं की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोक्ता सेगमेंटों को ध्यान में रखते हुए, बहुत से उत्पाद पेश करती है। आरईसी अपने मूल वित्तीय क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्शनील रहेगा और विद्युत उपकरणों के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता संबंधी क्रियाकलाप, इक्विटी वित्तपोषण आदि जैसे विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों में भी नए कारोबार की संभावना तलाशने के लिए प्रयास करेगा।

आपकी कंपनी सौर, बायोमास और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण की दिशा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे बिजली की कमी, कार्बन के उत्सर्जन और इंधन की आपूर्ति की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। नवीकरणीय, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आपकी कंपनी ने आर्थिक नवीकरणीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी उधार नीति को तर्कसंगत बनाया है। इन परियोजनाओं के लिए बेहतर शर्तों पर वित्त उपलब्ध कराते समय आपकी कंपनी ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों में जोखिम मूल्यांकन का ध्यान रखने के लिए ऋण की अवधि 15 वर्ष तक बढ़ा दी है। इस प्रकार उसने अपनी ब्याज दर नीति में परिवर्तन किया है। विभिन्न प्रौद्योगिकियों में जोखिम निर्धारण पर ध्यान देने के लिए आपकी कंपनी ने एकीकृत रेटिंग तंत्र शुरू किया है।

आपकी कंपनी भावी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है और प्राधिकार तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अपने कार्य में व्यावसायिकता पर बल देते हुए, निगमित सुशासन का सर्वोत्तम मानक बनाए रखने का प्रयास करती रहेगी ताकि दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य और समाज के सभी स्टेकहोल्डरों के स्वास्थ लाभ में वृद्धि होती रहे।

भावी योजना

मांग और खपत की प्रवृत्ति निकट भविष्य में विद्युत क्षेत्र का भविष्य निर्धारित करने के लिए प्रमुख बात होगी। बारहवीं योजना के लिए योजनागत क्षमता का 96 प्रतिशत पहले चार वर्षों में ही जोड़ दिया गया है। बारहवीं योजना की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम को अभी निश्चित किया जाना है। लेकिन विद्युत उत्पादन में निवेश में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है जो एक बार विनिर्माण क्षेत्र शुरू होने से संपोषणीय समृद्धि होगी। जीवाश्म इंधन से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा पर लगातार दबाव बढ़ने से ग्रीन ऊर्जा का भाग काफी बढ़ जाएगा। ग्रीन ऊर्जा में क्षमता परिवर्धन वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगा वाट बढ़ाने जाने की योजना से इसमें और वृद्धि होगी। निकट भविष्य में पारेषण और विशेषतः वितरण क्षेत्र में बहुत बड़े निवेश की काफी संभावना है। अच्छी बारिश होने पर यह मांग और भी बढ़ जाएगी क्योंकि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो जाएगी। वितरण क्षेत्र को भी आगे बढ़ाना है क्योंकि सभी प्रमुख योजनाओं यथा डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एनईएफ, यूडीए और उज्जवल का मुख्य उद्देश्य कमजोर क्षेत्रों में दक्षता लाना है, जिसके कारण समुद्रीय परिवर्तनों का होना है। मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) को आने वाले वर्षों में वितरण के क्षेत्र में भारी भूमिका निभानी होगी।

डीडीयूजीजेवाई कार्यक्रमों के अधीन निधियों की मॉनीटरिंग और चैनेलाइजिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक-आर्थिक दायित्व को लगातार वहन करता रहेगा।

विश्व की तुलना में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के निम्न स्तर को देखते हुए, लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण संवृद्धि दर्शाने और विकसित अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए ऐसा महसूस किया जाता है कि विद्युत संबंधी बुनियादी क्षेत्र को काफी लाभ होगा। बिजली की दीर्घकालिक मांग को देखते हुए, इसे सशक्त रहने की आवश्यकता है। अतः, विद्युत क्षेत्र को भविष्य में जीवंत और पर्याप्त निवेशों को आकर्षित करना होगा।

आभार

माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), विशेष सचिव, विद्युत मंत्रालय, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों द्वारा आपकी कंपनी को दिए गए भारी सहयोग और मार्गदर्शन के लिए, मैं इस अवसर पर मैं उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं, विद्युत मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, नीति आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का भी उनके द्वारा दिए गए सतत सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, सचिवालयीय लेखापरीक्षक और कंपनी के साथ संबद्ध अन्य व्यवसायियों का भी उनके द्वारा दिए गए अमूल्य सहयोग के लिए भी उन्हें धन्यवाद हूं। मैं, अपने उधारदाताओं और निवेशकों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हममें अपना विश्वास व्यक्त किया है।

निदेशक मंडल में अपने प्रतिष्ठित साथियों और आरईसी के सभी कर्मचारियों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए कंपनी में पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है।

कंपनी के सभी स्टेकहोल्डरों द्वारा लगातार दिए गए सहयोग और सद्भावना के लिए मैं उनके प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लगातार सहयोग और आरईसी के समर्पित और परिश्रमी कार्य दल के कारण आपकी कंपनी आने वाले समय में सभी मापदंडों को लगातार पूरा करती रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

11 अगस्त, 2016

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी") की 47वीं (सैंतालिसवीं) वार्षिक आम बैठक बुधवार, 21 सितंबर, 2016 के पूर्वाह्न 11.00 बजे, वेट लिफ्टिंग सभागार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003, भारत** में निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

1) निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

2) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 02231613) के स्थान पर नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने पुनःनियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

4) वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

5) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और सभी अन्य लागू प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम (जिनमें कोई सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में, श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 के आदेश के अनुसरण में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी को लिखित रूप में सूचित किया था, उन्हें इस पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है, जिन्हें क्रमावर्तन के अनुसार सेवानिवृत्त होना होगा।"

6) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और सभी अन्य लागू प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम (जिनमें कोई सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में, श्री अरुण सिंह (डीआईएनः 00891728), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश के अनुसरण में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।"

7) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और सभी अन्य लागू प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम (जिनमें कोई सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में, श्री अरवमुदन कृष्णकुमार (डीआईएनः 00871792), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश के अनुसरण में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।"

8) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और सभी अन्य लागू प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम (जिनमें कोई सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में, प्रोफेसर तिरुवल्लूर तट्टई राम मोहन (डीआईएनः 00008651), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश के अनुसरण में अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने किए जाने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।"

9) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के पास पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों (जिनमें कोई सांविधिक संशोधन या तत्समय लागू उसका कोई पुनः अधिनियमन भी शामिल है) और समय-समय पर लागू कानूनों/किसी विधान के अधीन बनाए गए लागू कानूनों/नियमों के अनुसरण में और समुचित प्राधिकारियों के अनुमोदन/सहमति से, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) द्वारा एनर्जी एफिसिएंसी लिमिटेड (ईईएसएल) या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ निष्पादित संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेन-देन (लेन-देनों) को कंपनी की सहमति से निष्पादित किया जाए और एतद्वारा निष्पादित किया जाता है। यह निष्पादन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से

एक वर्ष के दौरान माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या एजेंट के माध्यम से) बेचे/खरीदे जाने के रूप में, किसी भी प्रकार की संपत्ति का पट्टे पर दिए जाने, समय-समय पर वित्तीय सहायता, जनशक्ति की नियुक्ति, सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करने सहित सेवाओं का लाभ उठाने या सेवाएं देने से संबंधित हैं, बशर्ते कि ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं), लेन-देन (लेन-देनों) का समेकित मूल्य तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आरईसी के कुल कारोबार के 2 (दो) प्रतिशत से अधिक न हो।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य अधिकारी को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ व्यक्तिगत संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) अनुमोदित कर सकता है, परंतु यह संविदा व्यवस्था या लेन-देन वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आरईसी के कुल कारोबार की समग्र 2% (दो प्रतिशत) की सीमा के अंदर हो। इसमें संबंधित पक्षकार का नाम और संबंधों का प्रकार, उस संविदा या व्यवस्था का प्रकार और अवधि तथा ब्योरों का उल्लेख किया जाएगा, जो ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ निष्पादित किया जाएगा, अन्य बातों के साथ-साथ इस संविदा की महत्त्वपूर्ण शर्त यह होगी कि कीमत और अन्य वाणिज्यिक शर्तों के तरीकों में किए गए या प्राप्त की गई अग्रिम अदायगी, यदि कोई हो, संविदा के मूल्य सहित, जिसमें संविदा का भाग या संविदा और/या किसी अन्य मामले के भाग के रूप में जिसके संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है, दोनों शामिल होंगे।"

"यह **भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी भी शामिल है, को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसा सभी कृत्य, कार्य और बातें कर सकता है और निष्पादित कर सकता है जो उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक समझी जाए।"

10) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों (जिसमें लागू सांविधिक संशोधन या उसका पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की जाए और एतद्द्वारा वृद्धि की जाती है। यह वृद्धि ₹ 5000,00,00,000 (केवल पांच हजार करोड़) की हो, जिसे 500,00,00,000 (केवल पांच सौ करोड़) में विभक्त किया जाए। इन्हें प्रत्येक ₹ 10/- (केवल दस रुपए) के इक्विटी शेयर के रूप में ₹1200,00,00,000 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़), जिन्हें 120,00,00,000 (केवल एक हजार बीस करोड़) में विभाजित कर दिया जाए। इसके प्रत्येक ₹ 10/- (केवल दस रुपए) के इक्विटी शेयर करने के लिए प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर अतिरिक्त 380,00,00,000 (केवल तीन सौ अस्सी करोड़) का सृजन किया जाए।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी भी शामिल है) को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कृत्य, कार्य और बातें करें।"

11) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13, 61 के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के खंड v के अनुसरण में निम्नलिखित को संशोधित करने और प्रतिस्थापित करने दिया जाए और एतद्द्वारा ऐसा किया जाता है।"

v. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 5000,00,00,000 (केवल पांच हजार करोड़ रुपए) को प्रत्येक ₹ 10/- (केवल दस रुपए) के इक्विटी शेयर में 500,00,00,000 (केवल पांच सौ करोड़) में विभाजित करें।"

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी भी शामिल है) को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कृत्य, कार्य और बातें करें।"

12) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 63 और लागू अन्य प्रावधानों तथा कंपनी के विद्यमान संस्था के अंतर्नियम के अंतर्नियम 98 के अनुसरण में और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009 ("विनियम") के अनुसार और समुचित प्राधिकारियों से यथा अपेक्षित ऐसी सहमति और अनुमोदन के अधीन तथा कंपनी के अनुमोदन और सहमति देते समय यथाविर्दिष्ट शर्तों और संशोधनों के अधीन कंपनी के "प्रतिभूति प्रीमियम लेखे" में जमा रकम में से अधिक से अधिक ₹ 987,45,90,000 (केवल नौ सौ सत्तासी करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार रुपए) की पूंजी की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा सहमति दी जाती है। यह सहमति 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार है और यह कि यह रकम शेयर पूंजी लेखे में अंतरित की जाए और अधिक से अधिक 987,45,90,000 (केवल नौ सौ सत्तासी करोड़ पैंतालिस लाख नब्बे हजार रुपए) के इक्विटी शेयरों को जारी करने और आबंटन करने पर लागू की जाए। ये शेयर पूर्णतः प्रदत्त जमा बोनस शेयरों के रूप में प्रत्येक ₹ 10/- के शेयर होंगे और ये शेयर कंपनी के पात्र सदस्यों को, जिनके पास प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर हों और जिनके नाम कंपनी द्वारा यथा निर्धारित ऐसी तारीख (रिकार्ड तारीख) को कंपनी के सदस्यता रजिस्टर/हिताधिकारी स्वामियों की स्थिति में हो, ये शेयर प्रत्येक ₹ 10/- के इक्विटी शेयर के रूप में होंगे और रिकार्ड तारीख को उसके पास प्रत्येक ₹ 10. का प्रत्येक इक्विटी शेयर हो और यह कि इस प्रकार जारी किया गया या आबंटित किया गया नए बोनस शेयर को सभी प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित कंपनी के पूंजीगत इक्विटी शेयर की नगण्य रकम में वृद्धि के रूप में समझा जाएगा न कि आय के रूप में।"

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी के संस्था ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के अधीन प्रत्येक ₹ 10/- के नए इक्विटी शेयर बोनस शेयर के रूप में जारी और आबंटित किए जाएं और ये सभी प्रकार से समरूप होंगे और कंपनी के विद्यमान पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अधिकार इनको प्राप्त होंगे, परंतु ये बोनस शेयर 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के पात्र नहीं होंगे।"

"संकल्प किया जाता है कि बोनस शेयरों के संबंध में आबंटन पत्र जारी नहीं किया जाएगा और बोनस शेयरों का/के शेयर प्रमाणपत्र ऐसे शेयरधारकों को जारी और प्रेषित किए जाएंगे, जिनके पास वास्तव में विद्यमान शेयर हों और ऐसे शेयरधारकों के संबंध में बोनस शेयरों को संबंधित लाभार्थी

के लेखे में जमा किया जाएगा, जिनके पास विद्‌यमान शेयर हों या जो डिमैटीरियलाइज्ड रूप में निर्धारित अवधि के अंदर बोनस शेयरों को प्राप्त करने का विकल्प दें।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी के अनिवासी सदस्यों से संबंधित प्रस्तावित बोनस शेयरों का आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्‌वारा इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों, जारी/संशोधित किए गए दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा प्राधिकृत प्राधिकारी भी शामिल है) को प्राधिकृत किया जाए और एतद्‌वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कृत्य, कार्य और बातें करे।"

13) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के प्रावधानों और सभी अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल है) और तत्समय लागू किसी विधान के अधीन विधि/नियम के अनुसरण में और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के संस्था के अंतर्नियमों के प्रारूप में विहित समुचित प्राधिकारी, यदि कोई हो, के अनुमोदन/सहमति से यह अनुमोदित किया जाए और एतद्‌वारा अनुमोदित किया जाता है कि वह कंपनी के विद्‌यमान संस्था के अंतर्नियमों में अंतर्निहित विनियमों को अंगीकृत करने या उसे संपूर्ण रूप से हटाने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्‌वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (जिसमें निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा प्राधिकृत प्राधिकारी भी शामिल है) को प्राधिकृत किया जाए और एतद्‌वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह सभी कृत्य, विलेख तथा कार्य करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत है उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कृत्य, कार्य और बातें करे।"

14) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और उसके अधीन बनाए गए नियमों (जिसमें समय-समय पर लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन भी शामिल है) के अनुसरण में और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऋण प्रतिभूति जारी करना तथा सूचीबद्ध करना सहित अन्य लागू विधि (संशोधन) विनियम, 2012 और अन्य लागू सेबी विनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्‌वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देश, परिपत्र/ निदेश/ मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी के संस्था ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों और लागू आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद तथा आवश्यक अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, जिसमें विद्‌यमान उधारदाता/डिबेंचरों के न्यासी/धारक, यदि आवश्यक हो, करार/विलेख की शर्तों के अधीन और निर्धारित शर्तों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति दिए जाते समय, जिन्हें निदेशक मंडल (मंडल) या निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी, की अनुमोदन से कंपनी को यह अनुमोदन दिया जाए और एतद्‌वारा अनुमोदन दिया जाता है कि वह अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ डिबेंचरों की प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 50,000 करोड़ की निधि इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर जुटा जा सकती है। यह निधि एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जुटाई जा सकती है, जो कंपनी के बांड/ डिबेंचरों के धारक हों या न हों, जैसा कि निदेशक मंडल (या निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी) अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है जिसमें पात्र निवेशक (भले ही वे निवासी हों और/या अनिवासी हों और/या संस्था/निगम/निकाय और/या व्यक्ति और/या न्यासी और/या बैंक या अन्यथा हों, जो घरेलू और/या एक से अधिक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में हों), जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थान, निगमित निकाय, कंपनी, प्राइवेट या सरकारी या अन्य एंटिटी, प्राधिकारी या एक या एक से अधिक व्यक्ति भी शामिल हैं जो एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए मिलकर निवेश कर सकते हैं और जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है (जिसकी समग्र सीमा जैसे पहले बताई गई है), ₹ 50,000 करोड़ हो, यदि कोई हो ऐसी शर्तों पर, जो समय-समय पर लागू दिशानिर्देशों के अधीन तय की जाएं और ऐसी शर्तों पर, जो निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकरण द्‌वारा अनुमोदित की जाए।"

"संकल्प किया जाता है कि प्रतिभूत/अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों का प्राइवेट प्लेसमेंट करने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक मंडल (मंडल) या निदेशक मंडल द्‌वारा विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्‌वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकारी को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्‌वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह निर्गम की शर्तों को निर्धारित करे, जिसमें ऐसे निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाएंगे, सहित प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम कीमत, टेनर, ब्याज दर, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रचलित ब्याज कीमत पर दी जाएगी, निर्गम की रकम बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी के लिए निर्गम कीमत में छूट, सूचीकरण/अपेक्षित घोषणा और वचनपत्र आदि, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रस्ताव पत्र भी शामिल है और वह तत्समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के अधीन ऐसे सभी कार्य, कृत्य और बातें कर सकता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

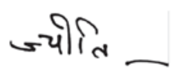

(जे. एस. अमिताभ)

महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

सदस्य संख्या एफसीएस 4298

स्थान : कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक : 11 अगस्त, 2016

टिप्पणियां:-

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फार्म और बैठक के स्थल का रूट मैप संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात** www.recindia.com **पर भी उपलब्ध है।**

   कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कंपनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम 10 प्रतिशत धारण करने वाले अधिकतम 50 सदस्यों की ओर से प्रतिनिधियों के रूप में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य, जिसके पास कुल अंश पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. सेबी (सूचीकरण बाधाताएं एंव प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 15 {सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015} के अधीन यथा अपेक्षित पुनःनियुक्ति के लिए प्रयासरत अथवा पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का भाग है।

4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **बुधवार, 24 अगस्त, 2016 से शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 तक (जिनमें ये दोनों दिन शामिल हैं)** बंद रहेंगी।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा 27 मई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में यथा अनुशंसित ₹ 5.10 (51 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश, यदि वह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में **मंगलवार, 4 अक्तूबर, 2016** या इससे पूर्व कंपनी/आरएंडटीए के पास दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान है, मंगलवार, 25 अगस्त, 2016 को अदा किया जाएगा। डिमैटीरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के उन "लाभार्थी स्वामियों" को देय होगा, जिनके नाम **मंगलवार, 23 अगस्त, 2016** को कारोबार बंद होने के समय नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।

   इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने 10 फरवरी, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर ₹ 12.00 (120 प्रतिशत) प्रति इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश घोषित किया था, जो 25 फरवरी, 2016 को अदा किया गया था। शेयरधारकों से भी इसकी पुष्टि करने का अनुरोध है।

6. बोनस शेयर, जैसाकि निदेशक मंडल ने अपनी 11 अगस्त, 2016 को आयोजित बैठक में सिफारिश की है, यदि वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, कंपनी के ऐसे सदस्यों को आबंटित किए जाएंगे, जिनका नाम कंपनी द्वारा निर्धारित की जाने वाली तारीख ("रिकार्ड तारीख") को कंपनी के सदस्यता रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की श्रेणी में दर्ज हो।

7. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, उप-विभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर से संबंधित मामले तथा अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपन संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

8. जिन सदस्यों को अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने उनका नकदीकरण उसकी वैधता अवधि में नहीं कराया है, वे वारंटों को पुनः वैधीकरण कराने या ऐसे वारंटों के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तदनुरूपी प्रावधानों), जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है, के अनुसरण में 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (कंपनियों के पास अप्रदत्त/अदावाकृत पड़ी राशियों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियमावली, 2012 के प्रावधानों के अनुसरण में 16 सितंबर, 2015 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्योरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं।

9. कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फार्म/उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र (मुखतारनामे) की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

10. **सदस्यों से अनुरोध है कि वेः**

    (क) नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति स्वयं लानी होगी;

    (ख) बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची बैठक के प्रवेश स्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित रूप में प्रस्तुत करनी होगी, क्योकि सभागार में प्रवेश, बैठक के स्थल के काउंटर पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;

    (ग) कंपनी/ आरएंडटीए के साथ समस्त पत्राचार में अपना फोलियो/ग्राहक आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;

    (घ) नोट करें कि सुरक्षा कारण से ब्रीफकेस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

    (ङ) नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

11. जैसाकि सेबी ने निदेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट/ वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, वे कंपनी के रजिस्ट्रार अथवा शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) अर्थात **कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : आरईसी, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाकरमगुडा, हैदराबाद-500032, भारत** से एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिन्होंने एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म कंपनी/ आरएंडटीए को पूरे विवरणों सहित पहले ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत कर दिए हैं, उन्हें दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

12. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए जो सदस्य एनईसीएस/ एनईएफटी/ प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहें, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते के विवरण यथा बैंक की शाखा का नाम और पता, बैंक खाता संख्या, नौ अंकों वाला बैंक का एमआईसीआर कोड, आईआईएफएससी कोड, लेखे का प्रकार आदि 21 सितंबर, 2016 तक आरएंडटीए को अवश्य भेज दें ताकि उनके लाभांश वारंट पर ये विवरण मुद्रित किए जा सकें।

13. **सेबी ने अंतरिती (अंतरितियों) के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक रूप से धारित शेयरों के अंतरण के संबंध में पंजीकरण और प्रतिभूति बाज़ार लेनदेनों तथा ऑफ-मार्केट/प्राइवेट लेनदेन के लिए कंपनी/आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार, भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्य कंपनी/आरटीए को प्रेषित अंतरण के प्रत्येक अनुरोध के संबंध में अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।**

14. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप से बहु-फोलियो में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदन पत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों, तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिनका नाम क्रम में सबसे ऊपर हो।

15. जिन सदस्यों के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अथवा पुनःनियुक्त किया जाता ह तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करे।

    16 सितंबर, 2015 को आयोजित कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों/ संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 36,00,000 (केवल छत्तीस लाख रुपए) का पारिश्रमिक और सेवा कर की अदायगी को अनुमोदित कर दिया है। नियमानुसार यह राशि सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मैसर्स ए आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार में बराबर बांटी जाएगी। निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को ऐसा वास्तविक उचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जाएगी, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ निदेशक (वित्त) द्वारा तय किया जाए।

    इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन) और मैसर्स एआर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी) को भारत के नियंत्रक और महालेखा लेखापरीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि इस संबंध में वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ताकि पिछले वित्त वर्ष की भांति इस वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय किया जा सके। **तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्त वर्ष 2016-17 के लिए, जैसा वे उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करें।**

16. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीन यथाअनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और ऋण पत्र) नियमावली, 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर उपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को सीधे भेजा जा सकता है।

17. **इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना वार्षिक आम बैठक के समय उपलब्ध की जा सके।**

18. कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक बैठक, अन्य दस्तावेज़ भौतिक रूप से भेजने के अलावा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती हैं। तदनुसार, कंपनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज़ अथवा नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट आदि अब से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज़ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपयुक्त दस्तावेज़ और इस संबंध में कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित दस्तावेज़ कंपनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

    जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए)/ संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले संविदा और व्यवस्था रजिस्टर जिसमें निदेशक रुचि रखते हों और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज़ सभी कार्य दिवसों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण करने के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय, बैठक के स्थान पर ही उपलब्ध होंगे।

20. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे (क) भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए भारत वापस आने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन और भारत में रखे गए बैंक खाते के ब्योरे, जिसमें नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता संख्या, बैंक का पता तथा उसका पिन कोड के संबंध में आरएंडटीए को उस स्थिति में तत्काल सूचित करें यदि उन्होंने पहले यह सूचना नहीं दी हो।

21. कंपनी प्रबंध और प्रशासन नियम 2014 के नियम 20, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों संबंधी सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए यह कंपनी शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा दे रही है, ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों के संबंध में अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। इस प्रयोजन के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। जो शेयरधारक ई-मतदान न करना चाहें, वे वार्षिक आम बैठक में मतपत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

    कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए श्री संजय ग्रोवर, मैसर्स संजय ग्रोवर एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, नई दिल्ली को संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है ताकि शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान प्लेटफार्म पर और बैठक में मत-पत्र प्रक्रिया दोनों ही माध्यमों से किए गए मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।

    इसके अलावा, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वार्षिक आम बैठक में मतदान की पात्रता निर्धारित करने के लिए अंतिम तारीख, **बृहस्पतिवार, 15 सितंबर, 2016** तय की है। जो व्यक्ति इस अंतिम तारीख तक सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

    ई- वोटिंग पोर्टल के लिए शनिवार, **17 सितंबर, 2016 (10.00 बजे) से मंगलवार, 20 सितंबर, 2016 (1700 बजे) तक खुलेगी।** उक्त ई-वोटिंग अवधि समाप्त होने पर ई-वोटिंग पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा।

    जिन सदस्यों का ई-मेल आईडी कंपनी/आरएंडटीए के पास पंजीकृत हो, उन्हें प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड की सूचना देते हुए, आरएंडटीए द्वारा ई-मेल भेज दिया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए विशिष्ट पासवर्ड, प्रॉक्सी फार्म पर मुद्रित किया जाता है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों और अन्य सूचनाओं को सावधानी से पढ़ें:

    (i) कार्वी से किसी सदस्य को ई-मेल प्राप्त होने पर https://evoting.karvy.com पर लॉग ऑन करें या ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यदि आप ई-मतदान के लिए कार्वी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपने मतदान के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

    (ii) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्सी फार्म के नीचे अथवा आरएंटीए से प्राप्त ई-मेल में उल्लिखित लॉगइन क्रेडेंशियल (अर्थात प्रयोक्ता-आईडी और पासवर्ड) को अन्यथा दर्ज करें। आपका फोलियो/डीपी आईडी और ग्राहक आईडी भी आपका प्रयोक्ता आईडी होगा।

प्रयोक्ता आईडी	**डीमैट फार्म में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए**
	(क) एनएसडीएल के लिए : 8 डिजिट वाले डीपीआईडी के पश्चात 8 अंक का डीपी आईडी (ख) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट का लाभकर्ता आईडी
	भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:
	ईवीएनटी संख्या के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशेष पासवर्ड नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्स (प्रतिनिधि) पत्र पर मुद्रित है/कार्वी से प्राप्त ई-मेल में भी उल्लिखित है।
कैपचा	सत्यापन कोड प्रविष्टि करें अर्थात शब्दों तथा संख्या को उसी तरीके से प्रविष्ट करें जैसे सुरक्षा कारणों से वे प्रदर्शित किए गए हैं।

    (iii) समुचित रूप से इन ब्योरों को प्रविष्ट करने के पश्चात "लॉगइन" पर क्लिक करें।

    (iv) अब आप पासवर्ड परिवर्तन मीनू पर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचकर आपके द्वारा अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदला जाना अपेक्षित है। नए पासवर्ड में कम से कम 8 करेक्टर्स होंगे, जिनमें कम से कम एक बड़े अक्षरों (A-Z) में एक छोटे अक्षरों (a-z) में एक संख्या (0-9) में तथा एक विशेष वर्ण (@#$) आदि होगा। सिस्टम आपको प्रथम लॉगइन पर अपना पासवर्ड बदलने तथा सम्पर्क ब्योरे और मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि अद्यतन करने के लिए कहेगा। आप पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न तथा उसका उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा यह कि आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

    (v) आपको अपने नए ब्योरों के साथ पुनः लॉगइन करना होगा।

    (vi) सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर सिस्टम आपको रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए ई-वोटिंग-इवेंट संख्या का चयन करने के लिए कहेगा।

    (vii) मतदान पृष्ठ पर "के लिए/के विरोध में" नीचे अंतिम तारीख के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से "के लिए" में आप अंशतः किसी भी संख्या के नीचे और अंशतः "विरोध में" के नीचे प्रविष्ट कर सकते हैं, किंतु "के लिए/विरोध में" के तहत कुल संख्या मिलाकर यहां ऊपर बताई गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप निषेध विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शेयरधारक "के लिए अथवा के विरोध में" में से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं करता है तो इसे "निषेध" माना जाएगा तथा धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के अधीन नहीं की जाएगी।

    (viii) बहु-फोलियो/डीमेट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमेट खाते के लिए पृथक-पृथक रूप से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

    (ix) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक-पृथक किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट मद पर अपना मत नहीं डालना चाहते तो उसे "निषेध" के रूप में माना जाएगा।

    (x) तब आप किसी समुचित विकल्प का चयन कर अपना मत डालेंगे और "प्रस्तुत" पर क्लिक करेंगे।

(xi) अब एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए "ओके" पर क्लिक करें अथवा आशोधित करने के लिए "निरस्त" पर क्लिक करें। आपके द्वारा एक बार पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात आपको अपना मत आशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, सदस्य तब तक कितनी ही बार लॉगइन कर सकते हैं जब तक कि वे संकल्प (संकल्पों) पर अपना मत नहीं डाल देते।

(xii) कॉरपोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति विशेष, हिंदु अविभक्त कुटुंब, अनिवासी भारतीय आदि को छोड़कर) से भी अपेक्षित है कि वे ई-मेल आईडी scrutinizer.recl@gmail.com पर संवीक्षाकर्ता को विविध प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) भेजें तथा उसकी एक प्रति e-voting@karvy.com को चिह्नित करें। उपर्युक्त दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रति नाम दिए गए प्रारूप "Corporate Name_EVENT NO" में होना चाहिए।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तारीख को शेयरधारण करता है तो वह कंपनी के आरएंडटीए से ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आई कार्ड और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(xiv) इसके अलावा, यदि आप ई-मतदान से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर हेल्प एंड एफएक्यू को देखें या टोल-फ्री नंबर 1800 345 4001 पर हमारे आरएंडटीए से संपर्क करें या श्री एस वी राजू/श्री एस बालाजी रेड्डी, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर, बी, प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानाकरमगुडा, हैदराबाद-500032, फोन नंबर 040-67161569/67161571, ई-मेलः einward.ris@karvy.com/ raju.sv@karvy.com/ ₹alaji.reddy@karvy.com पर संपर्क करें।

22. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात शेयरधारकों को बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. बैठक में कार्यसूची की मदों पर एक बार चर्चा पूरी होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान के लिए बैठक में रखा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. संवीक्षाकर्ता, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान संपन्न होने के बाद, मत-पत्रों के माध्यम से बैठक में डाले गए मत-पत्रों की गिनती करेगा और उसके पश्चात ऐसे कम से कम दो साक्षी, जो कंपनी में सेवारत न हों, की उपस्थिति में ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान (वोटों) को खोलेगा और संवीक्षाकर्ता की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

25. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में किए गए मतों की संख्या अमान्य मतों की संख्या के परिणामों का उल्लेख और इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार किया गया है या नहीं तथा संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) और कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर डाला जाएगा और निर्धारित समय सीमा के अंदर बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यदि प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित समझा जाएगा।

26. कंपनी इस बैठक से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

27. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरणों में नोटिस में निर्धारित विशेष कारोबार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैः

मद संख्या 5

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 46/14/2014-आरई दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 के जरिए श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन : 03464342) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि अथवा अधिवर्षिता तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कंपनी का निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया गया है। तदनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता 16 अक्तूबर, 2015 से निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं तथा उनकी नियुक्ति को निदेशक मंडल द्वारा इसी तारीख से रिकॉर्ड कर लिया गया है

कंपनी नियम 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने श्री संजीव कुमार गुप्ता कंपनी नियम 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने श्री संजीव कुमार गुप्ता से कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी उम्मीदवारी के उल्लेख के साथ अपेक्षित राशि सहित लिखित में सूचना प्राप्त की है और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तदनुसार, निदेशक के रूप में श्री संजीव कुमार गुप्ता की नियुक्ति पर इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा विचार किया जाए। इसके अलावा, श्री संजीव कुमार गुप्ता, कंपनी पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निदेशक होने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं हैं।

यदि श्री संजीव कुमार गुप्ता को नियुक्त किया जाता है तो वे क्रमावर्त पर सेवानिवृत्त होंगे और उनकी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाली शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, अन्य बातों के साथ-साथ श्री संजीव कुमार गुप्ता का संक्षिप्त विवरण, जिसमें विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति, अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक, वर्ष के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या आदि इस नोटिस के भाग होंगे।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक अथवा श्री संजीव कुमार गुप्ता के सिवाय, उनके संबंधी किसी भी प्रकार से उक्त प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 5 पर दिए गए साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

मद संख्या 6, 7 और 8

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश संख्या 46/2/2010-आरई-खंड II (भाग IV) दिनांक 13 नवंबर, 2015 के जरिए श्री अरुण सिंह, श्री अरवमुदन कृष्णकुमार और प्रोफेसर टी.टी. राममोहन को कंपनी के निदेशक मंडल में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या अगला आदेश जारी होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तदनुसार, 13 नवंबर, 2015 से निदेशक मंडल द्वारा उक्त निदेशकों की नियुक्ति को रिकार्ड कर लिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसार सभी निदेशकों से स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की उम्मीदवारी और अपेक्षित रकम का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में अलग-अलग नोटिस प्राप्त हुए हैं और वे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तदनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर इस वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा विचार किया जाएगा। ये निदेशक कंपनी पर लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक बनाए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।

इसके अलावा, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने एक घोषणा-पत्र भी दिया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, सभी स्वतंत्र निदेशकों का संक्षिप्त विवरण इस नोटिस के भाग हैं, जिनमें विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता, अदा किया जाने वाला पारिश्रमिक, वर्ष के दौरान बैठकों में उपस्थिति आदि का उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए प्रस्तावित सभी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधक वर्ग से स्वतंत्र हैं।

संबंधित निदेशक के सिवाय कोई भी निदेशक या कंपनी का कोई भी प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी किसी भी प्रकार से संबंधित प्रस्तावों को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 6, 7 और 8 में उल्लिखित साधारण संकल्पों के संबंध में अपनी सहमति दें।

मद संख्या 9

कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के प्रावधानों के अनुसार, इस अधिनियम या नियम के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक "संबंधित पक्षकार" के साथ कोई संविदा या व्यवस्था निष्पादित नहीं करेगी, बशर्ते कि इस संबंध में शेयरधारक अपनी सहमति दें। अन्य बातों के साथ-साथ, "संबंधित पक्षकार" शब्दावली में एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) की संबद्ध कंपनी है। आरईसी समय-समय पर ईईएसएल या किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ संविदा व्यवस्था लेनदेन निष्पादित करना चाहेगा। यह कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक का हो सकता है। अतः, इस संकल्प को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी द्वारा ईईएसएल या किसी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ कोई संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) को करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है। यह कार्य माल या सामग्री या किसी प्रकार की संपत्ति (प्रत्यक्ष या किसी एजेंट के माध्यम से) बेचने/ खरीदने, किसी प्रकार संपत्ति को पट्टे पर देने, वित्तीय सहायता सहित किसी सहायता का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने, जनशक्ति की नियुक्ति करने, सहायक या अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-समय पर की जाने वाली संविदा आदि भी शामिल है। परंतु संबंधित पक्षकारों के साथ ऐसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) करने का संचयी मूल्य वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरईसी के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान कंपनी द्वारा सामान्य कारोबार के रूप में किए जाने वाले किसी लेनदेन (लेनदेनों) पर लागू नहीं होंगे, जो उसके निकट न हो। तदनुसार, ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनियों (विद्यमान या भावी) के साथ किए जाने वाले लेनदेनों के संबंध में ही अनुमोदन प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है जो प्रत्यक्षतः इसके निकट न हो।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल की विधिवत गठित समिति या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) (विद्यमान या भावी) के साथ संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन (लेनदेनों) की प्रकृति, अवधि, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य और ब्योरों को अंतिम रूप दे और अनुमोदित करे, जो वित्त वर्ष 2015-16 के आरईसी के कुल कारोबार की दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के अंतर्गत हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 9 में लिखित साधारण संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 10, 11 और 12

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन फा. सं. 5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 के जरिए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के पूंजीगत ढांचे के पुनर्निर्माण के संबंध में समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यम अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना के बराबर या उससे अधिक के बोनस शेयर जारी करेगा बशर्ते कि उनके पास परिभाषित आरक्षित निधि और अतिरिक्त निधि (जिसमें निःशुल्क आरक्षित निधि, प्रतिभूति प्रीमियम लेखा और पूंजी प्रतिदेय आरक्षित लेखा हो) हो। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹ 987.46 करोड़ थी और परिभाषित आरक्षित तथा अतिरिक्त पूंजी ₹ 14,607.74 करोड़ थी। तदनुसार, डीआईपीएएम द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को बोनस शेयर जारी करने होंगे जिसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कंपनी की परिभाषित आरक्षित निधि और अतिरिक्त निधि प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10 गुना से अधिक हो।

उपर्युक्त बातों के अलावा, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 1200 करोड़ है और कंपनी की जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी ₹ 987.46 करोड़ है। तदनुसार, आगे अन्य पूंजी को खपाने के लिए केवल ₹ 212.54 करोड़ की सुविधा है, जिसमें बोनस शेयर जारी करना भी शामिल है। इसके अलावा, आरईसी बुनियादी सुविधाओं द्वारा वित्तीय कंपनी होने के कारण उसे भारतीय रिजर्व बैंक के लागू मानदंडों के अनुसार 15 प्रतिशत (न्यूनतम टियर I की पूंजी का 10 प्रतिशत) पर जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात पूंजी (सीआरएआर) बनाए रखना आवश्यक है। कारोबार संबंधी कार्यों में लगातार संवृद्धि होने के कारण कंपनी निर्धारित स्तर पर सीआरएआर बनाए रखने के लिए भविष्य में नई पूंजी जारी कर सकती है।

तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने 18 जुलाई, 2016 और 11 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठकों में निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस की क्रम संख्या 10, 11 और 12 में दिए गए प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की हैः

क्रम सं.	ब्योरे	पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित संकल्प का प्रकार
1.	विद्यमान ₹ 1200,00,00,000 (केवल एक हजार दो सौ करोड़ रुपए) जो प्रत्येक ₹ 10 (केवल दस रुपए) के इक्विटी शेयर 120,00,00,000 (केवल एक सौ बीस करोड़) में विभाजित हैं, को बढ़ाकर ₹ 5000,00,00,000 (केवल पांच हजार करोड़ रुपए) जो प्रत्येक 10 (केवल दस रुपए) के इक्विटी शेयर 500,00,00,000 (केवल पांच सौ करोड़) में विभाजित हैं, के कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की गई है।	साधारण
2.	प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने के संबंध में कंपनी के संस्था ज्ञापन के खंड V में परिवर्तन	विशेष
3.	कंपनी के "प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा पड़ी ₹ 987,45,90,000 (केवल नौ सौ सत्तासी करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार) के पूंजीकरण द्वारा 1:1 के अनुपात में कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करना।	विशेष

संस्था ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम तथा सभी संबंधित दस्तावेज़ कारोबार समय के दौरान सभी कार्यदिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध होंगे और वे वार्षिक आम बैठक के बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस नोटिस की मद संख्या 10 में उल्लिखित साधारण संकल्प और मद संख्या 11 तथा 12 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 13

पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर संसद द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 पारित किया गया है, जिसे इसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 29 अगस्त, 2013 को अपनी सहमति दे दी थी और जो 30 अगस्त, 2013 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने समय-समय पर इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं और उसके अधीन बनाए गए नियमों को अधिसूचित किया है और यह अधिनियम अब व्यापक रूप से लागू है। इसके अलावा, सेबी ने 02 सितंबर, 2015 की अधिसूचना के जरिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम} अधिसूचित की है, जो 01 दिसंबर, 2015 से लागू है। तदनुसार, कंपनी को नियंत्रित करने वाले संपूर्ण विनियामक ढांचे में परिवर्तन आ गया है।

कंपनी के वर्तमान संस्था के अंतर्नियम पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार तैयार/संशोधित किए गए थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के लागू होने से यह अनिवार्य हो गया है कि आरईसी के संपूर्ण संस्था के अंतर्नियमों में इन विनियामक प्रावधानों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार उचित रूप से परिवर्तित किए जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अनुसार, कंपनी विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों का अनुमोदन लेकर अपने संस्था के अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है। तदनुसार, आरईसी के संस्था के अंतर्नियमों का नया सेट कंपनी के विद्यमान संस्था के अंतर्नियमों में दिए गए विनियमों को बदलकर और अपवर्जन करके तैयार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया हैः

1. कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अधीन बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार आरईसी के संस्था के अंतर्नियमों को तैयार करना;
2. कंपनी अधिनियम, 2013, उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों और नवरत्न कंपनियों को भारत सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों को शामिल करते हुए, कुछ नए संस्था के अंतर्नियम शामिल करना;
3. विद्यमान अंतर्नियमों को अधिक स्पष्ट बनाना और उन्हें स्वतः पूर्ण बनाना; और
4. संस्था के अंतर्नियमों में विसंगतिपूर्ण और दोहराई गई बातों को हटाना।

कंपनी के प्रस्तावित संशोधित संस्था के अंतर्नियम कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर शेयरधारकों के अवलोकन के लिए डाल दिए गए हैं। उपर्युक्त संस्था के अंतर्नियम और सभी संबंधित दस्तावेज़ कारोबार के समय सभी कार्यदिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए उपलब्ध होंगे और वे वार्षिक आम बैठक के बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने उपर्युक्त प्रस्तावों को 11 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए इस सूचना के मद सं. 13 में दिए गए अनुसार विशेष संकल्प पर अपनी सहमति देनें के लिए आप से अनुरोध किया जाता है।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 14

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणी और आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का तब तक प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की अभिदान के लिए प्रतिभूतियों का प्रस्तावित प्रस्ताव या आमंत्रण को प्रत्येक प्रस्ताव आमंत्रण के संबंध में विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पहले अनुमोदित न कर दिया गया हो। हालांकि, "अपरिवर्तनीय डिबेंचरों" से संबंधित प्रस्ताव या आमंत्रण के मामले में यह पर्याप्त

होगा, यदि उस वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के संबंध में सभी प्रस्ताव (प्रस्तावों) या आमंत्रण (आमंत्रणों) के संबंध में वर्ष में केवल एक बार कंपनी द्वारा पहले विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया गया हो।

तद्नुसार, कंपनी के शेयरधारकों ने 16 सितंबर, 2015 को आयोजित कंपनी की पिछली (46वीं) वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित कर दिया है कि एक या एक से अधिक श्रृंखला में ₹ 42,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाई जाए। ये बांड ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जाएं, जो कंपनी के बांड/ डिबेंचरधारक हों या नहीं। ये बांड कंपनी के समग्र बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत होंगे। हालांकि शेयरधारकों का उपर्युक्त अनुमोदन केवल 15 सितंबर, 2016 तक विधिमान्य है। उसके बाद निधि जुटाने की सुविधा के लिए और उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अंदर रहते हुए यह आवश्यक है कि इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अप्रतिभूत/ प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/ डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने के लिए इस वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित करना आवश्यक है।

अतः प्रस्ताव है कि विशेष संकल्प पारित किया जाए ताकि कंपनी इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 20 सितंबर, 2017 तक ₹ 50,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/ प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटा सके। ये बांड/डिबेंचर एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में होंगे और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जारी किए जाएंगे, जो कंपनी के बांड/डिबेंचर धारक हों या नहीं। ये बांड/डिबेंचर समग्र बाज़ार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत होंगे, जैसाकि समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इसके अलावा, ₹ 50,000 करोड़ की उक्त सीमा 10 जून, 2014 को डाक मत पत्रों के माध्यम से पारित विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार सीमा के अंतर्गत है।

इसके अलावा, कंपनी का निदेशक मंडल ("मंडल") या निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित कोई समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को यह प्राधिकृत किया जाएगा कि वह इस निर्गम की शर्तों को तय करे, जिसमें उन निवेशकों की श्रेणी भी शामिल होगी, जिन्हें ये बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाएंगे, इसमें प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले बांड/डिबेंचरों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्कालीन बाज़ार कीमत पर प्रीमियम/ बट्टा, जारी करने की रकम, बांड/डिबेंचरों के धारकों की श्रेणी को जारी की जाने वाली कीमत में बट्टा, सूचीकरण, घोषणा/ वचन-पत्र जारी करना भी शामिल होगा जो प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल करना होगा और ऐसे सभी कृत्य, कार्य और बातें निष्पादित करनी होंगी जो तत्समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के अधीन अपेक्षित हों।

संस्था ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम तथा सभी संबंधित दस्तावेज़ कारोबार समय के दौरान सभी कार्यदिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध होंगे और वे वार्षिक आम बैठक के बैठक स्थल पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए प्रस्तावित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 14 में उल्लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में अपनी शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्पों के पारित होने में वित्तीय अथवा अन्यथा रूप से संबंधित नहीं हैं या उसमें रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(जे. एस. अमिताभ)

महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

सदस्य संख्या एफसीएस 4298

स्थान : कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 11 अगस्त, 2016

16 सितंबर, 2015 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन : 03464342)	श्री अरुण सिंह (डीआईएन : 00891728)	श्री अरवमुदन कृष्णकुमार (डीआईएन : 00871792)	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन (डीआईएन : 00008651)
जन्म की तारीख	04 अक्तूबर, 1961	04 अप्रैल, 1965	18 नवंबर, 1954	28 जनवरी, 1956
नियुक्ति की तारीख	16 अक्तूबर, 2015	13 नवंबर, 2015	13 नवंबर, 2015	13 नवंबर, 2015
योग्यता	जी बी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर, उत्तराखंड से इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री	बी.कॉम, एफसीए	बी.ए. (ऑनर्स), सीएआईआईबी	आईआईटी, मुंबई से बी.टेक., आईआईएम, कोलकाता से पीजीडीएम और ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यू यार्क विश्वविद्यालय से पी.एचडी
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री एस.के. गुप्ता को भारतीय विद्युत क्षेत्र के कई कार्यों अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, बड़ी ईएचवी पारेषण प्रणाली के ओएंडएम परियोजना, प्रबंधन, विभिन्न विद्युत केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों, आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय परियोजनाओं आदि की वित्त व्यवस्था का 34 वर्ष का अनुभव है। आपने 16 मार्च, 2010 से हमारी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग की स्थिति में कार्य किया है। उन्होंने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी सेवा की है और आप नेशनल इलेक्ट्रीसिटी फंड (एनईएफ) के नोडल अधिकारी भी रहे हैं। आप कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और कारोबार विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं।	श्री अरुण सिंह एक योग्यताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्हें वित्त, कराधान, बैंकिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में 28 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया है और भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड में 7 वर्ष तक कार्य किया है। आप पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति के सदस्य थे। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के खाद्य और कृषि संगठन की विभिन्न परियोजनाओं पर भी कार्य किया है। आपने प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रबंधन और वित्त विषय पढ़ाने में अतिथि संकाय के रूप में भी कार्य किया है।	श्री ए. कृष्णकुमार को बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों में लगभग 40 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। आपने 39 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में सेवा की, जहां आपने वर्ष 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आप अप्रैल, 2011 में प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक के पद तक पंहुचे हैं। भारतीय स्टेट बैंक में आपकी सुदीर्घ और विशिष्ट सेवा के दौरान आपने विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर कारोबार को 16000 से अधिक शाखाओं तक फैलाया है और भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्य को भी किया है जिसमें 36 देशों में 190 कार्यालयों की स्थापना करना भी शामिल है। आप नवंबर, 2014 के अंत में अपनी अधिवर्षिता तक बैंक की नीति बनाने और कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों में थे। आप एसबीआई सेक्युरिटी लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टेट बैंक की एक सहायक कंपनी है, के निदेशक मंडलो के सदस्य भी रहे हैं। इस दौरान, इन्होंने प्रतिभूति, बीमा और क्रेडिट कार्ड उद्योग में मूल्यवान ज्ञान भी अर्जित किया है।	प्रो. टी टी राममोहन आईआईएम, अहमदाबाद में अर्थशास्त्र और वित्त के प्रोफेसर हैं। आप एसबीआई कैपिटल सेक्युरिटी लि. और इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। प्रोफेसर राममोहन ने शैक्षिक क्षेत्र में जाने से पहले परामर्शी और वित्तीय क्षेत्र में भी कार्य किया है। 15 वर्ष से भी अधिक समय तक आप दॅ 'इकनॉमिक टाइम्स' के लिए पाक्षिक कॉलम भी लिखते रहे हैं। प्रोफेसर राममोहन की शोध संबंधी रुचियों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, निजीकरण और निगमित सुशासन भी शामिल हैं। आप ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यू यार्क में 2001 में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। आपने आरबीआई की कई समितियों में काम किया है और आप एसबीआई की मुख्य बाज़ार सलाहकार समिति में भी रहे हैं। आप कई कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य हैं। आपने 6 पुस्तकें और कई लेख लिखे हैं। आपकी हाल की पुस्तक का नाम है - 'रिथिंक : व्हाट्स ब्रोक ऐट टुडेज कॉरपोरेशन एंड हॉउ टू फिक्स इट'। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंग्विन रैंडम हाउस ने किया था और इसे नवंबर, 2015 में टाटा लिटरेरी फेस्टिवल में बेस्ट बिजनेस बुक ऑफ दॅ ईयर अवार्ड के सह-विजेता के रूप में चुना गया था।
अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल के सदस्य	• आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड • आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	• आंध्रा बैंक • सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. • सतगुरू कैटालिसर एडवाइजर्स प्रा. लिमिटेड • सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	• एसबीआईसीएपी सेक्युरिटीज़ लिमिटेड • इंडसइंड बैंक लिमिटेड
आरईसी से भिन्न अन्य सभी सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	-	-	**लेखापरीक्षा समिति -** • आंध्रा बैंक - अध्यक्ष • सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.- सदस्य	**लेखापरीक्षा समिति-** • एसबीआईसीएपी सेक्युरिटी लिमिटेड - सदस्य

नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन : 03464342)	श्री अरुण सिंह (डीआईएन : 00891728)	श्री अरवमुदन कृष्णकुमार (डीआईएन : 00871792)	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन (डीआईएन : 00008651)
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	किसी भी निदेशक के कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ परस्पर संबंध नहीं हैं।			
प्रदत्त/ प्रदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित पारिश्रमिक का विवरण	प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या का उल्लेख निगमित सुशासन की रिपोर्ट में किया गया है, जो वित्त वर्ष 2015-16 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।			
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या				

47वीं वार्षिक बैठक में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशक का विवरण

नाम	अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएन : 02231613)
जन्म की तारीख	30 मई, 1960
नियुक्ति की तारीख	01 अगस्त, 2012
योग्यता	वाणिज्य में स्नातक डिग्री और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सदस्य
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री अजीत कुमार अग्रवाल को सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में कार्य करने का 33 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/ कार्यकारी निदेशक (वित्त) के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान आपने विविध वित्तीय कार्य किए हैं, जिनमें संसाधन जुटाना, ऋण संवितरण और कॉरपोरेट लेखा तथा कराधान भी शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको वित्तीय कार्यनीति तैयार करने और योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है ताकि कंपनी अपने विज़न को प्राप्त कर सके। आप वित्तीय प्रबंधन तथा संगठन के प्रचालन के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक और वित्तीय योजना, वित्तीय नीति का निर्माण, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर योजना, संसाधन जुटाना और प्रबंधन, वित्तीय संस्थाओं और पूंजी बाज़ार में कार्यरत लोगों के साथ संपर्क भी शामिल है। आप खजाना संबंधी कार्यों, उधार देने संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण भी कर रहे हैं और कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों में सलाह भी देते हैं।
अन्य कंपनियों के निदेशक	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड • इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड
आरईसी से भिन्न सरकारी कंपनियों की सदस्यता/ अध्यक्षता	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	242
निदेशकों, प्रबंधक और अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ संबंध	किसी भी निदेशक के कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के साथ परस्पर संबंध नहीं हैं।
प्रदत्त/ प्रदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित पारिश्रमिक का विवरण	प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण और वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या का उल्लेख निगमित सुशासन की रिपोर्ट में किया गया है, जो वित्त वर्ष 2015-16 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	

निदेशकों का विवरण

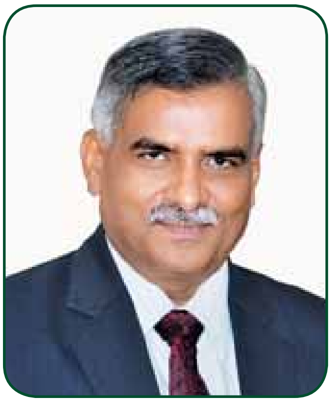

श्री राजीव शर्मा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) (डीआईएन : 00973413)*

श्री राजीव शर्मा, आयु 56 वर्ष, 29 नवंबर, 2011 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। आपने गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय, पंतनगर से वैद्युत इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री, पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।

आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आरईसी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और विगत सभी लक्ष्यों और कार्य-निष्पादनों को पीछे छोड़ दिया है। आरईसी में कार्यग्रहण करने से पहले, श्री शर्मा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक (प्रोजेक्ट्स) थे, जहां उन पर परियोजना प्रभाग के सारे क्रियाकलापों, जिनमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन शामिल है, का उत्तरदायित्व था। पीएफसी में कार्यकारी निदेशक की सेवा अवधि के दौरान आप कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु निदेशक (प्रभारी) रहे और आप पर भारत में आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी थी। आपने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में भी कार्य किया, जहां आप नाथप्पा झाकरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मेगा वाट) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्शी कार्यों से जुड़े थे। विद्युत मंत्रालय में कार्यरत रहने के दौरान, आप विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, बीबीएमबी और नीपको के प्रचालन कार्यों को देख रहे थे। आपकी एपीडीआरपी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लिए नीतियां बनाने में भी मुख्य भूमिका रही।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 60 इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *निदेशक (वित्त) (डीआईएन : 02231613)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, आयु 56 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. कॉम (ऑनर्स) हैं। आप भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 33 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/ कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर आपने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कॉरपोरेट लेखा तथा कराधान शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे। आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स) और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के बोर्ड में नामिती निदेशक भी हैं।

उनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। आप निगम के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाज़ार व्यवसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। आप खजाना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, उधार प्रचालन और कॉरपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह भी देते हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल के पास कंपनी के 242 इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

श्री संजीव कुमार गुप्ता, *निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन : 03464342)*

श्री संजीव कुमार गुप्ता, आयु 54 वर्ष, 16 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) हैं। आपके पास जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड से वैद्युत इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री है। आपको भारतीय विद्युत क्षेत्र के कई कार्यों अर्थात योजना, डिजाइन, निर्माण, बड़ी ईएचवी पारेषण प्रणाली के ओएंडएम परियोजना, प्रबंधन, विभिन्न विद्युत केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों, आरईसी, पीजीसीआईएल और एनएचपीसी में विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय परियोजनाओं आदि की वित्तव्यवस्था का 34 वर्ष का अनुभव है।

आपने 16 मार्च, 2010 से हमारी कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग की स्थिति में कार्य किया है। आपने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, जो आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी है, के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी सेवा की है और आप नेशनल इलेक्ट्रीसिटी फंड (एनईएफ) के नोडल अधिकारी भी रहे हैं। आप कंपनी के सभी तकनीकी कार्यों और कारोबार विकास के लिए भी उत्तरदायी हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री संजीव कुमार गुप्ता के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

डॉ. अरुण कुमार वर्मा, *सरकार नामिती निदेशक (डीआईएन : 02190047)*

डॉ. अरुण कुमार वर्मा, 57 वर्ष, 06 अक्तूबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में सरकारी नामिती निदेशक हैं। आप गुजरात कैडर के 1986 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं और आप विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आपके पास भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री है। आप एफआरआई और सी, देहरादून के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (एआईजीएनएफए) के एसोसिएट सदस्य हैं। आपने जनजाति विकास नीति में पीएच-डी की है। आपने भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरूऔर मैक्सवेल स्कूल ऑफ सिटिजन एंड इंटरनेशनल अफेयर, साइराक्यूस विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से लोक नीति और प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री (पीजीपीपीएम) भी प्राप्त की है। आपको 29 साल से अधिक अवधि का प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी अनुभव है। आपने प्रबंध निदेशक, उत्तर गुजरात बिज कंपनी लिमिटेड के पद पर पहले विद्युत क्षेत्र में कार्य किया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आपने गुजरात इकोलॉजी कमीशन, गांधीनगर के सदस्य सचिव और विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंधन के परियोजना निदेशक के पद पर 29 जुलाई, 2011 से 14 नवंबर, 2014 तक कार्य किया है। आप पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी सरकारी नामिती निदेशक हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डॉ. अरुण कुमार वर्मा के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

श्री अरुण सिंह, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00891728)*

डॉ. अरुण सिंह, 51 वर्ष, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। वर्ष 1988 में आपने अखिल भारतीय रैंकिंग के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आपको वित्त, कराधान, बैंकिंग और प्रबंधन के क्षेत्र में 28 वर्ष से अधिक का समृद्ध अनुभव है। आपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में कार्य किया है और भारतीय स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड में 7 वर्ष तक कार्य किया है। आप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति के सदस्य थे। आपने संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व बैंक के खाद्य और कृषि संगठन की विभिन्न परियोजनाओं पर भी कार्य किया है।

आपने प्रबंधन कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रबंधन और वित्त विषय पढ़ाने में अतिथि संकाय के रूप में भी कार्य किया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री अरुण सिंह के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

श्री अरवमुदन कृष्णकुमार, *अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00871792)*

श्री अरवमुदन, 61 वर्ष, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। आपने बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों का लगभग 40 वर्ष का बहुत अच्छा अनुभव है। आपको बैंकिंग क्षेत्र के सभी कार्यों का लगभग 40 वर्ष का समृद्ध अनुभव है। आपने 39 वर्ष से अधिक समय तक भारतीय स्टेट बैंक में सेवा की, जहां आपने वर्ष 1975 में प्रोबेशनरी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था और आप अप्रैल, 2011 में प्रबंध निदेशक एवं समूह कार्यपालक के पद तक पंहुचे हैं। भारतीय स्टेट बैंक में आपकी सुदीर्घ और विशिष्ट सेवा के दौरान आपने विभिन्न जटिल और महत्वपूर्ण कार्यों को किया है, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक के फुटकर कारोबार को 16000 से अधिक शाखाओं तक फैलाया है और भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्राष्ट्रीय कार्य को भी किया है जिसमें 36 देशों में 190 कार्यालयों की स्थापना करना भी शामिल है। आप नवंबर, 2014 के अंत में अपनी अधिवर्षिता तक बैंक की नीति बनाने और कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों में थे। आप एसबीआई सेक्युरिटीज़ लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो स्टेट बैंक की एक सहायक कंपनी है, के निदेशक मंडलो के सदस्य भी रहे हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री अरवमुदन के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

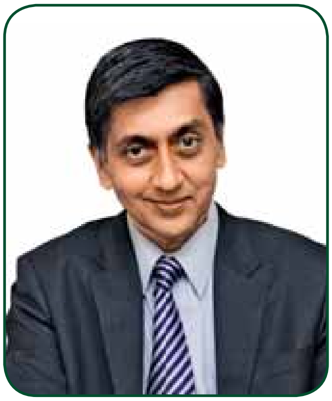

प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, ***अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन : 00008651)***

प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, 60 वर्ष, आईआईएम, अहमदाबाद के अर्थशास्त्र और वित्त के प्रोफेसर, 13 नवंबर, 2015 से आरईसी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। आप आईआईटी, बंबई से और आईआईएम, कोलकाता से स्नातक हैं और आपने ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यूयार्क विश्वविद्यालय से डॉक्ट्रेट की डिग्री प्राप्त की है। आप एसबीआई कैपिटल सेक्युरिटीज़ लिमिटेड और इंडसइंड बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य भी हैं।

प्रोफेसर राममोहन ने शैक्षिक क्षेत्र में जाने से पहले परामर्शी और वित्तीाय क्षेत्र में भी कार्य किया है। 15 वर्ष से भी अधिक समय तक आप दॅ 'इकनॉमिक टाइम्स' के लिए पाक्षिक कॉलम भी लिखते रहे हैं।

प्रोफेसर राममोहन की शोध संबंधी रुचियों में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, निजीकरण और निगमित सुशासन भी शामिल हैं। आप ईस्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, न्यू यार्क में 2001 में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। आपने आरबीआई की कई समितियों में काम किया है और आप एसबीआई की मुख्य बाज़ार सलाहकार समिति में भी रहे हैं। आप कई कंपनियों के निदेशक मंडलों के सदस्य हैं। आपने 6 पुस्तकें और कई लेख लिखे हैं। आपकी हाल की पुस्तक का नाम है - रिथिंक व्हाट्स ब्रोक ऐट टुडेज कॉरपोरेशन एंड हॉउ टू फिक्स इट। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंग्विन रैंडम हाउस ने किया था और इसे नवंबर, 2015 में टाटा लिटरेरी फेस्टिवल में बेस्ट बिजनेस बुक ऑफ दॅ ईयर अवार्ड के सह-विजेता के रूप में चुना गया था।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार श्री टी.टी. राममोहन के पास कंपनी के "शून्य" इक्विटी शेयर थे और उनका कंपनी के किसी अन्य निदेशक के साथ कोई परस्पर संबंध नहीं है।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित विवरण सहित 47वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में कंपनी के कार्य-निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

मापदंड	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
स्वीकृत ऋण (डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी के अधीन स्वीकृति को छोड़कर)	**65,471.10**	61,421.37
संवितरण (डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी के अधीन सब्सिडी सहित)	**50,630.81**	46,446.82
वसूलियां (ब्याज सहित)	**47,921.00**	32,005.56
कुल प्रचालन आय	**23,638.35**	20,229.53
कर-पूर्व लाभ	**8,045.21**	7,427.04
कर-पश्चात लाभ	**5,627.66**	5,259.87

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वर्ष के दौरान 20,229.53 करोड़ रुपए से 17% बढ़कर 23,638.35 करोड़ रुपए हो गई है। कर-पश्चात लाभ पिछले वर्ष के दौरान 5,359.87 करोड़ रुपए की तुलना में 7% बढ़कर 5,627.66 करोड़ रुपए हो गया है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बही में 12% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के दौरान 1,79,647 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,01,278 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार की राशि 1,69,106 करोड़ रुपए थी।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹10/- के प्रत्येक शेयर पर ₹56.99 है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की नेटवर्थ में 15% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के दौरान 24,857 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 28,618 करोड़ रुपए हो गई है।

1.3 लाभांश

फरवरी, 2016 में प्रदत्त ₹ 12.00 प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹5.10 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर ₹17.10 परिकलित होगा, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 171% को दर्शाता है जबकि पिछले वर्ष यह 10.7% था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अदा किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि ₹341.71 करोड़ (जिसमें ₹ 341.71 करोड़ का लाभांश संवितरण कर शामिल नहीं है) होगी।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, श्री पीयूष गोयल, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार को ₹ 718.52 करोड़ के अंतरिम लाभांश का चेक देते हुए।

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹987.46 करोड़ थी, जो प्रत्येक ₹ 10 के 1,20,00,00,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित ₹ 1,200 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में प्रत्येक ₹ 10/- के 98,74,59,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित थी।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की धारिता 65.64% है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति ने आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 5% शेयर अर्थात 4,93,72,950 इक्विटी शेयरों का विनिवेश/विक्रय 08 अप्रैल, 2015 को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से किया था और आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 0.003% शेयर अर्थात 27,588 इक्विटी शेयरों का 10 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम विनिमय व्यापारित कोष (सीपीएसई ईटीएफ) के अधीन बाज़ार से हटकर लेन-देन किया था। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 60.64% का धारण है।

2. स्वीकृत ऋण

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 65,471.10 करोड़ का ऋण मंजूर किया है जबकि पिछले वर्ष ₹ 61,421.37 करोड़ का ऋण मंजूर किया था। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-आरई घटक (डीडीयूजीजेवाई-आरई) तथा विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अधीन स्वीकृत राशि शामिल नहीं है। इस वित्त वर्ष के दौरान मंजूर ऋण का राज्य और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः संलग्न **तालिका-1 और तालिका-2** में दिया गया है। इस निगम के प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2016 तक मंजूर संचयी राशि ₹ 6,81,479.23 करोड़ थी जिसमें केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी परियोजना लागत (पूंजीगत सब्सिडी तथा ऋण) के तहत सब्सिडी शामिल है। वित्त वर्ष 2015-16 को संचयी राज्य-वार स्थिति संलग्न **तालिका-3** में दी गई है।

3. संवितरण

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल ₹ 46,025.83 करोड़ की राशि संवितरित की गई है जबकि पिछले वर्ष ₹ 42,818.46 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। इसके अतिरिक्त डीडीयूजीजेवाई के तहत ₹ 5,023.99 करोड़ (डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के तहत ₹ 4,541.44 करोड़ तथा ` 63.54 करोड़ के डीडीजी एवं लोन घटक के तहत ₹ 419.01 करोड़ की सब्सिडी) की राशि संवितरित की गई है। इस निगम की स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2016 तक संवितरित की गई संचयी राशि ₹ 3,29,538.39 करोड़ थी जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, संचयी आंकड़े और शेष ऋण सहित वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाए गए ऋण का विवरण संलग्न **तालिका-4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि संबंधी अपनी देयाताओं की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, ब्याज सहित वसूल की जाने वाली राशि ₹ 48,278 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 32,661 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 46,641 करोड़ की कुल वसूली की है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 31,412 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में 96.61% की वसूली दर का लक्ष्य हासिल किया। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹ 1,637 करोड़ थी। इसके अलावा, पिछले वर्ष के रुपए 593.56 करोड़ के बकाया और एनपीए के की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 1,280 करोड़ की वसूली की गई।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तर पर बनी रहीं। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां ₹ 4,243.57 करोड़ (पुनर्निर्माण/डीसीसीओ की प्राप्ति न किए जाने के कारण ₹ 811.33 करोड़) थीं। । 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में एनपीए की प्रतिशतता 2.11% थी, जोकि 31 मार्च, 2015 को 0.74% थी। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, एनपीए ₹ 3,230 करोड़ है, जोकि सकल ऋण परिसंपत्तियों का 1.60% है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई संदिग्ध ऋण सूचीबद्ध नहीं किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, सूचीबद्ध ऋण के ब्योरे निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण		**वि.व. 2015-16**	वि.व. 2014-15
मानक ऋण*	उधारकर्ताओं की संख्या	**23**	27
	बकाया धनराशि	**22,829.88**	35,024.03
उप-मानक ऋण*	उधारकर्ताओं की संख्या	**3**	0
	बकाया धनराशि	**1,402.44**	0
जोड़	**उधारकर्ताओं की संख्या**	**26**	27
	बकाया धनराशि	**24,232.32**	35,024.03

* पुनः सूचीबद्ध किए गए ऋण में ₹ 5,649.12 करोड़ की राशि शामिल है, जिसमें संबंधित परियोजना के देरी से शुरू होने के कारण पहली चुकौती की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परिणामों का सारांश

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	**वि.व. 2015-16**	वि.व. 2014-15
प्रचालनों से आय	**23,638.35**	20,229.53	**24,012.88**	20,384.34
अन्य आय	**117.93**	158.52	**117.05**	165.55
कुल आय	**23,756.28**	20,388.05	**24,129.93**	20,549.89
वित्तीय लागत	**14,283.12**	11,844.61	**14,282.35**	11,839.59
अन्य प्रचालन व्यय	**338.10**	313.44	**604.74**	351.78
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,089.85**	802.96	**1,096.18**	806.18
कुल व्यय	**15,711.07**	12,961.01	**15,983.27**	12,997.55
कर-पूर्व लाभ	**8,045.21**	7,427.04	**8,146.66**	7,552.34
कराधान के लिए प्रावधान	**2,417.55**	2,167.17	**2,455.24**	2,207.92
कर-पश्चात लाभ	**5,627.66**	5,259.87	**5,691.42**	5,344.42
घटाएं : विनियोजन				
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) के अधीन विशेष निधि आरक्षित निधि में अंतरण	**1,900.00**	1,629.00	**1,900.00**	1,629.00

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	**वि.व. 2015-16**	वि.व. 2014-15
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(via) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**390.00**	353.00	390.00	353.00
लाभांश	**1,688.55**	1,056.58	1,688.55	1,056.58
लाभांश संवितरण कर	**341.71**	212.17	345.68	214.21
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**	185.79	196.59	185.79
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**570.00**	526.00	572.89	530.76
तुलन-पत्र में आगे ले जाई गई अधिशेष निधि	**540.81**	1,297.33	597.71	1,375.08

5.1.1 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने राजकोष में ₹ 3,749.55 करोड़ की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष ₹ 3,134.24 करोड़ का अंशदान किया था। यह अंशदान कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता, लाभांश संवितरण कर, प्रत्यक्ष कर, और सेनवेट क्रेडिट सहित सेवा कर आदि के भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था, जिसके ब्योरे नीचे दिए गए हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	880.19	631.96
लाभांश संवितरण कर	293.47	187.26
प्रत्यक्ष कर	2,540.96	2,285.04
सेनवैट क्रेडिट सहित सेवा कर	34.93	29.98
जोड़	3,749.55	3,134.24

5.1.2 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	**वि.व. 2015-16**	वि.व. 2014-15
प्रति शेयर अर्ज (₹)	**56.99**	53.27
औसत नेटवर्थ पर प्राप्ति (%)	**21.05**	23.11
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**289.81**	251.73
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**5.91**	6.08
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना) *	**2.92**	6.25
ब्याज कवरेज अनुपात (गुना)	**1.56**	1.63

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन एनएसई में क्रमशः 31 मार्च, 2016 और 31 मार्च, 2015 को बाज़ार बंद होने पर आरईसी के शेयर मूल्य के आधार पर किया गया है।

5.2 संसाधन जुटाना

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बाज़ार से ₹ 31,254.92 करोड़ जुटाए हैं। इसमें कर मुक्त सुरक्षित मोचनीय अपरिवर्तन बांड के रूप में ₹ 1000 करोड़, पूंजी लाभ कर छूट प्राप्त बांडों के रूप में ₹ 6,476.70 करोड़, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के बांडों के रूप में ₹ 15,526 करोड़ विदेशी वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) के रूप में ₹8,046.60 करोड़ (अर्थात 1,220 मिलियन अमरीकी डालर) और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में जर्मनी के क्रेडिटांस्टाल्ट फर वाइडरऑफबाओ (केएफडब्ल्यू), जर्मनी तथा जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से ₹205.62 करोड़ जुटाए थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 20,771.78 करोड़ कमर्शियल पेपर (सीपी) के माध्यम से जुटाए गए।

नकद उधार सुविधाएं

आपकी कंपनी को अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹ 6,510 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद उधार क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल उपलब्ध है।

5.3 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों - क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा से 'एएए' रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडी और फिच से सार्वभौमिक रेटिंग के समतुल्य अतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः 'बीएए3' और 'बीबीबी-' है।

5.4 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान जुटाई गई निधियों की वार्षिक आधार पर समग्र औसत लागत 7.30% प्रति वर्ष थी और यह 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, बकाया उधार 8.21% प्रति वर्ष है। इसके परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.5. उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने ₹ 34,892.83 करोड़ की रकम का पुनर्भुगतान किया। इसमें ₹ 3.07 करोड़ भारत सरकार को, ₹ 2,992.80 करोड़ गैर-प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र के बांडधारकों को, ₹ 4903.25 करोड़ पूंजी लाभ कर छूटप्राप्त बांडों को, ₹ 133.93 करोड़ अवसंरचना बांडों को, ₹ 10,456.14 करोड़ विदेशी वाणिज्यिक उधारों को और ₹ 403.64 करोड़ सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में शामिल थे। कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ₹ 475 करोड़ के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण और ₹ 15,525 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र विमोचित किए।

5.6 वर्ष के अंत में संसाधनों का नियोजन

वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹ 2,06,352.97 करोड़ के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित तथा अधिशेष ₹ 27,630.30 करोड़, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण और बांडों के माध्यम से बाज़ार उधार ₹ 1,69,106.38 करोड़, आस्थगित कर देयताएं ₹ 49.75 करोड़ और अन्य देयताएं तथा प्रावधान ₹ 8,579.08 करोड़ के रूप में शामिल थे। इस निधि का नियोजन ₹ 2,00,265.02 करोड़ के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण (जिसमें निवल प्रावधान ₹ 1,013.27 करोड़), ₹ 150.32 करोड़ (मूल्यहास का निवल), ₹ 150.32 करोड़ (चल रहे पूंजीगत कार्य), ₹ 2,466.62 करोड़ के निवेश, ₹ 1,728.55 करोड़ नकद और बैंक शेष तथा शेष ₹ 1,742.46 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियों में किया गया।

5.7 नीतिगत पहलें

आपकी कंपनी बाज़ार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कॉरपोरेट उद्देश्यों के अनुसार भी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है और उनमें संशोधन करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने नियामक परिसंपत्ति के लिए वित्तपोषण, जोखिम प्रबंधन, संसाधन आयोजना, असामयिक चुकौती/ पूर्वभुगतान, मुखबिर/जागरूकता संबंधी तंत्र और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व धारणीयता संबंधी नीतियों की भी समीक्षा की है।

वर्ष के दौरान आवधिक ऋण और अल्पावधि ऋण के संबंध में ब्याज दरों की भी समीक्षा की गई/उनमें संशोधन किया गया।

बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभात्मकता बनाए रख पाई है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृश्य और प्रमुख चुनौतियां

पारेषण और वितरण (टी एंड डी) उद्योग का विद्यमान परिदृश्य विगत वर्षों की तुलना में सबसे चुनौतीपूर्ण हो गया है जबसे हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88000 मेगावाट की और क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश अपने बिल्कुल सही रास्ते पर है और लक्ष्य की लगभग 96% क्षमता पहले अभिवृद्धि की जा चुकी है। आगामी वर्षों के दौरान ट्रांस्को और डिस्कॉमों द्वारा अपेक्षित पारेषण और वितरण की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की अत्यंत आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन की सुविधाओं से उप-केंद्रों तक या लाइनों के जरिए उपभोक्ताओं तक बिजली के अंतरण हेतु विश्वसनीय, संतुलित और दक्ष प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके।

टी एंड डी प्रणाली में मूलतः पारेषण लाइनें (अंतर-राज्य और अंतरा-राज्य), सब-स्टेशन, स्विचिंग स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर और विभिन्न वोल्टता स्तरों वाली वितरण लाइनें आदि होती हैं। वितरण का विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर लिंक के रूप में पता लगाया गया है और कारणों से इसका समाधान करना बहुत मुश्किल है। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां द्वारा वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्ता वाली विद्युत की सतत मांग वितरण को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य बना देती है। आपकी कंपनी ने हमेशा नई अवसंरचना के सृजन और वर्तमान नेटवर्क के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण की दिशा में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है। आपकी कंपनी डिस्कॉमों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे विभिन्न सुधारात्मक उपाय करें और प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड के आधुनिकीकरण और स्वचलन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित प्रणालियों, वितरण क्षेत्र में अन्य प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों सहित सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाएं और उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में उनकी सहायता करें। क्योंकि विद्युत में आ रहे सभी राजस्व के लिए वितरण एक गेटवे है, इसलिए यह विद्युत क्षेत्र के विकास और धारणीयता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वितरण क्षेत्र द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों में ये शामिल हैं - संचित हानियां, उच्च एटीएंडसी हानियां, पूंजीगत व्यय वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीमित क्षमता, प्रशुल्क आदेश में विलंब से विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन, प्रशुल्कों के तर्कसंगतीकरण में कमी के कारण क्रॉस सब्सिडी का होना, विलंब से राजस्व संग्रहण चक्र इत्यादि के कारण डिस्कॉम के नकदी प्रवाह में कमी आई है। समय तथा गत्यात्मक माहौल के साथ मिलकर चलने के लिए, आपकी कंपनी आज संपूर्ण वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण मोटे तौर पर प्रणाली सुधार और उसके उन्नयन, हानियों में कमी के उपायों, आईटी समर्थित बनाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि और विवेक तथा ठोस मूल्यांकन तंत्र पर आधारित वितरण कंपनियों की किन्हीं भी विशेष मांगों/ आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्यों के साथ कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी में एक समर्पित रणनीतिक कारोबार समूह का गठन पहले ही किया जा चुका है।

आपकी कंपनी अपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भागीदारी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और वह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए (नोडल एजेंसी), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के लिए (नोडल एजेंसी), वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी), स्मार्ट ग्रिड कार्यबल आदि जैसे कार्यक्रमों में गहरी रुचि के साथ देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा आपकी कंपनी को आशा है कि वितरण परिदृश्य शीघ्र ही बेहतर हो जाएगा।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं ताकि एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के संकेत दिखे हैं जिनमें अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है। अधिकांश राज्यों में अन-बंडलिंग, निगमीकरण, इंस्टिट्यूटिंग रेगुलेटरी कमीशन आदि का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, इस प्रकार उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि करके डिस्कॉमों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसके अलावा, कुछ डिस्कॉमों ने विशेष क्षेत्रों में, मामला-दर-मामला आधार पर अपनी प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।

विगत दशक में भारत सरकार ने कई कार्यक्रम जैसे एपीडीआरपी का उद्देश्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा हानियों को कम करना, आरंभ किए हैं, ताकि इन डिस्कॉमों की समस्याओं का निराकरण करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। आरजीजीवीवाई का उद्देश्य अधिकतम संयोजकता सुनिश्चित करना और बीपीएल परिवारों को बिजली का सर्विस कनेक्शन देना है, आर-एआरडीआरपी का गठन शहरी क्षेत्रों में सुधार करने और वितरण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित बनाना है और वर्तमान में इसका शुभारंभ डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के लिए किया गया है। एनईएफ-ब्याज सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने और वितरण क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है। भारत सरकार ने वित्तीय पुनः संरचना योजना के रूप में राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से डिस्कॉम की तरलता बढ़ाने के लिए ऋण संबंधी पुनर्गठन के प्रयास किए हैं। डीडीयूजीजेवाई का वित्तीय परिव्यय ₹ 43033 करोड़ (₹ 33,453 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता सहित) तथा कुल ₹ 32,612 करोड़ का आईपीडीएस का कुल परिव्यय (₹ 22,727 करोड़ की सरकारी बजटीय सहायता सहित) है, डिस्कॉमों के तुलन-पत्र पर पहले ही अधिक दबाव डाले बिना इसे पूंजी निवेश की गति बढ़ाने के लिए वितरण क्षेत्र पर जोर देना चाहिए। डीडीयूजीजेवाई और एनईएफ योजना के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

आरईसी, आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं की एक बड़ी संख्या को निधियों का हिस्सा प्रदान कर रहा है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को पर्याप्त रूप से कम करना है। आरईसी, डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस कार्यक्रमों के अधीन ऋण संघटन के निधिकरण में भी भागीदार बनेगा।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) भी देश में सभी राज्य डिस्कॉमों की समेकित मूल्यांकन प्रणाली पर भी कार्य कर रहा है, जिससे कार्य-निष्पादन का वास्तविक मूल्यांकन समर्थकारी बनता है। यह प्रणाली इन डिस्कॉमों को अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जांचने के योग्य बना देगी और उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में केंद्रित दृष्टिकोण को समर्थ बनाएगी। यह बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरण कंपनियों को निधिकरण के प्रस्तावों पर विचार करते समय सामंजस्य को अपनाने में सहायता करेगी।

विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रारंभण से विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत प्रणाली को "स्मार्ट" और नियर-रियल टाइम सूचना बनने में पूरी प्रणाली को एक समेकित फ्रेमवर्क का प्रबंधन करने, विद्युत की गुणवत्ता को सक्रिय रूप से समझने और विद्युत मांग, आपूर्ति, मूल्य में परिवर्तन की यूटिलिटियों को अनुमति होगी। विद्युत मंत्रालय स्मार्ट ग्रिड को प्रारंभ करके प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपणीय उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है और इसने विविध पायलट परियोजनाओं को पहले ही वित्तीय सहायता प्रदान कर दी है। इसी प्रकार, उत्तम सूचना से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता मिलती है। पूर्व आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के अधीन चल रहे उपायों से डिस्कॉमों को और अधिक तकनीकी नवाचारों से समेकित करने और ग्रिड को स्मार्ट बनाने की दिशा में वृद्धि होगी।

इसके अलावा, भारत में स्मार्ट ग्रिडों के कार्यान्वयन के लिए एक मानचित्रण तैयार कने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समूह 'इंडिया स्मार्ट ग्रिड कार्य बल (आईएसजीटीएफ)' का गठन किया है। भारतीय परिवेश में विभिन्न कार्यों की जांच करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के 50 प्रतिशत के वित्तपोषण से 14 स्मार्ट ग्रिड पायलट परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। इन पायलट परियोजनाओं के उद्देश्यों में विद्युत गुणवत्त प्रबंधन (पीक्यूएम), उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) उपलब्ध कराना, आउटेज प्रबंधन (ओएम), पीक लोड प्रबंधन (पीएलएम) और डीजी (वितरित उत्पादन) तथा लघु ग्रिड कार्यकरण शामिल है। भारत सरकार 100 स्मार्ट सिटी का विकास कर रही है, जिनमें और आगे विद्युत वितरण सेगमेंट में प्रौद्योगिकी अंगीकरण और उत्तम पद्धतियां अपनाने की आवश्यकता होगी।

जैसा कि उपर्युक्त हस्तक्षेपणीय उपायों से पता चलता है, भारत दो अलग-अलग मंचों पर काम कर रहा है, पहला सभी को विद्युत प्रदान करना और दूसरा यूटिलिटियों के प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन को सुधारना है। इन उपायों के परिणाम सामने आने शुरू हो गए हैं और इन्होंने विभिन्न राज्यों में विनियामक द्वारा दरों की समय से अधिसूचना, एमवाईटी याचिकाएं दायर करना, एपीआर में इक्विटी की वापसी का दावा, राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता निर्मुक्त करना आदि में प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है।

यद्यपि, भारत सरकार, राज्य सरकार और डिस्कॉमों द्वारा बहुत सारी पहलें आरंभ की गई हैं, तथापि, समेकित स्तर पर वितरण खंड की स्थिति कमजोर बनी हुई है। डिस्कॉमों के तुलन-पत्र कमजोर हैं, विलंबित परियोजना कार्यकरण संबंधी देरी का सामना कर रहे हैं, बहुत कम पूंजी व्यय खर्च कर रहे हैं, प्रति यूनिट राजस्व और आपूर्ति की लागत में जारी अंतर के कारण विद्युत प्रापण के कार्य में कमी आई है। यद्यपि यूटिलिटी नियमित फाइल करने और डिस्कॉमों पर इक्विटी पर आय से इस अंतर को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तथापि, अधिकतर डिस्कॉमों द्वारा कार्य-निष्पादन संबंधी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा रही है, जिसके कारण तंत्र के माध्यम से अपर्याप्त टैरिफ पारेषण हो रहा है। डिस्कॉमों के बढ़े हुए पूंजी व्यय से नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है जिससे तेजी से बढ़ रही उच्च स्तर की एटीएंडसी हानियों को कम किया जा सके और तदुपरांत उपभोक्ताओं के अंतिम व्यक्ति तक विद्युत की गुणवत्ता/विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

माननीय प्रधान मंत्री के सभी को वहनीय और 24x7 घंटे बिजली की पहुंच के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के माध्यम से हाल ही नवंबर, 2015 में आरंभ की गई पहल सुधार की दिशा में एक कदम है। विगत दो वर्षों में विद्युत क्षेत्र में किए गए साहसिक प्रयासों में से यह एक दूसरा निर्णायक कदम है, जिससे इस क्षेत्र में पूरी मूल्य श्रृंखला में ऐतिहासिक सुधारों, इंधन आपूर्ति (2 दशकों में उच्चतर कोयला उत्पादन वृद्धि) से विद्युत उत्पादन (अब तक की उच्चतम क्षमता अभिवृद्धि), पारेषण (पारेषण लाइनों में अब तक की उच्चतम बढ़ोतरी) और उपभोग (2.3 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए) का पता चलता है।

वित्तीय रूप से दबाव झेल रहे डिस्कॉम वहनीय दरों पर विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे जीवन की गुणवत्ता और समग्र आर्थिक वृद्धि तथा विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण, 24x7 घंटे बिजली की आपूर्ति और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में डिस्कॉमों के कार्य-निष्पादन के बिना लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं है। विद्युत की कमी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कि 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

पैतृक संपत्ति संबंधी मुद्दों के कारण डिस्कॉम ऋण के बोझ के कारण प्रचालनात्मक हानियों के कुचक्र में उलझ गए हैं। डिस्कॉमों के बकाया ऋण 2011-12 के लगभग ₹ 2.4 लाख से बढ़कर 2014-15 के अंत में लगभग ₹ 4.3 लाख हो गए हैं। यूडीएवाई, विगत और साथ ही साथ क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों की दिशा में एक स्थायी संकल्प के द्वारा गुंजायमान और दक्ष डिस्कॉमों के उदय का आश्वासन देती है। यह डिस्कॉमों को यहां तक कि अगले 2-3 साल में अवसर प्राप्त करने की दिशा में समर्थ बनाती है। ऐसा चार पहलों के माध्यम से हैः (i) डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार कराना; (ii) विद्युत की लागत में कमी लाना; (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागतों में कमी लाना; और (iv) संतुलन के माध्यम से राज्य वित्तव्यवस्था द्वारा डिस्कॉमों के लिए वित्तीय अनुशासन लागू करना।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की नोडल एजेंसी है - ₹8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी की तुलना में) के प्रावधान वाली ब्याज सब्सिडी योजना वितरण योजनाओं के लिए ₹ 25,000 करोड़ के ऋण संवतिरण की 14 वर्षो से अधिक तक प्रदान की जाने वाली राशि 2 वर्षों अर्थात 2012-13 और

2013-14 के दौरान उपलब्ध की जानी है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) - सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी। याजना का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के वितरण क्षेत्र में अत्यधिक अपेक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना है। योजना सुधार से संबद्ध है और सुधार हेतु एनईएफ में निर्धारित दिशानिर्देशों पर आधारित उपलब्धि के लिए डिस्कॉमों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जानी है। विद्युत यूटिलिटियों द्वारा सभी अनुमोदित वितरण सेक्टर अवसंरचना पूंजीगत कार्यों के लिए वितरण क्षेत्र में लिए गए ऋणों पर 3% से 7% तक की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान, आपकी कंपनी ने एनईएफ के अधीन लाभ उठाते हुए, 15 राज्यों के 25 डिस्कॉमों को ₹25,000 करोड़ की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की यूटिलिटियां योजना के अधीन अनुमोदित ₹ 16.92 करोड़ की ब्याज सब्सिडी से पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं। अन्य राज्य डिस्कॉम मुख्यतः दो बेंचमार्क मापदंडों अर्थात एटीएंडटी हानियों में कमी और राजस्व अंतर में कमी (एसीएस और एआरआर) पर आधारित लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाना शुरू कर देंगे।

7. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियाँ

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल विद्युत परियोजना

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 19 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 14 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 27,828.44 करोड़ था, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सामूहिक वित्तपोषण भी शामिल है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 12,819.53 करोड़ संवितरित किए हैं।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत किए गए ऋणों का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की सं.	ऋण की धनराशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	5	25,988.26
अतिरिक्त ऋण	2	
निजी क्षेत्र		
नया ऋण	0	1,840.18
अतिरिक्त ऋण	12	
जोड़	**19**	**27,828.44**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने कुल 688 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी 11 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 2,965.72 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें कुल 662 मेगावाट की संस्थापित उत्पादन क्षमता वाली 9 सौर फोटो वोल्टाइक परियोजनाएं, 6 मेगावाट की 1 बायोमास परियोजना तथा 20 मेगावाट की एक पवन परियोजना शामिल हैं। समग्र रूप से इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 4,444.78 करोड़ है इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल संवितरण ₹ 304.07 करोड़ है, जैसाकि नीचे दिया गया हैः

विवरण	यूनिट	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
स्वीकृत परियोजनाएं	संख्या सं.	**11**	8
स्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	**688**	193,86
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़	**4,444.78**	1,768.19
स्वीकृत ऋण	₹ करोड़	**2,965.72**	547.92
संवितरित ऋण	₹ करोड़	**304.07**	295.25

जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक में स्थित अजूर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 10 मेगावाट सौर पीवी परियोजना

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने पारेषण और वितरण कार्यों टी एंड डी पोर्टफोलियो के तहत देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण तथा खास तौर पर वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजनाओं को वित्तपोषित करती रही है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने 579 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ₹ 23,627.61 करोड़ की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी की योजनाएं आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं सहित प्रणाली सुधार से जुड़ी योजनाएं, फीडर पृथक्करण योजनाएं, थोक ऋण योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाओं सहित तंत्र सुधार योजनाएं भी शामिल हैं।

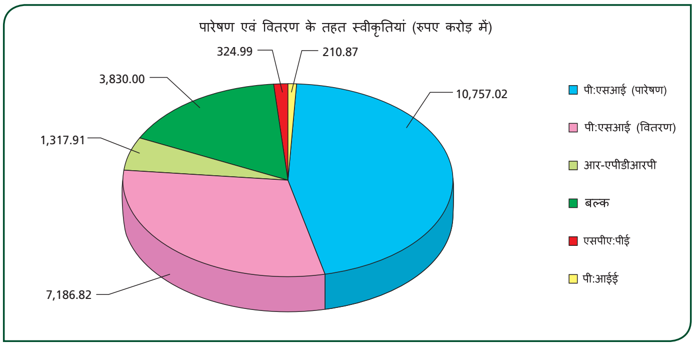

महाराष्ट्र में 3x660 मेगावाट कोराडी टीपीएस विद्युत उत्पादन क्षमता का 400 केवी कोराडी सब -स्टेशन

स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्योरे क्रमशः **तालिका 1 और 2** में दिए गए हैं। पारेषण और वितरण (टी एंड डी) मंजूरियों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर कार्य किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैः

7.3.1 प्रणाली सुधार और थोक ऋण

प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए आरईसी विद्युत वितरण नेटवर्क के प्रणाली अध्ययनों के आधार पर प्रणाली सुधार योजनाओं का वित्तपोषण करता है, जिसमें प्रणाली की क्षमताओं की विद्यमान स्थिति, संबद्ध मांग, वोल्टेज प्रोफाइल और हानियों के स्तर तथा भावी लोड वृद्धि की गुंजाइश पर विचार किया जाता है।

प्रणाली सुधार कार्यक्रम में मीटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, कंडक्टर, पोल इत्यादि की खरीद के लिए बनाई गई थोक ऋण योजनाएं भी शामिल हैं। प्रणाली सुधार योजनाओं से एटीएंडसी क्षतियां काफी हद तक कम हो जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 511 प्रणाली सुधार योजनाएं और थोक ऋण योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनका ऋण परिव्यय ₹ 21,773.84 करोड़ था। इसमें (i) ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपेसिटर आदि जैसे आवश्यक उपस्करों की संस्थापना के रूप में वितरण प्रणाली में निवेश के वित्तपोषण के लिए ₹ 3,830.00 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 90 योजनाएं; (ii) वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए ₹ 7,186.82 करोड़ की 171 योजनाएं; (iii) आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग (ख) के प्रतिपक्षी वित्तपोषण के लिए ₹ 1,317.91 करोड़ की सहायता वाली 36 योजनाएं; और (iv) पारेषण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए ₹ 10,757.02 करोड़ की ऋण सहायता वाली 250 योजनाएं शामिल हैं।

7.3.2 गहन विद्युतीकरण

इस क्रियाकलाप के अधीन आने वाली योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कुल 6 गहन विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनका ऋण परिव्यय ₹ 210.87 करोड़ था।

7.3.3 पंपसेटों का ऊर्जायन

आरईसी के ऋण संबंधी कार्यों में कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता देना भी शामिल है। यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी की वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2,13,926 विद्युत सिंचाई पंपसेटों का ऊर्जायन किया गया। इस श्रेणी के अधीन इस वर्ष के दौरान 26 नई योजनाओं के लिए ₹ 324.99 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। 31 मार्च, 2016 तक ऊर्जायित पंपसेटों का राज्य-वार विवरण और संचयी स्थिति संलग्न **तालिका-5** में दी गई है।

7.4 अल्पावधि ऋण और अन्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों को अल्पावधि ऋणों, मध्यम अवधि ऋणों, विशेष ऋणों के रूप में ₹ 11,049.33 करोड़ की राशि स्वीकृत की है ताकि उनकी लघु/मध्यम अवधि और कार्यशील पूंजी, आदि की निधियों की आवश्यकता पूरी हो सके।

7.5 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम) में स्थित मैं. तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड और मैसर्स दंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए बढ़ी हुई लागत हेतु ₹ 233.16 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। पारेषण परियोजनाओं के लिए मैसर्स मेघालय पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को ₹ 12.68 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 839.05 करोड़ की ऋण सहायता राशि संवितरित की गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹418.99 करोड़ थी। इसमें मैसर्स लैंको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 23.20 करोड़, मैसर्स दंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 38.22 करोड और मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड को दिए गए ₹ 777.60 करोड़ शामिल हैं।

7.6 वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए आरईसी की अपनी स्वयं की प्रविधि है। आरईसी की ब्याज दरें प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को समनुदेशित ग्रेडों के साथ संबद्ध हैं। पीएफसी के साथ आरईसी राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत दर निर्धारण में विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है तथा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा संशोधित रेटिंग को अपनाता है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग विभिन्न मापदंडों अर्थात वित्तीय, प्रशुल्क, विनियामक उपायों, सरकारी सहायता तथा प्रबंधन इत्यादि पर आधारित जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

7.7 कार्यनीतिक कारोबार समूह (एसबीजी) के अधीन नई नीति/वित्तपोषण पहलें और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए निवेश

कंपनी के कार्यनीतिक कारोबार समूह (एसबीजी) ने परियोजना ऋण पुनर्वित्तपोषण के क्षेत्र में नम्य अवसंरचना और बल दिए जाने वाले पहलुओं की मॉनीटरिंग के क्षेत्र में विनियामक पर्यावरण में बदलाव का मुकाबला करने के लिए नीति निर्मित की है।

कंपनी ने नए वित्तपोषण अवसर के रूप में राज्य क्षेत्र कोयला खनन परियोजनाओं के वित्तपोषण की एक नीति निर्मित की है। कंपनी ने, कंपनी में दीर्घावधि निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 'दीर्घ अवधि निवेश नीति' भी तैयार की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, दीर्घ अवधि निवेश नीति की सीमा के अधीन, कंपनी ने कुल मिलाकर, इंडियन बैंक के टियर-I बांडों में ₹ 1,500 करोड़, विजया बैंक और सिंडिकेट बैंक (प्रत्येक बैंक में ₹ 500 करोड़) निवेश किया है। इसके अलावा, कंपनी ने अप्रैल, 2016 में एनएचपीसी लिमिटेड के बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) से प्रत्येक 10/- रुपए मूल्य के ₹ 21.78 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹567.50 करोड़ के पूर्णतः प्रदत्त 26,05,43,050 इक्विटी शेयर पूर्वक्रीत किए।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी के पास केएफडब्ल्यू, जर्मनी के साथ ओडीए ऋण की तीन लाइनें हैं। 31 मार्च, 2016 तक सभी को आहरित किया गया है। केएफडब्ल्यू-I और केएफडब्ल्यू-II ओडीए ऋण प्रत्येक 70 मिलियन (लगभग ₹ 454.02 करोड़ और ₹ 480.97 करोड़ क्रमशः) और केएफडब्ल्यू-III यूरो 100 मिलियन है (लगभग ₹ 753.73 करोड़)। उपर्युक्त के अलावा, आरईसी के पास जेआईसीए, जापान के साथ ओडीए ऋण की दो पद्धतियां हैं। दोनों पूरी तरह आहरित की गई हैं। जेआईसीए-I और II ओडीए ऋण, क्रमशः जेपीवाई 16,949.38 मिलियन (लगभग ₹ 820.12 करोड़) की संचयी धनराशि और जेपीवाई 11,809.48 मिलियन (लगभग ₹ 640.64 करोड़), 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, आहरित किए हैं।

9. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के शुभारंभ/कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी सूचित की है, जोकि ग्रामीण विद्युत वितरण के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक समेकित योजना है। डीडीयूजीजेवाई के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है और 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक का अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दिया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण की पहली सभी योजनाएं (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना सहित) डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर ली गई हैं। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए आरईसी नोडल एजेंसी है।

डीडीयूजीजेवाई के जरिए ग्रामीण जीवन स्तर में परिवर्तन

विद्युत मंत्रालय द्वारा आरईसी योजना को 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसकी पूंजीगत सब्सिडी ₹ 35,447 करोड़ है, जिसमें से ₹ 23,397 करोड़ 12वीं पंचवर्षीय योजना की सकल बजटीय सहायता (जीबीसी) और शेष ₹ 12,050 करोड़ 13वीं पंचवर्षीय योजना से शामिल हैं।

डीडीयूजीजेवाई योजना ग्रामीण आवासों तक विद्युत की पहुँच को सुगम बनाती है एवं इसका लक्ष्य है कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए सतत विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और निम्न परिभाषित परियोजना घटकों के माध्यम से कृषि संबंधी उपभोक्ताओं को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(i) कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग-अलग करके गैर-कृषि उपभोक्ताओं को सुधरी गुणवत्ता वाली विद्युत आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति में समर्थ बनाना;

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण का सुदृढ़ीकरण और स्वचलन;

(iii) माइक्रो-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के मीटर लगाना; और

(v) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई सहित)।

इस योजना में, ग्रामों/बस्तियों की जनसंख्या का मापदंड हटा दिया गया है और 100 से कम की जनसंख्या वाले गांव/बस्तियां भी पात्र हैं।

योजना के लक्ष्यों को यथार्थ बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों की सहभागिता, विशेष रूप से लोक प्रतिनिधित्व को वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला विद्युत समितियों (डीईसी) का गठन करके पहले ही संस्थागत कर दिया गया है। जिला विद्युत समिति डीडीयूजीजेवाई को मॉनीटर करने, समीक्षा करने और कार्यान्वयन के लिए सशक्त बनाया गया है।

9.1 यूई मिशन

स्वतंत्रता के समय, केवल 3,060 गांव विद्युतीकृत थे, और इसलिए, गांवों के विद्युतीकरण पर सतत बल दिया गया था। भारत का ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम कई चरणों से गुजरा। भारत सरकार के कई कार्यक्रमों के अलावा, 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, 18,452 अभी भी ऐसे थे, जिनका विद्युतीकरण किया जाना था, जो मुख्य रूप से ओडिशा (3,428), असम (2,892), बिहार (2,747), झारखंड (2,581), अरुणाचल प्रदेश (1,578), मेघालय (912) आदि थे।

15 अगस्त, 2015 को माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि बाकी बचे अविद्युतीकृतगांवों (यूई) को 1,000 दिनों के अंदर विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। विद्युत मंत्रालय ने सभी 18,452 ओविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया।

परंतु ये शेष 18,452 अविद्युतीकृत गांव अत्यधिक अगम्य क्षेत्रों (घने जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, आदि वाले) में, कठिन तराई, असाधारण तापमान वाले, अधिकार क्षेत्र का सामना कर रहे क्षेत्र (आरओडब्ल्यू) उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित थे। इन चुनौतियों और पिछले कुछ वर्षों के दौरान गांवों के विद्युतीकरण की गति को ध्यान में रखते हुए, बाकी बचे गांवों के विद्युतीकरण में 10 वर्ष लग जाने थे।

आरईसी को उपलब्धि-आधारित माइक्रो मॉनीटरिंग तंत्र की सहायता से स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12,000 शौचालयों के निर्माण का सफल अनुभव है। इस सदृश्यता का चित्रण करते हुए, आरईसी ने एक नवाचारी अनुश्रवण तंत्र विकसित किया है, जो जमीनी स्तर की प्रौद्योगिकी और उचित जनशक्ति के सम्मिश्रण पर आधारित है।

प्रत्येक गांव की नियमित प्रगति का पता लगाने के लिए एक नया मॉनीटरिंग तंत्र गठित किया गया था। इसके अधीन, गांव विद्युतीकरण की पूरी प्रक्रिया 12 खंडों में विभक्त थी। नौजवान विद्युतीय इंजीनियरों को 'ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए)' के रूप में ब्लॉक/जिला स्तर पर नियुक्त किया गया। मिशन की जिम्मेदारी लेने और इसकी गति को बढ़ाने के लिए, इसकी पारदिर्शता और जवाबदेही के लिए स्वीकार किए गए तंत्र 'गर्व ऐप' का डिजाइन किया गया और विकसित किया गया। ऐप का उद्घाटन माननीय विद्युत मंत्री द्वारा 14 अक्तूबर, 2015 को किया गया। 'गर्व ऐप' को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह ऑन-लाइन प्रणाली के जरिए सभी 18,452 औविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति को उत्तम तरीके से मॉनीटर कर सके और उसकी जांच कर सके।

'गर्व ऐप' की मुख्य-मुख्य विशेषताएं हैः वास्तविक-समय डैशबोर्ड, पेपरविहीन कार्य, गांव-वार माइलस्टोन प्राप्त करना, फोटोग्राफ अपलोड करना/ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) समन्वय, कार्यान्वयन संबंधी रुकावटों, यदि कोई हैं, को समय पर उजागर करना, आवासस्थान-वार अवसंरचना, ऑनलाइन डाटा की प्रविष्टि, कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब का पता लगाना, कम जनसंख्या वाले गांवों की बस्तियों को अलग करना, राज्य-वार फोटो-चित्र, गांवों/जिलों/राज्यों का अंगीकरण और उनके संबंधित कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड और फीडबैक भी तथा उपयोगकर्ताओं के सुझाव।

अब तक की उपलब्धिः

नया मॉनीटरिंग तंत्र गांव विद्युतीकरण को सुधारने में मदद करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान, 7,108 गांवों का विद्युतीकरण इसका परिणाम है और 11 अगस्त, 2016 को यह उपलब्धि 10,000 अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को पार कर चुकी है।

9.2 वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कार्य निष्पादन

क. संस्वीकृतियां

विद्युत मंत्रालय की मॉनइटरिंग समिति ने डीडीयूजीजेवाई के अधीन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए ₹ 31,376.34 करोड़ (ऋण और सब्सिडी) की परियोजनाएं अनुमोदित की हैं।

उपर्युक्त के अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अधीन ऐसे अविद्युतीकृत गांवों/बस्तियों को विद्युत प्रदान करने के लिए, जिनमें ग्रिड संयोजनीयता न तो संभव है और न ही लागत-प्रभावी है, विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। डीडीजी परंपरागत और नवीकरणीय स्रोतों जैसे कि बायोमास, जैवइंधन, बायोगैस, मिनी हाइड्रो, सौर, आदि से प्राप्त की जा सकती है। डीडीजी योजना के अधीन परियोजना लागत का 60% (विशेषण श्रेणी के राज्यों के लिए 85%) सब्सिडी प्रदान की जाती है। तथापि, डीडी परियोजनाओं के समय पर पूरा करने की शर्त के अधीन 15% (विशेषण श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) सब्सिडी लागू है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान डीडीजी परियोजनाओं (ऑफ ग्रिड) हेतु 9 राज्यों में ₹ 869.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल एवं उत्तराखंड में वित्त वर्ष के दौरान 232 परियोजनाएं कमीशन भी की गई हैं।

ख. निधियां निर्मुक्त करना

योजना के अधीन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 5,023.99 करोड़ (ऋण : ₹419.01 करोड़ तथा सब्सिडी ₹ 4,604.98 करोड) की धनराशि संवितरित की गई है।

भारत सरकार से सब्सिडी आरईसी के माध्यम से बढ़ाई जाती है और राज्य सरकार/ कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ऋण/इक्विटी से शेष धनराशि का प्रबंध किया जा सकता है।

ग. विद्युतीकरण की प्रगति

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, डीडीयूजीजेवाई के अधीन, 7,108 अवद्युतीकरण गांवों का विद्युतीकरण और 39,236 गांवों का सघन विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा, 14.39 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

राज्य-वार मंजूर की गई धनराशि, निर्मुक्त निधियां और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युतीकरण की प्रगति के ब्योरे **तालिका-7** में दिए गए हैं।

9.3 31 मार्च, 2016 तक संचयी कार्य-निष्पादन

डीडीयूजीजेवाई के अधीन, 31 मार्च, 2016 तक ₹1,07,760.07 करोड़ की 4,466 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹ 41,061.48 करोड़ (ऋण और सब्सिडी) संवितरित किए गए हैं।

जहां तक प्रगति का संबंध है, 31 मार्च, 2016 को 1,16,144 औविद्युतकृत गांवों में विद्युतीकरण और 3,51,233 गांवों के गहन विद्युतीकरण के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 232.22 लाख बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं।

10. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी, राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर ही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए निरंतर नवाचारों की खोज करती है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक की 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार स्तर-II के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, जिसके अधीन 11वीं पंचवर्षीय योजना (चरण-I और II) में 25 राज्यों की 413 परियोजनाएं और 12वीं योजना में 15 राज्यों में 273 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आरक्यूएम द्वारा विनिर्माताओं के परिसरों में कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 11वीं योजना में चरण-I परियोजनाओं में 286 गांवों का, 11वीं योजना में चरण-II परियोजनाओं में 950 गांवों और 75 सामग्री निरीक्षण और 12वीं योजना की परियोजनाओं में 733 सामग्री निरीक्षण किए गए हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों/द्विपक्षीय और विभिन्न एसईबी/ डिस्कॉमों/ ट्रांस्कोज/ जेनकोज और निजी कंपनियों को एकल परियोजना के लिए विनिर्माण/विनिर्माण से पूर्व, जिनका प्रवाह ₹ 500 करोड़ से अधिक है, दिए गए ऋणों का सफलतापूर्व पर्यवेक्षण किया है।

11. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और सुरक्षा नीति आती है। एएलएम नीति में असंगतताओं की परिभाषा, मापन और मॉनीटरिंग की व्यवस्था तथा सुरक्षा नीति के अंतर्गत मुद्रा जोखिम प्रबंधन शामिल है। वर्ष के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई और संशोधित नीति निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाई गई।

11.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में परिसंपत्ति देयता प्रबधांन समिति (एएलसीओ) का गठन किया और निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी), एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक और वित्त तथा प्रचालन प्रभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

एएलसीओ नकदी की तरला, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों को मॉनीटर करती है। नकदी की तरलता संबंधी जोखिम की मॉनीटरिंग नकदी की कमी के विश्लेषण द्वारा की जाती है और यह समिति नकदी जोखिम का प्रबंधन अनुमानित संवितरण और तरलता की संबंधित परिपक्वता प्रोफाइल पर आधारित संसाधन बढ़ाने के कार्यक्रम जैसी भावी कार्यनीतियों के मिश्रित समूह के माध्यम से करती है। ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग ब्याज दर संवेदनशील विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और इसका प्रबंधन उधार देने की दरों, उधार की लागत और उधार लेने तथा देने की शर्तों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। विनिमय दर और ब्याज दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से किया जाता है। समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, वसूलियों और ऋण सर्विसिंग के मध्य वार्षिक मिसमैच सीमा के अंदर रहा है और यह वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 2% रहा।

11.2 उद्यम व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है, जोकि अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करती है और कंपनी के समेकित जोखिमों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) इसके सदस्य हैं।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों, जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो, ₹ 500 करोड़ और इससके अधिक के बकाया ऋण की धनराशि और तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों को मॉनीटर करना और साथ ही प्रचालन में उत्पन्न जोखिमों और कंपनी के अन्य संबंधित मामलों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान कर ली है और उन्हें कम करने के समुचित उपाय किए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

i) ऋण जोखिमः

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं।

ii) बाज़ार जोखिमः

बाज़ार जोखिम संभावित हानि होती है, जो बाज़ार दरों और बाज़ार कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारे प्राथमिक बाज़ार जोखिम उदभासन (एक्सपोजर) मुख्यतः ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनियम दरों में घट-बढ़ के कारण होते हैं। ब्याज दर जोखिम कम करने के लिए कंपनी अपनी उधार लागत के आधार पर उधार देने की अपनी दरों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके पश्चात हम लागू बाज़ार दरों, हमारी भारित औसत वित्तपोषण लागत की और हमारे कर-पश्चात लाभों (मार्जिनों) पर आधारित उधार देने की अपनी दरों को निर्धारित करते हैं।

iii) लिक्विडिटी जोखिमः

लिक्विडिटी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। हम ऐसे लिक्विडिटी जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

iv) विदेशी मुद्रा जोखिमः

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्धित परिसंपत्तियों, देयाताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति लागू की है।

v) विधिक जोखिमः

विधिक जोखिम हमारे उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित संविदाओं के प्रवर्तन की अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने या संविदा के दायित्वों की प्रयोज्यता में कठिनाई के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हम विधिक प्रलेखन और विधिक दस्तावेज़ों में भावी संविदात्मक प्रावधानों के द्वारा विधिक जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं।

vi) प्रचालनात्मक जोखिमः

प्रचालनात्मक जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो अपर्याप्त और असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हमने अपने व्यवसाय में प्रचालन जोखिमों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए अपनी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया है।

12. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति, 2008 तैयार की गई, जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लंबे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए

हैं, जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विचार-गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंधी अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

13. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहल

कंपनी के सभी बड़े कारोबार संबंधी कार्यों को शामिल करते हुए एकीकृत ईआरपी प्रणाली 2009 से चल रही है। बेहतर सेवा के भाग के रूप में, ईआरपी प्रणाली के लाभ उधारकर्ताओं को भी दिए जा रहे हैं। ईआरपी के अद्यतन संबंधी नवीनतम वर्ज़न की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वर्तमान एचआर प्रक्रिया के परिवर्तन की सूचना प्रौद्योगिकीयुक्त ऑनलाइन प्रक्रिया, जिसमें कर्मचारी इंटरनेट के माध्यम से ईआरपी आधारित कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल से ऑनलाइन एचआर निवेदन कर सकते हैं, जिसे आरईसी के सभी कार्यालयों में चरणों में प्रचालनरत किया जा रहा है, शुरू कर दी गई है।

दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सुशासन और पारदर्शिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 2 लाख से अधिक की वस्तुओं की खरीद और सेवाओं के लिए ऑनलाइन 'ई-खरीद' प्रणाली कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, आरईसी ने वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रणाली, बिलों का भुगतान, भुगतान करने वाले चुनिंदा विभागों में ट्रैकिंग प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली, फाइल संचलन प्रणाली आदि जैसी विभिन्न आंतरिक प्रणालियों को विकसित कर उन्हें कार्यान्वित किया है।

आरईसी के प्राथमिक डाटा केंद्र (पीडीसी) तथा आपदा निवार केंद्र (डीआरसी) दोनों ही आईएसओ/आईईसी 27001 : 2013 प्रमाणित हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप हैं। इसके अतिरिक्त, सतत आधार सीईआरटी-इन सर्टिफाइड लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक के माध्यम से बहुत सी सूचना सुरक्षा आयोजित की जाती है।

आरईसी ने देश में फैले अपनी सभी कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा कार्यान्वित की है।

आरईसी का निगमित कार्यालय वाई-फाई सक्षम बन गया है। यह वित्तीय वर्ष 2015-16 के समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों में से एक है, जिसे निर्धारित तारीख अर्थात 11 नवंबर 2015 तक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। कंपनी के सभी फील्ड कार्यालयों को भी वाई-फाई सक्षम बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट के जरिए एचआर-ईआरपी कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) को समझौता ज्ञापन के लक्ष्य के कार्यान्वयन की दिशा में निर्धारित तारीख तक पूरा किया जा चुका है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग कंपनी में भारत सरकार की अनेक सूचना प्रौद्योगिकी पहलों जैसे माईगव, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, आदि को प्रोन्नत कर रहा है।

100% कर्मचारियों (श्रेणी-IV कर्मचारियों को छोड़कर) को कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

14. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर) की स्थापना की गई थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 23 जुलाई, 2015 को एबीपी न्यूज द्वारा संस्था के 'नेतृत्व, विकास, नवाचार और उद्योग इंटरफेस' के क्षेत्र में सायर को "शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार" प्रदान किया गया।

14.1 डीडीयूजीजेवाई के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी)

सायर को फ्रैंचाइजी और समूह ग तथा घ कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी) के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिस्ट किया गया है। 12वीं योजना की अवधि के दौरान ग और घ श्रेणी के 1,25,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न विद्युत वितरण यूटिलिटियों के समूह ग और घ श्रेणी के 98,833 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के योग्य था, जिसमें वर्ष 2015-16 के दौरान प्रशिक्षित किए गए 32,013 कर्मचारी भी शामिल हैं। सायर/आरईसी ने उपर्युक्त कार्यक्रम के संचालन के लिए 37 विद्युत यूटिलिटियों/संस्थानों के साथ संघम ज्ञापन निष्पादित किया है। डिस्कॉमों के नोडल अधिकारियों के लिए कार्यक्रम के संबंध में एक 2-दिन की कार्यशाला सायर परिसर में आयोजित की गई।

विद्युत यूटिलिटियों के अनुरोध पर सायर ने विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों की ग और घ श्रेणी के लिए 55 कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें प्रतिभागियों की संख्या 1,365 थी और 93 प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) भी आयोजित किया।

14.2 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम

सायर ने भागीदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष के दौरान आर-एपीडीआरपी के अधनी "राजस्व प्रबंधन और क्षति न्यूनीकरण" विषय पर प्रशिक्षकों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों से 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.3 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सायर ने 9 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 132 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे यथा विद्युत विद्युत कंपनियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली (8 सप्ताह), विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली के लिए आयोजना और प्रबंधन (8 सप्ताह), विकेंद्रित वितरित उत्पादन एवं ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन (8 सप्ताह) अतिरिक्त उच्च वोल्टता (ईएचवी) सब-स्टेशनों का डिजाइन, विनिर्माण, प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) (4 सप्ताह), सौर विद्युत उत्पादन - ग्रिड सक्षमता (4 सप्ताह), विद्युत वितरण में उत्तम पद्धतियां (5 सप्ताह), सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत कंपनियों का प्रबंधन (5 सप्ताह), इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन में प्रवृत्तियां और विकास (8 सप्ताह) और इलेक्ट्रिक विद्युत प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (12 सप्ताह)

इन कार्यक्रमों में देशों यथा अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बंगलादेश, भूटान, बुरुंडी, कंबोडिया, कैमरून, कांगो गणराज्य, एक्वाडोर, मिश्र, गांबिया, घाना, केन्या, मलावी, मारीशस, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, नाइजर, फिलिपींस, रूस, समोआ, सेंट लूसिया, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, जिम्बाब्वे, इत्यादि देशों ने भाग लिया।

14.4 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने विभिन्न विषयों जैसे बिजली की चोरी - मुद्दे, चुनौतियाँ और निवारक उपाय; विद्युत क्षेत्र में भारतीय लेखाकरण मानक (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) का अंगीकरण; सौर फोटो वोल्टेक प्रणाली - गुणवत्ता एवं कार्य - निष्पादन ; वितरण प्रणाली हेतु तकनीकी विनिर्देशन एवं निर्माण मानक ; ईएचवी सब-स्टेशनों में संरक्षण प्रणाली ; विद्युत विपणन एवं विनिमय ; विद्युत संस्थापनाओं में अर्थिंग पद्धतियाँ तथा सुरक्षा उपाय ; सुलभ पहुँच, विद्युत कारोबार तथा प्रशुल्क आधारित उपलब्धता ; विद्युत एवं नियंत्रण केबलों सहित गैस इंसुलेटेड और आंतरिक सब-स्टेशन; 33/11 केवी सब-स्टेशनों में परीक्षण, कमीशनिंग और संरक्षण पहलू ; विद्युत घटक सुधार एवं रिएक्टिव विद्युत प्रबंधन ; विद्युत खरीद करार ; प्रशुल्क नीति एवं एचआर नियामक एवं अनुपालन ; ईएचवी लाइनों और ईएचवी सब-स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण में सर्वोत्तम पद्धति; थर्मल पावर स्टेशन में दक्षता सुधार उपाय; गैर-तकनीकी कार्यपालकों के लिए तकनीकी पहलू; तथा मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण में अद्यतन रुझान पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कंपनियों के कार्मिकों के लिए 20 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 243 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.5 सहयोग में आयोजित कार्यक्रम

सायर ने, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रमुख प्रबंधन संस्थान अर्थात लोक उद्यम संस्थान के सहयोग से, विद्युत यूटिलिटियों में मानव संसाधन प्रबंधन में उत्तम पद्धतियां; सामग्री खरीद और सामग्री प्रबंधन, कंपनी अधिनियम, 2013 और लाइन प्रबंधकों के लिए मानव संसाधन आदि पर 5 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

14.6 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों के लिए 26 कस्टमाइज्ड कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में से आंध्र प्रदेश विद्युत यूटिलिटीज, जैसे कि एपीट्रांस्को, एपीएसपीडीसीएल और एपीईपीडीसीएल के लिए 19 कार्यक्रम आयोजित किए गए, पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के लिए "विद्युत वितरण प्रबंधन" पर 6 कार्यक्रम और एपीएसपीडीसीएल इंजीनियरों के लिए सायर परिसर में 6-सप्ताह का एक आरंभिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर, कस्टमाइज्ड कार्यक्रम के अंतर्गत 475 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

14.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए भी 6 आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 53 कर्मचारियों ने भाग लिया। शामिल किए गए विषयों में खरीद संबंधी दिशानिर्देश, संचार और मोल-भाव कौशल, सामान्य प्रबंधन, नेतृत्व तथा टीम कार्य, आरईसी विशिष्टियां और विनिर्माण मानक और वित्त तथा गैर-वित्त संबंधी कार्यक्रम थे।

14.8 कुल मिलाकर, वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 128 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय और अनुरक्षण के अलावा, सायर ने विभिन्न विषयों पर 14,353 श्रम दिवसों में 2,471 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

15. आईएसओ 9001: 2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और देश-भर में फैले सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में दावा संसाधन के लिए आईएसओ 9001 : 2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है।

16. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों की जनशक्ति को व्यावसायिक बनाने के लिए तथा नए युवा लोगों को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष में 44 कार्य पालकों को खुले विज्ञापन तथा 8 कार्यपालकों को कैंपस भर्ती के जरिए नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 600 थी, जिसमें 463 कार्यपालक और 137 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

16.1 रोज़गार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूह-वार विवरण नीचे दिया गया हैः

समूह	कर्मचारियों की संख्या					
	जोड़		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
क	**391**	359	**40**	33	**14**	12
ख	**99**	121	**13**	17	**2**	2
ग	**36**	42	**6**	7	**0**	0
घ	**74**	79	**22**	24	**1**	1
जोड़	**600**	601	**81**	81	**17**	15

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारियों की कुल संख्या में से 14 कर्मचारी दिव्यांग हैं, जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 2.33% है।

16.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

कर्मचारी कौशल समूहों के उन्नयन सहित क्षमता विस्तार के उपाय के रूप में तथा उच्च कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष के दौरान प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी जाती रही। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्य-निष्पादन के लिए अपेक्षित व्यवसाय कौशलों तथा सक्षमता को प्रखर बनाना है तथा कर्मचारियों को उनकी कार्य-निष्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी संभव अवसर तथा सहायता प्रदान की जाती है। उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग

से समझने में और उन्हें सामाजिक-आर्थिक वातावरण, जिसमें कारोबार किया जाता है, के प्रति सुग्राही बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे प्रशिक्षण से विदित कराया जाता है जो कर्मचारियों की आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायक होता है, भी दिया गया।

कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने की दृष्टि से, कंपनी ने देश तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए 251 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 151 कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी 1096 प्रशिक्षण श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त कर सकी और इस मापदंड के संबंध में समझौता ज्ञापन लक्ष्य संबंधी 'उत्कृष्ट' रेटिंग भी प्राप्त करने में समर्थ हुई है। इनका उद्देश्य उच्च और वरिष्ठ प्रबंधन दल को उन्नत प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करना था, जिसमें समझौता ज्ञापन के 90 और 100 श्रमदिवसों की तुलना में क्रमशः 105 श्रमदिवसों और 109 श्रमदिवसों के लिए 19 कार्यपालकों को जापान, यूके, फ्रांस और चीन जैसे देशों में कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

19 से 22 नवंबर, 2015 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम "कंपनी अधिनियम, 2013, विभिन्न वैधानिक एवं निगमित अनुपालन" के प्रतिभागी

16.3 कार्मिक कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी ने 6 और अस्पतालों को जोड़कर प्रत्यक्ष भुगतान योजना के अधीन पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची का विस्तार किया है। इसके अलावा, 4 विशेषज्ञताप्राप्त अंशकालिक चिकित्सकों को कार्यस्थल पर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है। कंपनी कर्मचारियों के प्रयोग और तंदरुस्ती के संवर्धन के लिए खेलकूद और मनोरंजन के उपकरणों हेतु भी वित्तपोषण कर रही है।

खेलकूद संबंधी क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी ने इंटर-सीपीएसयू कैरम प्रतियोगिता की मेजबानी की है और अपने कर्मचारियों को विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रायोजित किया, जिनमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वाली बाल, कबड्डी, शतरंज आदि शामिल हैं, जिन्हें विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसयू द्वारा आयोजित किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, शोध-पत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्य अनुकरणीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

16.4 महिला कार्मिकों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 97 स्थायी महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कार्यबल का 16.17% है। महिला होने के आधार पर इन कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देने और उनके समग्र विकास के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया।

16.5 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2015-16 में भी औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई है। कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल अभिप्रेरित बना रहा और कारोबार के कार्य-निष्पादन में लगातार सुधार हुआ।

16.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की है।

17. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास

आरईसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, 01 अप्रैल, 2014 से लागू 'कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास' नीति तैयार की है। कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 और लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए सीएसआर और धारणीयता के दिशानिर्देशों के अनुसार 01 अप्रैल, 2014 को प्रभावी सीएसआर नीति कंपनी के निदेशक मंडल ने अनुमोदित की है। 'आरईसी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास (सीएसआर एंड एसडी) संबंधी पहलें इस दृष्टि से आरंभ की गई हैं कि आरईसी के सभी हितधारकों के हित को मान्यता देने हेतु इसके कारोबार प्रचालनों और सामाजिक प्रक्रियाओं को एक साथ निष्पादित किया जा सके। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास संबंधी परियोजनाओं को

श्री थावरचंद गहलोत, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आरईसी की सीएसआर पहलों के अधीन, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, कटक में, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा भारत सरकार और आरईसी के अधिकारियों की उपस्थिति में ऑपरेशन थियेटर का उद्घाटन करते हुए

सतत विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया। इस कार्यनीतिक बल का फोकस कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सतत विकास की उन पहलों के प्रति था जो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें, जिनमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल उन्नयन, उद्यमशीलता और स्थायी संस्थाओं/लोगों के साथ सह-सृजनात्मक मूल्यों द्वारा रोज़गार पैदा करना सुनिश्चित करते हुए मिलेनियम विकास लक्ष्य को पूरा करना भी शामिल है। ऐसी पहलों को अभिनिर्धारित करते समय, कंपनी ने सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है, जिसे ट्रिपल बॉटम लाइन के दृष्टिकोण के रूप में मापा जाता है। वर्ष के दौरान, देशभर में विभिन्न स्थलों/जिलों में कंपनी ने कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रमों, शिक्षा, पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धान जिसमें वृद्धजन तथा विकलांग व्यक्तियों की देखभाल शामिल है, पेयजल तथा सफाई स्वच्छता, 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में हिस्सेदारी, चुनिंदा अविद्युतकृत/कम विद्युतीकृत गांवों में सौर आधारित स्ट्रीट लाइटों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। सीएसआर कार्यनीति का विकास परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ किया गया है। अधिकांश सीएसआर क्रियाकलापों को आधार रेखा सर्वेक्षण, विनिर्दिष्ट समय सीमा, अभिनिर्धारित उपलब्धें तथा आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित किया है। सीएसआर के तहत आबंटित निधियों के संवितरण संबंधी उपलब्धियों तथा परिणामों की प्राप्ति के साथ जोड़ा गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 163.17 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की गई, जिसमें से ₹128.20 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जिसमें प्रदान की गई धनराशि भी शामिल है।

कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 की दृष्टि से, सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. सतर्कता क्रियाकलाप

सतर्कता प्रभाग कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार लाने और कंपनी के कर्मचारियों के बीच नैतिकता तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। सतर्कता प्रभाग का बल मुख्य रूप से प्रणाली और नीतियों को ढर्रे पर लाने का था और कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना था।

प्रभाग ने ऐसे क्षेत्रों की सतत आधार पर पहचान करना जारी रखा, जिससे प्रणाली और प्रक्रियाओं को कम से कम किया जा सके और निर्णय लेने में पारदर्शिता बरती जा सके। प्रभाग ने सभी संबंधितों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी कि कंपनी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए। सतर्कता पहलों के अनुसरण में, कॉरपोरेट कार्यालय के परिसर में अखंडता समझौता, फाइल प्रचलन प्रणाली, बिल ट्रैकिंग प्रणाली और सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित/प्रचालनरत की गई। इसके अतिरिक्त, आरईसी में नवनियुक्त किए गए अधिकारियों को आरईसी सीडीए नियमों, टेंडर प्रक्रिया, ई-प्रापण आदि के बारे में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। सीवीसी/विद्युत मंत्रालय, आदि द्वारा प्रापण संबंधी दिशानिर्देशों और टेंडर की प्रक्रिया को आरईसी में संशोधित किया गया।

लगभग सभी टेंडर, जिनका मूल्य ₹ 5 लाख या इससे अधिक है का प्रापण 01 अप्रैल, 2015 से ई-प्रापण विधि से किया गया। सभी संबंधित प्रभागों को एकल संविदा/नामांकन आधार पर संविदा सौंपने में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई। ईआरपी/ई-मेल/सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग तक पहुंच के लिए पासवर्ड नीति के अनुपालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए और आरईसी इंटरानेट पर अपलोड किए गए।

सतर्कता प्रभाग द्वारा विद्यमान प्रणालियों और प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रचालन प्रभागों के साथ नियमित पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। टेंडरिंग प्रक्रिया की रैंडम आधार पर संवीक्षा की गई और टेंडरिंग तंत्र में और सुधार करने/ढर्रे पर लाने के सुझाव दिए गए।

आरईसी ने 26 अक्तूबर, 2015 से 31 अक्तूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के तीन कॉलेजों में नैतिकता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा पर व्याख्यान प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा दिल्ली के दो स्कूलों में इलोक्यूशन प्रतियोगिता आयोजित की गई। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कार्य संस्कृति, कर्मचारियों की सक्षमताएं, नैतिकता व्यवहार, आदि महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए, 'आरईसी नैतिकता संबंधी संहिता' प्रकाशित की गई। आरईसी के आंचलिक/परियोजना कार्यालय और सायर, हैदराबाद में विभिन्न क्रियाकलाप जैसे कि निबंध लेखन/वाद-विवाद प्रतियोगिता और जन जागरूकता अभियान आदि आयोजित किए गए।

सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों द्वारा फील्ड कार्यालयों के नियमित/औचक निरीक्षण गिए गए और कर्मचारियों को सतर्कता के महत्त्व के बारे में संवेदीकृत किया गया। लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सतर्कता संबंधी दृष्टिकोण से संवीक्षा की गई।

सतर्कता संबंधी मामलों के बारे में कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक सतर्कता बुलेटिन तिमाही रूप से जारी किया जा रहा है। सभी कार्यपालकों की अचल संपत्ति विवरणी (आईपीआर) के ब्योरे आरईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तथा सतर्कता समाशोधन को आईपीआर के सामयिक प्रस्तुतीकरण के साथ संबद्ध किया गया है। कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी की भी प्रणालीबद्ध ढंग से संवीक्षा की गई। आवधिक विवरणियां केंद्रीय सतर्कता आयोग/विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की गई सतत समीक्षाओं के अलावा, सतर्कता विभाग के कार्य-निष्पादन की सीवीसी, निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की गई।

19. राजभाषा का कार्यान्वयन

कंपनी, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का पालन कर रही है। अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और कंपनी में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई। इन बैठकों में चिंता का मुख्य क्षेत्र कर्मचारियों को हिंदी का प्रयोग और वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 के कार्यान्वयन में प्रोत्साहित करना था।

संसदीय राजभाष समिति ने आरईसी परियोजना कार्यालय, हैदराबाद का 9 अप्रैल, 2015 को और आरईसी कॉरपोरेट कार्यालय का 21 जनवरी, 2016 को निरीक्षण किया। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने कॉरपोरेट कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए कॉरपोरेट कार्यालय के 9 प्रभागों और 6 परियोजना कार्यालयों का आंतरिक निरीक्षण किया गया।

आरईसी के सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में राजभाषा नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नोडल हिंदी अधिकारी नामित किए गए।

कंपनी में 14 सितंबर से 28 सितंबर, 2015 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें 9 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और इन प्रतियोगिताओं में विभिन्न श्रेणियों में 47 कर्मचारियों ने पुरस्कार जीते।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कारपोरेट कार्यालय में हिंदी अभ्यास पर आधारित कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 125 कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, आरईसी के आंचलिक कार्यालय, बेंगलुरुमें आरईसी के 'ग' क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 19-20 अगस्त, 2015 को एक आंचलिक हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संबंधित कार्यालयों के नोडल हिंदी अधिकारियों सहित 19 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कंपनी द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रभाषा स्वाभिमान न्यास द्वारा इसे "राजभाषा गौरव सम्मान" प्रदान किया गया।

हिंदी में कार्य करने का सहज वातावरण सृजित करने और मूल कार्य हिंदी में करने के लिए, पुस्तकें जैसे कि अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अग्रेजी शब्दकोश, साहयता और संदर्भ साहित्य, तकनीकी शब्दकोशों का व्यापक रूप से प्रचार किया गया। इसके अतिरिक्त, पुस्तकों की खरीद के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत का व्यय हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों की खरीद पर किया गया है।

20. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

20.1 ऊर्जा संरक्षण

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'स्कोप कॉम्प्लेक्स' में स्थित है, जहां सभी सिविल, विद्युतीय संस्थापन और अनुरक्षण स्थायी लोक उद्यम समिति (स्कोप) द्वारा किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रभावी मॉनीटरिंग के कारण, स्कोप ने ₹ 5.24 लाख यूनिट के लगभग बिजली की खपत कम करके ₹ 57 लाख की बचत की है जो चिलिंग यूनिट, एलीवेटरों और ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने, परंपरागत लाइट फिटिंग को बदलने, सीएफएल आदि को एलईडी लाइट फिटिंग से बदलकर और स्केप के पास विद्युत फैक्टर बनाए रखने जैसे कार्यों की शुरुआत से संभव हुआ है।

इसके अलावा, स्कोप में स्थित आरईसी के कॉरपोरेट कार्यालय में परंपरागत लाइट फिटिंग को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिटिंग से बदलने के कारण, आरईसी ने विद्युत के 82,135 यूनिटों की बचत की है, जिससे वर्ष के दौरान ₹ 6,80,186/- की बचत हुई।

20.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी। तथापि, ब्याज, वित्तीय प्रभारों तथा अन्य व्ययों के कारण वित्त वर्ष के दौरान ₹ 661.03 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

21. सहायक कंपनियां

वितरण, पारेषणआदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) हैः

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनः यू40101डीएल2007जीओआई165779)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन : यू40101डीएल2007जीओआई157558)

इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार पारेषण सेवा प्रदाता (टीएसपी) का विकासकर्ता के रूप में चयन करने के लिए टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में समय-समय पर परियोजना का विकास आरंभ करने के उद्देश्य से आरईसीटीपीसीएल को स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं का आबंटन करता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्य पारेषण परियोजना का विकास आरंभ करने के लिए आरईसीटीपीसीएल परियोजना विशिष्ट विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हुई वाहन (एसपीवी) को पूर्णतया स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के द्वारा सफल बोलीदाता के चयन के बाद अधिसूचित पारेषण परियोजनाओं को इसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व की निम्नलिखित सहायक कंपनियों के रूप में विद्यमान हैः

1. नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनः यू40104डीएल2012जीओआई245654)*
2. बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) (सीआईएनः यू40106डीएल2013जीओआई247564)*
3. एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनः य40300डीएल2015जीओआई284168)
4. नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड (एनकेटीएल) (सीआईएनः यू40103डीएल2015जीओआई287880)
5. खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) (सीआईएनः यू40300डीएल2015जीओआई287933)
6. दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (डीटीसी) (सीआईएनःयू40300डीएल 2015 जीओआई 28066)
7. एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनः यू40106डीएल2015जीओआई279300)

* कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा ने ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड और बैरा स्यूल ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया है और दोनों ही कंपनियां विघटित हो गई हैं। इसके अलावा, आरओसी ने दिनांक 25, मई, 2016 को नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड के संबंध में और दिनांक 16 जुलाई, 2016 को बैरा स्यूल ट्रांसमिशन लिमिटेड के संबंध में विघटन प्रमाणपत्र जारी कर दिया है।

इसके अलावा, 400 मेगा वाट के एलटीए के लिए 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए पारेषण, नेवेली में टीएस-I (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस), जिसे राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 9 जुलाई, 2014 के अनुसार अधिसूचित किया गया था, परियोजना के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 24 जुलाई, 2015 की अधिसूचतना के द्वारा डिनोटिफाई कर दिया है।

21.1 आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने न केवल अपने प्रमुख कारोबार जैसे कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई), सामग्री निरीक्षण और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य किया है, बल्कि आर-एपीडीआरपी भाग-क और आरईसी की सीएसआर पहलों के एक भाग के रूप में स्वच्छ अभियान के तहत पूरे भारत में स्कूलों में शौचालयों (परंपरागत और प्रीलैब प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करके) के निर्माण से संबंधित टर्नकी कार्यों के निष्पादन में परियोजना कार्यान्वयन की दिशा में गुणवत्ता का बेंचमार्क भी स्थापित किया है। आरईसीपीडीसीएल द्वारा किए गए कार्यों की सामान्य तौर पर सभी मंचों पर और विशेष रूप से हमारे मूल्यवान ग्राहक के रूप व्यापक सराहना हुई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैः

1) गोवा विद्युत विभाग के संबंध में आर-एपीडीआरपी भाग-क के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों का कार्यान्वयन

आरईसीपीडीसीएल ने गोवा विद्युत विभाग (जीईडी) के लिए आर-एपीडीआरपी भाग-क के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की दिशा में उत्कृष्ट कार्य किया है और एक वर्ष की रिकार्ड लघु अवधि में पायलट टाउन के रोल-आउट की दिशा में बेंचमार्क स्थापित किया है।

आरईसीपीडीसीएल ने उत्तम पारदर्शिता और गुणवत्ता के उच्च मानक कायम रखते हुए निर्धारित ई-टेंडर प्रक्रिया और रिवर्स नीलामी द्वारा विभिन्न हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ सेवाओं जैसे कि सर्वर, स्टोरेज सबसिस्टम, यूपीएस, डेस्कटॉप, पिंटर, डीजीपीएस सर्वे, जीआईएस सॉफ्टवेयर, नेटवर्क विश्लेषण मॉड्यूल आदि की खरीद की है।

31 दिसंबर, 2016 तक किए गए कार्यों में उपभोक्ता सूचकांक (पणजिम और मरमागांव नगर में) आधार-लाइन डाटा सिस्टम का निर्माण, जीआईएस मानचित्रण, स्वचलन संस्थापन, वितरण पारेषण और फीडरों संबंधी मीटर रीडिंग (एएमआर), सभी सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों यथा सर्वरों, स्टोरेज, क्रिटिकल यूपीएस आदि में डेटा केंद्र और डाटा पुनःप्राप्ति केंद्र की स्थापना, उप-प्रभागीय कार्यालयों और पणजिम, मापुसरा तथा मरमागांव नगर में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का संस्थापन शामिल है।

2) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अधीन परियोजना मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में काम करना

आरईसीपीडीसीएल विभिन्न डिस्कॉमों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) तैयार करने के कार्य में लगी है, अर्थात-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल); दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल); मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीसीएल); पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल); असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल); मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल); छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल); बंगलौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीएल); हुबली इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीएल); चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (सीईएससीओएम); गुलबर्गा इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (जीईएससीओएम), मंगलौर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एमईएससीएल) और दि हुक्केरी रूरल इलेक्ट्रिक को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआरईसीएस)।

3) नई पहलें और भावी कार्य

आरईसीपीडीसीएल और अधिक विविध कारोबार अवसर प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। विचाराधीन अवसर निम्नलिखित हैः

क. पूरे देश में एलईडी आधारित प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं और सौर पीवी (ऑफ ग्रिड/ग्रिड संयोजनीयता) परियोजनाओं आदि के लिए विभिन्न एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का कार्य।

ख. डीडीयूजीजेवाई और जम्मू तथा कश्मीर विद्युत विभाग के अधीन परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी);

ग. भावी कारोबार उद्यम : आरईसीपीडीसीएल विभिन्न जोरदार और प्रौद्योगिकी परामर्श और कारोबार कार्यान्वयन जैसे कि स्मार्ट ग्रिड और मिनि ग्रिड कार्यान्वयन आदि की दिशा मेंयोजना बना रही है और इन पर केंद्रित है।

वर्ष 2007 में अपनी स्थापना के वर्ष से ही कारोबार के परंपरागत क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन की प्राप्ति के बावजूद, आरईसीपीडीसीएल, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, विभिन्न विषयों में कारोबार प्राप्त करने में सफल रहा है, जैसे कि (i) असम में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर परियोजनाएं); (ii) ऊर्जा दक्ष परियोजनाएं; और (iii) अविद्युतीकृतगांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की मॉनीटरिंग।

(i) नवीकरणीय ऊर्जा/एसपीसी परियोजना

पर्यावरण बचाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, आईईसीपीडीसीएल ने रूफ टॉप सौर परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कंपनी ने असम में असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) के कार्यक्षेत्र में 145 दूरस्थ गांवों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है।

(ii) ओडिशा सौर परियोजना

मैसर्स पूणम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को संविदा सौंपा गया है। सौंपे गए सभी 16 स्कूलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। संविदाकार ने नक्शा प्रस्तुत कर दिया है, समय अनुसूची योजना, सामग्री का बिल, सभी सौर मदों का आदेश और 16 परियोजना स्थलों के लिए उपकरण का कार्य चल रहा है।

(iii) निधि प्रबंधन

आरईसीपीडीसीएल ने अपने सेवा के पोर्टफोलियों में और विस्तार किया है तथा उसने अपने वर्तमान विषयों में निधि प्रबंधन को शामिल करके नई ऊंचाई को छुआ है। आरईसीपीडीसीएल वर्तमान में, ऊर्जा दक्ष कार्यालय (बीईई) ऊर्जा दक्षता पोर्टल जोखिम आश्वासन निधि के प्रबंधन की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। बीईई के साथ 16 जुलाई, 2015 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में आरईसीपीडीसीएल की बढ़ रही उपस्थिति के साथ एक ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में अब यह बीईई से संबद्ध है, जिसका दृष्टिकोण ऊर्जा दक्षता बाज़ार में और सक्रिय भागीदारी है।

(iv) औविद्युतकृत गांवों (यूईवी) के विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) सभी 18,452 अविद्युतीकृत (यूई) गांवों का विद्युतीकरण मिशन मोड में करने का निर्णय लिया है और अविद्युतीकृत गांवों को मार्च, 2017 तक विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विद्युत मंत्रालय ने अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और आरईसी ने दिन-प्रति दिन से संबंधित मॉनीटरिंग, वेबसाइट का अनुरक्षण और अद्यतनीकरण, आरईपी मोबाइल अनुप्रयोग (गर्व ऐप) का विकास, नियंत्रण कक्ष स्थापित करना, कॉल सेंटर और अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के दौरान निगरानी का कार्य अपने पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल को सौंपा है।

अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य की प्रगति की प्रभावी और तीव्रतम तरीके से मॉनीटरिंग के लिए, आरईसीपीडीसीएल ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फील्ड में अपने संबंधित जिले में कार्य की प्रगति को जांचने के लिए 75 इंजीनियरों को "जिला विद्युत अभियंताओं" तथा 415 इंजीनियरों को ब्लॉक/जिला स्तर पर देश भर के विभिन्न राज्यों में क्षेत्र में "ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए)" के रूप में तैनात किया है। आरईसीपीडीसीएल ने अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण की वास्तविक समय प्रगति की निकटता से मॉनीटरिंग के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप्लिकेशन अर्थात "ग्रामीण विद्युतीकरण-गर्व" विकसित किया है।

सभी जीवीए को सौंपे गए कार्य को प्रभावी रूप से और समयबद्ध रूप से पूरा करने और साथ ही गर्व ऐप में रियल टाइम चित्र लेने, वीडियो बनाने के लिए नवीनतम और उन्नत प्रौद्योगिकी से युक्त टैबलेट प्रदान किए गए हैं ताकि पूरे देश में कोई भी प्रगति की मॉनीटरिंग कर सके।

जीवीए द्वारा खींचे गए चित्र, बहु-स्तर की जांच और परियोजना कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय स्तर के अनुमोदन के पश्चात वीडियो गर्व ऐप में प्रकाशित किए जाते हैं। कोई गांव गर्व ऐप पर केवल तब विद्युतीकृत घोषित किया जाता है जब इसे डिस्कॉम द्वारा विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाता है और इसे जीवीए द्वारा जांच करने पर विद्युतीकृत पाया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आईसी ने 7,000 अविद्युतीकृत गांवों के आंतरिक विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 7,108 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया है। इसके अलावा, 11 अगस्त, 2016 की स्थिति के अनुसार, 10,006 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	कुल अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत	निर्जन गांव	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	दौरा किए गए कुल गांव	जीवीए द्वारा दौरा किए गए कुल गांव
1	18,452	10,006	525	7,921	16,597	46,401

स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए)

आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी) ने प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को किए गए आह्वान पर 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' (एसवीए) के अधीन बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब राज्यों के 26 जिलों के 7,096 स्कूलों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित कार्य की मॉनीटरिंग के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। 7,096 शौचालयों के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग ₹ 110 करोड़ है।

स्कॉच स्मार्ट प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2015

'स्वच्छ विद्यालय अभियान' (एसपीए) के तहत शौचालयों के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आलोक में, आरईसीपीडीसीएल को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से सराहना प्राप्त हुई है और इसे 11 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत और यूई मिशन संबंधी स्कॉच स्मार्ट प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2015 समारोह में 'स्कॉच स्मार्ट प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया है। आरईसीपीडीसीएल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के कारण, यहां तक कि कुछ अशांत क्षेत्रों में भी, आरईसीपीडीसीएल को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में शौचालयों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

एक सूचना प्रौद्योगिकी पहल के रूप में, स्वच्छ विद्यालय अभियान परियोजना और विभिन्न राज्यों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित संविदाकारों को माइलस्टोन-वार अदायगी का डाटा/रिपोर्टों के ऑनलाइन स्टोरेज के लिए एक आंतरिक पोर्टल निर्मित किया गया है। आरईसीपीडीसीएल ने जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न स्थानों पर महत्त्वपूर्ण डाटा के नियमित बैक अप बनाए रखने के लिए बैकअप नीति कार्यान्वित की है।

ओएचएसएएस 18001 : 2007 प्रमाणन

आईएसओ 9001:2008 और आईएसओ 14001:2004 के अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए कॉरपोरेट कार्यालय, दिल्ली में प्रशासनिक और अन्य संबद्ध क्रियाकलाप करने के लिए आरईसीपीडीसल को ओएचएसएएस 18001:2007 प्रदान किया गया है।

समझौता ज्ञापन मूल्यांकन

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा होल्डिंग कंपनी अर्थात रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में वर्ष 2013-14 का आरईसीपीडीसीएल के निष्पादन को "उत्कृष्ट" मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए भी "उत्कृष्ट" मूल्यांकन प्राप्त होने की आशा है।

आरईसीपीडीसीएल का वित्तीय कार्य-निष्पादन

कंपनी का कार्य-निष्पादन अपने पथ पर तेजी से अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी का कुल राजस्व 73% बढ़कर पिछले वर्ष के ₹ 87.79 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 151.54 करोड़ हो गया है। कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 6% बढ़कर पिछले वर्ष के ₹ 52.52 करोड़ की तुलना में ₹ 55.44 करोड़ हो गया है। इसके अलावा, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 4% बढ़कर पिछले वर्ष के ₹ 34.77 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹ 36.17 करोड़ हो गया है। आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने पिछले वर्ष के 100/- ₹ प्रति शेयर (केवल एक सौ रुपए), जो कंपनी की पिछले वर्ष प्रदत्त पूंजी का 1,000% को द्योतक है, प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के मूल्य वाले), जो वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 21,705.60% का द्योतक है, ₹ 2,170.55 (केवल दो हजार एक सौ सत्तर रुपए और छप्पन पैसे केवल) का लाभांश घोषित किया है, जोकि कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के अध्यधीन है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कुल अदा किया गया लाभांश ₹ 10.85 करोड़ (लाभांश वितरण कर सहित) है।

21.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई, 2015 और 17 नवम्बर , 2015 के द्वारा आरईसीटीपीसीएल को विकासकर्ता का चयन करने के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में काम करने के लिए कुल अनुमानित ₹4,700 करोड़ आबंटित किए:

(i) उत्तरी क्षेत्र (एनआरएसएस-XXXVI) में बबई में सिकर-नीमराना 400 केवी डी/सी लाइन (जारआरवीपीएनएल) सहित एलआईएलओ प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना ।

(ii) एनटीपीसी की उत्पादन परियोजना उत्तरी कर्णपुरा (3x600 मेगा वाट) का तत्काल परित्याग और धनबाद में 400/220 केवी उप-केंद्र का निर्माण - जेयूएसएनएल (ईआरएसएस-XIX) का प्रस्ताव।

(iii) खरगोन टीपीपी (1320 मेगावाट) से संबद्ध पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण।

(iv) अरुणाचल प्रदेश में चरण-I उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणाली।

(v) एनईआर प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-II (भाग-ख) और V

इसके अलावा, पारेषण सेवा प्रदाता के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु प्रत्येक पारेषण परियोजना के लिए अर्हता के लिए अलग निवेदन वाली दो चरणो की निविदाकरण प्रक्रिया और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दर आधारित प्रतियोगी बोलीकरण प्रक्रिया के अनुसरण में अंगीकार किए गए हैं। बोलीदाता के सफलतापूर्वक चयन के बाद, संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को इसकी संपूर्ण परिसंपत्तियों और देयताओं सहित सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाता है।

उपर्युक्त क्रम सं. (i) से (v) पर सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए, आरईसीटीपीसीएल ने 18 अगस्त, 2015 को एनआरएसएस-XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम में परियोजना विशिष्ट एसपीवी, 27 नवंबर, 2015 को नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड, 28 नवंबर, 2015 को खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड और 02 दिसंबर, 2015 को दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड निगमित की।

उपर्युक्त क्रम सं. (v) पर सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए, सीईए ने दिनांक 9 फरवरी, 2015 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा आरईसीटीपीसीएल को "एनईआर प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-II" के लिए आरंभिक रूप से बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में अधिसूचित किया। तदनुसार, 21 अप्रैल, 2015 को एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम में एसपीवी अधिनिगमित किया गया। इसके बाद, अधिकारप्राप्त समिति ने 14 सितंबर, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना क्षेत्र को संशोधित कर दिया और अन्य पारेषण परियोजना में मिला दिया तथा इसे 'एनईआर प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-II(भाग-ख) और V' नाम दिया गया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित योजना को दिनांक 17 नवंबर, 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा आबंटित किया गया है।

निम्नलिखित पारेषण परियोजनाओं की बोलीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और संबंधित एसपीवी को सफल बोलीदाता को, जैसाकि नीचे ब्योरा दिया गया है, अंतरित (अप्रैल, 2015 से) कर दिया गया है:

क्रम सं.	पारेषण परियोजना का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	परियोजना विशिष्ट एसपीवी के अंतरण की तारीख
1	एनटीपीसी (भाग-क) की गडरवारा एसटीपीएस (2 X 800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	गडरवारा (क) ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24 अप्रैल, 2015
2	एनटीपीसी (भाग-ख) की गडरवारा एसटीपीएस (2 X 800 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली	गडरवारा (ख) ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24 अप्रैल, 2015
3	महेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग एस/एस की संयोजनीयता लाइनें	महेश्वरम ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स स्टर्लाइट ग्रिड 3 लिमिटेड	20 अगस्त, 2015
4	वेमागिरी के परे पारेषण प्रणाली का संवर्धन	वेमागिरी II ट्रांसमिशन लिमिटेड	मेसर्स पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4 दिसंबर 2015
5	भूटान में नई एचईपी से भारतीय प्रणाली को अंतरण हेतु पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	अलिपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड	मैसर्स कल्पतरूपावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6 जनवरी, 2016
6	एनटीपीसी की उत्पादन परियोजना उत्तरी कर्णपुरा (3x600 मेगा वाट) का तत्काल परित्याग और धनबाद में 400/220 केवी उप-केंद्र का निर्माण (ईआरएसएस-XIX½-जेयूएसएनएल का प्रस्ताव।	नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड	मैसर्स अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड	8 जुलाई, 2016

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, आईसीटीपीसीएल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार और कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केईएससीओ) द्वारा समेकित विद्युत विकास योजना के संबंध में परियोजना प्रबंध एजेंसी के रूप में कार्य करने के हेतु लगा रहा है।

31 मार्च, 2016 को समापत वर्ष के दौरान, आरईसीटीपीसीएल ने ₹ 44.15 करोड़ की आय अर्जित की है। वर्ष के संबंध में कर-पूर्व लाभ और कर-पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 42.42 करोड़ और ₹ 28.80 करोड़ है। आरईसीटीपीसीएल का निवल मूल्य वर्ष 2007 में आरईसी की प्रारंभिक पूंजी ₹ 0.05 करोड़ की तुलना में ₹ 123.41 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में, आरईसीटीपीसीएल के निदेशक मंडल ने प्रत्येक ₹ 10/- के मूल्य वाले शेयर पर ₹ 1,730 करोड़, अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 17,300%, का लाभांश घोषित किया है, जोकि ₹8.65 करोड है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

22. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्योरे

आरईसी ने तीन अन्य सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों अर्थात पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर दिनांक 10 दिसंबर, 2009 को एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है। कंपनी ने 31 मार्च, 2016 तक ₹ 47.50 करोड़ (ईईएसएल की प्रदत्त पूंजी का 28.8%) का अंशदान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, ईईएसएल में 25 अप्रैल, 2016 को आरईसी का निवेश बढ़कर प्रत्येक ₹ 10/- के 14,65,00,000 इक्विटी शेयर हो गया था। तदनुसार, आज की तारीख तक आरईसी के पास ईईएसएल के प्रदत्त इक्विटी शेयर का 31.7% धारण है।

ईईएसएल का गठन विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाज़ार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाज़ार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। कंपनी के व्यवसाय संबंधी मूलभूत तत्वों में अन्यों के अलावा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम), नगरपालिका मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम), वितरण ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, भवन, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई), परफॉर्म एचीव एंड ट्रेड-ज्वाइंट इम्पलीमेंटेशन प्लान (पीएटी-जेआईपी), कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े क्रियाकलापों इत्यादि में ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) विधि में परियोजनाएं क्रियान्वित करना शामिल है।

वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न नगरपालिका निगमों के साथ नगरपालिका स्ट्रीट लाइट गली प्रकाशन परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेट प्रतिस्थापित करने के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न कंपनियों की यूटिलिटियों और सीएसआर परियोजनाओं सहित ईएससीओ मोड में सभी घरेलू आवासीय क्षेत्र में वहनीय कीमत पर एलईडी प्रदान करके घरेलू दक्ष प्रकाशव्यवस्था कार्यक्रम (डीईएलपी) उन्नत ज्योति और विभिन्न कंपनियों की सीएसआर परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

वर्ष के दौरान ईईएसएल के कार्य-निष्पादन में सुधार आया है तथा कंपनी का वित्तीय कार्य-निष्पादन संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कंपनी का कुल राजस्व पिछले वर्ष के ₹71.11 करोड़ की तुलना में ₹ 714.40 करोड़ है। कर-पश्चात लाभ (पीबीटी) पिछले वर्ष के ₹ 13.57 करोड़ की तुलना में ₹ 49.60 करोड़ है। इसके अलावा, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) पिछले वर्ष के ₹ 9.06 करोड़ की तुलना में ₹ 32.89 करोड़ हो गया है।

23. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और लेखाकरण मानक-21 के अनुसरण में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीटीपीसीएल और आरईसीपीडीसीएल और संयुक्त उद्यम कंपनी ईईएसएल सहित समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसे 47वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सहित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, आरईसीटीपीसीएल द्वारा निगमित पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसरण में आरईसी द्वारा तदनंतर निपटान के लिए निगमित किया गया है, को कंपनी के वित्तीय विवरण में समेकित नहीं किया गया है, कंपनी के वित्तीय विवरणों में समेकित नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उप-धारा (3) के अनुसरण में सहायक कंपनियों और संयुक्त कंपनी के फार्म एओसी-1 में वित्तीय विवरण की मुख्य झलक वाले विवरण का भाग हैं।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण इस कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। तथापि, ये दस्तावेज़, कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

24. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर) निर्धारित सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/ सदस्यता शुल्क के ब्योरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा योग्यताएं, सकारात्मक गुण निर्धारित करने और निदेशकों की स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी नीति बनाने के लिए मापदंड बनाने संबंधी अपेक्षाओं से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ने न तो इस्तीफा दिया है और न ही किसी को नियुक्त किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय के दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के आदेश के अनुसरण में, कंपनी ने श्री बद्री नारायण शर्मा के स्थान पर डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डीआईएनः 02190047) को सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त किया है। क्योंकि, डॉ. वर्मा, कंपनी के शेयरधारण के कारण केंद्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है।

श्री प्रकाश ठक्कर (डीआईएनः 01120152) के त्यागपत्र के कारण, वे दिनांक 12 अक्तूबर, 2015 से कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक नहीं रहे और विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 के आदेश के द्वारा श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः 03464342) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, अर्थात 16 अक्तूबर, 2015 से पांच वर्ष की अवधि तक अथवा अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 13 नवंबर, 2015 के आदेश के द्वारा तीन अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, नामतः श्री अरुण सिंह (डीआईएनः 00891728), श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार (डीआईएनः 00871792) और प्रोफेसर टी.टी. राम मोहन (डीआईएनः 00008651) अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हों, भी नियुक्त किए। इसके अलावा, कंपनी के शेयरधारकों द्वारा भावी वार्षिक आम बैठक में निदेशक (तकनीकी) और स्वतंत्र निदेशक भी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82(4) के प्रावधानों की दृष्टि से, श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः 0221613) 47वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव देंगे। निदेशक मंडल उनके वर्तमान कार्यकाल के पूरा होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहलू हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे।

प्रस्तावित निदेशक का संक्षिप्त इतिवृत्त वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ संलग्न है।

25. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है। विनिमय केंद्र के साथ किए गए सूचीकरण करार के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मापदंड भी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित हैं।

तथापि, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों में सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह निदेशकों की नियुक्ति, उनकी पारिश्रमिक नीति और कुछ मामलों में उनके निष्पादन का मूल्यांकन करे। इसके अलावा, सरकारी कंपनियों के मंडल के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करे, यदि उनका मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

आरईसी के सरकारी कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों सहित बोर्ड के सभी सदस्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

26. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की दृष्टि से आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94, अर्थात जब सरकार के साथ प्रथम एमओयू हस्ताक्षर किया गया था, से यह लगातार 22वां वर्ष है जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भी, कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होने की आशा है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने इंडिया टुडे से "तीव्रतम विकसित नवरत्न पीएसयू" प्राप्त किया और आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बिजनेस टुडे द्वारा स्थापित सर्वोत्तम सीईओ की श्रेणी में "सर्वोत्तम सीईओ पुरस्कार" प्राप्त किया है।

27. निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियां

मंडल का गठन, विचारार्थ विषय और वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान हुई मंडल समितियों की बैठकों की संख्या के ब्योरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

28. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि:

(i) 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्त्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप से लागू किया गया है। वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में यथा प्रकटित लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को छोड़कर, तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत हैं ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सही और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; और

(vi) उपर्युक्त प्रणालियां बनाई गई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

29. "थिंक ग्रीन, गो ग्रीन" पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, तथा अन्य दस्तावेज़ अपने सदस्यों को भौतिक रूप में भेजने के अलावा उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की 'हरित (ग्रीन) पहल' के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग दिया है और वार्षिक आम बैठक की सूचना और 2010-11 से वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (पत्राचार) में भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी पहले ही संबंधित निक्षेपागार भागीदारी (डीपीएस) के पास पंजीकृत थे और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था। लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कंपनी के पंजीयक/शेयर अंतरण एजेंट (आरएडटीए)/संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत कराएं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना (पत्राचार) प्राप्त करने तथा 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' को समर्थित करने के लिए कंपनी की हरित पहल में भाग लें।

यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी भी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाली विधि द्वारा अपेक्षित सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज़ तथा कंपनी के लाभ एवं हानि लेखे और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है।

इसके अलावा, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। ई-मतदान के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस सूचना में दिए गए हैं।

30. स्वच्छ भारत अभियान

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, आरईसी ने तक स्कोप और कंपनी के अन्य कार्यालयों में 25 सितंबर, 2015 से 11 अक्तूबर, 2015 तक विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम अर्थात "स्वच्छता अभियान" (राष्ट्रीय सफाई अभियान) और 22 जून, 2015 से 26 जून, 2015 "स्वच्छ भारत अभियान" आयोजित किए। सफाई कार्यक्रमों के दौरान, कर्मचारियों और आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यालय और परिसरों के आसपास इश्तहार और पोस्टर लगाए गए। आरई के सभी कर्मचारियों ने महान उत्साह और जोश के साथ भाग लिया और उनके संबंधित कार्यालय परिसरों, शौचालयों, सीढ़ियों, लिफ्टों और अन्य आसपास के क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। रिकार्ड रखने की अनुसूची के अनुसार, पुराने और अवांछित रिकार्ड की छंटाई की गई। 5,000 किलोग्राम बेकार सरकारी कागज-पत्र, पत्रिकाएं, पीरियडिकल्स, मसौदा रिपोर्टों आदि का निपटान किया गया। स्वच्छता संबंधी जागरूकता सृजन के लिए कंपनी में अभी प्रयोग में लाए जा रहे आरईसी के सभी सभी फाइल कवरों, लिफाफों और पत्र शीर्षों पर "स्वच्छ भारत मिशन" मुद्रित कराया गया। स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है और यह आरईसी में जारी रहेगी।

31. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वय करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार हैः

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त हुए आवेदन पत्र (31 मार्च, 2016 तक)	345
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र (31 मार्च, 2016 तक)	322
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	23
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	25
5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	25
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	5
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपील सूचनाएं	5

32. चौकसी तंत्र (विजिल मेकैनिज्म) की स्थापना

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिनांक 17 मई, 2004 के जारी किए गए आदेश संख्या 33/5/2004 द्वारा जारी संकल्प "लोक हित प्रकटन और सूचनादाता की सुरक्षा" (पीआईडीपी) को अपनाया है और इसे सतर्कता प्रभाग द्वारा जारी "सतर्कता संबंधी पुस्तिका" में शामिल किया गया है। आरईसी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक अलग "व्हिस्लब्लोअर नीति" अपनाई है।

33. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के अधीन रिपोर्टिंग

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्वाधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक क्रय नीति आदेश, 2012 में सभी निर्देशों को आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया गया है और इसे आरईसी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/images/pdf.files/Public_Procurement_Policy.pdf पर लिंक पर अपलोड कर दिया गया है।

वित्तीय संस्था होने के कारण आरईसी कोई परियोजना निष्पादित नहीं कर रहा है। अतः छोटे विक्रेताओं से लेखनसामग्री और कार्यालय उपकरण जैसी केवल खुदरा खरीद की जाती है। तथापि, इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कोई वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

34. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अवस्थिति आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में बताई गई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

35. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में, वार्षिक विवरणी का सार फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

36. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्योरे

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्योरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में प्रकट किए गए हैं।

37. लेखापरीक्षक

सांविधक लेखापरीक्षक

मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002074एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002744सी), नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आपकी

कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) ने मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002074एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर. एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002744सी), नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स चंद्रशेखरन, एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव (पेशेवर प्रमाणपत्र संत्र 5673), नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार, उन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

37.1 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

यद्यपि कंपनी के लेखापरीक्षकों ने कंपनी के स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी कोई अर्हता, आरक्षण, विपरी टिप्पणी अथवा दावा नहीं किया है, परंतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को और सुदृढ़ करने के लिए कुछ टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों का उत्तर इस प्रकार हैः

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के खंड 'कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की 3 की उप-धारा के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी रिपोर्ट' के अनुलग्नक पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की मानक वित्तीय विवरण (अनुलग्नक-ग) और समेकित वित्तीय विवरण (अनुलग्नक-क) रिपोर्ट हमारी राय में, कंपनी ने सभी सामग्री पहलुओं, ऋणों और अग्रिमों के सुरक्षित और असुरक्षित के रूप में वर्गीकरण, ईआरपी प्रणाली में गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का विनिश्चय, संबंधित कार्यालयों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पुनर्निर्माण के कारण ऋणस्थगन में परिवर्तन, ऋणों का पुनर्वैधीकरण और गैर-उद्यम /नामंज़ूर/ऋण के आवेदनपत्रों का समय अनुसूची में निपटान, को छोड़कर, एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली अपनाई है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में एक अलेखापरीक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तथापि, उन्होंने बोर्ड और इसकी समितियों के संघटन के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित हैः

सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी ने महिला निदेशक सहित मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में सूचीकरण करार और सेबी (सूचीकरण कार्य और प्रकटन अपेक्षाएं) अधिनियम, 2015 की धारा 49 साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। 2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सूचीकरण करार की धारा 49 के साथ पठित धारा 177 और 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। 3. कंपनी ने, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के संघटा के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का अनुपालन नहीं किया है।	आरईसी सरकारी कंपनी है और कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अंतर्नियम 82 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मंडल के निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का संघटन, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 और केंद्रीय क्षेत्रक उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश 22 दिसंबर, 2015 से लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में तीन कार्यपालक निदेशक, तीन स्वतंत्र निदेशक और सरकार द्वारा नामित एक निदेशक हैं और कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक का एक पद विद्यमान है। कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हो जाने बाद, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) नियमावली, 2015 और केंद्रीय क्षेत्रक उद्यमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन वाली कंपनी हो जाएगी।

38. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 22 जुलाई, 2016 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के अधीन 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य' टिप्पणी दी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई हैं।

39. ऋण-पत्र (डिबेंचर) न्यासी

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्गत बांडों की भिन्न-भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्योरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

40. सांविधिक प्रकटन

(क) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

(ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नहीं किए गए, जो चल रहे चिंता के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

(घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया जिससे विभिन्न लेन-देनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्योरों के लिए, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसार, अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों का वित्तपोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में रत कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई सेक्युरिटी कंपनी पर लागू नहीं है, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, निवेश के ब्योरे स्टैंडअलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी 10 में दिए गए हैं।

(च) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(छ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्त वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए।

(ज) कंपनी ने निदेशकों अथवा किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

41. गुड़गांव में कॉरपोरेट कार्यालय की नई बिल्डिंग की स्थिति

आरईसी के प्रस्तावित कारपोरेट कार्यालय भवन का संकल्पनात्मक दृश्य

सिटी सेंटर, सेक्टर-29, गुडगांव में राज्य ललित कला कार्यालय भवन के निर्माण का कार्य अप्रैल, 2015 में शुरू हुआ था। प्रस्तावित भवन गृह 5 स्टार, निवल सकारात्मक भवन की योजना इस तरह बनाई गई है कि हवादार और जैविक आधारित आबोहवा वाला अग्रभाग, रेज्ड फ्लोरिंग, स्लैबों के लिए रैडिएंट कूलिंग ताकि वातानुकूलन में विद्युत की खपत कम हो, समेकित भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), सेंसर नियंत्रित प्रकाश व्यवस्था, मोटरयुक्त ब्लाइंड्स जैव-जलवायु फैस्केड, छत के ऊपर सौर फोटो वोल्टैलिक परगोला, सभागार और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकियों की विशेषताएं हैं।

ग्लोबल आर्चिटेक्चरल डिजाइन प्रतियोगिता द्वारा चयनित मैसर्स चेल्सिया वेस्ट आर्चिटेक्ट, न्यू यार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) भवन के वास्तुविद हैं। मैसर्स टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) परियोजना के परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता और मैसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड परियोजना के संविदाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त 11 वेंडरों के अतिरिक्त, वर्तमान में 8 परामर्शदाता-उप-परामर्शदाता परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। परियोजना को विशेष महत्व प्रदान करते हुए, आरईसी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली को भवन के अवसंरचना डिजाइन के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त किया है।

31 जुलाई, 2016 तक, बेसमेंट दो और तीन में आरसीसी कार्य पूरा कर लिया गया है। बेसमेंट एक में आरसीसी कार्य चल रहा है और बेसमेंट तीन में सेवा कार्य भी शुरू कर दिया गया है। परियोजना वर्ष 2018 तक पूरी होने की सम्भावना है।

42. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 एवं लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित संशोधित सूचीकरण करारों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना निम्न रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

विवरण	अनुलग्नक
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV
कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी वार्षिक रिपोर्ट	VI
वार्षिक विवरणी का सारांश	VII
संबंधित पक्षकारों सहित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण	VIII
बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र के ब्योरे	IX

43. आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कंपनी के निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण, कंपनी के प्रतिष्ठित शेयरधारकों, आरईसी के बांडों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण, सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी और मैसर्स ए.आर. एंड कंपनी, सचिवालयी लेखापरीक्षकों मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण, लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00973413)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

तालिका-1 : आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ब्योरे/राज्य	योजनाओं/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**		
1	बिहार	0	74,090.00
2	पंजाब	1	3,683.00
3	तमिल नाडु	1	1,63,257.50
4	तेलंगाना	2	17,27,483.00
5	उत्तर प्रदेश	1	6,30,313.00
6	प्राइवेट (उत्पादन)	0	1,84,018.00
	उप-जोड़ (क)	**5**	**27,82,844.50**
ख.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	2,48,000.00
2	प्राइवेट (विद्युत उत्पादन)	10	48,572.00
	उप-जोड़ (ख)	**11**	**2,96,572.00**
ग.	**टी एवं डी परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	45	3,97,641.47
2	बिहार	31	14,764.63
3	छत्तीसगढ़	28	57,864.43
4	दिल्ली	14	62,542.14
5	हरियाणा	72	1,33,150.98
6	हिमाचल प्रदेश	22	31,171.85
7	जम्मू एवं कश्मीर	2	217.54
8	कर्नाटक	45	1,15,730.38
9	केरल	4	4,347.24
10	मध्य प्रदेश	1	41,070.00
11	महाराष्ट्र	63	1,60,251.75
12	मेघालय	1	1,268.10
13	पंजाब	33	67,759.47
14	राजस्थान	19	1,09,898.78
15	सिक्किम	0	1,887.00
16	तमिल नाडु	22	3,15,738.98
17	तेलंगाना	85	5,13,683.17
18	उत्तर प्रदेश	75	2,08,004.40
19	उत्तराखंड	12	65,868.88
20	पश्चिम बंगाल	5	44,376.60
21	प्राइवेट (टी एवं डी)	0	15,523.00
	उप-जोड़ (ग)	**579**	**23,62,760.79**
घ.	**लघु अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण एवं विशेष ऋण सहायता**		
1	आंध्र प्रदेश	3	1,60,000.00
2	असम	1	8,433.00
3	हरियाणा	2	20,000.00
4	कर्नाटक	1	11,500.00
5	मध्य प्रदेश	4	90,000.00
6	मेघालय	1	5,000.00
7	पंजाब	8	1,90,000.00
8	राजस्थान	2	65,000.00
9	तेलंगाना	2	50,000.00
10	उत्तर प्रदेश	4	4,55,000.00
11	पश्चिम बंगाल	1	25,000.00
12	प्राइवेट (एसटीएल)	1	25,000.00
	उप-जोड़ (घ)	**30**	**11,04,933.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**625**	**65,47,110.29**

टिप्पणी : उपर्युक्त स्वीकृतियों में डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं।

तालिका-2 : आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान स्वीकृत श्रेणी-वार योजनाओं को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	योजनाओं/परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क	**विद्युत उत्पादन**		**5**	**27,82,844.50**
ख	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	सौर पीवी	एसपीवी	9	2,85,217.00
2	पवन	पवन	1	8,663.00
3	बायोमास	बायोमास	1	2,692.00
	उप-जोड़		**11**	**2,96,572.00**
ग	**टी एवं डी**			
	वितरण			
1	सिस्टम सुधार	एसआई	171	7,18,681.41
2	बल्क	बल्क	90	3,82,999.91
3	सघन विद्युतीकरण	आईई	32	53,585.33
4	आर-एपीडीआरपी	आरएपीडीआरपी	36	1,31,791.97
	पारेषण		250	10,75,702.17
	उप-जोड़		**579**	**23,62,760.79**
घ	**एसटीएल, एमटीएल और विशेष ऋण**		**30**	**11,04,933.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)		**625**	**65,47,110.29**

टिप्पणी : उपर्युक्त स्वीकृतियों में डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं।

तालिका-3 : आरईसी द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 तक दी गई संचयी राज्य-वार स्वीकृतियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ब्योरे/ ब्योरे/राज्य	2001-02 तक		10वीं योजना		11वीं योजना		12वीं योजना 2015-16 तक		2015-16 तक संचयी	
		परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	4,810	4,40,263.00	1,104	12,09,532.12	558	13,00,954.48	399	31,47,004.46	6,871	60,97,754.06
2	अरुणाचल प्रदेश	159	29,954.00	54	1,04,019.57	16	73,949.07	0	0	229	2,07,922.64
3	असम	393	32,984.00	33	30,404.38	20	1,50,196.78	1	8,433.00	447	2,22,018.16
4	बिहार	1,664	55,272.00	73	1,89,856.52	78	16,71,581.51	33	4,62,501.11	1,848	23,79,211.14
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	5,16,315.14	63	4,86,756.14	60	2,72,234.21	145	12,75,305.49
6	दिल्ली	2	817.00	6	47,323.00	1	3,63,707.00	15	72,542.14	24	4,84,389.14
7	गोवा	16	2,007.00	0	0	0	0	0	0	16	2,007.00
8	गुजरात	1,784	2,53,470.00	124	5,27,966.27	42	7,26,831.98	2	46,224.00	1,952	15,54,492.25
9	हरियाणा	1,209	1,16,989.00	148	3,95,304.36	253	9,57,795.03	305	10,30,208.15	1,915	25,00,296.54
10	हिमाचल प्रदेश	419	52,240.00	37	1,16,177.14	125	2,15,488.85	92	1,16,683.38	673	5,00,589.37
11	जम्मू एवं कश्मीर	500	67,243.00	34	93,791.86	69	1,62,056.63	43	1,04,416.77	646	4,27,508.26
12	झारखंड	0	0	27	1,47,602.49	12	2,55,580.82	0	0	39	4,03,183.31
13	कर्नाटक	2,384	3,07,390.00	472	3,88,445.49	213	12,76,890.39	291	14,67,390.23	3,360	34,40,116.11
14	केरल	1,454	2,42,741.00	297	2,41,884.17	20	1,04,897.17	87	3,45,451.25	1,858	9,34,973.59
15	मध्य प्रदेश	5,111	2,36,175.00	133	2,35,711.17	255	9,71,789.13	17	4,53,402.29	5,516	18,97,077.59
16	महाराष्ट्र	4,602	4,40,595.00	833	15,16,910.29	418	27,53,166.66	456	20,98,804.78	6,309	68,09,476.73
17	मणिपुर	146	20,696.00	3	9,462.64	2	9,169.22	13	3,988.00	164	43,315.86
18	मेघालय	105	19,351.00	4	31,571.20	10	44,645.16	4	21,268.10	123	1,16,835.46
19	मिजोरम	46	7,879.00	24	20,360.35	7	14,342.75	0	0	77	42,582.10
20	नागालैंड	71	7,791.00	23	5,648.47	36	28,107.67	0	0	130	41,547.14
21	ओडिशा	1,624	77,691.00	21	1,20,627.30	55	4,08,198.64	25	6,73,354.20	1,725	12,79,871.14
22	पुदुचेरी - संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12,506.79	1	6,358.18	3	18,864.97
23	पंजाब	1,303	2,59,737.00	216	6,57,148.09	125	11,61,462.31	206	13,38,925.28	1,850	34,17,272.68
24	राजस्थान	3,012	3,82,940.00	597	5,56,041.59	449	29,02,505.72	174	19,63,214.43	4,232	58,04,701.74
25	सिक्किम	36	2,910.00	4	5,625.82	2	3,101.08	0	1,887.00	42	13,523.90
26	तमिल नाडु	3,003	1,75,458.00	597	3,80,609.65	364	26,04,367.97	155	15,65,412.05	4,119	47,25,847.67
27	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	147	25,32,147.32	147	25,32,147.32
28	त्रिपुरा	172	15,732.00	6	36,373.77	3	11,188.99	0	0	181	63,294.76
29	उत्तरांचल	0	0	84	3,06,792.19	20	1,72,884.14	74	4,69,886.72	178	9,49,563.05
30	उत्तर प्रदेश	3,027	2,23,840.00	102	6,70,276.50	557	21,46,380.48	528	51,69,385.51	4,214	82,09,882.49
31	पश्चिम बंगाल	1,256	59,750.00	198	4,42,874.90	78	11,26,535.95	115	15,44,537.75	1,647	31,73,698.60
32	प्राइवेट टी एवं डी	0	0	9	4,955.00	10	1,07,084.96	7	3,08,429.54	26	4,20,469.50
33	प्राइवेट उत्पादन	6	3,347.00	19	6,02,002.57	64	50,66,680.00	17	22,50,940.00	106	79,22,969.57
34	प्राइवेट नवीकरणीय	0	0	0	0	0	0	31	1,60,213.99	31	1,60,213.99
35	प्राइवेट एसटीएल	0	0	0	0	0	0	2	75,000.00	2	75,000.00
	जोड़	**38,314**	**35,35,262.00**	**5,304**	**96,11,614.00**	**3,927**	**2,72,90,803.47**	**3,300**	**2,77,10,243.84**	**50,845**	**6,81,47,923.31**

टिप्पणी : (i) उपर्युक्त आंकड़ों में डीडीजीजेवाई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजी सब्सिडी और ऋण) केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक शामिल हैं।
(ii) 2014-15 में प्राइवेट उधारकर्ता को स्वीकृत एक एसटीएल संस्वीकृति को दिल्ली से निकालकर प्राइवेट एसटीएल में जोड़ दिया गया है।

तालिका-4 : वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य-वार एवं कार्यक्रम-वार संवितरण तथा कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2016 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ब्योरे/राज्य	पारेषण	वितरण	विद्युत उत्पादन - पारंपरिक	विद्युत उत्पादन - नवीकरणीय ऊर्जा	डीडीयूजीजेवाई-आरई (डीडीजी सहित)	एसटीएल	अन्य (एमटीएल और टीएफएल सहित)	वर्ष 2015-16 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2015-16 के अंत में बकाया राशि
											वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	1,40,278	1,61,758	81,225	-	133	-	-	3,83,394	21,80,070	1,00,364	12,00,266	9,79,804
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	24,394	661	20,684	3,710
3	असम	-	-	-	-	3,732	-	-	3,732	55,961	2,794	30,256	25,706
4	बिहार	26,353	-	2,54,525	-	6,234	-	-	2,87,112	7,40,892	3,294	48,926	6,91,965
5	छत्तीसगढ़	7,314	17,686	-	-	-	-	-	25,000	3,67,445	89,552	2,52,469	1,14,974
6	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	1,093	-	1,093	-
7	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	-	-	-	-	62	-	-	62	6,43,823	9,889	6,40,717	3,106
9	हरियाणा	17,601	39,022	1,125	-	-	-	49,500	1,07,248	14,69,797	69,136	5,86,795	8,83,003
10	हिमाचल प्रदेश	8,146	8,025	181	-	449	-	-	16,801	2,58,918	8,923	1,65,069	93,849
11	जम्मू एवं कश्मीर	-	1,634	-	-	-	-	-	1,634	1,29,565	8,382	92,520	37,046
12	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47,886	7,742	1,03,579	44,307
13	कर्नाटक	-	64,774	82,787	-	407	-	11,500	1,59,468	12,39,637	45,357	5,48,163	6,91,473
14	केरल	2,603	46,455	5,373	-	-	-	-	54,431	5,76,323	48,739	4,45,647	1,30,676
15	मध्य प्रदेश	-	36,421	-	-	3,273	45,000	45,000	1,29,694	7,90,481	86,344	2,87,910	5,02,572
16	महाराष्ट्र	66,005	1,94,289	6,116	-	-	-	-	2,66,410	37,26,759	2,39,518	14,15,681	23,11,079
17	मणिपुर	-	-	-	-	26	-	-	26	23,639	1,119	7,467	16,173
18	मेघालय	634	-	-	-	-	-	7,569	8,203	66,909	1,411	14,096	52,812
19	मिजोरम	-	-	-	-	207	-	-	207	27,177	388	24,554	2,622
20	नागालैंड	326	150	-	-	598	-	-	1,074	25,087	1,715	13,661	11,425
21	ओडिशा	9,032	-	27,829	-	5,052	-	-	41,913	2,32,454	2,177	1,31,794	1,00,660
22	पुदुचेरी - संघ राज्य क्षेत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	3,574	-	-	3,574
23	पंजाब	43,020	71,110	7,457	-	-	10,000	1,50,000	2,81,587	23,23,179	3,74,621	12,68,530	10,54,647
24	राजस्थान	1,25,559	1,36,528	1,35,466	-	2,806	50,000	2,77,500	7,27,859	38,62,696	1,51,239	13,30,668	25,32,029
25	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	5,357	194	3,822	1,535
26	तमिल नाडु	1,05,043	90,692	42,403	-	316	-	-	2,38,454	33,77,594	1,67,298	9,57,866	24,19,729
27	तेलंगाना	66,241	1,24,993	1,43,421	-	1,067	-	85,000	4,20,722	12,83,092	39,915	2,10,249	10,72,843
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	51	-	-	51	12,843	174	11,356	1,487
29	उत्तरांचल	1,52,148	3,26,983	35,519	-	16,754	1,15,000	1,45,703	7,92,107	37,00,275	6,47,554	17,67,934	19,32,340
30	उत्तर प्रदेश	2,862	14,982	6,302	-	-	-	-	24,146	4,49,340	26,436	2,38,487	2,10,852
31	पश्चिम बंगाल	32,520	68,177	-	-	734	-	-	1,01,431	11,57,712	1,07,188	4,18,451	7,39,261
32	प्राइवेट	47,190	-	4,52,221	30,407	-	-	-	5,29,818	40,48,389	1,97,324	5,85,820	34,62,570
	जोड़	**8,52,871**	**14,03,679**	**12,81,953**	**30,407**	**41,901**	**2,20,000**	**7,71,772**	**46,02,583**	**3,29,53,839**	**24,39,448**	**1,28,26,010**	**2,01,27,829**
	डीडीयूजीजेवाई (पहले आरजीजीवीवाई)	-	-	-	-	-	-	-	3,44,975	-	-	-	-
	डीडीयूजीजेवाई (नई)	-	-	-	-	-	-	-	1,09,170	-	-	-	-
	डीडीजी सब्सिडी	-	-	-	-	-	-	-	6,353	-	-	-	-
	सकल जोड़	**8,52,871**	**14,03,679**	**12,81,953**	**30,407**	**41,901**	**2,20,000**	**7,71,772**	**50,63,081**	**3,29,53,839**	**24,39,448**	**1,28,26,010**	**2,01,27,829**

तालिका-5 : आरईसी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तपोषित परियोजनाओं के ऊर्जायित पंपसेट और 31.03.2016 तक की संचयी स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	2015-16 के दौरान उपलब्धि (संख्या)	31.03.2016 तक संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	65,932	24,15,977
2	असम	0	1,922
3	बिहार	0	1,13,354
4	गुजरात	0	4,20,456
5	हरियाणा	0	2,33,570
6	हिमाचल प्रदेश	0	6,535
7	जम्मू एवं कश्मीर	0	15,761
8	कर्नाटक	0	8,62,387
9	केरल	0	3,40,882
10	मध्य प्रदेश	0	10,54,106
11	महाराष्ट्र	35,661	26,00,367
12	मणिपुर	0	29
13	मेघालय	0	58
14	नागालैंड	0	164
15	ओडिशा	0	63,015
16	पंजाब	0	5,01,913
17	राजस्थान	2,564	5,18,976
18	तमिल नाडु	13,509	11,83,516
19	तेलंगाना	96,260	1,90,294
20	त्रिपुरा	0	1,530
21	उत्तर प्रदेश	0	3,79,544
22	पश्चिम बंगाल	0	82,202
	जोड़	**2,13,926**	**1,09,86,558**

तालिका-6 : डीडीयूजीजेवाई के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण (जिसमे 10वीं, 11वीं, 12वीं की परियोजनाएं और नई डीडीयूजेजीवाई भी शामिल है)

(31.03.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय मापदंड (₹ करोड़ में)				वास्तविक मापदंड (संख्या में)		
		संस्वीकृति (ऋण एवं सब्सिडी)			जारी (ऋण एवं सब्सिडी)	अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवासों को बिजली का कनेक्शन
		ग्रिड परियोजनाएं	ऑफ-ग्रिड परियोजनाएं	जोड़				
1	आंध्र प्रदेश	593.46	22.09	615.55	31.87	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	401.81	111.89	513.70	30.98	174	0	0
3	असम	317.86	266.71	584.57	375.36	827	4	22,077
4	बिहार	5,856.36	0	5,856.36	772.56	1,754	9,090	8,29,336
5	छत्तीसगढ़	1,253.99	177.95	1,431.94	279.34	395	2,161	38,239
6	दिल्ली	5.00	0	5.00	0	0	0	0
7	गोवा	20.00	0	20.00	0	0	0	0
8	गुजरात	924.72	0	924.72	58.41	0	0	0
9	हरियाणा	316.38	0	316.38	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	32.84	1	17	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	619.67	0	619.67	0	27	10	420
12	झारखंड	3,696.22	147.19	3,843.41	0	423	14	6,314
13	कर्नाटक	1,754.27	0.61	1,754.88	48.33	0	173	2,735
14	केरल	485.37	0	485.37	0	0	15	15,657
15	मध्य प्रदेश	0	77.87	77.87	471.48	214	8,599	1,46,391
16	महाराष्ट्र	2,163.44	0	2,163.44	43.27	0	8	59
17	मणिपुर	54.96	0	54.96	7.30	75	0	0
18	मेघालय	100.64	8.23	108.87	0	1	10	21
19	मिजोरम	30.43	0	30.43	20.67	16	0	0
20	नागालैंड	42.38	0	42.38	54.27	0	0	507
21	ओडिशा	1,656.48	56.76	1,713.24	564.74	1,264	711	19,477
22	पंजाब	252.06	0	252.06	0	0	0	0
23	राजस्थान	2,819.41	0	2,819.41	280.58	142	1,929	8,035
24	सिक्किम	0	0	0	0	0	8	1,850
25	तमिल नाडु	0	0	0	85.78	0	0	0
26	तेलंगाना	462.30	0	462.30	15.99	0	0	0
27	त्रिपुरा	74.12	0	74.12	49.89	9	82	4,435
28	उत्तरांचल	6,632.99	0	6,632.99	1,416.52	1,305	14,587	3,37,313
29	उत्तर प्रदेश	842.00	0	842.00	71.21	0	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	312.52	8	1,818	6,278
	उप-जोड़	**31,376.34**	**869.30**	**32,245.64**	**5,023.91**	**6,635**	**39,236**	**14,39,144**
	अन्य* (राज्य योजना के अधीन)	0	0	0	0	473	0	0
	जोड़	**31,376.34**	**869.30**	**32,245.64**	**5,023.91**	**7,108**	**39,236**	**14,39,144**

* राज्य योजना के अधीन 473 गांवों - असम (115), छत्तीसगढ़ (10), झारखंड (327) और राजस्थान (21) को विद्युतीकृत किया गया है।

तालिका-7 मार्चः 31 मार्च 2016 तक डीडीयूजीजेवाई (10वीं, 11वीं, 12वीं योजना और नई डीडीयूजीजेवाई सहित)

क्रम सं.	राज्य	10वीं, 11वीं और 12वीं योजना (ग्रिड और ऑफ ग्रिड) के अंतर्गत आरई संघटक								
		परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय (₹ करोड़ में)		वास्तविक (संख्या)			परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय (₹ करोड़ में)	
			संस्वीकृत	निर्मुक्त	अविद्युतीकृत गांव	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास		संस्वीकृत	
1	आंध्र प्रदेश	278	622.00	572.10	0	16,114	19,97,962	178	944.17	
2	अरुणाचल प्रदेश	16	1,023.20	890.38	2,078	1,306	51,662	824	513.70	
3	असम	39	4,355.91	2,936.79	8,965	12,076	12,10,198	505	584.57	
4	बिहार	129	12,630.62	6,919.61	25,040	16,909	32,21,537	38	5,856.36	
5	छत्तीसगढ़	118	1,673.16	1,178.84	1,661	17,341	11,36,894	167	1,431.94	
6	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	1	5.00	
7	गोवा	0	0	0	0	0	0	2	20.00	
8	गुजरात	25	315.19	315.48	0	16,144	8,42,945	27	924.72	
9	हरियाणा	21	172.99	156.27	0	5,137	1,98,580	21	316.38	
10	हिमाचल प्रदेश	12	325.42	309.94	90	7,896	16,290	12	159.12	
11	जम्मू एवं कश्मीर	17	1,055.34	833.31	238	2,915	68,435	21	619.67	
12	झारखंड	82	4,652.59	3,076.42	18,208	5,609	12,73,717	282	3,843.41	
13	कर्नाटक	129	1,146.61	899.91	55	22,803	8,92,690	32	1,754.89	
14	केरल	29	220.53	160.18	0	1,124	1,41,208	14	485.37	
15	मध्य प्रदेश	111	4,325.44	2,589.83	936	41,691	14,59,381	204	2,943.14	
16	महाराष्ट्र	35	697.25	639.13	0	36,154	12,21,350	37	2,163.44	
17	मणिपुर	15	642.07	430.44	883	1,322	70,307	3	54.96	
18	मेघालय	10	463.17	406.37	1,842	2,947	1,04,383	77	108.87	
19	मिजोरम	16	394.25	304.33	170	517	29,263	8	30.43	
20	नागालैंड	22	359.90	289.45	102	1,152	54,559	10	42.38	
21	ओडिशा	70	7,401.35	3,896.19	15,622	27,269	27,70,593	141	1,713.24	
22	पंजाब	17	160.01	59.90	0	6,131	92,988	20	252.06	
23	राजस्थान	110	2,722.22	1,392.65	4,277	35,147	11,19,074	33	2,819.41	
24	सिक्किम	4	217.92	191.03	25	413	13,601	0	0	
25	तमिल नाडु	29	385.46	359.40	0	9,673	5,01,202	27	924.12	
26	तेलंगाना	49	319.99	308.23	0	9,176	7,08,865	9	462.30	
27	त्रिपुरा	12	502.16	273.82	150	702	1,20,747	8	74.12	
28	उत्तरांचल	15	793.89	688.65	1,514	10,042	2,37,921	13	842.01	
29	उत्तर प्रदेश	212	15,585.67	7,296.90	29,057	18,120	14,86,217	75	6,946.92	
30	पश्चिम बंगाल	36	3,496.95	2,562.19	4,192	25,403	21,82,868	19	4,262.10	
	उप-जोड़	**1,658**	**66,661.28**	**39,937.74**	**1,15,105**	**3,51,233**	**2,32,25,437**	**2,808**	**41,098.79**	
	अन्य (राज्य योजना के अधीन)	0	0	0	473	0	0	0	0	
	सकल जोड़	**1,658**	**66,661.28**	**39,937.74**	**1,15,578**	**3,51,233**	**2,32,25,437**	**2,808**	**41,098.79**	

* राज्य योजना के अधीन 473 गांवों - असम (115), छत्तीसगढ़ (10), झारखंड (327) और राजस्थान (21) को विद्युतीकृत किया गया है।

के अधीन संचयी उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण

नई डीडीयूजीजेवाई (ग्रिड और ऑफ ग्रिड)					जोड़					
	वास्तविक (संख्या)			परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय (₹ करोड़ में)		वास्तविक (संख्या)		
निर्मुक्त	अविद्युतीकृत गांव	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास		संस्वीकृत	निर्मुक्त	अविद्युतीकृत गांव	गांवों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास
19.62	0	0	0	456	1,566.18	591.72	0	16,114	19,97,962
0	174	0	0	840	1,536.90	890.38	2,252	1,306	51,662
0	188	0	0	544	4,940.48	2,936.79	9,153	12,076	12,10,198
349.63	0	0	0	167	18,486.98	7,269.24	25,040	16,909	32,21,537
106.90	31	0	0	285	3,105.10	1,285.75	1,692	17,341	11,36,894
0	0	0	0	1	5.00	0	0	0	0
0	0	0	0	2	20.00	0	0	0	0
55.21	0	0	0	52	1,239.91	370.69	0	16,144	8,42,945
0	0	0	0	42	489.37	156.27	0	5,137	1,98,580
13.46	1	0	0	24	484.54	323.40	91	7,896	16,290
0	1	0	0	38	1,675.01	833.31	239	2,915	68,435
0	4	0	0	364	8,496.00	3,076.42	18,212	5,609	12,73,717
0	0	0	0	161	2,901.50	899.91	55	22,803	8,92,690
0	0	0	0	43	705.90	160.18	0	1,124	1,41,208
171.06	62	0	0	315	7,268.58	2,760.89	998	41,691	14,59,381
0	0	0	0	72	2,860.69	639.13	0	36,154	12,21,350
4.68	0	0	0	18	697.03	435.12	883	1,322	70,307
0	0	0	0	87	572.04	406.37	1,842	2,947	1,04,383
0	0	0	0	24	424.68	304.33	170	517	29,263
3.61	0	0	0	32	402.28	293.06	102	1,152	54,559
0	22	0	0	211	9,114.59	3,896.19	15,644	27,269	27,70,593
0	0	0	0	37	412.07	59.90	0	6,131	92,988
0	27	0	0	143	5,541.63	1,392.65	4,304	35,147	11,19,074
0	0	0	0	4	217.92	191.03	25	413	13,601
55.17	0	0	0	56	1,309.58	414.57	0	9,673	5,01,202
0	0	0	0	58	782.29	308.23	0	9,176	7,08,865
0	0	0	0	20	576.28	273.82	150	702	1,20,747
71.21	0	0	0	28	1,635.89	759.86	1,514	10,042	2,37,921
18.74	56	0	0	287	22,532.59	7,315.64	29,113	18,120	14,86,217
254.45	0	0	0	55	7,759.05	2,816.64	4,192	25,403	21,82,868
1,123.74	**566**	**0**	**0**	**4,466**	**1,07,760.07**	**41,061.48**	**1,15,671**	**3,51,233**	**2,32,25,437**
0	0	0	0	0	0	0	473	0	0
1,123.74	**566**	**0**	**0**	**4,466**	**1,07,760.07**	**41,061.48**	**1,16,144**	**3,51,233**	**2,32,25,437**

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधक वर्ग को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के कार्य-निष्पादन सहित औद्योगिक परिदृष्य संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कारोबार परिवेश

समग्र रूप से विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी यह कहना बहुत जल्दी होगा कि संकट का समय समाप्त हो गया है। हालांकि प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति सुधार की दिशा में है, लेकिन अभी भी चिंता के प्रमुख कारण बने हुए हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में केवल संयुक्त राज्य अमरीका ऐसा देश है, जिसने निवेशकों की रुचि को आकर्षित किया है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था अभी भी दबाव से गुजर रही है। धीमी संवृद्धि की छाया से उभरने के लिए जापान ने काफी सुधारों का सहारा लिया है और चीन गिरावट वाली अर्थव्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों के दूसरे वर्ष का सामना कर रहा है।

वस्तुओं का चक्र, जो आर्थिक क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण संकेतक है, पूरे विश्व में अपनी गति नहीं ले पाया है। औद्योगीकृत देशों में सामान का भारी भंडार है जिसमें इस्पात, कोयला और कच्ची धातु भी शामिल है। प्रमुख अर्थव्यवस्थों में मंद संवृद्धि होने और भारी माल सूचियों के कारण इन वस्तुओं की कीमत बहुत नीचे स्तर पर पहुंच गई है। इन बाज़ारों में बाहरी मांग में अब कमी आ गई है जिसके कारण उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उधार के विस्तार की लंबी अवधि और अच्छे समय के दौरान इसकी गति बढ़ने से वित्तीय संवेदनशीलता के प्रति उभरती हुए और विकासशील बाज़ारों के सामने अब जोखिम खड़ा हो गया है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ संवृद्धि की ओर बढ़ना पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और यह नीति निर्माताओं के लिए परीक्षा की एक घड़ी है।

जहां तक भारत का संबंध है, दूसरे वर्ष भी अर्थव्यवस्था में वैश्विक प्रवृत्ति बनी रही है और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संवृद्धि में लगातार सुधार होने के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2015-16 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत हुई है। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन में सुधार और खनन उत्पादन है। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि संवृद्धि के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। वास्तव में, जनवरी से मार्च, 2016 की तिमाही में विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की गति की दर तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2016-17 में 7-7.75 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी, बशर्ते की मानूसन सामान्य रहा। लेकिन ऐसी भी अपेक्षा की जाती है कि वर्ष 2016-17 की संवृद्धि वर्ष 2015-16 की संवृद्धि से अधिक न हो। इसका कारण वैश्विक मंदी से प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है जो अभी कुछ और समय तक बनी रहेगी।

चालू लेखा घाटा (सीएडी) और भुगतान संतुलन (बीओपी) के रूप में भारत वर्तमान में बेहतर स्थिति में है। विदेशी आरक्षित निधि के स्तर हमेशा उच्च रहे हैं। इसका प्रमुख कारण बेहतर और अधिक प्रभावी राजकोषीय समेकन, कच्चे माल की कम कीमत का होना है। हालांकि यह पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है क्योंकि अमरीका द्वारा शाले गैस के उत्पादन का स्तर ऊंचा बनाए रखा गया। विदेशी आरक्षित निधि में वृद्धि का एक कारण विनिर्माण क्षेत्र में धीमी संवृद्धि के कारण आयात के स्तर का कम होना है। ईरान के कच्चे तेल के उत्पादन से पूर्ति किए जाने पर कच्चे तेल की कीमत की वृद्धि के संबंध में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह सीमित रहेगी। उचित स्तर पर कच्चे तेल की कीमत के बने रहने से भी महंगाई को नियंत्रित रखने में सुविधा मिलती है। दूसरे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं - प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के संकेत, विनिमय दर में स्थिरता और महंगाई में नरमी, जिसके परिणामतः जनवरी 2015 से 150 आधार बिंदुओं द्वारा ब्याज दर में कमी की गई है।

प्रमुख क्षेत्रों में समग्र वृद्धि एक मूर्त सुधार है, जिसमें कोयले, खनन और विद्युत क्षेत्र में राजकोषीय वर्ष 2016 में हुई संवृद्धि भी शामिल है। यह आने वाले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के विकास का सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न सुधार संबंधी पहलें करने और अच्छे मानसून के कारण कारोबार के प्रचालन में सुधार हुआ है और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह अन्यथा धीमे निवेश चक्र और अर्थव्यवस्था में सुधार करने में सहायक होगा।

2. औद्योगिक ढांचा और विकास

औद्योगिक सिंहावलोकन

वित्त वर्ष 2015-16 में पारंपरिक विद्युत में 23,967 मेगा वाट की अतिरिक्त उच्च क्षमता देखी गई है जो पिछले वित्त वर्ष में 22,566 मेगा वाट थी, अर्थात इसमें वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें प्रमुख योगदान थर्मल विद्युत का है जिसका भाग कुल पारंपरिक विद्युत में 93 प्रतिशत है। इस 23,976 मेगा वाट में से प्राइवेट क्षेत्र का भाग 55 प्रतिशत था और लगभग 57 प्रतिशत प्राइवेट विकासकर्ताओं की कुल थर्मल क्षमता थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्ष के दौरान पारंपरिक विद्युत में 84,991 मेगा वाट की वृद्धि हुई है जबकि क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 88,537 मेगा वाट था। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा में भी पिछले दो वर्षों में अभूतपूर्व संवृद्धि देखी गई है। पिछले दो वर्षों में सौर ऊर्जा बढ़कर 4,132 मेगा वाट हो गई है और पिछले राजकोषीय वर्ष में ही पवन विद्युत 3,423 मेगा वाट हो गई है। नवीकरणीय ऊजा का भाग लगभग 43 गीगा वाट तक हो गया है जो देश के विद्युत उत्पादन स्रोत के रूप में ईंधन का प्रयोग करने की बजाय इस ऊर्जा की ओर अग्रसर होने का संकेत है के लिए इंधन मिश्रण से अंतरित होकर पैराडिगम में स्वयं दिखाई दे रहा है।

इस वर्ष के दौरान, विद्युत उत्पादन की समग्र वृद्धि दर 5.60 प्रतिशत है, जो वर्ष 2014-15 के 1,049 बी यू की उपलब्धि से अधिक है। राजकीय वर्ष 2016 के दौरान वास्तविक विद्युत ऊर्जा उत्पादन 1,107 बी यू था, जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष में यह 1,049 बी यू था। राजकोषीय वर्ष 2016 में एकीकृत विद्युत आपूर्ति घाटा 2.1 प्रतिशत था, जबकि व्यस्ततम समय में विद्युत घाटा 3.2 प्रतिशत पर बना रहा। राजकोषीय वर्ष 2015 में एकीकृत विद्युत घाटा भी 2.1 प्रतिशत था जो राजकोषीय वर्ष 2014 और राजकोषीय वर्ष 2013 में क्रमशः4.3 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार, व्यस्ततम घंटों में विद्युत घाटा राजकोषीय वर्ष 2015 में 3.2 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय वर्ष 2014 में 4.5 प्रतिशत और राजकोषीय वर्ष 2013 में 9.0 प्रतिशत था। सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का घाटा और व्यस्ततम घंटों में विद्युत घाटा सबसे अधिक पूर्वोत्तर क्षेत्र में था और उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में। 31 मार्च, 2016 को देश की कुल संस्थापित क्षमता 3,02,088 मेगा वाट थी, जो पिछले राजकोषीय वर्ष के अंत की तुलना मे 12.8 प्रतिशत से अधिक थी।

मोटे तौर पर क्षमता संवृद्धि उपलब्धि ने 50 प्रतिशत को पार कर लिया है, जो 10वीं योजना तक का लक्ष्य था। लेकिन विद्युत उत्पादन क्षमता संवृद्धि में 10वीं योजना में सापेक्ष सुधार हुआ था। ऐसा 11वीं योजना में ही हुआ था कि क्षमता वृद्धि का लक्ष्य 62,374 मेगा वाट था और उपलब्धि 88 प्रतिशत हुई थी। 12वीं योजना के लक्ष्य में पारंपिरिक ऊर्जा की क्षमता का 88,537 मेगा वाट वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। पहले चार वर्ष के दौरान, क्षमता वृद्धि 12वीं योजना के लिए अनुमानित क्षमता वृद्धि का 96 प्रतिसत है, जिसमें केवल पिछले दो वर्ष में ही लक्षित योजना क्षमता का योगदान 53 प्रतिशत रहा है।

13वीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए नीति आयोग ने पारंपरिक बिजली के लिए 93,400 मेगा वाट की क्षमता वृद्धि को पहले दर्शाया है और 2022 तक नवीकरणीय बिजली 30,000 मेगा वाट करने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान सकल घरेलू उत्पाद में 9 पतिशत की दर से संवृद्धि होना और उसे पारेषण तथा संवितरण प्रणालियों के विस्तार के अनुरूप बनाना है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि देश को अगले तीन वर्ष तक नई अतिरिक्त क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उपलब्ध क्षमता केवल लगभग 64 प्रतिशत के पीएलएफ पर कार्य कर रही है, जिसका कारण डिस्कॉमों में बिजली की खरीद की क्षमता न होना और विनिर्माण क्षेत्र में धीमी संवृद्धि होना है। लगभग 30 जीडब्ल्यू बिजली की खरीद की कमी (पीपीए) के कारण और 50 जीडब्ल्यू निर्माण की विविध अवस्थाओं के कारण यथावत बनी हुई है। इससे इस बात का पता चलता है कि भविष्य में मांग वृद्धि को संयंत्रों का अधिकतम स्तर पर प्रचालन में सुधार करके (लगभग 85 प्रतिशत पीएलएफ, पीपीए हस्ताक्षर करके और निर्माणाधीन संयंत्रों को चालू करके पूरा किया जा सकता है। इसी से लगभग 100 जीडब्ल्यू की वृद्धि हो जाएगी।

औद्योगिक ढांचा

विद्युत उत्पादन

31 मार्च, 2016 को देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 3,02,088 मेगा वाट रही है, जिसमें राज्य क्षेत्रक का 1,01,790 मेगा वाट (33.7 प्रतिशत), केंद्रीय क्षेत्र का 76,297 मेगा वाट (25.2 प्रतिशत) और प्राइवेट क्षेत्र का 1,24,001 मेगा वाट (41.1 प्रतिशत) योगदान था। प्राइवेट क्षेत्र का योगदान पिछले तीन वर्षो से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

31 मार्च, 2016 को उत्पादन क्षमता के रूप में संस्थापित थर्मल क्षमता 2,10,675 मेगा वाट (69.7 प्रतिशत) थी। हाइड्रो की क्षमता 43,783 मेगा वाट (14.1 प्रतिशत) थी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान 42,849 मेगा वाट (14.2 प्रतिशत) था। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान नाभिकीय विद्युत की क्षमता में नई वृद्धि नहीं देखी गई है, जो 5,780 मेगा वाट (1.9 प्रतिशत) बनी रही।

वित्त वर्ष 2015-16 में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता किसी भी वित्त वर्ष से सबसे अधिक रही है और पहली बार पारंपरिक ऊर्जा क्षमता वृद्धि पिछले दो वर्ष के दौरान संस्थापित क्षमता का रिकार्ड 46,543 मेगा वाट रही है। यह क्षेत्र प्रमुख बाधाओं यथा अभिनिर्धारित परियोजनों को दीर्घकालिक कोयला संपर्कन की कमी, प्रमुख कोयला खान ब्लॉकों से योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने, देशी कोयला और गैस उत्पादन को बढ़ावा न दे पाने, आयातित ईंधन की कीमतों में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण, आर एंड आर और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण वर्ष 2014 तक यह क्षेत्र बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था।

पिछले दो वर्ष में भारत सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों और पहलों यथा पारदर्शी नीलामी के माध्यम से कोयला खानों का आबंटन, गैस आधारित परियोजनाओं को गैस की घरेलू आपूर्ति और सब्सिडी वाली आयातित गैस आपूर्ति के माध्यम से प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं को चलाने में 30 प्रतिशत से कम पीएलएफ। इसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) द्वारा सहायता प्रदान की गई है और राज्य यूटिलिटियों की ऐसी रुग्ण इकाइयों को अपने हाथ में लेने का प्रयास करने, जिनमें प्रचालन कम हो रहा था और देशी कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय शामिल हैं।

अन्य उल्लेखनीय पहलें हैं, स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करना और सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ाने पर बल देना, सरकारी स्थलों पर सौर ऊर्जा संस्थापन मॉडलों को स्वयं लगाकर के विकास के लिए सक्षम बनाना यथा रेलवे, रक्षा आदि, हरित विद्युत निधि आबंटन, मामला 1 और मामला 2 बोली प्रक्रिया से संबंधित मानक बोली दिशानिर्देशों में संशोधन, विद्युत अधिनियम में संशोधन, तेजी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए विकासकर्ताओं को सुविधा प्रदान करना और इंधन संपर्कन, वर्तमान देशी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और अद्यतन प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, विद्युत संयंत्र उत्पादन के प्रमुख इंधन के रूप में कोयले की निर्भरता को कम करने के लिए न्यून अनुषंगी खपत और हानियों, अतिरिक्त उच्च दक्षता और उन्नत कार्बन फुटप्रिंट को 13वीं पंचवर्षीय योजना की अधिकांश परियोजनाओं में सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित करने की योजना है।

इसका परिणाम ऐसा दिखाई देता है कि आज कोयला वाले विद्युत संयंत्रों में लगभग 15 दिन का कोयला स्टॉक है, जो पहले तीन दिन से अधिक का नहीं होता था। इसके अलावा, कोयला उत्पादन में वृद्धि होने से आयातित कोयले की मात्रा काफी कम हो गई है, जिसके परिणामतः कोयले की कीमतों में भी काफी कमी आई है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के प्रवाह की भी बचत हुई है। 100 प्रतिशत पिसा हुआ और साफ किए गए कोयले की पूर्ति की पहल करने से आने वाले समय में इस संयंत्र के प्रचालन में दक्षता आएगी। कोयले के आबंटन को युक्तियुक्त बनाने और अदक्ष संयंत्रों से दक्ष संयंत्रों में कोयला संपर्क करने से, सकल क्लोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) पर आधारित कोयले की गुणवत्ता का गुणवत्ता निरीक्षण करने से दक्ष संयंत्र प्रचालन में सहायता मिलेगी और इससे काफी हद तक कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा।

वित्तपोषण को सुदृढ़ करने और परिसंपत्ति संबंधी मुद्दों पर बल देने के प्रयास में परियोजना की प्रगति में बाधा डालने वाले मुद्दों के शीघ्र समाधान करने और उन्हें चालू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

देश की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है (जो मार्च, 2016 की सीईए के कार्यपालक सारांश के अनुसार 957 केडब्ल्यूएच है), जबकि विश्व की औसत खपत 3000 केडब्ल्यूएच है। अतः, ऊर्जा खपत के स्तर को बढ़ाने के लिए और आने वाले वर्षों में संपोषणीय आर्थिक संवृद्धि की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत को अपने विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है और इस प्रकार भविष्य में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता आने वाले वर्षों में भी हमेशा बनी रहेगी।

पारेषण और वितरण

पारेषण

देश के पारेषण और संवितरण प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रिड, राज्य ग्रिड और तीन चरणीय विद्युत तंत्र का ढांचा शामिल है। हाल ही तक पारेषण प्रणाली की योजना ऐसी विद्युत प्रणाली को परिसरों में स्थापित करने से संबंधित थी, जो बिना विद्युत उत्पादन रिशेड्यूलिंग और लोड शेडिंग के आकस्मिक रूप से सुरक्षित तरीके से कार्य कर सके। लेकिन तंत्र में लोड के स्थानिक विकास, मूल रूप से योजनाबद्ध लोड केंद्र विद्युत उत्पादन इकाइयों को चालू न करने और प्रतिरोधी प्रतिपूर्ति की कमी के कारण, जैसी विभिन्न कारणों से विद्युत प्रणाली के कुछ पॉकेटों को सुरक्षित तरीके से नहीं चलाया जा सका। यहां तक कि सामान्य स्थितियों में भी नहीं चलाया जा सका, जिसके कारण इसमें कमी आई है। पारेषण योजना की दीर्घकालिक विद्युत संभावना को एकीकृत प्रणाली योजना को हाल ही में अपनाकर विद्युत उत्पादन योजना की प्रणाली को चालू किया गया है।

विद्युत क्षेत्र में विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की प्राथमिकता को त्वरित रूप से लागू करने की आवश्यकता है ताकि सूचित और असूचित विद्युत लेन-देन किया जा सके और बाज़ार में प्रतियोगिता तक पहुंचने के अवसर पैदा किए जा सकें। पावर ग्रिड अपने पारेषण तंत्र को सुदृढ़ कर रहा है ताकि

ऊर्जा संसाधनों के असमान वितरण के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतरराज्य और अंतरक्षेत्रीय लिंक स्थापित किए जा सकें। भौगोलिक स्थितियों के आधार पर पांच क्षेत्रीय ग्रिड बनाए गए हैं ताकि अतिरिक्त बिजली वाले राज्यों से बिजली की कमी वाले राज्यों में बिजली का अंतरण किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रिड अनुरक्षण संबंधी अधिकतम शेड्यूलिंग को भी सुविधा प्रदान करेंगे और विद्युत संयंत्रों के बीच बेहतर समन्वय करेंगे। क्षेत्रीय ग्रिड राष्ट्रीय ग्रिड की एकीकृत इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं और 59,550 मेगा वाट के अंतरक्षेत्रीय अंतरण (30 जून, 2016 तक) कर रहे हैं जिससे एक क्षेत्र की अतिरिक्त बिजली को बिजली की कमी झेल रहे दूसरे क्षेत्र में भेजा जा सके। इस प्रकार, वे राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन की क्षमता का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। अंतरक्षेत्रीय ग्रिड संयोजनीयता में लचीलापन है और इससे प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सका है। अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता की योजना से 12वीं योजना के अंत (2016-17) तक लगभग 68,050 मेगा वाट तक बढ़ाने की योजना है। देश का राष्ट्रीय ग्रिड आज विश्व का सबसे बड़ा प्रचालन ग्रिड बन गया है।

अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण को सुचारूबनाने के लिए खुली पहुंच की उपलब्धता ग्रिड खराब हुए बिना ग्रिड अनुशासन बनाए रखना प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। अतः उस सालि पर उचित जांच और संतुलन बनाए रखना आज की आवश्यकता है। इसके लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) और नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) को विशेष शक्तियां देने की आवश्यकता है ताकि वे उन ग्रिडों को विनियमित कर सकें, जिनमें उनके सशक्तीकरण के लिए कानूनी प्रावधान भी शामिल होंगे। आरएलडीसी तब ग्रिड के अनुशासन का पालन किए बिना राज्यों को आपूर्ति किए जाने वाले लोड को डिसकनेक्ट करने की शक्ति होगी।

इस प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए पावर ग्रिड द्वारा प्रमुख स्मार्ट प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप किए गए हैं यथा देश के सभी क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर फासोर मेजरमेंट यूनिट (पीएमयू) के संस्थापन के माध्यम से अपनी व्यापक क्षेत्र मापन प्रणाली (डब्ल्यूएएमएस) परियोजना में सिंक्रो फासोर प्रौद्योगिकी लागू की है ताकि ग्रिड की घटनाओं के संबंध में बेहतर रूप से नजर रखी जा सके और स्थितियों की जानकारी हो सके। इन सुविधाओं में ग्रिड की तीव्रता, ऑसिलेशन, एंगल/वोल्टता अस्थिरता, सिस्टम मार्जिन आदि और निर्णय लेने में सहायक औज़ार भी शामिल हैं। अंततः इनका उद्देश्य ऐसा सशक्त एकीकृत ग्रिड तंत्र बनाना है जिससे देश के एक भाग से दूसरे भाग में बड़ी मात्रा में बिजली का अंतरण किया जा सके।

राजकोषीय वर्ष 2016 के अंत में एकीकृत पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 3.41 लाख सीकेएम थी जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह लंबाई 3.13 लाख सीकेएम थी। राजकोषीय वर्ष 2016 में पारेषण क्षमता में कुल 28,114 सीकेएम की वृद्धि की गई थी, जो पिछले राजकोषीय वर्ष में की गई पारेषण क्षमता वृद्धि से लगभग 27 प्रतिशत अधिक थी। पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान बढ़ाई गई पारेषण क्षमता अब तक की सबसे बड़ी क्षमता है।

राजकोषीय वर्ष 2016 के अंत में 6.58 लाख एमवीए में एकीकृत सब-स्टेशन ट्रांसफार्मेशन क्षमता, 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी के स्तर पर बनी रही। राजकोषीय वर्ष 2015 के अंत में एकीकृत क्षमता 5.95 लाख एमवीए थी। इस वर्ष के दौरान सब-स्टेशन की क्षमता में लगभग 63,000 एमवीए जोड़ा गया है। सब-स्टेशनों की क्षमता का कुल 1.284 लाख एमवीए पिछले दो वर्षों में ही जोड़ा गया है, जो किसी भी लगतार दो वर्षों में सबसे अधिक थी। लगभग ₹ 1,00,000 करोड़ की कीमत वाली पारेषण परियोजना का मूल्य वित्त वर्ष 2015-16 में ही शुरू की गई है। इसके अलावा, सार्क क्षेत्र में पारेषण क्षमता को बढ़ाने के लिए सार्क समर्पित पारेषण ग्रिड को स्थापित करने पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

वितरण

वितरण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन - पारेषण - वितरण की श्रृंखला में राजस्व उत्पादन से विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला का संपर्कन बहुत कमजोर है और ऐसा खतरा बना हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के सुधार की संपूर्ण प्रक्रिया पटरी से हट सकती है। हालांकि विद्युत उत्पादन क्षेत्र ने देश में न्यूनतम ऊर्जा घाटा देखा है, तथापि वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ नहीं किया गया है और वह राज्य डिस्कॉमों/ व्यवहार्य यूटिलिटियों को बनाने के लिए विभिन्न उपाय करने के संबंध में नीति निर्माताओं के लिए एक जटिल हानि का विषय बना हुआ है।

वितरण क्षेत्र विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की तुलना में विद्युत क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं। वितरण अलग-अलग आर्थिक स्थिति वाले उपभोक्ताओं को बिल्कुल अंतिम सीमा तक जोड़ता है। हालांकि कई राज्य विद्युत बोर्ड खोले गए हैं, परंतु वितरण अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में बना हुआ है। विद्युत बोर्ड खोले जाने के बावजूद, विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांत को चालू करना, उसका परिणाम प्राप्त करने को पिछले कुछ वर्षों में प्रोत्साहित नहीं किया गया है। उनकी औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच अंतर बढ़ता गया, जिसके परिणामतः इन यूटिलिटियों के निवल मूल्य में और गिरावट आई है।

राज्य डिस्कॉमों में सुधार करने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉमों के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना, यथा संक्रमण वित्तीय तंत्र (टीएफएम) भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है और अक्तूबर, 2012 में अधिसूचित किया गया है। इस तंत्र में टैरिफ में संशोधन, केवल राज्य सरकार को सब्सिडी जारी करना, जो बाद में एआरआर में समायोजित की जाएगी और नियमित आधार पर लेखापरीक्षित लेखे तैयार करना जैसे उपाय शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य टीएफएम के माध्यम से उनकी अल्पकालिक देयताओं को पुनर्गठित करके उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करना है।

निधियों तक विद्युत यूटिलिटियों की पहुंच बनाने में सहायता करने के लिए वितरण संबंधी हानियों को कम करके उनके द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की सब्सिडी की नीति और देश में वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने में प्रोत्साहन संबंधी निवेश करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) वित्त वर्ष 2012-13 से शुरू की गई है। इस योजना के अधीन सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की यूटिलिटी/ डिस्कॉम ब्याज की दरों में छूट के पात्र होंगे जो उनके कार्य-निष्पादन पर निर्भर करेगा। यह योजना मूलतः उस क्षेत्र के वितरण तंत्र में सुधार करने के लिए लागू की गई है, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) और पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसकी पात्रता की पूर्व-शर्त को राज्य सरकार द्वारा किए गए कुछ सुधार संबंधी उपायों से जोड़ा गया है और ब्याज की सब्सिडी की रकम को सुधार से जुड़े मापदंडों की प्राप्ति में की गई प्रगति से जोड़ा गया है।

विद्युत आपूर्ति को सुदृढ़ करने और उसकी उपलब्धता, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उसकी पहुंच में सुधार करने और ऊर्जा लेखाकरण को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का कार्यान्वयन शुरू किया है और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना शुरू की है।

एक बार पुनः डिस्कॉमों/ यूटिलिटियों की साख बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में नवंबर, 2015 में एक नई योजना 'उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना' (उदय) शुरू की है जिसमें संबंधित राज्य सरकार डिस्कॉमों/ यूटिलिटियों के ऋण को अपने ऊपर लेगी ताकि वे डिस्कॉम/ यूटिलिटियां अपने भावी उच्च कार्यक्रम बना सकें।

इन हस्तक्षेपों के एक बार एकीकृत होने से एक्स्ट्रा आर्बिटेंटली हाई ट्रांसमिशन और वितरण हानियों, विनियामक संस्थाओं के कम आंतरिक कार्यों, टैरिफ की असमानता आदि जैसी बड़ी-बड़ी चुनौतियों का निराकरण करने में सहायता मिलेगी जिससे वितरण क्षेत्र के लिए सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा।

देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने और उसकी प्रगति के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस कंपनी ने समन्वय करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं। यह कंपनी एनईएफ, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, यूडीएवाई, स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स आदि जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर ये पहलें कर रही हैः वितरण तंत्र में फीडर पृथक्करण योजना, उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस), ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग (एएमआर) और दोनों ओर रियल-टाइम डिजिटल कम्युनिकेशन 100 प्रतिशत करने तथा रिमोट मीटरों की सुविधा, प्रचालन और अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटी जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों से उपभोक्ताओं के बीच सुरक्षित और विश्वसनीय संपेषण सुनिश्चित हो पाएगा और यूटिलिटी विद्युंत के उन तरीकों में पूर्णतः परिवर्तन कर पाएगी, जो प्रयोग में लाए जाते हैं और प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019 तक सभी को बिजली देने के भारत सरकार के संकल्प में ये पहलें काफी उपयोगी साबित होंगी।

इन सभी महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों से कंपनी एक ऐसा बेहतर और उन्नत वितरण परिदृश्य देख रही है, जब राज्य इन कार्यक्रमों के परिणामों और प्रभावों को प्राप्त करेंगे और वितरण के संपूर्ण परिदृश्य को बदलेंगे। अतः, वितरण प्रणाली के उच्चीकरण के लिए भविष्य में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और इस क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता की दिशा में निवेश करने पर प्रमुख बल दिया जाएगा।

विद्युत क्षेत्र का नीतिगत परिवेश

पिछले कुछ वर्षों से बिजली की निरंतर कमी बने रहना कोयला उपलब्धता संकट तथा भारत में बिजली की मांग में हुई अनुमानित वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुर्नगठन क्षमता विसतार, पारेषण और उप-पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदमं उठाए हैं।

अपने नए स्वरूप में विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के साथ ही विद्युत क्षेत्र का शासन, पूंजी की व्यवस्था तथा वृहत विद्युत परियोजनाओं का संस्थापन एक वास्तविकता बन गया है। इस अधिनियम ने उन अनेक कानूनों की जगह ले ली है, जिनसे भारतीय बिजली क्षेत्र पहले नियंत्रित होता था और इससे एक बहुक्रेता तथा बहुविक्रेता प्रणाली की शुरुआत हुई है।

इसके अलावा, विनियामक प्रशासन को आय प्राप्ति की दर के विनियमों से बाधित हुए बिना प्रशुल्क निर्धारण में इसे अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसके बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना जारी की गई थी। तत्पश्चात, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर नीति अधिसूचित की गई थीं। हालांकि बढ़ते हुए कारोबार परिवेश में विद्युत अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता है।

एक स्थान पर आधारित बड़े पैमाने की विद्युत उत्पादन क्षमता को किफायती बनाने के लिए, भारत में बड़ी क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन और प्रशुल्क (टैरिफ) को कम करने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग, 3,500 मेगा वाट या उससे अधिक की प्रत्येक संविदा की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) की संकल्पना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का सृजन करके लागू की गई है।

टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया स्वतंत्र पावर ट्रांसमिशन कंपनियों (आईपीटीसी) के लिए लाई गई है ताकि यूएमपीपी का अनुपालन करते हुए एक ही तरीके से अंतर्राज्य और अंतर-राज्य विकास किया जा सके। आईपीटीसी का उद्देश्य पूलिंग स्टेशन से अन्य ग्रिड स्टेशनों में विद्युत उत्पादन स्टेशन और पारेषण में बिजली की आपूर्ति करना है जिसके परिणामतः पूरे भारत में एक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा। कई पारेषण परियोजनाएं पिछले कुछ ही वर्षों में विकासकर्ताओं को अंतरित की गई हैं जिनमें आरईसीटीपीसीएल, आरईसी की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी द्वारा विकासकर्ताओं को अंतरित की गई 17 पारेषण परियोजनाएं भी शामिल हैं।

हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्राइवेट निधि को आकर्षित करने के प्रयास में वर्ष 2008 में हाइड्रो पावर नीति कार्यान्वित की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्राइवेट विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करके प्राइवेट निधियों को आकर्षित करना है और आईपीपी मॉडल का उपयोग करना है। इसके अलावा, विद्युत व्यापार को बढ़ावा देना और सांविधिक अनापत्तियों की उपलब्धता को गति प्रदान करना है। इस नीति में भारत में, विशेषतः हिमालयी राज्यों में हाइड्रो पावर उद्योग के त्वरित विकास के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। लेकिन देश पिछले कुछ वर्षों में हाइड्रो विद्युत की बड़ी संभावना का उपयोग नहीं कर पाया है क्योंकि अधिकांश हाइड्रो परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी मुद्दों और न्यायालय के आदेशों के कारण रुकी पड़ी हैं जिससे इनमें काफी विलंब हो रहा है और कार्य स्थल पर कार्य रुका पड़ा है। बिजली का सबसे सस्ता स्रोत होने के बावजूद इसका लेनदेन अपेक्षाकृत बहुत कम है क्योंकि हाइड्रो पावर क्षेत्र में निवेश करने से निवेशक दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें अनिश्चितता होती है।

भारत सरकार ने हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने और हाइड्रो परियोजनाओं के विकास की समस्याओं के समाधान के लिए यथा उच्च पूंजीगत लागत, दीर्घ निर्माण अवधि, आरआर मुद्दे और भौगोलिक बाधाओं को दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों में कई उपाय किए हैं। उनमें से उल्लेखनीय उपाय हैः (i) 2022 तक हाइड्रो परियोजनाओं को प्रतियोगी बोलियों से छूट प्राप्त है; (ii) हाइड्रो को अधिक आकर्षित बनाने के लिए विकासकर्ताओं को मूल्यहास दरों और दैनिक टैरिफ के समय ढील दे दी गई है; और (iii) नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) से छूट दी गई है। इसके अलावा, राज्यों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए वितरण लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को 35 वर्ष की सामान्य अनुमत अवधि के बाद 15 अतिरिक्त दिनों तक दीर्घकालिक विद्युत खरीद करार (टीपीए) बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों से संबद्ध जीवाश्म इंधन और पर्यावरण संबंधी खतरों को दर्शाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पॉलिसी संबंधी पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें नेशनल ऑफशोर पवन ऊर्जा नीति का अधिनियमन और विद्युत उत्पादन आधारित पहलों पर बल देना भी शामिल है तथा त्वरित मूल्यहास देने की बात विचाराधीन है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सरकार की चालू नीतियों और कार्यक्रमों के अलावा, सरकार ने हाल ही में कई पॉलिसी संबंधी उपाय शुरू किए हैं ताकि इसके निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसके साथ-साथ, नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व (पीआरओ) को सख्ती से लागू करने के संबंध में विद्युत अधिनियम और टैरिफ नीति में उचित संशोधन करना भी शामिल है और नवीकरणीय विद्युत उत्पादन दायित्व की उपलब्धता, केवल सौर पार्कों की स्थापना, हरित ऊजॉ कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से विद्युत पारेषण तंत्र का विकास और स्मार्ट सिटी के विकास के लिए मिशन, विवरण और दिशानिर्देशों के अधीन अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करना, नए निर्माण और उच्च एफएआर के लिए छत के ऊपर सौर ऊर्जा का प्रावधान अनिवार्य करने के लिए भवन संबंधी उप-विधियों में संशोधन, सौर परियोजनाओं के बुनियादी सुविधा की प्रस्थिति, कर-मुक्त सौर बांड जारी करना, दीर्घकालिक ऋण देना, बैंकों/एनएचबी द्वारा गृह ऋण के भाग के रूप में छत में सौर ऊर्जा की व्यवस्था करना, वितरण

अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना में माप शामिल करना और नेट मीटरिंग को अनिवार्य करना तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित जलवायु निधि के रूप में अंतरा द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं से निधि जुटाना।

सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष बल देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए तंत्र तैयार किया जा रहा है। ₹ 38,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को बनाने की योजना है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा के पारेषण को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना से विद्युत उत्पादन के बिंदु से लोड केंद्र तक नवीकरणीय बिजली की आपूर्ति करके ग्रिड में स्थायित्व लाया जा सकेगा और अतिरिक्त तथा पर्याप्त पारेषण क्षमता का सृजन किया जा सकेगा। संघ सरकार के बजट में वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 1,75,000 मेगा वाट तक पहुंचाना है, जो वर्तमान क्षमता के 5 गुना से अधिक है। उपर्युक्त 1,75,000 मेगा वाट क्षमता में से सौर, पवन, बायोमास और लघु हाइड्रो परियोजनाओं का योगदान क्रमशः 100,000 मेगा वाट, 60,000 मेगा वाट, 10,000 मेगा वाट और 5,000 मेगा वाट है।

राष्ट्रीय सौर मिशन

सौर क्षमता संवर्धन के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देते हुए स्वच्छ ऊर्जा का विकास वर्तमान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ओर एक नया आयाम है। इसमें वर्ष 2022 तक 20,000 मेगा वाट के पूर्ववर्ती अनुमानित लक्ष्य से 1,00,000 मेगा वाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की योजना है। इस लक्ष्य में सिद्धांत रूप में बड़ी और मध्यम स्तरीय ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से 40 जीडब्ल्यू और 60 जीडब्ल्यू रूफ टॉप भी शामिल है। इस लक्ष्य के साथ देश विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा उत्पादक बन जाएगा। 100 जीडब्ल्यू क्षमता के सौर विद्युत को स्थापित करने के लिए कुल निवेश का अनुमान ₹ 6,00,000 करोड़ लगाया गया है। 4.46 जीडब्ल्यू क्षमता वृद्धि का लक्ष्य वित्त वर्ष 2015-16 के लिए तय किया गया है। निवेशकों के अनुकूल तंत्र स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सौर विद्युत की संवृद्धि के लिए आकर्षक, अनुमानित और पर्याप्त टैरिफ प्रदान किया जा रहा है।

सौर पार्कों का विकास इस दिशा में एक प्रयास है। इसे प्राथमिकता देने के लिए प्रत्येक 500 मेगा वाट और उससे अधिक के 25 सौर पार्कों की योजना बनाई गई है और भारत सरकार की ₹ 4,050 करोड़ की वित्तीय सहायता से विभिन्न राज्यों में अगले पांच वर्ष में अल्ट्रामेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। इन पार्कों में 20,000 मेगा वाट की सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने की क्षमता होगी। इसके अलावा, 21 राज्यों में लगभग 18,000 मेगा वाट की क्षमता वाले 27 पार्क स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अलावा, "ऑफ-ग्रिड" और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग प्रयोगों की आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी संभावनाएं देखी गई हैं। रूफ-टॉप सौर संस्थापन का बड़े स्तर पर प्रचार किया जा रहा है और इसके लिए वित्तीय आकर्षण पैदा करने के तरीकों का पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा, बड़े-बड़े सरकारी संस्थापनाओं, यथा रेलवे, रक्षा आदि में सौर ऊर्जा के समर्पित उपयोग के लिए भूमि को उपयोग में लाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे स्थानीय रूप से प्रकाश के लोड के लिए ग्रिड पर उनकी निर्भरता भी कम हो सकेगी। इसके अलावा, विशिष्ट सौर घटक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (पीआरओ) के जरिए सौर विद्युत को बढ़ावा देना एक प्रमुख अभियान है।

सौर ऊर्जा से सर्वोत्तम टैरिफ प्राप्त करने के लिए ई-रिवर्स नीलामी का तरीका अपनाया गया है और आज सौर टैरिफ ₹ 4.50-₹ 5.00 प्रति यूनिट कम हो गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 7 राज्यों में लगभग 17,100 एमवीए वाली कुल ट्रांसफार्मेशन क्षमता सहित अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली का सृजन किया गया है जिसकी लागत ₹8,548.68 करोड़ आने का अनुमान है और उसमें राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के ₹ 3,419.47 करोड़ (परियोजना की कुल अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत) का अंशदान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के सृजन से विद्युत उत्पादन स्टेशन से लोड केंद्रों तक नवीकरण ऊर्जा की आपूर्ति करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, सौर नगर विकास कार्यक्रम के अधीन 60 सौर नगरों के लक्ष्य की तुलना में 56 सौर नगर परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं।

सरकार ने राज्य नोडल एजेंसियों और नाबार्ड के माध्यम से सिंचाई और पीने के पानी के लिए 1,00,000 सौर पंप संस्थापित करने के लिए एक योजना को कार्यान्वित किया है। ये पंप लाखों किसानों को अपना उत्पादन तथा आय बढ़ाने में सहायक होंगे और पीने के लिए पानी मुहैया कराने में सहायक होंगे। तद्नुसार, सौर पंपों के माध्यम से 7.6 लाख से अधिक परिवारों के पीने के पानी की समस्या का समाधान होगा। एमएनआरई द्वारा राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से सिंचाई के प्रयोजन के लिए सौर पंप संस्थापित करने के लिए किसानों को 30 प्रतिशत पूंजीगत सहायता दी जाएगी। राज्य सरकारें अपनी निधियों के माध्यम से अतिरिक्त सब्सिडी दे सकती हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में कुल 31,472 सौर पंप संस्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रम और भारत सरकार के संगठन वर्ष 2015-16 से 2017-18 की तीन वर्ष की अवधि में व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण के माध्यम से 1000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिड सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कार्य करेंगे। इस योजना के अधीन, विभिन्न केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों को लगभग 100 मेगा वाट का आबंटन कर दिया गया है।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अगस्त, 2006 में अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि, ग्रामीण उद्योग आदि में उत्पादक उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में बिजली उपलब्ध करके त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना था।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

भारत सरकार ने दिनांक 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" नामक योजना अनुमोदित की है। आरईसी, डीडीयूजीजेवाई के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई योजना ग्रामीण आवासों तक विद्युत की पहुँच को सुगम बनाती है एवं इसका लक्ष्य है कि गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए सतत विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और परिभाषित परियोजना घटक के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और 12वीं तथा 13वीं योजना के लिए इसके लक्ष्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल कर लिया गया है।

इस योजना में परियोजना लागत का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा विशेष श्रेणी से भिन्न राज्यों को (विशेष श्रेणी के राज्य, अर्थात सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 85 प्रतिशत) अनुदान दिया जाएगा। शेष कम से कम 10 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अंशदान अपने संसाधनों से राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाएगा और शेष 30 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10 प्रतिशत) की व्यवस्था राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा ऋण के माध्यम से की जाएगी। 50 प्रतिशत ऋण के घटक को परिवर्तित करके 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) तक का अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार

द्वारा उन राज्य सरकारों को दिया जाएगा, जिन राज्य सरकारों द्वारा समय पर कार्य पूरा करना, एकीकृत तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करना और मापित खपत, यदि कोई हो, पर आधारित राजस्व सब्सिडी के अपफ्रंट को जारी करने जैसे निर्धारित लक्ष्य पूरे किए जाएंगे।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अधीन ₹ 44,033 करोड़ के अनामेदित परिव्यय में भारत सरकार ₹ 33,453 करोड़ की बजट सहायता प्रदान करेगी। 12वीं और 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में शामिल कर दी जाएगी, जिसके लिए सीसीईए ने ₹ 39,275 करोड़ की लागत का अनुमोदन पहले ही दे दिया है, जिसमें ₹ 35,447 करोड़ की बजट सहायता भी शामिल है। यह परिव्यय उपर्युक्त परिव्यय के अतिरिक्त डीडीयूजीजेवाई नामक नई योजना में अग्रेषित किया जाएगा।

15 अगस्त, 2015 को 69वें स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधान मंत्री ने यह संकल्प लिया है कि देश के शेष 18,452 अविद्युतकृत गांवों को राज्यों और स्थानीय निकायों के सहयोग से 1000 दिन की अवधि के अंदर विद्युतीकृत किया जाएगा। ये 18,452 गांव सुदूर, कठिन पर्वतीय क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां का मौसम इसके सही दिशा में काम करने में बाधक है और ये क्षेत्र पहुंच आदि से बहुत दूर हैं। अतः, विद्युत मंत्रालय ने डीडीयूजीजेवाई और राज्य/डिस्कॉमों के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त नोडल एजेंसी आरईसी के माध्यम से इन 18,452 गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्य मिशन के रूप में लिया है। आरईसी ने 12 लक्ष्यों में विद्युतीकरण कार्यों को विभाजित करके एक नवोन्मेषी मॉनीटरिंग तंत्र विकसित किया है, युवा विद्युत इंजीनियरों को तैनात किया है, यथा 'ग्रामीण विद्युत अभियंता (जीवीए)' इन गांवों में ब्लॉक स्तरों पर तेनात किए हैं और 'गर्व एप्प' मोबाइल वेब पोर्टल (http://garv.gov.in) विकसित किया है ताकि गांवों के विद्युतीकरण की प्रगति की ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जा सके। वित्त वर्ष 2015-16 में 7108 गांवों (125 प्रतिशत) को विद्युतीकृत कर दिया गया है जबकि इसका लक्ष्य 5686 गांव था और आज तक, कुल उपलब्धि 10,000 गांवों से अधिक के विद्युतीकरण की है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए "एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)" नामक योजना को अनुमोदित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वितरण और वितरण तंत्र में सुधार करना है। इसमें अलग घटक के रूप में (i) उप-पारेषण और वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण; (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/ फीडर/ उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग; और (iii) आर-एपीडीआरपी से आईपीडीएस कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेनीत करके 12वीं और 13वीं योजना के लिए आर-एपीडीआरपी के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु आईटी-सक्षम वितरण क्षेत्र और वितरण तंत्र को सक्षम बनाना भी है। इस प्रयोजन के लिए आर-एपीडीआरपी की विद्यमान योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में शामिल कर दिया गया है।

इस योजना के वित्तपोषण का तरीका वही है, जो डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए लागू होता है और ऊपर बताया गया है। इस संबंध में आर-एपीडीआरपी की विद्यमान योजना और इसके लक्ष्य को विद्युत वितरण क्षेत्र के आईटी-सक्षम से संबंधित एक अलग घटक के रूप में आईपीडीएस में शामिल कर दिया गया है और उपर्युक्त (iii) के अनुसार वितरण तंत्र को सुदृढ़ कर दिया गया है। इसके लिए लागत की अनुमोदित योजना ₹ 44,011 करोड़ है, जिसमें ₹ 22,727 करोड़ की बजट सहायता है। यह बजट सहायता ₹ 32,612 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के अतिरिक्त है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं के मीटरिंग के लिए आर-एपीडीआरपी से संबंधित ₹ 25,354 करोड़ की बजट सहायता भी शामिल है।

आईपीडीएस के कार्यान्वयन का मुख्य उद्देश्य इसके परियोजना क्षेत्र में आईटी प्लेटफार्मों पर राजस्व के विश्वसनीय और सत्यापित किए जाने वाले बेसलाइन डेटा को प्राप्त करने के लिए और स्थायी आधार पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए है ताकि इसे आकर्षक और कार्य-निष्पादन अभिमुखी बनाया जा सके।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) स्थापित की है। इस योजना के अधीन संवितरित ऋण के आधार पर पूर्व-परिभाषित सुधार संबंधी मापदंडों को प्राप्त करने पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी राज्य विद्युत यूटिलिटी, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋण पर दी जाती है। आपकी कंपनी को संपूर्ण देश की यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी की रकम देने संबंधी योजना को चालू संक्रियात्मक करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना

देश में डिस्कॉमों को लगभग ₹ 3.8 लाख करोड़ की संचित हानि हुई है और उस पर वर्ष 2014-15 तक लगभग ₹ 4.3 करोड़ का ऋण बाकी है (जो 14 से 15 प्रतिशत तक ब्याज दर पर है)। यह ऋण वर्ष 2011-12 में ₹ 2.4 लाख करोड़ बाकी था। भारी ऋण और ब्याज के भार के अलावा, वित्तीय रूप से तनावग्रस्त डिस्कॉमों द्वारा बैंकों के ऋणों में चूक होने की संभावना है जिसके कारण बैंकिंग क्षेत्र और व्यापक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 में उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को वित्तीय रूप से सहायता देना और उन्हें पुनर्जीवित करना है तथा यह सुनिश्चित करना भी है कि इस समस्या का कोई संपोषणीय स्थायी समाधान हो सके। हालांकि इस योजना को आरंभ करने से डिस्कॉमों को निम्नलिखित चार पहलुओं के माध्यम से अगले दो-तीन वर्ष में इससे छुटकारा पाने का अवसर देना हैः

(i) डिस्कॉमों की प्रकार्यात्मक दक्षता में सुधार करना;

(ii) बिजली की लागत को कम करना;

(iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कमी करना;

(iv) राज्य वित्त व्यवस्थाओं के साथ संपर्क करके डिस्कॉमों में वित्तीय अनुशासन लाना।

इस योजना के अधीन निम्नलिखित प्रमुख उपाय प्रस्तावित हैः

(क) राज्य 30 सितंबर, 2015 को डिस्कॉमों के 75 प्रतिशत ऋण को दो वर्ष तक अपने ऊपर लेगा - डिस्कॉमों के ऋण का 50 प्रतिशत वर्ष 2015-16 में लिया जाएगा और 25 प्रतिशत वर्ष 2016-17 में लिया जाएगा। इसमें इस ऋण को लेने वाली सक्षम राज्य सरकारों का यह वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे का भाग नहीं होगा। राज्य सरकारें गैर-एसएलआर जारी करेंगे,

जिनमें एसडीएल बांड भी शामिल होंगे। ये गैर-एसएलआर बाज़ार में या दीर्घकाल के लिए संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रतयक्ष रूप से जारी किए जाएंगे। राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉमों का ऋण नहीं लेने पर इसे बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋणों या बांडों में परिवर्तित किया जाएगा और इन पर बैंकों की बेस दर और 0.1 प्रतिशत से अधिक ब्याज नहीं लगाया जाएगा। वैकल्पिक रूप से यह ऋण चालू बाज़ार दर पर राज्य के गारंटिड डिस्कॉम बांड के रूप में डिस्कॉम द्वारा पूर्णतः या अंशतः जारी किया जाएगा, जो बैंक के बेस दर और 0.1 प्रतिशत के बराबर या उससे कम होगा।

(ख) यह भी विचार किया गया है कि राज्य राजकोष वर्ष 2016 से 2021 से शुरू होने वाले पांच वर्ष की अवधि तक ग्रेडेड तरीके से डिस्कॉमों की भावी हानियों को अपने ऊपर लेगा।

(ग) राज्य डिस्कॉम विद्युत मंत्रालय के परामर्श से तय की जाने वाली अवधि के अंदर 01 अप्रैल, 2012 से बाकी नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) का अनुपालन करेंगे।

(घ) यूडीए स्वीकार करने वाले और प्रचालन लक्ष्य के अनुसार कार्य करने वाले राज्यों को डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, पीएसडीएफ या विद्युत मंत्रालय और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ऐसी अन्य योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त और प्राथमिक निधियां मिलेंगी। इसके अलावा, ऐसे राज्यों को अधिसूचित कीमतों पर अतिरिक्त कोयले की सहायता भी मिलेगी और यदि उच्च क्षमता उपयोग के माध्यम से यह उपलब्ध हो तो एनटीपीसी और अन्य केंद्र सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों से कम कीमत पर बिजली मिलेगी।

(ङ) जो राज्य प्रचालन संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं करते हों, उनके आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई अनुदान के दावे जब्त कर लिए जाएंगे।

(च) यूडीएवाई सभी राज्यों के लिए विकल्प है, लेकिन राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे यथाशीघ्र इसका लाभ उठाएं क्योंकि ये लाभ कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हैं।

उपर्युक्त नीतियों और पहलों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य पहलें मांग पक्षीय प्रबंधन पहलों की हैं जैसे राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता (एनएमईईई), कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार योजना और ऊर्जा संरक्षण निर्माण कोड (ईसीबीसी) आदि।

सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति

सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (यूजेएएलए) योजना मई, 2015 में आरंभ की गई है (मूलतः यह घरेलू दक्ष लाइटिंग कार्यक्रम के रूप में जनवरी, 2015 में आरंभ की गई थी)। इसका लक्ष्य एलईडी बल्बों सहित 77 करोड़ इनकंडेंसेंट लैम्पों को बदलने का है। उक्त योजना के अधीन एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो आरईसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमत पर एलईडी उपलब्ध कराएगा। यह पहला देश में ऊर्जा दक्षता के संदेश का प्रसार करने के लिए सरकार के प्रयासों का एक भाग है। सापेक्ष रूप से टिकाऊ होने और इनकंडेंसेंट बल्बों और सीएफएल की तुलना में उच्च ऊर्जा दक्ष होने के कारण एलईडी बल्बों से ऊर्जा और लागत की बचत दोनों होगी। अभी तक इस योजना के अधीन, पूरे देश में लगभग 9 करोड़ एलईडी बल्ब बेचे जा चुके हैं।

पिछले दो वर्ष में भारत सरकार द्वारा की गई इन प्रमुख नीतिगत पहलों से विद्युत क्षेत्र को सक्षम बनाने और पुनः परिभाषित करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार इसे आकर्षक निवेश लक्ष्य बनाया जाएगा।

3. अवसर

विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए संबद्ध पारेषण और वितरण तंत्र सहित 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) में लगभग ₹ 14 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया था। पारेषण और विशेषतः वितरण क्षेत्र में निकट भविष्य में बड़े निवेश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि अच्छा मानसून रहता है तो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में इसकी मांग बढ़ने की और संभावना है। वितरण क्षेत्र परिवर्तनशील है और इसमें भारी परिवर्तन होने की संभावना है क्योंकि सभी प्रमुख नीतियों यथा डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एनईएफ, उदय और उज्जवल इस रुग्ण क्षेत्र में दक्षता लाएंगी। मांगपक्षीय प्रबंधन (डीएसएम) आने वाले वर्षों में वितरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।

नीति आयोग के अनुसार, 13वीं योजना में पहले 93,400 मेगा वाट क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। लेकिन 13वीं योजना की अपेक्षाओं को अभी पूरा किया जाना है। हरित ऊर्जा की क्षमता वृद्धि वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगा वाट की वृद्धि की योजना के जरिए और बढ़ गई है। बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर प्रमुख बल देते हुए केवल हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने का विचार भविष्य में इस कारोबार के लिए संपूर्ण अवसर पैदा करेगा। जीवाश्म इंधन से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी खतरों को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ ऊर्जा के विकास पर बल दिया जा रहा है। अतः हरित ऊर्जा के हिस्से का बढ़ना निश्चित है। इससे जीवाश्म इंधन के संसाधनों को प्रदर्शित करने पर काफी कमी लाई जा रही है। डीडीयूजीजेवाई कार्यक्रमों के अधीन निधियों की मॉनीटरिंग और चैनेलाइजिंग के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण के सामाजिक और आर्थिक दायित्व को अपने ऊपर लेती रहेगी। इस प्रकार, विद्युत क्षेत्र में भविष्य में भी पर्याप्त निवेश को आकर्षित करने के अवसर होने की संभावना है।

4. खतरे, जोखिम और चिंताएं

नए कारोबारियों और बैंकों के प्रवेश के साथ विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण उद्योग निरंतर प्रतियोगी और व्यापार आधार वाला हो गया है और ये बातें हमारी कंपनी को चुनौती दे रही हैं।

वित्तपोषण की बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाओं, विशेषतः विद्युत में जोखिम कम नहीं है बल्कि अधिक जोखिम है क्योंकि इसका समय लंबा होता है और गतिशीत कारोबार परिवेश में विभिन्न पॉलिसी संबंधी पहलू हैं। किए गए पुनर्गठन के प्रयासों के बावजूद, देशभर में राज्य विद्युत बोर्डों एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों की स्थिति वित्तीय क्षेत्र में एक गंभीर परिदृश्य प्रस्तुत करती है क्योंकि उनमें से अधिकांश (कुछ को छोड़कर), कठोर वित्तीय दावों के अधीन हैं। एंटिटी की अपने ऋण से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने में कम लागत निधियों को गतिशील बनाने में हमारी कंपनी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इस प्रकार, कम लागत वाली निधियों को जुटाने में इसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कंपनी का इन राज्य बोर्डों एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों पर विशेष ध्यान है, अतः हमारी कंपनी के संबंध में जोखिम अवबोधन अधिक है।

हमारी कंपनी प्रचलित प्रकटन मापदंडों, कर बांडों से धन एकत्र करने की सीमा संबंधी बाधा, राज्य वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति, नए कारोबारियों के प्रवेश तथा बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा, अस्थायी व्यावसायिक पर्यावरण, बढ़ती हुई ब्याज दर के परिदृश्य रुपए की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा डांवाडोल बाज़ार दशाओं/ निधियों की बढ़ती मांग के कारण लागत में संभावित वृद्धि से चिंतित है।

अतः कम लागत पर विवेकपूर्ण तरीके से ऋण लेने और इन निधियों को अत्यधिक उत्पादक कार्यों पर लगाने को सुनिश्चित करना, इस कंपनी की लाभकारिता और संवृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक होगा।

5. खंड-वार या उत्पाद-वार कार्य-निष्पादन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/ राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। आपकी कंपनी का रिपोर्ट करनेयोग्य कोई अलग घटक नहीं है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने ₹ 65,471.10 करोड़ की कुल ऋण सहायता मंजूर की थी, जबकि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 61,421.37 करोड़ की कुल ऋण सहायता मंजूर की थी, जिसमें डीडीयूजीजेवाई आरई घटक और डीडीजी के अधीन दी गई स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं। इनमें विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए दी गई ₹ 27,828.44 करोड़ की मंजूरी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए दी गई ₹ 2,965.72 करोड़ की मंजूरी, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र के लिए दी गई ₹ 23,627.61 करोड़ की मंजूर और ₹ 11,049.33 करोड़ की अल्पकालिक और अन्य ऋणों की मंजूरियां भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त एकीकृत वितरण का लक्ष्य ₹ 46,025.83 करोड़ था जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 42,818.46 करोड़ था। इसमें विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए वितरित ₹ 12,819.53 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अधीन वितरित ₹ 304.07 करोड़, पारेषण और वितरण योजनाओं के अधीन वितरित ₹ 22,565.50 करोड़, अल्पकालिक ऋणों के अधीन वितरित ₹ 2,200 करोड़ और टीएफएल तथा एमटीएल जैसे अन्य ऋणों के अधीन वितरित ₹ 7,717.72 करोड़ भी शामिल हैं। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई के अधीन ₹ 5,023.99 करोड़ की रकम (जिसमें डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अधीन ₹ 4,541.44 करोड़ की सब्सिडी और डीडीजी के अधीन ₹ 63.54 करोड़ की सब्सिडी तथा ₹ 419.01 करोड़ का ऋण घटक शामिल है) वितरित किया गया है।

6. दृष्टिकोण

विद्युत क्षेत्र के भविष्य को परिभाषित करने में मांग और खपत की प्रवृत्ति मुख्य है और वर्तमान कमजोर मांग कम समय में ही ठीक होने की संभावना है। मुख्यतः यह औद्योगिक मंदी, लगातार दो कमजोर मानसूनों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, यूटिलिटियों द्वारा विद्युत की खरीद में कमी और मौसमी घट-बढ़ के कारण है। की गई पहलें और उठाए गए कदम देश के विद्युत क्षेत्र के भविष्य को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करने सहित नवीकरणीय ऊर्जा और विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) से अन्य बातों के साथ-साथ, देश में बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी जिससे यह मांग भविष्य में और बढ़ेगी। विद्युत उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप से इस क्षेत्र का दृष्टिकोण काफी आशावान है और वित्तीय उत्पादों के लिए कई बाज़ार अवसर उपलब्ध हैं।

भारी पूंजीगत व्यय, प्रचालनात्मक बुनियादी सुविधाओं के समान रूप से बहुत विकास और वितरण क्षेत्र में भारी विस्तार की काफी संभावना इस कंपनी का कारोबार आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और यूडीएवाई में कार्य-निष्पादन अभिमुखी निर्माण से वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश को आकर्षित और त्वरित करने की संभावना है, इसलिए हानि में कमी, राजस्व की बेहतर प्राप्ति और लक्ष्य की प्राप्ति तेजी से होने की संभावना है।

औसत प्रति व्यक्ति खपत और राज्य की अर्थव्यवस्था किसी भी देश की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकता के लिए प्रमुख है। विश्व औसत की तुलना में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के कम स्तर को देखते हुए लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संवृद्धि दिखाई देती है और विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के सतत प्रयास से ऐसा महसूस होता है कि विद्युत की बुनियादी सुविधाओं वाला क्षेत्र काफी लाभकारी रहेगा। अतः विद्युत की मांग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण सशक्त होने की संभावना है।

7. समझौता ज्ञापन (एमओयू) रेटिंग और अवार्ड

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की दृष्टि से आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त हुई है। यह लगातार 22वां वर्ष है कि आरईसी भारत सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समय अर्थात वर्ष 1993-94 से उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करती आ रही है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए भी कंपनी को उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त होने की आशा है। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने इंडिया टुडे से 'फास्टेस्ट ग्रोइंव नवरत्न पीएसयू' पुरस्कार प्राप्त किया है और आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 'बेस्ट सीईओ पुरस्कार' प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार बिजनेस टुडे द्वारा 'बेस्ट सीईओ पुरस्कार' की श्रेणी के लिए स्थापित किया गया है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जिसमें उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रक्रिया भी शामिल है ताकि वह विभिन्न लेनदेनों की यथार्थ और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालन की दक्षता और विधिक कानूनों का अनुपालन, विनियमों और कंपनी की नीतियों को सुनिश्चित कर सके। शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन और लेखाकरण संबंधी दिशानिर्देश एकसमान रूप से पालन करने के लिए जारी कर दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त जांच और संतुलन की व्यवस्था है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही है, विभिन्न प्रभागों/ कार्यालयों की नियमित और व्यापक आंतरिक लेखापरीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग/ बाह्य व्यावसायिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में कार्यों के सभी प्रमुख क्षेत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है, जिसमें वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, अभिनिर्धारित जटिल और जोखिमपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम में और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकट अपेक्षा) विनियम, 2015 में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक समीक्षा करता है।

9. वित्तीय और प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, स्वीकृत ऋण ₹ 65,471.10 करोड़ था जबकि पिछले वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹61,421.37 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था, इसमें डीडीयूजीजेवाई आरई घटक और डीडीजी के अधीन स्वीकृत ऋण शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, संवितरित रकम ₹ 46,025.83 करोड़ थी जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह रकम ₹ 42,812.46 करोड़ थी। इसके अलावा, डीडीयूजीजेवाई

के अधीन, ₹ 5,023.99 करोड़ की रकम संवितरित की गई (जिसमें डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अधीन ₹ 4,541.44 करोड़ की सब्सिडी और डीडीजी के अधीन ₹ 63.54 करोड़ की सब्सिडी तथा ₹ 419.01 करोड़ का ऋण घटक शामिल है)।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कार्य-निष्पादन परिसंपत्तियों के लिए ब्याज सहित वसूल की जाने वाली रकम ₹ 48,278 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह रकम ₹ 32,661 करोड़ थी। 31 मार्च, 2016 को कार्य-निष्पादन परिसंपत्तियों से संबंधित चूककर्ता उधारकर्ताओं से लंबे समय से वसूल की जाने वाली रकम ₹ 1,637 करोड़ थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, पिछले वर्षों की देय और एनपीए की रकम के रूप में ₹ 1,280 करोड़ की रकम वसूल की गई थी और पिछले वर्ष के दौरान यह रकम ₹ 593.36 करोड़ थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कार्य-निष्पादन परिसंपत्तियों से ₹ 46,641 करोड़ की कुल रकम वसूल की थी जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 31,412 करोड़ की रकम वसूल की गई थी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वसूली की दर 96.61 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है। आपकी कंपनी की गैर-कार्यनिष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) न्यून स्तर पर बनी रही। 31 मार्च, 2016 को कंपनी का सकल एनपीए ₹ 4,243.57 करोड़ था (जिसमें डीसीसीओ के 811.33 करोड़ पुनर्गठन और गैर-उपलब्धि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण भी शामिल है)। सकल ऋण परिसंपत्ति की प्रतिशतता के रूप में एनपीए की प्रतिशतता 31 मार्च, 2016 को 2.11 प्रतिशत बनी रही, जबकि 31 मार्च, 2015 को यह 0.74 प्रतिशत थी। 31 मार्च, 2016 को निवल एनपीए ₹ 3,230.30 करोड़ था, जो सकल ऋण परिसंपत्ति का 1.60 प्रतिशत है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी संदिग्ध ऋण को पुनः अनुसूचित नहीं किया।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने स्टैंडअलोन आधार पर प्रचालन आय में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो बढ़कर ₹ 23,638.35 करोड़ हो गई है जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 20,229.53 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2015-16 में कर-पूर्व लाभ ₹ 8,045.21 करोड़ था जबकि वित्त वर्ष 2014-15 में यह ₹ 7,427.04 करोड़ था। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी का निवल लाभ ₹ 5,627.66 करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष के निवल लाभ ₹ 5,259.87 करोड़ में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2016 को कंपनी का निवल मूल्य ₹ 28,617.76 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2015 में ₹ 24,857.03 करोड़ था और निवल मूल्य में 15 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई।

10. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

कंपनी के कार्यपालकों को व्यावसायिक बनाने के लिए और युवाओं को शामिल करने के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से 44 कार्यपालकों की नियुक्ति की गई थी और 8 कार्यपालक वित्त वर्ष के दौरान परिसर भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए थे।

31 मार्च, 2016 को कंपनी की कुल जनशक्ति 600 कर्मचारी थे, जिनमें 463 कार्यपालक और 137 गैर-कार्यपालक थे।

कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने के लिए कंपनी ने 251 कर्मचारियों को देश और विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में प्रायोजित किया था। इसके अलावा, आंतरिक रूप से 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 151 कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी ने 1,096 प्रशिक्षण श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त किया और इस मापदंड के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की। इसके अलावा, 19 कार्यपालकों को जापान, यूके, फ्रांस और चीन जैसे देशों में आयोजित कार्यक्रमों में भेजा गया।

11. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीय विकास (सीएसआर और एसडी) पहलें सक्रिय रूप से की गईं। तद्नुसार, ₹ 128.00 करोड़ का सीएसआर बजट (अर्थात कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की दर से) वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आबंटित किया गया था। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न सीएसआर पहलें की, ये पहलें कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता, वृद्धाश्रम और विकलांग व्यक्तियों के लिए आवास सहित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी प्रोन्नयन, पेय जल और स्वच्छता सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेना, स्वच्छ विद्यालय अभियान, चुने हुए अविद्युतकृत/कम विद्युतीकृत गांवों आदि में सौर स्मार्ट माइक्रो ग्रिड लाइट प्रदान करना भी शामिल है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल ₹ 163.17 करोड़ की वित्तीय सहायता, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थायित्व के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई और ₹ 128.20 करोड़ खर्च किए गए, जिनमें लेखा बहियों में उपलब्ध रकम भी शामिल है।

सचेतक टिप्पणी

'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण' खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट

प्रभावी निगमित सुशासन संबंधी व्यवहार एक ऐसी सशक्त नींव डालता है, जिस पर सफल निगमित एंटिटियों का निर्माण होता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निगमित सुशासन के दो आधार हैं। उत्तरदायी निगम का आचरण उससे जुड़ा हुआ होता है जिस तरीके से हम अपना कारोबार करते हैं। आरईसी पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व के मूल्यों पर आधारित निगमित सुशासन संबंधी व्यवहारों के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। हमारी कंपनी की नीतियां नैतिक मानकों और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ समझौता किए बिना दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों और संव्यवहारों का संक्षिप्त वर्णन इस निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में किया गया है। हम जो कुछ भी करते हैं, उन सबके लिए ये दिशानिर्देश हमारे सिद्धांत होते हैं और ये आने वाले वर्षों में भी बने रहेंगे।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षा) विनियम, 2015 के साथ-साथ, कंपनी सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 का पालन कर रही है। कंपनी आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है। लेखापरीक्षकों द्वारा निगम सुशासन संबंधी प्रमाण-पत्र सहित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने संबंधी एक रिपोर्ट नीचे दी गई है।

1. निगमित सुशासन संबंधी कंपनी का दर्शन

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) का निगमित सुशासन एक नीतिपरक और जिम्मेदार ढंग से व्यवसाय का प्रबंध कर रहा है, जो लागू विनियामक संरचना के अंदर हितधारियों के लिए सतत मूल्य सृजन करने के लिए पयासरत है। कंपनी उन सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने में विश्वास रखती है जिन्हें दुनिया भर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। कंपनी में अच्छी पारदर्शिता और नीतिपरक सरकारी परिपाटियों को अपनाने की मजबूत परंपरा है। आरईसी, त्वरित वृद्धि तथा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुसाध्य तथा देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण तंत्र के लिए परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण एवं उन्नयन हेतु प्रतिस्पर्धा, ग्राहक-अनुकूल तथा विकासोन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित हैः

- कानून, विषयों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हिताधिकारियों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रिया विधियां अपनाना; और
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है, उद्देश्यपरक निर्णय लेता है और उसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशानिर्देशों को मॉनीटर करता है। कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर था। इस वर्ष के दौरान पदधारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव हैं, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं।

(क) निदेशक मंडल का गठन

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। यह सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल के निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या 03 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशक मंडल के कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक अधिक से अधिक संख्या में होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक भी होगी और निदेशक मंडल के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 में भी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा की गई है और सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1.	श्री राजीव शर्मा	00973413	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	निदेशक (वित्त)
3.	श्री संजीव कुमार गुप्ता	03464342	निदेशक (तकनीकी)
सरकार नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)			
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	02190047	सरकार नामिती निदेशक
अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक			
5.	श्री अरुण सिंह	00891728	स्वतंत्र निदेशक
6.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार	00871792	स्वतंत्र निदेशक
7.	प्रोफेसर तिरुवल्लूर तट्टई राममोहन	00008651	स्वतंत्र निदेशक

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/8/2015-आरई दिनांक 06 अक्तूबर, 2015 के जरिए डॉ. अरुण कुमार वर्मा (डी आई एन : 02190047) को श्री बद्री नारायण शर्मा (डीआईएन : 01221452) के स्थान पर सरकार नामिती निदेशक नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी) (डीआईएन : 01120152) के त्यागपत्र देने के कारण उन्हें 12 अक्तूबर, 2015 को कंपनी की सेवाओं से कार्यमुक्त कर दिया गया था और विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/14/2014-आरई दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 के आदेश के आदेश के जरिए श्री संजीव कुमार गुप्ता को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अर्थात 16 अक्तूबर, 2015 से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए निदेशक (तकनीकी) नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय के आदेश संख्या 46/2/2010-आरई-खंड II (भाग-IV) दिनांक 13 नवंबर, 2015 के जरिए श्री अरुण सिंह, श्री ए. कृष्ण कुमार और प्रोफेसर टी.टी. राममोहन - तीनों को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र महिला निदेशक की कमी है। तदनुसार, आज की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 17 और सरकारी उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

कंपनी ने विद्युत मंत्रालय मंत्रालय, भारत सरकार, नियुक्ति प्राधिकारी, से पहले ही अनुरोध किया है कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करने की कृपा करें और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) निदेशक मंडल और उनकी समितियों के बारे में अन्य उपबंध

(i) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का विवरण

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें, आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं, ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले परिचालित कर दी जाती हैं। विशिष्ट तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं, परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हरसंभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित किया जाता है, ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता है। निदेशक मंडल/ निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों/ वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को विस्तृत परिस्थिति भी उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की 09 (नौ) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें, (i) 28 मई, 2015; (ii) 01 जुलाई, 2015; (iii) 07 अगस्त, 2015; (iv) 16 सितंबर, 2015; (v) 09 नवंबर, 2015; (vi) 22 दिसंबर, 2015; (vii) 13 जनवरी, 2016; (viii) 10 फरवरी, 2016; और (ix) 18 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थीं।

निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 22 (बाइस) दिन और 54 (चौवन) दिन था। निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से कम था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं से काफी अधिक हैं।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से सूचना दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होती हैः

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना;
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना;
3. निधियों को बढ़ाने और वित्तीय सहायता की मंजूरियों से संबंधित प्रस्ताव;
4. कंपनी के तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और निदेशक मंडल की रिपोर्ट आदि;
5. सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन;
6. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त;
7. सहायक कंपनियों की बैठकों के कार्यवृत्त;
8. निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना, जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उन्हें हटाए जाने संबंधी सूचना भी शामिल होती है;
9. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड संबंधी नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं;
10. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण संबंधी समस्या, यदि कोई हो;
11. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी;
12. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें ऐसा कोई न्यायनिर्णय या आदेश शामिल हो, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो, जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है;
13. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण;

14. ऐसा लेनदेन, जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो;
15. महत्वपूर्ण श्रम समस्या और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि जैसे श्रम करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि का कार्यान्वयन;
16. निवेश, अनुषंगी कंपनियों/परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो;
17. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई;
18. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब आदि, यदि कोई हो;
19. निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि;
20. अल्पकालिक अतिरिक्त निधि के निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
21. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक निगमित सुशासन रिपोर्ट और निवेशकों की शिकायतों से संबंधित तिमाही अनुपालन रिपोर्ट;
22. विभिन्न कानून के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट;
23. दीर्घकालिक निधियों के निवेश संबंधी छमाही रिपोर्ट;
24. सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट;
25. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठक एवं पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निवेशकों की उपस्थिति, अन्य निदेशकों की संख्या (भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनियों में)/समिति की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति), (जो आरईसी से भिन्न हों) का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (16 सितंबर, 2015)	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति प्रतिशत		अन्य संस्थाओं की संख्या, जिनमें वह निदेशक है	अन्य समितियों के सदस्यगण की संख्या $	
1.	श्री राजीव शर्मा	9	9	100	उपस्थित	3	शून्य	शून्य
2.	श्री प्रकाश ठक्कर (12 अक्तूबर, 2015 तक)	4	4	100	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	9	9	100	उपस्थित	2	शून्य	1
4.	श्री एस. के. गुप्ता (16 अक्तूबर, 2015 से)	5	5	100	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
5.	श्री बी. एन. शर्मा (06 अक्तूबर, 2015 तक)	4	3	75	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा (06 अक्तूबर, 2015 से)	5	5	100	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
7.	श्री अरुण सिंह (13 नवंबर, 2015 से)	4	3	75	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्री ए. कृष्ण कुमार (13 नवंबर, 2015 से)	4	4	100	लागू नहीं	1	1	शून्य
9.	प्रो. टी. टी. राममोहन (13 नवंबर, 2015 से)	4	4	100	लागू नहीं	1	शून्य	1

टिप्पणियां:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 और संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान के अनुसार श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त) कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और वे पात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए वे अपना प्रस्ताव देंगे।
2. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 26 के अनुरूप भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति में समिति की सदस्य संख्या को गिनने के लिए केवल अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा जाएगा।
3. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य भारतीय सरकारी लिमिटेड कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है, न ही वे ऐसी कंपनियों की 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष हैं, जिनमें वे सदस्य हैं।
4. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से परस्पर रिश्तेदार नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण निदेशक मंडल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके। निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है, जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रत्यायोजित अधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां हैः

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति;
3. हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति;
4. जोखिम प्रबंधन समिति;
5. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;
6. ऋण समिति;
7. कार्यकारी समिति;
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा की उप-समिति
9. बांड समिति; और
10. निवेश/अतिरिक्त निधियों के निवेश संबंधी समिति।

इसके अलावा, "डिबेंचरों से भिन्न उधारों के लिए निदेशकों की उप समिति" को 10 फरवरी, 2016 को विघटित कर दिया गया है चूंकि उस उप समिति द्वारा जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता था, उनका प्रयोग समय-समय पर अनुमोदित बाज़ार उधार कार्यक्रम के अधीन अब अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) द्वारा किया जाता है।

इन समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 93 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन और उपस्थिति इस प्रकार थीः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत	
1.	श्री बी.एन. शर्मा, सरकार नामिती निदेशक	अध्यक्ष (6 अक्तूबर, 2015 तक)	3	3	100.00	हां
2.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा, सरकार नामिती निदेशक	अध्यक्ष (20 अक्तूबर, 2015 से 21 दिसंबर, 2015 तक)	1	1	100.00	लागू नहीं
3.	श्री ए. कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 दिसंबर, 2015 से)	2	2	100.00	लागू नहीं
4.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य (21 दिसंबर, 2015 तक)	4	4	100.00	हां
5.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (12 अक्तूबर, 2015 तक)	3	3	100.00	हां
6	श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (20 अक्तूबर, 2015 से)	3	3	100.00	लागू नहीं
7.	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	2	2	100.00	लागू नहीं
8.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	2	2	100.00	लागू नहीं

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार थाः

1. निदेशक मंडल ने 15 मई, 2015 को इस समिति का गठन किया था, जिसमें श्री बी.एन. शर्मा, समिति के अध्यक्ष और श्री राजीव शर्मा तथा श्री प्रकाश ठक्कर समिति के सदस्य थे।
2. श्री बी.एन. शर्मा और श्री प्रकाश ठक्कर का कार्यकाल पूरा होने के बाद निदेशक मंडल ने 20 अक्तूबर, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया था, जिसमें डॉ. अरुण कुमार वर्मा अध्यक्ष और श्री राजीव शर्मा तथा श्री एस.के. गुप्ता इस समिति के सदस्य थे।

3. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 22 दिसंबर, 2015 को इस समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री ए. कृष्णकुमार अध्यक्ष और श्री अरुण सिंह, प्रोफेसर टी.टी. राममोहन तथा श्री एस.के. गुप्ता इस समिति के सदस्य थे।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपने सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैः

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करना;

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यम 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना;

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू उपबंधों का अनुपालन करना।

लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिन से अधिक का नहीं था। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 28 मई, 2015; (ii) 07 अगस्त, 2015; (iii) 16 सितंबर, 2015; (iv) 09 नवंबर, 2015; (v) 10 फरवरी, 2016; और (vi) 18 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थीं।

श्री बी.एन. शर्मा, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, 16 सितंबर, 2015 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति समिति के अध्यक्ष को लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है और वे लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को वित्तीय मामलों कीअच्छी जानकारी है।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

आरईसी के केंद्र सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क की अदायगी की जाती है। यह अदायगी कंपनी अधिनियम, 2003 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार, सरकार नामिती निदेशक, कंपनी से कोई पारिश्रमिक/ बैठक में उपस्थित होने का शुल्क प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 22 दिसंबर, 2015 को इस संमिति का पुनर्गठन किया गया। आरईसी पर ये विचारार्थ विषय जिस सीमा तक लागू होते हैं, वे इस प्रकार हैः

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में उल्लिखित नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करना;

(ग) केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक निर्णय संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

31 मार्च, 2016 के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार किया गया हैः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या		
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत
1.	प्रोफेसर टी.टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 दिसंबर, 2015 से)	1	1	100.00
2.	श्री अरुण सिंह, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	1	0	0.00
3.	श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	1	1	100.00

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/ महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 13 जनवरी, 2016 को आयोजित की गई थी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	नाम	वेतन और भत्ते	फार्म 16@ में शामिल किए गए अन्य लाभ	कार्य-निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन*	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान	छुट्टी नकदीकरण	जोड़
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष	27,85,037	10,48,630	15,21,461	2,68,906	2,01,680	-	**58,25,714**
2.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी) (12 अक्तूबर, 2015 तक#	14,23,067	11,61,156	11,15,078	1,36,879	1,02,659	19,29,792	**58,68,631**
3-	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	27,84,531	2,60,905	10,41,334	2,40,643	1,80,482	-	**45,07,895**
4.	श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) 16 अक्तूबर, 2015 से#	13,19,716	2,20,612	4,80,365	1,14,730	86,047	-	**22,21,470**
5.	श्री जे.एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	25,04,046	2,00,528	4,76,652	2,16,390	1,62,293	-	**35,59,909**

* कार्य-निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, सरकारी उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की प्रोत्साहन योजना पर आधारित है।

@ इसमें वे भत्ते भी शामिल है, जो धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त हैं, लेकिन इसमें वर्दी, अतिथि सत्कार, बिजली, पानी और परिचर प्रभार शामिल नहीं हैं और टेलीफोन व्यय तथा सेवानिवृत्ति के मामले में कर योग्य उपदान शामिल है।

\# श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी) को 12 अक्तूबर, 2015 को सेवा से कार्य मुक्त कर दिया गया था और श्री एस.के. गुप्ता को 16 अक्तूबर, 2015 को निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अतः उनके पारिश्रमिक को वर्ष के अंश के रूप में लिया गया है।

निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और उनके पारिश्रमिक की अदायगी को कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, स्टॉक के किसी विकल्प को जारी नहीं किया।

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 395वीं बैठक में निदेशक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/- की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार हैः

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठकें	समिति की बैठक	
1.	श्री अरुण सिंह	60,000	60,000	1,20,000
2.	श्री ए. कृष्णकुमार	80,000	1,40,000	2,20,000
3.	प्रोफेसर टी. टी. राममोहन	80,000	1,20,000	2,00,000
	जोड़			5,40,000

सरकार नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं। उपर्युक्त के अलावा, स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों के इस कंपनी के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हैं।

3.3 हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति

(i) हितधारक संबंध समिति का गठन

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार, हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। यह समिति शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देती है जैसे शेयरों का अंतरण, तुलन-पत्र प्राप्त न होना और घोषित लाभांश आदि।

वर्ष 2015-16 के दौरान हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री बी. एन. शर्मा सरकार नामिती निदेशक	अध्यक्ष (06 अक्तूबर, 2015 तक)	2	2
2.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा सरकार नामिती निदेशक	अध्यक्ष (20 अक्तूबर, 2015 से 21 दिसंबर, 2015 तक)	1	1
3.	श्री ए. कृष्ण कुमार स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 दिसंबर, 2015 से)	1	1
4.	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (12 अक्तूबर, 2015 तक)	2	2
5.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
6.	श्री एस.के. गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (20 अक्तूबर, 2015 से)	2	2

टिप्पणियां:

15 मई, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें श्री बी.एन. शर्मा इस समिति के अध्यक्ष और श्री प्रकाश ठक्कर तथा श्री अजीत कुमार अग्रवाल इस समिति के सदस्य थे।

इसके अलावा, 06 अक्तूबर, 2015 को श्री बी.एन. शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने और 12 अक्तूबर, 2015 को श्री प्रकाश ठक्कर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक मंडल ने 20 अक्तूबर, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें डॉ. अरुण कुमार वर्मा, अध्यक्ष और श्री अजीत कुमार अग्रवाल तथा श्री एस.के. गुप्ता सदस्य थे।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर 22 दिसंबर, 2015 को इस समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री ए. कृष्णकुमार अध्यक्ष और श्री अजीत कुमार अग्रवाल तथा श्री एस.के. गुप्ता सदस्य थे।

हितधारक संबंध समिति की बैठक के कोरम में दो सदस्य होते हैं, जिनमें समिति के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) के प्रतिनिधि हितधारक संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शेयरधारकों/ निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हितधारक संबंध समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 28 मई, 2015; (ii) 07 अगस्त, 2015; (iii) 09 नवंबर, 2015; और (iv) 10 फरवरी, 2016 को आयोजित की गई।

श्री जे.एस. अमिताभ, कंपनी सचिव सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष 16 सितंबर, 2015 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

यह कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तत्परता और तुरंत ध्यान देती है। सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 13(3) के अनुसरण में इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से संबंधित 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के संबंध में शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों की स्थिति इस प्रकार हैः

वित्त वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	1
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	2151
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	2152
31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	-

- कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए विस्तरीय ढांचा स्थापित किया हैं जिसमें संबंधित रजिस्ट्रार, आंतरिक निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति के सीधे पर्यवेक्षण से संबंधित सहायक सेवाएं भी शामिल थीं, जिसके कारण सभी शिकायतों का समय पर समाधान कर दिया गया है। सभी शिकायतों का शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान कर दिया गया है।
- कंपनी में एक समर्पित निवेशक संबंध प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि विश्लेषकों के साथ संवाद किया जा सके और कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में समय पर सूचना दी जा सके और निवेशकों को अद्यतन जानकारी देने के लिए विश्लेषकों की बैठक आयोजित की जा सके तथा एक ऐसी समुचित प्रति प्रणाली विकसित की जा सके जिससे प्रबंधक वर्ग और निवेशकों के बीच सूचना का प्रवाह और संप्रेषण सीध हो सके।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली नामक शिकायत निवारण प्रणाली) है। इसके माध्यम से शेयरधारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकी है और शेयरधारक शिकायतों के संबंध में अनुस्मारक भी भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं अर्थात शिकायत किसके पास लंबित है, उसकी जिम्मेदारी किस पर निर्धारित की गई है और कितने समय से यह शिकायत लंबित है। जो निवेशक एससीओआरईएस से परिचित नहीं हैं या जिनकी एससीओआरईएस तक पहुंच नहीं है, वे वास्तविक रूप में शिकायत दायर कर सकते हैं। कंपनी ने एससीओआरईएस के माध्यम से दायर की गई निवेशकों की सभी शिकायतों पर कार्रवाई की है और उन पर तत्परता से तथा तत्काल कार्रवाई की गई है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य उत्पन्न संभावित विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य निम्नलिखित थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री अरुण सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 दिसंबर, 2015 से)	1	1
2.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (12 अक्तूबर, 2015 तक)	1	1
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
4.	श्री एस.के. गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	1	1

टिप्पणियां:

कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए जाने पर 22 दिसंबर, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया ताकि इस समिति के सदस्य के रूप में श्री अरुण सिंह को अध्यक्ष के रूप में और श्री अजीत कुमार अग्रवाल तथा श्री एस.के. गुप्ता को सदस्यों के रूप में शामिल किया जा सके।

वित्त प्रभाग (संसाधन जुटाना) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख को जोखिम समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 12 अक्तूबर, 2015 और 18 मार्च, 2016 को जोखिम प्रबंधन समिति की 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई।

3.5 कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति" का गठन किया है और इस समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैः

क. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति को तैयार करना और उसकी निदेशक मंडल से सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले क्रियाकलापों को दर्शाएगा;

ख. समय-समय पर कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी नीति की मॉनीटरिंग करना;

ग. खंड क में उल्लिखित क्रियाकलापों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की सीमा के अंतर्गत आने वाले कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ प्रस्तावों की सिफारिश/ समीक्षा करना;

ङ. कंपनी द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी परियोजनाओं/ कार्यक्रमों/ क्रियाकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र साापित करना;

च. कंपनी की सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों पर कार्यनीतियां तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ. उत्तरदायित्व संबंधी विवरण देने के साथ-साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी क्रियाकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट की विषय-वस्तु को अनुमोदित करना, जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी कंपनी के उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हों;

ज. रिपोर्टों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ. समय-समय पर यथासंशोधित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति" में निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (21 दिसंबर, 2015 तक)	3	3
2.	प्रो. टी. टी. राममोहन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (22 दिसंबर, 2015 से)	2	2
3.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (12 अक्तूबर, 2015 तक)	2	2
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	5	5
5.	श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य (20 दिसंबर, 2015 से)	3	3
6.	श्री ए. कृष्णकुमार, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (22 दिसंबर, 2015 से)	2	2

टिप्पणियांः

1. प्रकाश ठक्कर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक मंडल ने 20 अक्तूबर, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें श्री राजीव शर्मा को इस समिति का अध्यक्ष और श्री अजीत कुमार अग्रवाल तथा श्री एस.के. गुप्ता को इस समिति का सदस्य बनाया गया।
2. स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद 22 दिसंबर, 2015 को इस समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया, जिसमें प्रोफेसर टी.टी. राममोहन को इस समिति का अध्यक्ष और श्री ए. कृष्णकुमार, श्री अजीत कुमार अग्रवाल और श्री एस.के. गुप्ता को इस समिति का सदस्य बनाया गया।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समिति की बैठक का कोरम 2 सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 28 मई, 2015; (ii) 07 अगस्त 2015; (iii) 09 नवंबर, 2015; (iv) 10 फरवरी, 2016; और (v) 18 मार्च, 2016 को आयोजित की गईं।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया हैः

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्त वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/ राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए ₹ 500 करोड़ तक	25,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां.	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए ₹ 500 करोड़ तक	6,000

निदेशक (तकनीकी) और सरकारी नामिती निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने/नियुक्ति किए जाने के बाद इस समिति का पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2016 को इस ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	डॉ. अरुण कुमार वर्मा	सरकार नामिती निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठकों का कोरम 3 सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सरकार नामिती निदेशक भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इस समिति की 4 (चार) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 28 मई, 2015; (ii) 07 अगस्त, 2015; (iii) 16 सितंबर 2015; और (iv) 11 फरवरी, 2016 को आयोजित की गईं। उल्लेखनीय है कि समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशकों की कायकारी समिति का गठन निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंदर रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया हैः

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए सीमा	एक वित्त वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियों या केंद्र/ राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए ₹ 150 करोड़ तक	20,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां.	व्यक्तिगत योजना/ परियोजना के लिए ₹ 100 करोड़ तक	5,000

निदेशक (तकनीकी) का कार्यकाल समाप्त होने/नियुक्त किए जाने के बाद इस समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 को कार्यपालक समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यकारी समिति की 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें, (i) 06 मई, 2015; (ii) 05 जून, 2015; (iii) 09 जुलाई, 2015; (iv) 06 अगस्त, 2015; (v) 16 अक्तूबर, 2015; (vi) 26 नवंबर, 2015; (vii) 30 दिसंबर, 2015; (viii) 15 जनवरी, 2016; और (ix) 28 जनवरी, 2016 और (x) 03 मार्च, 2016 और (xi) 29 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थीं। उललेखनीय है कि समिति की सभी बैठकों में सभी सदस्य उपस्थित थे। केवल एक बैठक में श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) उपस्थित नहीं हो सके।

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणें और आवधिक ऋणों के उधार देने की दरों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

निदेशक (तकनीकी) का कार्यकाल समाप्त होने/ नियुक्त किए जाने के बाद इस समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2016 को आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति में निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप समिति की बैठकों का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इस समिति की 17 (सतरह) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 27 अप्रैल, 2015; (ii) 29 अप्रैल, 2015; (iii) 21 मई, 2015; (iv) 28 मई,, 2015; (v) 30 जून, 2015; (vi) 30 जुलाई; (vii) 07 अगस्त, 2015; (viii) 28 अगस्त, 2015; (ix) 07 सितंबर,, 2015; (x) 16 सितंबर, 2015 (xi) 30 अक्तूबर, 2015; (xii) 23 नवंबर, 2015; (xiii) 18 दिसंबर, 2015; (xiv) 30 दिसंबर, 2015; (xv) 27 जनवरी, 2016; (xvi) 24 फरवरी, 2016; और (xvii) 10 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थीं। उल्लेखनीय है कि इन बैठकों में समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। केवल एक बैठक में श्री प्रकाश ठक्कर, तत्कालीन निदेशक (तकनीकी) उपस्थित नहीं हो सके और एक अन्य बैठक में श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) उपस्थित नहीं हो सके।

3.9 बांड समिति

बांडों की विस्तृत शर्तों को अंतिम रूप देने और अनुमोदित करने के लिए निदेशकों की बांड समिति का गठन किया गया था, जिसमें निर्गम का आकार (एकल/बहु-श्रृंखला), समय, अवधि, कूपन की दर, निर्गम की वार्षिक ब्याज की अदायगी की तारीख आदि शर्तें शामिल थीं। इन्हें निर्गम के विपणन के लिए प्रचलित बाज़ार की स्थितियों/संघों के सदस्यों, संशोधित कूपन दरों, निर्गम की अवधि, बिक्री और दलाली/ कमीशन आबंटन का आधार, बांडों का आबंटन और वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कर-मुक्त बांड जारी करने की अन्य शर्तों को अंतिम रूप देना/अनुमोदित करना था।

31 मार्च, 2016 को बांड समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

निदेशक मंडल की बांड समिति का कोरम दो सदस्य है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान बांड समिति की 3 (तीन) बैठकें आयोजित की गई थीं। ये बैठकें (i) 13 अक्तूबर, 2015; (ii) 21 अक्तूबर, 2015; और (iii) 05 नवंबर, 2015 को आयोजित की गई थी। उल्लेखनीय है कि समिति के सभी सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे।

3.10 अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति

अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति का गठन अतिरिक्त निधियों के निवेश के लिए किया गया है। 31 मार्च, 2016 को "अधिशेष निधियों के निवेश/नियोजन संबंधी समिति" के निम्नलिखित सदस्य थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य

इस समिति की बैठक का कोरम दो सदस्य है, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं। आज की तारीख तक, यह समिति किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा के अंदर म्युचुअल फंड में ₹ 1,000 करोड़ और सावधि जमा में ₹ 1,500 करोड़ से अधिक का निवेश करने का अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत है।

वर्ष 2015-16 के दौरान इस समिति की 13 जनवरी, 2016 और 22 मार्च, 2016 को 2 (दो) बैठकें आयोजित की गई थीं। उल्लेखनीय है कि समिति के सभी सदस्यों ने इन बैठकों में भाग लिया।

4 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निवेशकों की समिति के अलावा, जैसाकि उपर्युक्त 3.1 से 3.10 में विस्तृत विवरण दिया गया है, एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/ समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2016 को शेयर अंतरण समिति के निम्नलिखित सदस्य थेः

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
2.	श्री दलजीत सिंह खत्री	अपर महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रतिभूतियों के विभाजन/ समेकन/ अंतरण को सहज बनाने के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/ समेकन एवं वास्तविक शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. अनुषंगी कंपनियां

कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण - गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" नहीं है, जैसाकि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में परिभाषित किया गया है। सभी सहायक कंपनियों की निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त इस कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा निष्पादित सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं को आरईसी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाया गया था। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणाम, विशेषतः असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की आरईसी के निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अधीन अपेक्षित सहायक कंपनियों के महत्व संबंधी नीति तैयार की है और वह वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/ downloadpolicy_determining_material_su₹sidiaries.pdf में भी उपलब्ध है।

31 मार्च, 2016 को कंपनी की निम्नलिखित असूचीबद्ध पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां हैः

(i) आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनः यू40101डीएल2007जीओआई165779)

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन : यू40101डीएल2007जीओआई157558)

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना का विकास करने के लिए आरईसीटीपीसीएल ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्टस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वाहन (एपीवी) को निगमित किया है और प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित एपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता के बाद चयन किए गए बोलीदाता को अंतरित किया जाएगा। 31 मार्च, 2016 को आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी के रूप में निम्नलिखित प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) विद्यमान थेः

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनः यू40104डीएल2012जीओआई245654)*

(ii) बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) (सीआईएनः यू40106डीएल2013जीओआई247564)*

(iii) एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनः य40300डीएल2015जीओआई284168)

(iv) नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड (एनकेटीएल) (सीआईएनः यू40103डीएल2015जीओआई287880)#

(v) खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) (सीआईएनः यू40300डीएल2015जीओआई287933)

(vi) दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (डीटलएल) (सीआईएन : यू40300डीएल2015जीओ1288066)

(vii) एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनः यू40106डीएल2015जीहोआई279300)

* विद्युत मंत्रालय/सीईए द्वारा अधिसूचना को रद्द करने के परिणामतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के प्रावधानों के अधीन इन कंपनियों का विघटन कर दिया गया है।

सहायक कंपनी अर्थात "नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांस्को लिमिटेड" को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित 08 जुलाई, 2016 को सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स अडाणी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, यह कंपनी उक्त तारीख से आरईसीटीपीसीएल/ आरईसी की सहायक कंपनी नहीं रह गई है।.

आरईसी की सभी सहायक कंपनियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित सूचना, सहायक कंपनियों के शीर्ष के अधीन कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर उपलब्ध है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय आंकड़ों वाला एक विवरण, समेकित वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और एमसीए के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विहित लेखाकरण मानक के अनुसार कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण में इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज

लिमिटेड से संबंधित वित्तीय सूचना भी शामिल है। लेकिन आरईसीटीपीसीएल की उन सहायक कंपनियों के, जिन्हें बाद में निपटान के प्रयोजन के लिए निगमित किया गया है, लेखाकरण मानक 21 के पैरा 11 के अनुसार कंपनी के लेखाओं में समेकित नहीं किया गया।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैः

बैठक सं.	वित्त वर्ष	दिनांक	समय	बैठक का स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
44वीं बैठक	2012-13	13 सितंबर, 2013	11.00 बजे पूर्वा.	मानेक्शा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट, नई दिल्ली-110010	नहीं
45वीं बैठक	2013-14	18 सितंबर, 2014	11.00 बजे पूर्वा.		हां
46वीं बैठक	2014-15	16 सितंबर, 2015	11.00 बजे पूर्वा.	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003	हां

पिछले वर्ष डाक मत पत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया है। 47वीं वार्षिक आम बैठक में किसी ऐसे कारोबार के निष्पादन का प्रस्ताव नहीं है, जिसके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करना अपेक्षित हो।

इसके अलावा, कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई-मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और ई-मतदान के पोर्टल को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अवधि के लिए जैसा की 47 वीं वार्षिक आय बैठक की सूचना में वर्णित किया गया है, खुला रखा जाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेज़ों को भेजना

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेज़ों यथा वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों को सदस्यों के पंजीकृत पतों पर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्रोत से भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भेजने के अलावा है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 'हरित पहल' के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहयोग दिया है और वर्ष 2010-11 से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक और अनुबंधों के साथ डाक मत-पत्र सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित निक्षेपागार भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। अदा किए जाने वाले अंतरिम/ अंतिम लाभांश की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत हैं।

ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपने ई-मेल पते अपने निक्षेपागार भागीदारी (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आरएवंटीए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत करने की कृपा करें।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2015-16 की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, दिल्ली द्वारा की गई थी और उन्होंने अपनी पूर्ण सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. संबंधित पक्षकार लेन-देन

कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, संबंधित पक्षकार लेनदेनों सहित संबंधित पक्षकार लेनदेनों की वास्तविकता और संव्यवहार्यता के संबंध में एक नीति तैयार की है। वह कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/ download-policy_related_parties_transactions_and_dealing_with_rpt.pdf में उपलब्ध है। इस पॉलिसी के अनुसार, सभी संबंधित पक्षकार लेनदेनों को लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेनदेनों को लेखाकरण मानक (एएस) 18 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखाओं की टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकार लेनदेनों को तिमाही आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित पक्षकार लेनदेनों के ब्योरे फॉर्म एओसी-2 के रूप में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न किए गए हैं।

10. प्रकटन

(i) कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवालयी मानक और भारी उद्योग तथा सरकारी उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, केवल निदेशक मंडल के गठन के संबंध में यह अनुपालन नहीं हो पाया है।

(ii) कंपनी ने निदेशक मंडल समितियों और निगमित सुशासन से संबंधित विनियम 17 से 27 की अपेक्षाओं का भी पालन किया है, परंतु उपर्युक्त बिंदु (i) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के उप-विनियम (ii) के खंड 'ख' से (i) में दिए गए विवरण का पालन नहीं हो पाया है, जो वेबसाइट के प्रकटन से संबंधित है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के अनुपालन में कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी के कारोबार के विवरण, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों की आचरण और नैतिकता संहिता, सतर्कता तंत्र/ व्हिस्ल ब्लोअर नीति की स्थापना के विवरण, गैर-कार्यकारी निदेशकों को अदायगी करने का मापदंड, संबंधित पक्षकार लेनदेनों पर कार्रवाई करने की नीति, महत्त्वपूर्ण सहायक कंपनियों को निर्धारित करने की नीति, स्वतंत्र निदेशकों को जानकारी देने संबंधी कार्यक्रम का विवरण और स्टॉक एक्सचेंज आदि पर प्रकटन के लिए घटनाओं के महत्व को निर्धारित करने संबंधी नीति की सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रकट की है।

(iii) कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के प्रबंधन के ढांचे वाली नीति दी गई है, ऐसी मुद्रा में विनिमय दर के संचलन वाली नीति दी गई है जिससे विदेशी मुद्रा के मूल्य - डीनॉमिनेटेड परिसंपत्तियों, देयताओं और ऑफ-बैलेंस शीट व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम के बारे में समुचित प्रकटन लेखाओं की टिप्पणी में किया गया है, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का भाग है और उसका प्रबंध स्वाप, विकल्प, अग्रेषण आदि जैसे विभिन्न व्युत्पन लिखतों के माध्यम से किया जा रहा है। कंपनी के कारोबार की प्रकृति ऐसी नहीं है जिससे किसी वस्तु की कीमत का जोखिम हो।

(iv) कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों या कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/ अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है।

(v) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेने के संबंध में निदेशक मंडल को सूचना प्रस्तुत कर दी है, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-परोख्त करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो)।

(vi) विगत पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाज़ार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। स्टॉक एक्सचेंज/ अन्य प्राधिकारियों के पास निर्धारित समय के अंदर सभी विवरणियां/ रिपोर्टें दाखिल कर दी गई थीं। लेकिन हमें एनएसई और बीएसई से पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कंपनी के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में है। निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। हमने विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) से स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में पहले ही अनुरोध किया है।

(vii) संबंधित पक्षकारों अर्थात प्रमोटरों, निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया गया है जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो। स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी के कोई इक्विटी शेयर नहीं होते हैं।

(viii) कंपनी ने जोखिम निर्धारित करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(ix) वित्त वर्ष 2015-16 के तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह को सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

(x) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता संबंधी तंत्र स्थापित किया गया है और लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्मिक को रोका नहीं गया है।

(xi) कंपनी ने निगमित सुशासन के सभी अनिवार्य मदों और कुछ वांछित मदों को भी अंगीकार किया है। अवांछित अपेक्षाओं को अंगीकार करने/नहीं करने की सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध 'क' में दी गई है।

(xii) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को राष्ट्रपति के कोई निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(xiii) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है, जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन वर्ग की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xiv) वित्त वर्ष 2015-16 का प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय घटकर ₹ 67.01 करोड़ हो गया है जबकि पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान यह ₹ 69.49 करोड़ था। यह कमी विभिन्न शीर्षों के अधीन कटौती करने से आई है जैसा कि व्यापक शीर्ष के अधीन बताया गया है। वित्त वर्ष 2015-16 के कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 0.43 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष यह 0.54 प्रतिशत था) और वित्त वर्ष 2015-16 के वित्त व्यय की प्रतिशतता 0.47 प्रतिशत है (जबकि पिछले वर्ष ये 0.59 प्रतिशत थी)।

(xv) सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010 के अनुसरण में, तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को अनुपालन रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण इस प्रकार हैः

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2015	08 जुलाई, 2015
30 सितंबर, 2015	07 अक्तूबर, 2015
31 दिसंबर, 2015	06 जनवरी, 2016
31 मार्च, 2016	07 अप्रैल, 2016

वार्षिक स्कोर: चार तिमाहियों के समेकित स्कोर वाली रिपोर्ट भी 13 अप्रैल, 2016 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई थी जबकि यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख 31 मई, 2016 थी।

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 27(2)(क) की अपेक्षाओं के अनुसार, निगमित सुशासन संबंधी तिमाही अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को भेज दी है।

(xvi) वित्त वर्ष 2015-16 से संबंधित कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है, लेकिन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित कुछ टिप्पणियां की गई हैं जिनका प्रबंधक वर्ग द्वारा उत्तर दे दिया गया है और उनका उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के खंडों के अनुसार अपनी अशोधित राय स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम वार्षिक रिपोर्ट में भी दी है।

(xvii) अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों ने समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की अपेक्षा के अनुसार कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रशिक्षण की एक नीति तैयार की है। इस वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

नियुक्ति होने पर निदेशक मंडल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज़, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां उपलब्ध की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और प्रविधि से अवगत हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य-निष्पादन संबंधी प्रस्तुतीकरण भी निदेशक मंडल की बैठकों में किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के कार्यचालन की जानकारी हो सके। इन सभी कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.recindia.nic.in/download/familiarization_Programme_for_independent_Director.pdf में भी उपलब्ध है।

(xviii) कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 26 मार्च, 2016 को आयोजित की गई थी।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2015 को आयोजित अपनी 413वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों के कर्त्तव्यों को शामिल करते हुए, आचार संहिता को संशोधित किया है। यह संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीकरण करार के अनुसार, कारोबार आचरण संहिता को अपनाकर विद्यमान आचरण संहिता का अधिक्रमण करते हुए, इसे अंगीकृत किया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदसयों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बार में एक घोषणा इस प्रकार की गई हैः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और निगमित सुशासन संबंधी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अधीन घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00973413)

तरीख : 6 जुलाई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

13. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों से आंतरिक व्यापार निवारण के लिए एक व्यापक "संहिता" तैयार की है ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

इसके अलावा, सेबी ने 15 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के जरिए सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 को अधिसूचित और संशोधित किया है, जो 15 मई, 2015 से लागू है। तदनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त संहिता में संशोधन किया था।

उक्त संहिता के अधीन, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी और नामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता की सुरक्षा करे जो उसे कंपनी में अपने कार्यों के दौरान प्राप्त हुई हो और वह कंपनी के बारे में अपने पद या सूचना का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए न करे। इस संहिता में ऐसे दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं दी गई हैं, जिनका पालन किया जाएगा और कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों का लेन-देन करते समय प्रकटन किया जाएगा और इस संहिता का अनुपालन न करने पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह "आरईसी के इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता" का पालन करते केलिए जिम्मेदार है। इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट पर www.recindia.gov.in उपलब्ध है।

जब कभी अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है तो उपर्युक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार व्यापार विंडो को तब समय-समय पर बंद किया जा रहा है। व्यापार विंडों को बंद करने की सूचना सभी कर्मचारियों को काफी पहले दे दी जाती है और इसकी उचित घोषणा की जाती है, जिसमें कंपनी के विंडो के बंद होने पर कंपनी के शेयरों के संबंध में कार्रवाई न करने की संविदा के अधीन नामित कर्मचारियों को पृथक रखा जाता है।

आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार का निवारण करने संबंधी इस संहिता के अधीन "नामित कर्मचारी" से तात्पर्य हैः

क. कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी और कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक।

ग. कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी।

घ. सभी आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक/प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारी तथा समय-समय पर कंपनी के आंचलिक/ परियोजना/ सायर/ उप-कार्यालय में तैनात कर्मचारी।

ङ. अनुषंगी कंपनियों के निदेशक और कर्मचारी।

च. (क) से (ङ) तक के व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदार।

छ. अन्य कोई कर्मचारी, स्थायी या संविदा पर कार्यरत, जिसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

ज. आंतरिक व्यक्ति, जिसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना हो।

यदि कोई पदनामित कर्मचारी कंपनी की सेवा छोड़ देता है, तो उसे उसके द्वारा कंपनी की सेवा छोड़ देने की तारीख के बाद, छह महीने की अगली अवधि तक के लिए पदनामित कर्मचारी समझा जाएगा।

14. कपट को रोकने की नीति

कपट का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए संदिग्ध कपट की सूचना देने और कपट संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में कपट के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया हैः

(i) यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन कपट का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा कपट हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

(ii) कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिसमें उन्हें किसी कपट में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां कपट की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

(iii) कपट के मामलों की छानबीन करना; और

(iv) यह आश्वासन देना कि कपट के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

15. व्हिसल ब्लोअर नीति

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश संख्या 33/5/2004 दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर नीति (पीआईडीपीआई संकल्प) को अपना लिया है और इस नीति को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई "सतर्कता पुस्तिका" में शामिल भी कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी की सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार, और कंपनी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम के अनुसार व्हिसल ब्लोअर नीति है। व्हिसल ब्लोअर नीति से आरईसी के निदेशक/कर्मचारी और/या इसकी सहायक कंपनियां किसी भी ऐसे तथाकथित गलत व्यवहार या गलत कार्यों के बारे में चिंता व्यक्त कर सकते हैं जिससे कंपनी के कारोबार या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस नीति के अधीन, निर्धारित तरीके से सक्षम अधिकारी को शिकायत की जा सकती है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने आरईसी और /या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी निदेशक/ कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है और उसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं/ व्हिसल ब्लोअरों को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार हैः

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 00973413)

तरीख : 4 जुलाई, 2016
स्थान : नई दिल्ली

16. सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्योरे	रकम
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	0.45
2.	कर लेखापरीक्षा	0.08
3.	सीमित समीक्षा शुल्क	0.21
4.	अन्य सेवाओं के लिए अदायगी	0.15
5.	व्यय की प्रतिपूर्ति	0.09
6.	सेवा कर घटक	0.05
	जोड़	**1.03**

17. संचार के साधन

(i) कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि शेयरधारकों का अधिकार एवं पत्र-व्यवहार/संचार संपूर्ण निगमित सुशासन ढांचे का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसलिए वह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ सतत, दक्ष एवं सुसंगत संपर्क पर जोर देती है।

(ii) कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की सूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे (एकल और समेकित), निदेशकों की रिपोर्अ, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे सदस्यों और उनके लिए अन्य हकदार व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

(iii) कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों के उद्धरण स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिए जाते हैं और दॅ इकनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी और हिंदी), दॅ टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी), नवभारत टाइम्स (हिंदी), हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी), हिंदुस्तान (हिंदी), जनसत्ता (हिंदी), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी) आदि जैसे वित्तीय और राष्ट्रीय समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम और सभी अन्य घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध की जाती हैं।

(iv) कंपनी, निवेशकों के सम्मेलन और आपसी बैठक के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ भी संपर्क करती है।

(v) कंपनी ने समय-समय पर महत्वपूर्ण निगम संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रेस रिलीज और निगम प्रस्तुतीकरण भी किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट में भी दिखाया है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में एक प्रमाणपत्र, जो श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 27 मई, 2016 को आयोजित निदेशक मंडल की 422वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया है, जब 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार किया जा रहा था।

19. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्त वर्ष 2015-16 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
बुधवार, 21 सितंबर, 2016	11.00 बजे पूर्वा	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003

ii. वित्त वर्ष 2016-17 तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय कैलेंडर

ब्योरे	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016		01 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	07 अगस्त, 2015	पहली तीन माही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	09 नवंबर, 2015		
	तीसरी तिमाही	10 फरवरी, 2016		
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	27 मई, 2016	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिने के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	बुधवार, सितंबर 21, 2016		सितंबर 2017	

iii. लाभांश का भुगतान

क. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अनुपालन में लाभांश वितरण नीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक कारकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें वे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां भी शामिल हैं, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की अपेक्षा करनी होगी या नहीं करनी होगी। इनका विवरण कंपनी की वेबसाइट www.recindia.com पर भी उपलब्ध है।

ख. वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 और कंपनी लाभांश की घोषणा और अदायगी नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अंतर्नियम 104 के अनुसरण में कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 25 फरवरी, 2016 को ₹ 12/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश की अदायगी की है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 मई, 2016 को आयोजित अपनी 422वीं बैठक में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 5.10 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जिसे 21 सितंबर, 2016 को आयोजित 47वीं आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) ₹ 17.10 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर), अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 171 प्रतिशत होगा।

ग. पिछले पांच वित्त वर्षों के लाभांश का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	प्रदत्त लाभंश की कुल रकम	लाभांश की दर (प्रतिशत)	अदायगी की तारीख	
				अदायगी की तारीख	अंतरिम
2010-11	987.46	740.59	75.00	24 फरवरी, 2011	28 सितंबर, 2011
2011-12	987.46	740.59	75.00	07 फरवरी, 2012	04 अक्तूबर, 2012
2012-13	987.46	814.65	82.50	18 फरवरी, 2013	27 सितंबर, 2013
2013-14	987.46	938.09	95.00	28 फरवरी, 2014	01 अक्तूबर, 2014
2014-15	987.46	1056.58	107.00	27 फरवरी, 2015	07 अक्तूबर, 2015

घ. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण हेतु देय प्रदत्त/अदावाकृत लाभांश एवं शेयर आवेदन राशि

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग (कंपनी अधिनियम, 2013 के तदनुरूपी उपबंधों को अभी अधिसूचित किया जाना है) के साथ पठित धारा 205क के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग राशि, जो 7 वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/ अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, कंपनी ने 7 वर्ष की अवधि से अप्रदत्त और अदावाकृत पड़ी रकम के बाद निम्नलिखित रकम को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा कर दिया हैः

वित्त वर्ष	अंतरिम/अंतिम लाभांश	रकम (₹ में)	अंतरण की तारीख
2007-08	अंतिम लाभांश	22,52,611.00	06 नवंबर, 2015
2008-09	अंतरिम लाभांश	16,09,158.00	28 अप्रैल, 2016

कंपनी समय-समय पर अप्रदत्त और अदावाकृत लाभांश के शेयर होल्डरों के संबंध में शेयरहोल्डरों द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु समय-समय पर समाचारपत्रों में सूचना जारी कर रही है। अतः एतद्वारा सभी शेयरधारकों को पुनः सलाह दी जाती है कि वे अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर आवेदन धनराशि और/या लाभांश से संबंधित वारंटों का तत्काल नकदीकरण करें या कंपनी के आरएंडटीए को लिखें कि वह पुराने वारंटों को पुनः वैधीकृत करे या उनके स्थान पर डीडी जारी करे।

कंपनी ने, कंपनी के शेयरधारकों/ बांडधारकों से संबंधित अदावाकृत और अप्रदत्त रकम के विवरण अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिए हैं, जिनमें नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरिम की जाने वाली रकम और आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली रकम की नियत तारीख जैसी सूचना दी गई है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बुधवार, 24 अगस्त, 2016 से शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 तक (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पे आउट तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश को, यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा इसे अपनी 47वीं वार्षिक बैठक में अनुमोदित किया जाता है, मंगलावार, 04 अक्तूबर, 2016 को सदस्यों अथवा उनके अधिदेशित व्यक्तियों को अदा कर दिया जाएगा, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में मंगलवार, 23 अगस्त, 2016 को अथवा इससे पहले कंपनी के आरएंडटीए में दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डीमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे "लाभार्थी स्वामियों" को अदा किया जाएगा, जिनके नाम 23 अगस्त, 2016 को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों के विवरण में शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

नाम और पता	टेलीफोन/ फैक्स/ ई-मेल पता/ वेबसाइट	स्क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी) मुम्बई-400 051	दूरभाषः (022) 26598100-8114 फैक्सः (022) 26598120 ई-मेल आईडीः cmlist@nse.co.in वेबसाइटः www.nseindia.com	RECLTD
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई-400 001	दूरभाषः (022) 22721233/4 फैक्सः (022) 22721919 ई-मेल आईडीः corp.relations@bseindia.com वेबसाइटः www.bseindia.com	532955

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन ट्रेड स्क्रिप्ट की विशेष पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डीमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेनदेन में उल्लेख करना होता है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई020बी01018 है।

viii. वित्त वर्ष 2015-16 के बाजार कीमत आंकड़े

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी शेयर का निष्पादन

एनएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				एनएसई निफ्टी का संचलन		
माह	**उच्च (₹)**	**निम्न (₹)**	**माह की समाप्ति पर (₹)**	**उच्च**	**निम्न**	**माह की समाप्ति**
अप्रैल, 2015	347.90	309.00	311.55	8844.80	8144.75	8181.50
मई, 2015	321.40	283.90	296.25	8489.55	7997.15	8433.65
जून, 2015	298.65	267.50	275.15	8467.15	7940.30	8368.50
जुलाई, 2015	301.20	267.05	271.00	8654.75	8315.40	8532.85
अगस्त, 2015	282.00	211.20	253.25	8621.55	7667.25	7971.30
सितंबर, 2015	277.30	231.80	274.05	8055.00	7539.50	7948.90
अक्तूबर, 2015	297.55	245.50	249.60	8336.30	7930.65	8065.80
नवंबर, 2015	270.80	225.15	233.70	8116.10	7714.15	7935.25
दिसंबर, 2015	236.45	206.65	226.55	7979.30	7551.05	7946.35
जनवरी, 2016	231.30	173.65	192.80	7972.55	7241.50	7563.55
फरवरी, 2016	199.20	152.25	155.90	7600.45	6825.80	6987.05
मार्च, 2016	174.40	156.00	166.20	7777.60	7035.10	7738.40

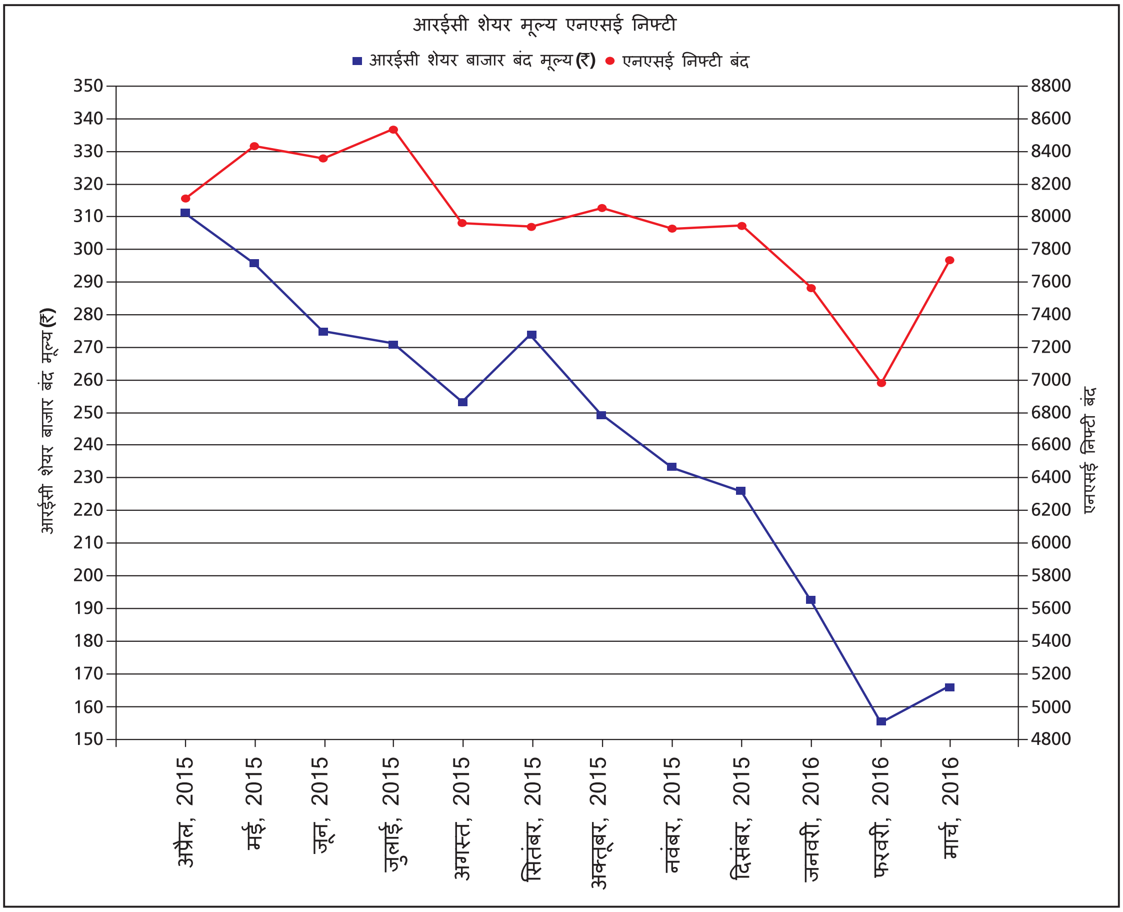

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी का कार्य-निष्पादन

बीएसई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				बीएसई सेंसेक्स का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च	निम्न	माह की समाप्ति
अप्रैल, 2015	347.80	309.25	311.55	29094.61	26897.54	27011.31
मई, 2015	321.50	284.25	296.15	28071.16	26423.99	27828.44
जून, 2015	299.00	267.70	275.15	27968.75	26307.07	27780.83
जुलाई, 2015	301.20	267.35	271.35	28578.33	27416.39	28114.56
अगस्त, 2015	281.85	211.40	253.40	28417.59	25298.42	26283.09
सितंबर, 2015	278.00	232.00	273.65	26471.82	24833.54	26154.83
अक्तूबर, 2015	297.25	245.30	249.35	27618.14	26168.71	26656.83
नवंबर, 2015	270.60	225.00	233.80	26824.30	25451.42	26145.67
दिसंबर, 2015	236.70	206.80	226.55	26256.42	24867.73	26117.54
जनवरी, 2016	231.30	174.00	192.60	26197.27	23839.76	24870.69
फरवरी, 2016	199.00	152.50	156.15	25002.32	22494.61	23002.00
मार्च, 2016	174.30	156.00	166.10	25479.62	23133.18	25341.86

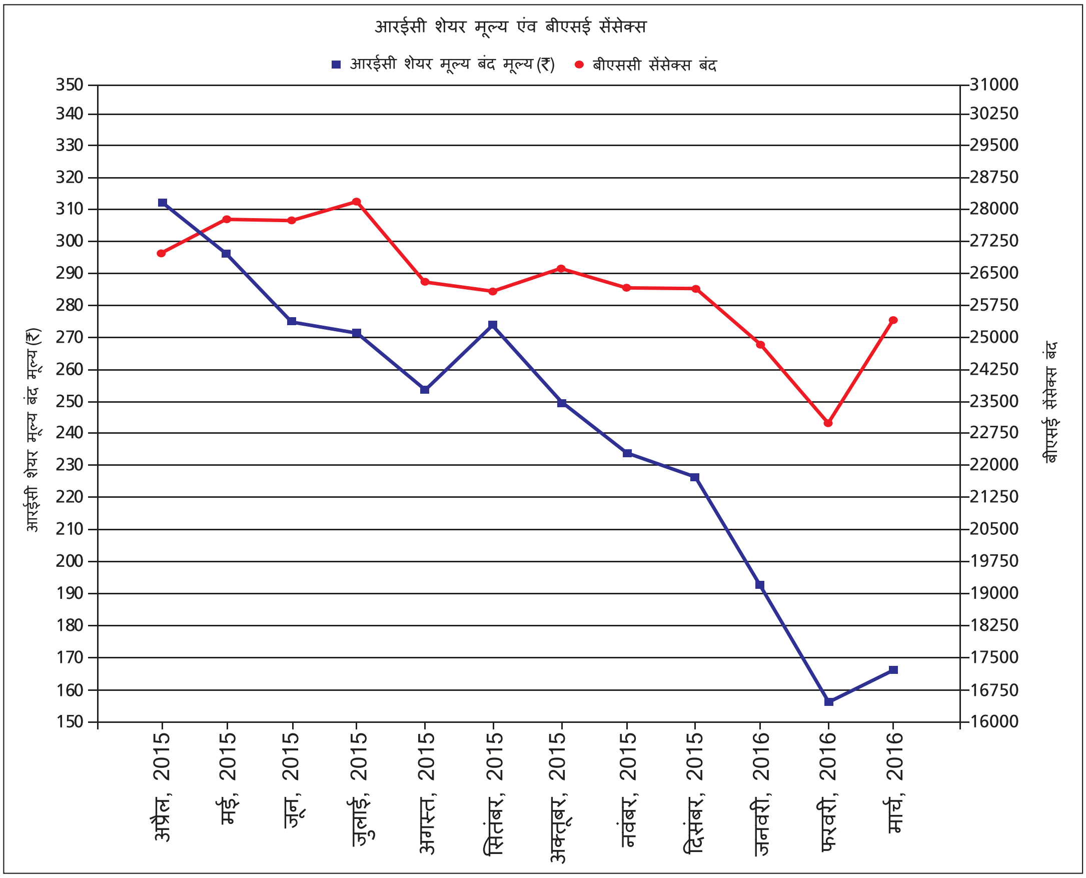

ix. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गाछी बावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत

दूरभाष : 91-40-67161500 फैक्स : 91-40-23420814

ई-मेलः einward.ris@karvy.com,raju.sv@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com

वेबसाइटः www.karvycomputershare.com

x. शेयर अंतरण प्रणाली

वास्तविक खंड (फिजिकल सेगमेंट) के तहत शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरित से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इसका अंतरण ज्ञापन तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक वास्तविक (फिजिकल) शेयरों के विभाजन/ समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

शेयर अंतरण समिति का भी गठन किया गया है, जो प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों से अधिक के शेयरों का विभाजन/ समेकन/ वास्तविक शेयरों का अंतरण करने के संबंध में शेयरधारकों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार करती है और उन्हें अंतरित करती है।

इसके अलावा, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) और (10) के अनुसरण में छमाही आधार पर व्यवसायी कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र प्राप्त करता है जिसमें कंपनी द्वारा शेयर अंतरण की औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करते हुए निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का सभी अंतरण निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा कर लिया गया है।

xi. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरणः

शेयरों की सं.	शेयरधारकों की सं.	शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयर	रकम (₹)	शेयरों का प्रतिशत
1 - 5000	2,48,115	99.46	3,74,57,694	37,45,76,940	3.79
5001 - 10000	496	0.20	35,64,490	3,56,44,900	0.36
10001 - 20000	256	0.10	37,04,698	3,70,46,980	0.38
20001 - 30000	94	0.04	23,67,770	2,36,77,700	0.24
30001 - 40000	57	0.02	20,16,803	2,01,68,030	0.20
40001 - 50000	41	0.02	18,58,625	1,85,86,250	0.19
50001 - 100000	113	0.05	80,74,986	8,07,49,860	0.82
100001 एवं इससे ऊपर	301	0.12	92,84,13,934	9,28,41,39,340	94.02
जोड़	**2,49,473**	**100.00**	**98,74,59,000**	**9,87,45,90,000**	**100.00**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का प्रतिरूप

श्रेणी	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
	शेयरों की सं.	जोड़ का प्रतिशत	शेयरों की सं.	जोड़ का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति*	59,87,67,680	60.64	64,81,68,218	65.64
विदेशी संस्थागत निवेश	13,01,54,551	13.18	17,95,83,870	18.19
बीमा कंपनियां	8,35,86,726	8.46	3,84,14,283	3.89
म्युचुअल फंड	2,07,39,064	2.10	3,15,15,282	3.19
निगमित निकाय	1,72,69,411	1.75	2,90,72,645	2.94
निवासी व्यक्ति	4,12,61,231	4.18	2,77,68,025	2.81
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	8,08,69,261	8.19	2,64,37,401	2.68
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	68,08,984	0.69	21,53,767	0.22
हिंदु अविभक्त कुटुंब	21,91,503	0.22	11,99,657	0.12
अनिवासी भारतीय	17,16,781	0.17	8,73,596	0.09
क्लियरिंग सदस्य	7,01,124	0.07	5,26,860	0.05
कर्मचारी	5,92,011	0.06	6,61,054	0.07
बैंक	13,62,395	0.14	5,92,295	0.06
एनबीएफसी	1,83,914	0.02	0	0
न्यास	12,54,264	0.13	4,92,047	0.05
विदेशी राष्ट्रीयता	100	नगण्य	0	0
जोड़	**98,74,59,000**	**100.00**	**98,74,59,000**	**100.00**

*वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से 08 अप्रैल, 2015 को बिक्री प्रस्ताव द्वारा आरईसी की कुल प्रदत्त पूंजी को 4,93,73,950 इक्विटी शेयर अर्थात 5 प्रतिशत का विनिवेश किया और 10 अप्रैल, 2015 को केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यम विनिमय व्यापार निधि (सीपीएसईईटीएफ) के अधीन बाज़ार बाह्य लेनदेनों के माध्यम से आरईसी की कुल प्रदत्त पूंजी 27,528 इक्विटी शेयरों अर्थात 0.003 प्रतिशत का भी विनिवेश किया। 31 मार्च, 2016 को भारत के राष्ट्रपति की इस कंपनी में 60.64 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी धारित है।

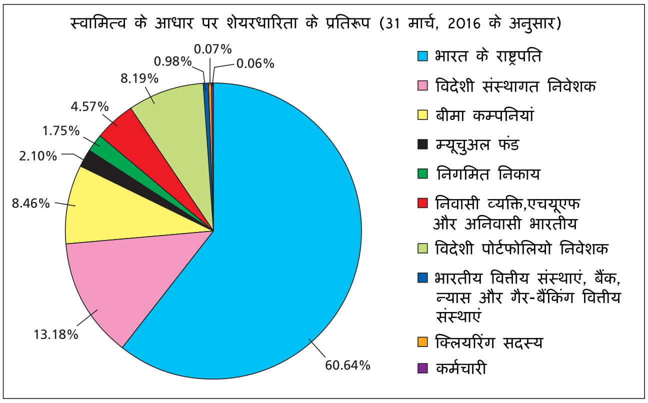

xii. शेयरों का डीमैट किया जाना

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट किए जाने के खंड (सेगमेंट) में हैं और नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं। डिपॉजिटरीज के नाम और पते इस प्रकार हैः

नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअल पारेल, मुंबई - 400 013	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड फिरोज जीजीभॉय टावर्स, 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 023

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार डीमैट किए गए और वास्तविक (फिजिकल) रूप में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या इस प्रकार हैः

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
वास्तविक (फिजिकल)	9,377	15,407	नगण्य
एनएसडीएल (डीमैट)	1,64,531	97,31,19,686	99.00
सीडीएन (डीमैट)	75,565	1,43,23,907	1.00
जोड़	**2,49,473**	**98,74,59,000**	**100.00**

xiii. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्त वर्ष 2015-16 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, सिकंदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और वित्त वर्ष 2015-16 की प्रत्येक तिमाही की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयर पूंजी एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध वास्तविक (फिजिकल) रूप में शेयरों की कुल संख्या और डीमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. डीमैट सस्पेंस लेखा का विवरण

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी किया जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया (इश्यू) निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ऑफर) जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

डीमैट सस्पेंस लेखे में 31 मार्च, 2016 को अदावाकृत शेयरों का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)		अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)	
		मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.	मामलों की सं.	शामिल शेयरों की सं.
1.	01 अप्रैल, 2015 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और सस्पेंस खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	265	21,612	4	390
2.	ऐसे शेयरों की संख्या, जिन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से सपर्क किया था	2	181	शून्य	शून्य
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिनके अदावाकृत शेयर वित्त वर्ष के दौरान सस्पेंस खाते में अंतरित किए गए थे	2	181	शून्य	शून्य
4.	31 मार्च, 2016 के अनुसार शेयरधारकों और अधिशेष खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	263	21,431	4	390

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार को उस समय तक बंद रखा जाएगा जब तक उनके सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करते हैं।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/ एडीआर/ वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत नहीं किया गया है।

xvi. स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क की अदायगी की है।

xvii. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरियों) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी समय पर कर दी है।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति

क्योंकि कंपनी एक सरकारी वित्तीय संस्था है, अतः इसका कोई संयंत्र नहीं है। लेकिन इस कंपनी के 18 परियोजना कार्यालय हैं, जिनमें पांच आंचलिक कार्यालय, तीन उप-कार्यालय और एक प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल है।

xix. पत्राचार का पताः

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-11003, भारत

xx. कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

xxi. अनुपाल अधिकारी और सरकारी प्रवक्ता

श्री जे. एस. अमिताभ, महाप्रबंधक और कंपनी सचिव
टेलीफोन : 91-11-24367305, फैक्स : 91-11-24362039
ई-मेल: complianceofficer@recl.nic.in, jsamitabh@recl.nic.in

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 00973413)

स्थान : नई दिल्ली
तरीख : 11 अगस्त, 2016

निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट का अनुबंध क

गैरजरूरी अपेक्षाएं

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार निगमित सुशासन से संबंधित वांछनीय अपेक्षाओं की स्थिति इस प्रकार हैः

1. **निदेशक मंडल :** कंपनी का प्रमुख कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं।
2. **शेयरधारकों के अधिकार** : कंपनी शेयरधारकों/ निवेशकों को सभी सूचना समय पर उपलब्ध करा रही है ताकि उन्हें कंपनी के प्रमुख निर्णयों की पर्याप्त जानकारी हो।
3. **लेखापरीक्षा संबंधी शर्तें** : वित्त वर्ष 2015-16 के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी कोई शर्तें नहीं हैं और कंपनी हमेशा यह प्रयास करती है कि वह बिना शर्त के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे।
4. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद :** हमारी कंपनी में अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद नहीं हैं। आरईसी सरकारी कंपनी होने के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निभाई जा रही है।
5. **आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग :** कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है और वे अपनी सभी टिप्पणियों की सूचना सीधे लेखापरीक्षा समिति को देते हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली।

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टाक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 और सरकारी उद्यम विभाग (बीपीई), भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधक वर्ग का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तें का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का पालन किया है, जैसाकि स्टाक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 और सरकारी उद्यम विभाग (बीपीई), द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमो (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में अनुबंधित हैं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के परिणामतः कंपनी की लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति 22 दिसंबर, 2015 से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमो (सीपीएसई) के लिए सरकारी विभाग द्वारा जारी किए गए निगम सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं लेकिन कंपनी के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक न होने के कारण 31 मार्च, 2016 को निदेशक मंडल का गठन सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013 और सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्र सरकारी क्षेत्रक उद्यमो के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता संख्या 081085

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

(अनिल गौर)
भागीदार
सदस्यता संख्या 017546

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 अगस्त, 2016

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IV

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):** एल40101डीएल1969जीओआई005095
2. **कंपनी का नाम :** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
3. **पंजीकृत पता:** कोर- 4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4. **वेबसाइट :** www.recindia.gov.in
5. **ई-मेल आईडी :** complianceofficer@recl.nic.in
6. **रिपोर्ट के अधीन वित्त वर्ष:** 2015-16
7. **क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

   ग्रुप: 649, श्रेणी: 6492, उपश्रेणी : 64920: अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप-अन्य ऋण मंजूरी

   विवरण: इस श्रेणी में मुख्यतया उन संस्थानों द्वारा जो मौद्रिक मध्यमान (जैसे कि उद्यम पूंजी कंपनियां, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब) में शामिल नहीं हैं, ऋण देने से संबंधित वित्तीय सेवा कार्यकलाप शामिल है, जहां ऋण की मंजूरी कई रूपों में, जैसे कि ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड, आदि रूप में हो सकती है।

   भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आईएफसी) के रूप् में नामोदिष्ट कंपनी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और कंपनी विद्युत क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी हुई है।

8. **तीन ऐसे मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण कर रही है/ प्रदान कर रही है (जिनका उल्लेख तुलनपत्र में है)**

   आरईसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों की विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करता है। इसके मुख्य उत्पाद में आवधिक ऋण, मध्यवर्ती ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। आरईसी को सभी ग्रामीण आवासों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए “दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)-ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और घरेलू आवासों के विद्युतीकरण की योजना” के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजसेंसी के रूप् में नाहिमत किया गया है। इसके अलावा, आरईसी को वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है जो सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है।

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है-**

   अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (पांच प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण दें) : कोई नहीं

   राष्ट्रीय स्थानों की संख्या : देश में आरईसी के 22 स्थानों, यथा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकुला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वड़ोदरा, बैंगलूरू, तिरुवनंतपुरम, भवनेश्वर, हैदराबाद (परियोजना कार्यालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना, रायपुर और वाराणसी में कार्यालय हैं।

10. **बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है-स्थानीय/राज्य/ अंतर्राष्ट्रीय:**

    आरईसी केवल भारतीय बाजारों में कारोबार करता है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।

खंड खः कंपनी के वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी (₹) :** 987.46 करोड़
2. **कुल कारोबार (₹)** : 23,756.28 करोड़
3. **कर पश्चात कुल लाभ (₹)** : 5,627.66 करोड़
4. **कर-पश्चात लाभ (%) के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल खर्चः**

   वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरईसी ने ₹ 128.20 करोड़ (वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यान्वयन के तहत अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए खातों में प्रावधान किए गए ₹ 24.91 करोड़ सहित) की राशि खर्च की है, जो पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% से अधिक है।

5. **ऐसे क्रियाकलापों की सूची, जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया है।**

   जिन प्रमुख क्षेत्रों में उपर्युक्त व्यय किया गया है, उनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं।

   क. स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल

   ख. शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाएं

   ग. महिला सशक्तिकरण, वृद्धाश्रम और महिलाओं के लिए होस्टल स्थापित करना

   घ. पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता आदि

   ड. राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की सुरक्षा और

   च. ग्रामीण विकास संबंधी परियोजनाएं

खंड गः अन्य ब्यौरे

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं?**

जी हां, 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित 2 पूर्ण स्वामित्व बाली कंपनियां हैं।

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल2007जीओआई165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएनःयू40101डीएल2007जीओआई157558)

इसके अलावा 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित परियोजना विशिष्ट, विशेष व्हिकल (एसपीवी), आरईसीटीपीसीएल की पूर्णतः स्वामित्व बाली सहायक कंपनियां भी विद्यमान थीं।

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनःयू40104डीएल2012जीओआई245654)*

(ii) बेरा स्यूल सरगना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) (सीआईएनःयू40106डीएल2013जीओआई247564)*

(iii) एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40300डीएल2015जीओआई284168)

(iv) नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड (एनकेटीएल)(सीआईएनःयू40103डीएल2015जीओआई287880)#

(v) खरगौन ट्रांसमिशन लिमिटेड (केटीएल) (सीआईएनःयू40300डीएल2015जीओआई287933)

(vi) ट्रांसमिशन लिमिटेड (डीटीएल) (सीआईएनःयू40300डीएल2015जीओआई288066)

(vii) एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनःयू40106डीएल2015जीओआई279300)

* विद्युत मंत्रालय /सीईए द्वारा अधिसूचित किए जाने के परिणामतः ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के प्रावधानों के अधीन विघटित की गई हैं।

\# "नॉर्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड" नामक सहायक कंपनी को उसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित सफल बोलीदाता अर्थात मैसर्स अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिनांक 08 जुलाई, 2016 को अंतरित किया गया है। इस प्रकार यह कंपनी उपर्युक्त तारीख से आरईसीटीपीसीएल/ आरईसी की सहायक कंपनी नहीं रह गई है।

2. **क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।**

जी, हां। आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व (बीआर) संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लकेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए, आरईसी ने पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आरईसीटीपीसीएल को अपनी सीएसआर पहलों के तहत 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अधीन स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा आरईसीपीडीसीएल ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों के अधीन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण भी किया है। इसके अतिरिक्त आरईसीपीडीसीएल, 1000 दिन की लक्ष्य समयावधि के अंदर देश के शेष 18,452 अविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण के कार्य के मॉनीटरिंग में भी लगा हुआ है। इस संबंध में एक मोबाइल एप "जीएआरवी (ग्रामीण विद्युतीकरण), 14 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया है, जो प्रत्येक गांव को विद्युतीकरण कार्य संबंधी वास्तविक अद्यतन सूचना देता है। यह मोबाइल एप सभी स्टेक होल्डरों को देखने के लिए उपलब्ध है, जिसमें बड़ी संख्या में आमजनता भी शामिल है। यह मानीटरिंग टूल और विद्युतीकरण संबंधी कार्यों की प्रगति में पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी दोनों कार्य करता है।

3. **क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान /संस्था (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) है जो कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठान/संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें। (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)**

अपने सभी हितधारकों के लिए संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आरईसी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर बढ़े हुए अपने ध्यान सहित जिम्मेदार कारोबार पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है। उक्त के लिए आरईसी अपने कारोबार सहयोगियों को अपनी बीआर पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरईसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के अधीन संपोषणीय परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफीसेंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को काम पर लगाता है।

खंड घः कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. **कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण :**

(क) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

डीआईएन : 03464342

नाम : श्री संजीव कुमार गुप्ता

पदनाम : निदेशक (तकनीकी)

(ख) कारोबार दायित्व के प्रमुख का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरे
1.	डीआईएन (यदि लागू हो)	03464342
2.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
3.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
4.	दूरभाष नंबर	011-43091522
5.	ई-मेल पता	skgupta@recl.nic.in

2. **सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में दें)**

दिनांक 4 नवंबर, 2015 के परिपत्र के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (2) (च) के अनुसार, सेबी ने यह तय किया है कि सर्वोच्च 100 सूचीबद्ध कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन के संबंध में उनके द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित नौ सिद्धांतों पर आधारित ढांचागत कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करें :

पी1- कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए।

पी2- कारोबार को ऐसे माल और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।

पी3- कारोबार को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4- कारोबार को सभी हितधारकों और विशेषतः ऐसे हितधारकों का जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5- कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6- कारोबार का पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

पी7- जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।

पी8- कारोबार को समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।

पी9- कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करे।

(क) अनुपालन का दायित्व (हां/नहीं में उत्तर दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/सीईओ/समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में किसी नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	क्या इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कोई लिंक है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति के संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/इन नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंकों का इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है।

2 क. यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 का उत्तर "नहीं" हो, तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं (दो विकल्पों को टिक करें)

लागू नहीं।

3. **कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन**

- **कृपया उस बारम्बारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। तीन माह के अंदर, 3-6 माह, वर्ष में, एक वर्ष से अधिक समय के भीतर**

  वार्षिक आधार पर

- **क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का संपर्क साधन क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है?**

  जी, हां। आरईसी कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करता है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने के लिए संपर्क सूत्र http://recindia.gov.in/download/ar2015-16.pdf है।

खंड ङ : सिद्धांतवार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1-नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. **क्या कंपनी में केवल नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है? हां/नहीं। क्या इसे संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ गैर-सरकारी संगठनों/अन्य पर भी लागू किया गया है?**

   आरईसी अपने सभी क्रियाकलापों में व्यावसायिक रूप से निष्पक्षता के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस निगम में "कपट निवारण नीति" है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे। कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए 'चौकसी तंत्र' भी स्थापित किया है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता अथवा शिकायत की रिपोर्ट कर सके। ऐसे चौकसी तंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में, आरईसी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी बनाई गई है। यह पॉलिसी आरईसी और / अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के भीतर किसी अनुपयुक्त गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 'संबंधित पार्टी के लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी के लेनदेन के व्यवहार पर नीति' बनाई है जिसमें पर्याप्त क्रियाविधि निर्धारित की गई है और जो ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन का निर्धारण करती है।

   कंपनी ने, स्टॉक एक्सचेंज को प्रकट करने के लिए समारोह (इवेंट) या सूचना का महत्व निर्धारित करने के लिए एक नीति बनाई है, इसके अलावा कंपनी की एक लाभांश वितरण नीति है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य और आंतरिक कारकों का उलेख किया गया है। इसमें ऐसे वित्तीय मापदंड भी शामिल हैं, जिनपर लाभांश की घोषणा करते समय और उन परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, जिनके अधीन कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।

   आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) भी बनपाए हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीति, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं। अन्य हितधारकों से आरईसी के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की पुष्टि करना अपेक्षित है। इसके अलावा, "निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" भी अंगीकृत की गई है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) की उचित प्रक्रिया संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने भी अपने ऋण से चलने वाले कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार की है जो उचित लेन-देन और अपने व्यावसायिक लेनदेनों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कर्जदारों को कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देने की इच्छा रखती है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।**

   वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अधीन कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी को सामान्य शिकायतें (अज्ञात /छद्मवेशी शिकायतों के अलावा) प्राप्त नहीं हुईं। थीं। इनमें से 6 शिकायतें नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मुद्दों से संबंधित थी जिनकी छानबीन/जांच की ई थी लेकिन प्रत्यक्षतः नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों से संबंधित कोई शिकायत नहीं थी।

   इसके अतिरिक्त, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति) से क्रमशः 547 और 2,656 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शेयरधारकों एवं बांडधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों को संतोषपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया सिवाय एक इक्विटी शेयरधारक शिकायत के जिसका भी अब तक समाधान कर लियागया होगा।

सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में सातत्य

1. **अपने उत्पादों या सेवाओं में से किन्ही 3 की सूची दीजिए, जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।**

   आरईसी देश में सतत विकास की जरूरत के प्रति सचेत है और हमारा परियोजना वित्त कारोबार अपने ऋण प्रचालनों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करता है। आरईसी भारत सरकार की पहल डीडीयूजीजेवाई के अधीन सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली पहुंचाने के लिए रियायती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, कंपनी की पूर्वेत्तर राज्यों के विकास तथा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने की नीति है।

   आरईसी ने 1,000 दिन के निर्धारित समय-सीमा के अंदर देश के शेष 18,452 अीविद्युतकृत गांवों को विद्युतीकरण के मानीटरिंग की पहल शुरू की है और 14 अक्तूबर, 2015 को मोबाइल एप्प "जी ए आर यू" (ग्रामीण विद्युतीकरण) शुरू किया गया है, ताकि प्रत्येक गांव को विद्युतीकरण की प्रस्थिति के संबंध में अद्यतन वास्तविक समय की जानकारी दे जा सके। इसके अलावा कंपनी ने अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी पहलों के अंतर्गत "स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अधीन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने कार्यालयों में सभी पारंपरिक लाइट फिटिंग / सी एफ एल के स्थान पर ऊर्जा दक्षता एलईडी लाइट लगा दी है।

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) क संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें :**

   कंपनी के कारोबार की प्रकृति और ऊपर उल्लिखित उत्पादों/पहलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न आरईसी पर लागू नहीं होते हैं :-

   I **पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त स्रोत/ उत्पादन/पहलों के दौरान कमी?**

   जैसा कि हमारा उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, खपत का मुख्य स्रोत पेपर है। वर्ष के दौरान,आरईसी ने प्रिंटिंग एवं अपने पेपर प्रापण प्रक्रिया के व्यवस्थापन के जरिए पेपर की खपत को कम करने पर ध्यान दिया है। आरईसी ने कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपर एकत्र करने के लिए तथा इसके दोबारा प्रयोग के लिए एक तंत्र भी आउटसोर्स किया है। इसके अतिरिक्त सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफएल को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से बदल कर आरईसी के कार्यालयों को अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया गया है।

II पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग (ऊर्जा, जल) के दौरान कमी लाई गई है?

जैसाकि आसरईसी के उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा एवं जल जैसे संसाधन खपत मामूली थे और इसे और कम करने के प्रयास किए गए थे।

3 क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतों के स्थान पर प्रक्रियाएं है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्रोतों से व्यवस्था की जाती है? इसके अलावा लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। हमारी प्रमुख महत्वपूर्ण अपेक्षाएं कार्यालय, संचार एवं आईटी से संबंधित उपकरण हैं। अपनी प्रापण जरूरतों के सीमित कार्य-क्षेत्र के बावजूद हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार स्रोतीकरण को सुनिशचित करने के लिए पहल बनाए हुए हैं। हमारे प्रमुख प्रापण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विस्तृत प्रापण दिशानिर्देश हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की है? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। तथापि, हम अन्यों से तुलना करने की बजाए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान एवं सेवाओं को तरजीह देते हैं। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन करते हैं।

5. क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए कोई तंत्र है? यदि हां, तो उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण की प्रतिशतता क्या है (5 प्रतिशत से कम, 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक, 10 पतिशत से अधिक के रूप में अलग-अलग) इसके ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में अथवा इसके आसपास के शब्दों में दें।

कंपनी, जो एक वित्तीय संस्थान है, के पास उत्पादों एवं अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए सीमित तंत्र क्षमता है। तथापि, कंपनी ने इनके पुनः चक्रण के लिए कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपरों को एकत्र करने के लिए तंत्र को आउटसोर्स किया है।

इसके अलावा, हमने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा चक्रण यथा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011 का भी केवलसरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अवशिष्ट पुनः चक्रण के जरिए ई-अवशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को कम से कम करने के और महत्वपूर्ण निपटान के विशिष्ट उद्देश्य से पालन किया है।

सिद्धांत 3 : कर्मचारी हित

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 600 कर्मचारी थे।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी ने अस्थायी /संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था। तथापि, कंपनी ने अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर व्यवस्थापन एजेंसियों के जरिए अस्थायी स्टाफ की सेवाओं का उपयोग किया।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 97 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 14 'दिव्यांग' स्थायी कर्मचारी थे।

5. क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?

जी हां, आरईसी ने अपने गैर-पर्यवेक्षी स्थायी कर्मचारियों की यूनियन और कार्यपालकों की एसोसिएशन को मान्यता प्रदान की है।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य हैं?

कंपनी के सभी नियमित कर्मचारी, कर्मचारी यूनियन या कार्यपालक एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या का उल्लेख और वित्त वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।

कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2016 को ऐसी कोई शिकायत भी लंबित नहीं है। इसके अलावा, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्ष कपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिला अधिकारी है और इसके एक सदस्य के रूप में एक एनजीओ प्रतिनिधि शामिल है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अवस्थिति भी आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में बताई गई है।

8. आपके निम्न उल्लिखित कार्मिकों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया?

(क) स्थायी कर्मचारी

(ख) स्थायी महिला कर्मचारी

(ग) नैमित्तिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी

(घ) निःशक्त कर्मचारी

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के संबंध में इन प्रश्नों की सीमित सुसंगता है।

कर्मचारी का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी की उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 40 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों, 31.9

प्रतिशत स्थायी महिला कर्मचारियों और 42.8 प्रतिशत निःशक्त स्थायी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 1,096 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।

कंपनी का हैदराबाद में "सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)" नामक प्रशिक्षण संस्थान भी है, जहां इसके कर्मचारियों हेतु बदलती हुई कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने क लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों क लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 4: हितधारकों से जुड़ाव

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मापित किया है?**

   जी, हां।

2. **उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है?**

   जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है। आरईसी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निशुल्क टेंडर सेट जारी करने, बयाना राशि के भुगतान में छूट, जिस मौद्रिक सीमा तक यूनिट पंजीकृत है उतनी सीमा की सिक्योरिटी जमा की छूट, जैसी सुविधाएं देता है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अवसर प्रदान करता है।

   इसके अलावा आरईसी ने सेवा के दौरान स्टाफ एवं उनके आश्रितों से संबंधित कर्मचारी अभिमुखी नीतियों को सामान्य नियमों एवं विनियमों की दिशा में स्वीकार किया है और ठोस नीतिपरक पद्धतियों का कर्मचारी लाभों, भर्ती में समान अवसरों की प्रतिबद्धता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय रूप से अपनाया है, जो सुरक्षा, पोषण का माहौल प्रदान करने और व्यावसायिक आकांक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है।

   कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों के अधीन, कंपनी युवाओं को कार्य-अभिमुखी कौशल विकास प्रशिक्षण देने और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं, महिला सशक्तीकरण, वृद्धाश्रम और महिलाओं के लिए होस्टल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने, ग्रामीण विकास परियोजनाओं आदि पर बल देता है।

3. **क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों के जुड़ाव के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   जी हां। कंपनी नियमित रूप से अपने आंतरिक एवं बाह्य साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों से जुड़ने के लिए पहल करती है। आरईसी मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में "यूएन वैश्विक समझौता" के सिद्धांत कामोटे तौर पर पालन करती है, जो वैश्विक रूप से सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं। एससी/एसटी के स्वामित्वाधीन वाले माइक्रो और लघु उद्यमों सहित एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, लोक प्रापण नीति आदेश, 2012 में उल्लिखित सभी निदेशों को आरईसी प्रापण दिशानिर्देश में शामिल कर लिया गया है।

   प्रत्येक वर्ष कंपनी सीएसआर और धारणीयता कार्यकलापों के लिए अपने निवल लाभ का कुछ प्रतिशत अलग से निर्धारित करती है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, प्रौढ़, अशक्त व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं आदि को समर्थ बनाने की दृष्टि से, बहुत सारे लाभग्राहियों तक पहुंच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाओं को निधि और समर्थन देने के लिए है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू किए गए इस तरह की कुछ पहलें निम्नवत हैं :

   1. सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित करना, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को (जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं) कार्य-अभिमुखी, कौशल विकास प्रशिक्षण देना।
   2. चुने हुए जिलों के औविद्युतकृत / बहुत कम विद्युतीकृत गांवों के घरों में सौर सूक्ष्म ग्रिड स्थापित करने की परियोजना।
   3. ग्रामीण आजीविका में सुधार करने के लिए कृषक-क्रेंद्रित एकीकृत वाटरशेड का विकास संबंधी कार्यक्रम।
   4. शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने संबंधी परियोजनाएं और चुने हुए जिलों में चुनी हुई महिला शिल्पियों को संपोषणीय आजीविका मुहैया कराना।
   5. चुने हुए राज्यों के चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा संबंधी परियोजनाएं, सचल स्वास्थ्य देखभाल वैन, चुनी हुई स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं में बुनियादी ढांचा/सुविधाएं स्थापित करना/उच्चीकृत करना, समाज के कमजोर वर्ग के चुने हुए अशक्त व्यक्तियों को सहायक यंत्र, उपकरण और कृत्रिम अंगों आदि का वितरण।

सिद्धांत 5 : मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

1. **क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों के जुड़ाव के लिए कोई विशेष पहल की है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   आरईसी "यूएन वैश्विक समझौता" का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा मूल सिद्धांतों और कार्य के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी आरआईओ घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन से प्राप्त किए जाते हैं।

   कंपनी के कारोबार को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं तथा कर्मचारियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही अच्छी नैतिक व्यवहार संबंधी पद्धतियों के अनुसार है इसके अंतर्गत कर्मचारियों के हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण जैसे क्षेत्र आते हैं, जिनके माध्यम से सुरक्षा का वातावरण, व्यावसायिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास और अवसर मुहैया कराने की कोशिश की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि स्थायी संगठन मानव अधिकारों की नैतिकता और सम्मासन की नींव पर खड़ा होता है और कंपनी विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिकतम प्रतिभावान लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें रिटेन करते हुए कार्यस्थल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह उस सिद्धांत को महत्व देती है जो प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ता है और समान अवसरों के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है, जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।

2. **पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है?**

कंपनी को हितधारकों से मानव अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 - पर्यावरण संरक्षण

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/ अन्यों पर भी लागू होती है?**

कंपनी अपने समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों को पर्यावरणीय संरक्षण और स्थायित्व पर केंद्रित पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है अतः पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कंपनी की नीति हमारे सभी ग्रुप की कंपनियों पर लागू है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी आरईसीपीटीसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के तहत गंगा नदी के नवीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा फंड में अंशदान दिया है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों (उधारकर्ताओं) को अपने परिचालनों में पर्यावरणीय व सामाजिक स्थितियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।

2. **क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है? कृपया हां / नहीं में उत्तर दें। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए संबंध संपर्क सूत्र दें।**

आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरू कर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है। कंपनी ने पारंपरिक विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की तुलना में नवीकरणीय परियोजनाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी ने सौर, पवन और वायुमार्ग परियोजनाओं सहित ग्रिड से जुड़ी 11 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रुपये 2965.72 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है और इस वित्त वर्ष के दौरान रुपये 304.07 करोड़ रुपये का ऋण सहायता संवितरित की है।

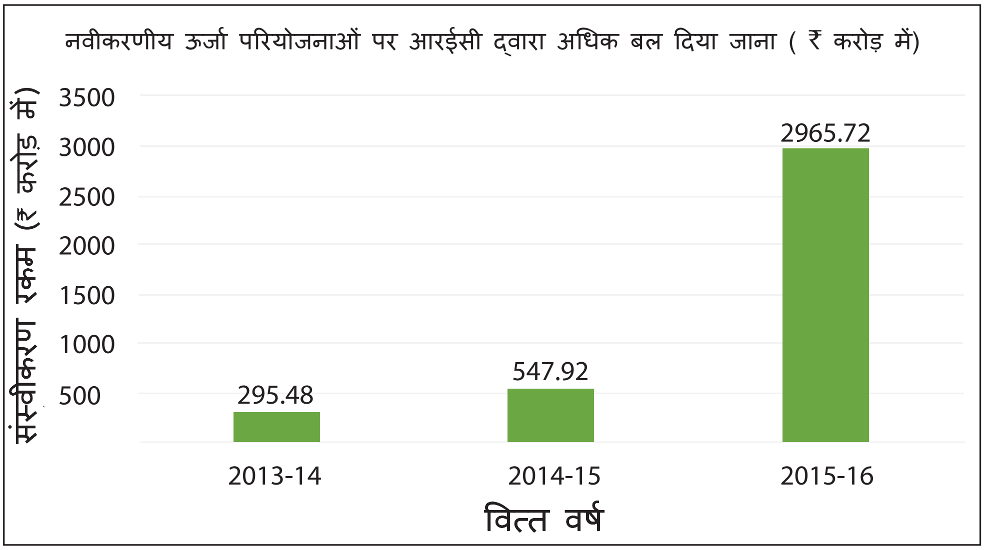

3. **क्या कंपनी ने पर्यावरणीय संभावित संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन कर लिया है? हां/नहीं।**

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी सभी बुनियादी सुविधाओं वाली ऐसी परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगाता है और उनका मूल्यांकन करता है, जो आरईसी द्वारा वित्तपोषित हैं। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कमी करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, गौण सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4. **क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है?**

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरू कर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें भी की हैं? कृपया उत्तर हां/नहीं में दें।यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए संबंध संपर्क सूत्र दें।**

जी हां, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा आरईसी के कार्यालयों को अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया गया है। यह कार्य सभी पारंपरिक लाइट फिटिंग/सीएफएल के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट लगाकर किया गया है। विकेंद्रीयकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) योजना के अधीन कंपनी पारंपरिक या नवीकरणीय गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे वायोमास, वायोगैस, माइक्रोहाइड्रो, पवन, सौर आदि से डीडीजी परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की सब्सिडी देने के लिए एक एजेंसी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों के अधीन सौर लालटेन के वितरण के लिए निधियों में अंशदान भी किया है। कंपनी की संबंधित पहलों के विवरण के लिए कृपया "कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट" देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

6. **क्या इस वित्त वर्ष के संबंध में सीपीसीबी/एमपीसीबी द्वारा उल्लिखित अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में सूचना दी गई है?**

उपर्युक्त प्रश्न की इस कंपनी के संदर्भ में सीमित सुसंगतता है, क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी परिसरों एवं प्रचालनों के संबंध में अनुप्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमों का पालन करती है।

7. **वित्त वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/नोटिसों की संख्या, जो लंबित पड़े हों (अर्थात जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान न हुआ हो)**

आरईसी को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7 : जिम्मेदार लोक नीति की पैरवी

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैंबर या एसोसिएशन की सदस्य है? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।**

जी, हां। आरईसी विश्व एनर्जी काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पॉवर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में भाग लेते हैं।

2. **क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है? हां/नहीं; यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें। (ड्रॉप बॉक्स : सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा स्थायी कारोबार के सिद्धांत, अन्य)**

कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

इसके अलावा कंपनी, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन, विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण, कार्य-अभिमुखी कौशल विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल मुहैया कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जैसी कई पहलों पर भी कार्य कर रही है, जिनमें वृद्धों और अशक्त व्यक्तियों की देखभाल तथा पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों आदि का प्रोन्नयन संबंधी पहलें भी शामिल हैं।

सिद्धांत 8 : समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास

1. **क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो उनका विवरण दें।**

यह कंपनी अपनी सीएसआर और संपोषणीय नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास के सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम / पहलें/परियोजनाएं हाथ में लेती है। इस नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के अनुसार किए गए विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों और पहलों के बारे में विस्तृत सूचना "कारपोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट" में दिए गए हैं। जो इस रिपोर्ट का भाग है।

2. **क्या इन कार्यक्रमों / परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल / अपने फाउंडेशन /बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे / अन्य किसी संगठन द्वारा किया गया है?**

यह कंपनी अपने कार्यों के मुख्य क्षेत्रों के अनुसार विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर क्रियाकलाप /परियोजनाओं के संबंध में कार्य करती है। ये एजेंसियां सरकारी संगठन/अर्द्ध सरकारी संगठन/पीएसयू /स्वायत्त संगठन/सहायक कंपनी/धारा 8 के अधीन पंजीकृत कंपनी या पंजीकृत न्यास / टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंस (टीआईएसएस) की सूची में शामिल सोसायटियां / सरकारी विभाग और /या ऐसे संगठन हो सकते हैं, जिन्हें इसी प्रकार के कार्य का सरकारी / अर्द्धसरकारी / पीएसयू/ स्वायत्त संगठन के साथ कार्य करने का पिछला अनुभव हो।

3. **क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?**

जी हां, कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संपोषणीय नीति के अधीन कंपनी की ऐसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों की समीक्षा करने की व्यवस्था है, जहां प्रमुख पहलों की प्रगति की इसके प्रभावों सहित मॉनीटर किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है-भारतीय रुपए में राशि और संचालित परियोजनाओं के ब्योरे?**

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने अपनी कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों पर रुपए 128.20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिनमें कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की प्रोन्नति के क्षेत्र में विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के संबंध में मुहैया कराई गई रकम भी शामिल है। इनमें वृद्धों और अशक्त व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ विद्यालय अभियान में प्रतिभागिता सहित स्वच्छता सुविधाएं, चुने गए जिलों में चुने गए अविद्युतकृत / कम विद्युतीकृत गांव के घरों में सौर माइक्रो ग्रिड आदि स्थापित करना भी शामिल है।

5. **क्या आपने सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है? कृपया, लगभग 50 शब्दों में बताएं?**

कंपनी ने अपने कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के अधीन समुदाय, सरकारी एजेंसी/विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य स्थानीय संस्था जैसे स्टेक होल्डरों को परियोजना की योजना बनाने और कार्यान्वयन संबंधी कार्य में सक्रिय रूप से लगाने को बढ़ावा देती है, ताकि कार्यक्रम की संपोषणीयता को सुनिश्चित करते समय विकास और निर्माण में समुदाय का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके। समुदाय की प्रतिपुष्टि उसी या अन्य स्थानों ऐसे कार्यक्रम के भावी विकास में उचित रूप से शामिल किया जाता है।

सिद्धांत 9 : ग्राहक मूल्य

1. **वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों / उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशतमामले लंबित हैं।**

रिपोर्टाधीन अवधि में विभिन्न स्टेक होल्डरों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में बाँडों में निवेशकों से संबंधित तीन मामले लंबित हैं।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)**

उपर्युक्त लागू नहीं है क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इसके उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में उपर्युक्त प्रकटन किए गए हैं। इस संबंध में, कंपनी ने ऑनलाइन पर "उधारकर्ता पोर्टल" विकसित कर उधारकर्ता को सीधे ईआरपी का लाभ दिया है ताकि वे वास्तविक समय आधार पर ऋणों और स्कीमों की स्थिति जान सकें।

3. **क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्त वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं? यदि हां, को कृपया लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।**

आरईसी अपनी सहायक कंपनियों सहित नीति विषयक पद्धतियों और नैतिक तथा कानूनी कारोबार संबंधी आचरण के उच्चतम संभव मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान आरईसी की पूर्णतया स्वामित्व बाली सहायक कंपनी आरईसी पीडीसीएल के खिलाफ एक मुखबिर (नाम नहीं बताया गया है) द्वारा दायर की गई सूचना पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। अब सीसीआई ने कंपनी के पक्ष में इस मामले का निपटान कर दिया है। इस संबंध में यह टिप्पणी की गई हैं कि प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 की धारा 4 के प्रावधानों का आरईसी पीडीसीएल और अन्यों के खिलाफ कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता है और इस मामले को बंद करने का आदेश दिया जाता है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि संबंधी प्रवृत्ति का सर्वेक्षण किया है?**

आरईसी उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखता है। उपभोक्ताओं के साथ समय-समय पर बैठक (बैठकें) आयोजित की जाती हैं, ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और हम कारोबार में अपनी प्रतियोगिता को अनिवार्य रूप से माप सकें।आरईसी पूरे देश में अपनी उपस्थिति को बढ़ाती है, ताकि अपने कारोबार यूनिटों यथा आंचलिक और परियोजना कार्यालयों के माध्यम से उपभोक्ताओं के साथ सतत संपर्क बनाए रखता है और उनके मुद्दों को तत्काल निपटाता है। उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिपुष्टि पर कार्रवाई की जाती है, ताकि सेवा की गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके। वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग की नियमित आधार पर बैठकें होती हैं, ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सके। इन बैठकों में ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जाता है और शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक सभी उपायों के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

कंपनी ने वर्ष 2014-15 में मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाप कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद के माध्यम से पूरे देश में अपने प्रतिष्ठित उपभोक्ताओं का उपभोक्त संतुष्टि सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारी विद्युत एनटिटीज और प्राइवेट विद्युत एनटिटीज भी शामिल थे। इस सर्वेक्षण का समग्र उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) के अंक 85.7 थे, जो औसतन अमेरिकी उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) में सर्वोच्च बैंकिंग सेवा है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुलग्नक

पी1

क्रम संख्या 3 : आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता तथा ह्विसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति में व्यापक रूप से कपट का पता लगाने और उसक निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया गया हो या जो संदिग्ध हो और कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की व्यवस्था है। इसके अलावा सेबी (एल ओ डी आर) विनिमय, 2015 के अधीन निगमित सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण निष्पक्ष और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उन्हें उसके सभी कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौकसी तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में, अनैतिक व्यवहार के बारे में उनकी वास्तविक चिंता अथवा शिकायत, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में आरईसी के निदेशकों और कर्मचारियों और / या इसकी सहायक कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से ह्विसल ब्लोअर नीति बनाई गई है। इसके अलावा कंपनी ने संबंधित पार्टी लेन-देन पर संबंधित यथार्थ पार्टी लेन-देन संव्यवहार ("आरपीटी नीति") भी बनाई है जिसमें पर्याप्त प्रक्रिया और ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन निर्धारित किए गए हैं।

क्रम संख्या6 : कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैः-

नीति का नाम	वेबलिंक
कपट निवारण नीति	http//:recindia.gov.in/download/prevention_fraud_policy.pdf
व्हिसल ब्लोअर नीति	http//:recindia.nic.in/images/pdf-files/Whistle_blower_policy.pdf
कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता	http//:recindia.nic.in/download/code_business_conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार कोड	http//:recindia.nic.in/download/fair_practice_code.pdf
संबंधित पार्टी लेन-देन और व्यवहार की महत्वपूर्ण नीति	http//:recindia.nic.in/download/RPT.pdf
सहायक कंपनियों के महत्व संबंधी नीति	http//:recindia.nic.in/download/Policy _Determining_Material_Subsidiaries.pdf

	स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट करने के लिए समारोह या सूचना के महत्व को निर्धारित करने के लिए मापदंड संबंधी नीति	http//:recindia.nic.in/download/Policy_Determining_Material._Subsidiaries.pdf
	लाभांश वितरण नीति	http//:recindia.nic.in/download/Dividend_Distribution._.Policy.pdf
	अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच है।	
पी2	कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारणीय कारोबार पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करती है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है। क्रम संख्या 6 : कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत हैः http//:recindia.nic.in/images/pdf-files/CSR_Sust-policy.pdf.	
पी3	क्रम संख्या 3. सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है जो व्यावसायिक महत्वकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए देखभाल का परिवेश, पोषण और अवसर प्रदान करने के प्रयास करता है। क्रम संख्या 6. इन नीतियों को कवेल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।	
पी4	यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन, संवेदनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं और इसके लिए कंपनी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा, कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है। क्रम संख्या 6-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत हैं : http//:recindia.nic.in/images/pdf-files/CSR_Sust-policy.pdf.	
पी5	क्रम संख्या 3-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता, उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6-कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध हैः http//:recindia.nic.in/download/Code_business_Conduct_Ethics.pdf	
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान क लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती हैं। कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।	
पी7	हालांकि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापित कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास परियोजनाएं और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त कंपनी अनुसंधान एवं विकास हेतु निधि उपलब्ध कराती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूह में भाग लेते हैं।	
पी8	आरईसी अपनी सीएसआर और संपोषणीय नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और साम्ययुक्त विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी ने इस संबंध में विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-जीविका बढ़ाने वाले महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन / प्रोन्नत करना, चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड और एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां स्थापित करना, ग्रामीणों ïh जीविका में सुधार लाने के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत जलागम विकास और चुने हुए जिलों में चुने हुए अविद्युतकृत गांवों में सौर लालटेन का वितरण । क्रम संख्या 6-कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीय नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध है : http//:recindia.nic.in/imagespdf_files/CSR_Sust_Policy.pdf_	
पी9	क्रम संख्या 3-कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हैं। क्रम संख्या 6-उपरोक्त संहिता/फार्म को क्रमशः http//:recindia.nic.in/download/Fair_Practice_Code.pdf_और http//:recindia.gov.in/download/griev_redressal_form._loans.pdf पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।	
	सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा की जाती है और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।	

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक- V

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स
7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कारपोरेट पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है कि कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय अभिव्यक्त करने का यथोचित आधार उपलब्ध कराया गया है।

कंपनी की लेखा बही, पेपर्स कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के भी हमारे सत्यापन पर आधारित, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे लिखे गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी की उपयुक्त बोर्ड प्रक्रिया है और अनुपालन तंत्र. सही है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और रूरल इलेट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (कंपनी") द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ("एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और 55 ए के अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; लागू नहीं

(ङ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(च) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी

(छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009; लागू नहीं।

(ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति प्रतिव्रय) विनियम, 1998 लागू नहीं

(vi) कंपनी के प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित और प्रमाणित किए गए अनुसार अन्य विधि जो विशेष रूप से कंपनी आधारित उनके क्षेत्र / उद्योग हैः

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश और विनियम

हमने निम्नलिखित लागू खंडों/विनियमों के अनुपालन की भी जांच की हैः

(i) भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए सचिवालय मानक और दिनांक 01.07.2015 से लागू

(ii) दिनांक 01.12.2015 से लागू कंपनी द्वारा नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड/सेबी, (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम 2015 के साथ निष्पादित सूचीकरण करार

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अलावा उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है :

(1) कंपनी ने निदेशक मंडल के गठन अर्थात स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के संबंध में लागू सूचीकरण करार के खंड 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधानों और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन की अपेक्षाएं) विनियम 2015 का पालन नहीं किया है।

(2) कंपनी ने दिनांक 22.12.2015 तक लेखापरीक्षा समिति और नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

(3) कंपनी ने दिनांक 22.12.2015 तक कारपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि-

उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों में विधिवत संतुलन रखते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

मंडल की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी समय से पहले भेजे गए हैं और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।

प्रमुख निर्णय असहमत सदस्य, यदि कोई हों, के मतों पर विचार करने के बाद लिए जाते हैं और उन्हें कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है।

यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और कार्यविधि है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने विविध परियोजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिए विभिन्न ऋण लिखतों के जरिए दीर्घावधि निधि जुटाई है, जो उपर्युक्त विधि, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों में प्रमुख स्थान रखता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है-

(क) कंपनी ने डिबेंचर के रूप में प्रत्येक रुपये 1000/- के अंकित मूल्य के कर युक्त प्रतिभूति, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड के सार्वजनिक प्रस्ताव के जरिए रुपये 700.00 करोड़ जुटाए हैं।

(ख) कंपनी के नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भी निधि-जुटाई है।

क्रम संख्या	बांडों का प्रकार	रकम (करोड़ रुपए में)
1.	पूंजीगत अभिलाभ बांड (54 ईसी पूंजीगत अभिलाभ बांड)	6476.70
2.	संस्थागत बांड	
क.	डिबेंचर श्रृंखला-133 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2396.00
ख.	डिबेंचर श्रृंखला-134 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2675.00
ग.	डिबेंचर श्रृंखला-135 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2750.00
घ	डिबेंचर श्रृंखला-136 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2585.00
ङ	डिबेंचर श्रृंखला-137 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2225.00
च.	डिबेंचर श्रृंखला-138 के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी बांड	2895.00
3.	डिबेंचर श्रृंखला 5क के रूप में प्रतिभूत प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, असंचयी, कर मुक्त बांड	300.00

रूपेश अग्रवाल
(भागीदार)

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए16302
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 5673

दिनांक : 29 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

टिप्पणी : यह रिपोर्ट इसी दिनांक के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुलग्नक-क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

सदस्य,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7, लोदी रोड नई दिल्ली-110003

1. सचिवालयी रिकार्ड के रख-रखाव का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन वर्ग का है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयी रिकॉर्ड पर अपनी राय देनी है जो हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित होगी।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और कार्यविधियों का अनुसरण किया है जो सचिवालयी रिकार्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो सकें। सत्यापन औचक आधार पर किया गया था ताकि सचिवालयी रिकॉर्ड में सही आकड़ो का प्रदर्शन सुनिस्चित हो। सके हमें विश्वास है कि हमने जो कार्यविधियां और पद्धतियां अपनाई हैं वे हमारी राय का उचित आधार हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखा बहियों की यथातथ्यता औरउपयुक्ततता का सत्यापन नहीं किया है।
4. विधि, नियमों, विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के बारे में प्रबंधन वर्ग के प्रतिनिधि से जहां कहीं अपेक्षित था, जानकारी प्राप्त की गई।
5. कारपोरेट और अन्य लागू विधि, नियम, विनियम, मानक के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रभाविता और असरदारिता का आश्वासन है, जिसके लिए प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्य किए हैं।

रूपेश अग्रवाल
(भागीदार)

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए16302
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 5673

दिनांक : 29 जुलाई, 2016
स्थान : दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VI

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1क. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः

कंपनी की **'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति'** (सीएसआर नीति) को, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके तहत बनाये गये कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 को साथ पढ़ते हुए तथा 1 अप्रैल, 2014 से लागू 'सीएसआर एवं संधारणीयता के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों' के अनुरूप तैयार किया गया था और जिसे वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अपनाये जाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कंपनी की 'सीएसआर और संधारणीयता नीति' की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

दृष्टिकोणः आरईसी सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करेगा और अपनी संसाधन क्षमताओं को जुटाएगा और अपनी कारोबारी नीति और कार्यनीति को संभव सीमा तक सीएसआर और संधारणीयता नीति से संबद्ध करेगा और ऐसे सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं को चुनेगा जिन्हें आंतरिक सुविज्ञता से बेहतर तरीके से मॉनीटर किया जा सके।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मुख्य क्रियाकलापः आरईसी निम्नलिखित क्रियाकलापों, जो संभव सीमा तक कार्यनीति रूप से, परियोजना मोड में, संकेंद्रित तरीके से किए जाएंगे, द्वारा समुदाय, सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेगा।

यद्यपि कंपनी सीएसआर परियोजनाओं को उपलब्ध विकल्पों की वृहत श्रृंखला से चुनेगा, तथापि समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु समाज की समावेशी संवृद्धि, चुने हुए/केंद्रित क्षेत्र और पर्यावरण स्थायित्व संबंधी क्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उक्त के अनुसार, कंपनी उक्त कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित क्रियाकलापों के अनुसार सीएसआर क्रियाकलापों/ परियोजनाओं को मूर्त रूप देना सुनिश्चित करेगी।

वित्तीय घटक : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय किया जाएगा।

सीएसआर के अधीन संस्थागत ढांचा : संस्थागत ढांचा निम्नलिखित अनुसार होगाः

बोर्ड की एक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('दि सीएसआर कमेटी') का गठन इस तरह किया जाएगा कि उसमें तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारी में, अन्य बातों के साथ-साथ-अनुसूची VII में उल्लिखित अनुसार, कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप तैयार करना और बोर्ड को उनकी सिफारिश करना,व्यय राशि को मॉनीटर और संस्तुत करना, निदेशक मंडल को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना, शामिल होंगे ।

निदेशक मंडल की भूमिका और जिम्मेदारी में शामिल होंगे-बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करना, बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करना और अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की विषयवस्तु का प्रकटन, सुनिश्चित करना कि अपनी सीएसआर नीति के क्रियाकलाप उक्त अधिनियम की अनुसूची VII में शामिल क्रियाकलापों से संबंधित हैं, आदि।

जबकि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सभी क्रियाकलापों पर नजर रखेगा, तथापि कारपोरेशन की सीएसआर परियोजनाओं को चलाने के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक ढांचा सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के लिए नियुक्त किया जाएगाः

क) समय-समय पर प्राप्त, जैसा भी मामला हो, विभिन्न सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के लिए डीजीएम/एजीएम स्तर के अधिकारियों के पहले स्तर की समिति; और

ख) सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता की स्वीकृति की सिफारिश के लिए, मंडल की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अनुमोदन के लिए दूसरे स्तर की समिति जिसकी अध्यक्षता बोर्ड स्तर के कम से कम एक निचले स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

सीएसआर क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु तंत्रः

बताई गई सीएसआर नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप परियोजनाएं अथवा क्रियाकलाप (या तो नई अथवा चल रही) के रूप में किए जाएंगे। इसमें इसके कारोबार के सामान्य रूप से किए गए क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुमत किए गए अनुसार, पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी अथवा उसकी नियंत्रक अथवा सहायक कंपनी अथवा एसोसिएट अथवा अन्यथा द्वारा स्थापित कंपनी के माध्यम से कंपनी अपने सीएसआर क्रियाकलाप कराने का निर्णय ले सकती है। उपर्युक्त के अनुसार, अपने प्रचालनों के केंद्रित क्षेत्र के अनुसार कंपनी ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी जो भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)/टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस)/सरकारी विभाग और ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी जिन्हें सरकारी/अर्द्ध सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय के साथ कार्य करने का पिछला अनुभव हो, को वरीयता दे सकती है। कंपनी अन्य पीएसयू/सरकारी निकायों के माध्यम से बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलाप भी कर सकती है।

मॉनीटरिंगः

कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति/ मॉनीटरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन/ की मॉनीटरिंग कर सकती है।

कंपनी अपने आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय में स्थित श्रम शक्ति अथवा बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन के साथ-साथ सीएसआर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग अथवा अन्यथा करवा सकती है ताकि बजटीय व्यय और प्रत्यक्ष लक्ष्यों की उपलब्धि की दृष्टि से संभावित आधार पर प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया लिंक http://recindia.nic.in/images/pdf-files/CSR_Sust_Policy.pdf पर कंपनी की वेबसाइट देखें।

ख. क्रियान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का सिंहावलोकनः

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के अनुसार, "कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)" का अर्थ है और शामिल है पर निम्न हेतु परिसीमित नही हैः-

(i) अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित क्रियाकलाप अथवा कार्यक्रम; अथवा

(ii) कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार मंडल की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम।

आरईसी ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, बुजुर्गों, अशक्त, बच्चों, युवाओं आदि को समर्थ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय विकास एजेंडा में प्रमुख चिंता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत के रूप में और बहुत अधिक लाभग्राहियों तक पंहुच के लिए संधारणीयता सहित सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाओं को अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से निधि और समर्थन देने का प्रयास किया है। वित्त वर्ष के दौरान क्रियान्वित/चालू क्षेत्रवार परियोजनाओं/कार्यक्रमों का सिंहावलोकन निम्नवत हैः

i स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष के लिए अंशदान देने सहित निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहित करना, भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना तथा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करानाः

चुने हुए विद्यालयों और गांवों में स्वच्छता प्रबंध, जल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, मोबाइल स्वास्थ्य सुरक्षा वैन, चुनी हुई स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं को स्थापन/प्रोन्नत करना, समाज के कमजोर वर्गों से चुने हुए अशक्त व्यक्तियों को सहायक सहायता, उपकरण और कृत्रिम अंगों का वितरण आदि।

ii विशेष शिक्षा एवं रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल सहित शिक्षा को प्रोन्नत करना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, वृद्धों एवं निर्योग्य व्यक्तियों और जीविका संवर्धन संबंधी परियोजनाएं:

कम साक्षरता सूचक और प्रवासी आबादी वाले स्थानों के जिलों में चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों तक पहुंच बनाने, उनके सीखने एवं उन्हें बनाये रखने में सुधार लाने, महिलाओं सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के चुनिंदा युवको के लिए विभिन्न व्यवसायों में रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता देने, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए स्कूल सहित स्कूलों में अवसंरचना का विकास करने, चुनिंदा सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना करने में सहायता देने संबंधी परियोजनाएं:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, भारत सरकार), माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (कौशल विकास एवं उद्यमिता) तथा माननीय राज्य मंत्री (पेयजल एवं स्वच्छता) की उपस्थिति में राष्ट्रीय कौशल विकास निधि/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु समझौता अनुबंध (एमओए) आदान-प्रदान करते हुए।

iii. लिंग समानता को प्रोन्नत करना, महिलाओं का सशक्तीकरण, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और होस्टल बनाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों एवं ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना करनाः

तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के छात्रावास की स्थापना करने, जीविका संवर्धनकारी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, चुने हुए वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं आदि के संवर्धन करने संबंधी परियोजनाएं।

आरईसी की सीएसआर पहलों के तहत जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में नेत्रहीन छात्रों को अनुकूलित सॉफ्टवेयर के साथ लैपटॉप वितरित करते हुए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी सीएमडी, टीएचडीसी के साथ टिहरी में आरईसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत निर्मित टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपॉवर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बालिका छात्रावास का उद्घाटन करते हुए।

iv. गंगा नदी के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करनाः

चुने हुए जिलों आदि में अविद्युतकृत/कम विद्युतीकृत गांवों में सोलर माइक्रो ग्रिड की स्थापना करने संबंधी परियोजनाओं का समर्थन करना।

v. ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं स्थलों तथा कलाकृतियों के पुनर्स्थापन करने सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना; पारंपरिक कला और शिल्पकला को प्रोन्नत करना एवं उनका विकास करनाः

शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने, चुने हुए जिलों में चुनिंदा महिला कारीगरों की जीविका में स्थायित्व लाने संबंधी परियोजनाओं समर्थन करना।

vi. ग्रामीण विकास परियोजनाएं:

ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए किसान केंद्रित एकीकृत जलागम विकास, पुलिया निर्माण करने संबंधी कार्यक्रमों का समर्थन करना।

ग. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति और कार्यक्रमों के वेब लिंक:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.gov.com पर अपलोड कर दी गयी है।

चल रही सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति भी आवधिक रूप से कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

निदेशक (वित्त), आरईसी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी), आरईसी और आरईसी एवं टीईआरआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के साथ 'ग्रामीण आवासों में सोलर माइक्रो ग्रिडों की स्थापना' संबंधी परियोजना के लिए समझौता अनुबंध (एमओए) का आदान-प्रदान करते हुए।

आरईसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत महाप्रबंधक (वित्त) - सीएसआर, आरईसी 'शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने एवं कारीगरों को स्थायी आजीविका प्रदान करने' से संबंधी परियोजना के लिए 'स्कोच ऑर्डर-आफ-मेरिट अवार्ड' तथा 'स्कोच अवार्ड 2015' प्राप्त करते हुए।

2. सीएसआर समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी मंडल की सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

22 दिसंबर, 2015 से निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार हैः

i प्रो.टी.टी.राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक - समिति के अध्यक्ष

ii श्री ए.कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

iii श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) - सदस्य

iv श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

3. पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ निम्नानुसार थाः

		(₹ करोड़ में)
वित्त वर्ष 2012-13	-	5,163.55
वित्त वर्ष 2013-14	-	6,530.59
वित्त वर्ष 2014-15	-	7,423.80
जोड़	-	**19,117.94**
औसत निवल लाभ	-	₹ 6,372.65 करोड़

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)** - ₹ 127.45 करोड़। हालांकि, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 128.00 करोड़ के सीएसआर बजट का अनुमोदन किया है।

5. **वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्योराः**
   - (क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि: ₹ **128 करोड़**
   - (ख) वित्त वर्ष के दौरान संवितरित कुल राशि: ₹ **103.29 करोड़**
   - (ग) वित्त वर्ष 2016-17 में संभवता जारी की जाने वाली, वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के लिए उपलब्ध कराई गई राशि: ₹ **24.91 करोड़।**
   - (घ) वित्त वर्ष के दौरान कुल सीएसआर व्यय (ख+ग): ₹ **128.20 करोड़**
   - (च) अव्ययित राशि, यदि कोई होः कृपया उपरोक्त 5 (ग) देखें।
   - (च) वित्त वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि का व्यय किया गया है, उसे **अनुबंध -क** पर दिया गया है।

6. **यदि कंपनी पिछले तीन वर्षों में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत अथवा उसका कोई भाग व्यय नहीं कर पाती है, तो कंपनी बोर्ड की रिपोर्ट में उसके खर्च न किए जाने के कारण बताएगीः**

   कृपया उक्त (5) पर उपलब्ध कराई गई सूचना देखें।

7. **सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व रिपोर्टः**

   कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार है।

हस्ता./-	हस्ता./
निदेशक (वित्त / सीएसआर)	सीएसआर समिति के अध्यक्ष

सीएसआर रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख) ****	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
1 क. स्वच्छता								
1	संवेदीकरण एवं जागरूकता निर्माण के साथ 234 शौचालयों का निर्माण, एक मध्याह्न भोजन योजना और 5 हैंडपंप यूनिट	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण निवारण, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना।	बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश	71,93,165	7,99,000	22,253	8,21,253	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण करना।		उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश एवं तेलंगाना में विभिन्न जिले	1,90,00,00,000	84,93,02,085	2,36,53,981	87,29,56,066	
3	शौचालय परिसरों का निर्माण करना		जगतसिंहपुर जिला, ओडिशा	8,55,000	7,69,500	21,431	7,90,931	
4	स्कूलों में निर्मित शौचालयों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था करना।		तेलंगाना के अदिलाबाद, खम्मम, मेहबूबनगर, नालगोंडा और रंगा रेड्डी जिले	6,28,41,000	6,01,43,000	16,75,048	6,18,18,048	
			उप जोड़ (क)	**1,97,08,89,165**	**91,10,13,585**	**2,53,72,713**	**93,63,86,298**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
1 ख. स्वास्थ्य देखभाल								
1	बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ मोबाईल मेडिकल यूनिट	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना	रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश	1,27,28,000	19,64,250	54,706	20,18,956	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ मोबाईल मेडिकल यूनिट		अशोक नगर जिला, मध्य प्रदेश	1,29,87,164	18,18,152	50,637	18,68,789	
3	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार लाने के लिए मोबाईल मेडिकल यूनिट		सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	39,75,000	9,00,000	25,066	9,25,066	
4	हॉस्टल ब्लॉक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार		बैंगलोर, कर्नाटक	15,45,000	4,15,350	11,568	4,26,918	
5	निःशक्तजनों को सहायक उपकरणों का वितरण		तेलंगाना के वारंगल, रंगारेड्डी एवं अदिलाबाद जिले, हरियाणा के झज्जर एवं मेवात जिले, कर्नाटक के चित्रदुर्गा, बीदार एवं रायचुर जिले, केरल के कासरगोड एवं वायनाड जिले, मेघालय के रि भोई एवं शिलांग जिले, गुजरात के बंसकथा, सबरकंथा एवं द्वारिका जिले, उत्तराखंड के चंपावत एवं रुद्रप्रयाग जिले, सिक्किम का गंगटोक जिला तथा मणिपुर के चंदेल एवं इम्फाल जिले।	4,53,66,682	3,51,77,235	9,79,724	3,61,56,959	
			उप जोड़ (ख)	7,66,01,846	4,02,74,987	11,21,702	4,13,96,689	
1 ग. स्वच्छ पेयजल								
1	स्वच्छ पेयजल की सुविधा	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन करना, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना	नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	84,94,000	(9,62,447)	-	(9,62,447)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप जोड (ग)	**84,94,000**	**(9,62,447)**	**-**	**(9,62,447)**	
			श्रेणी 1 का उप जोड़	**2,05,59,85,011**	**95,03,26,125**	**2,64,94,415**	**97,68,20,540**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख) ****	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
2 क. शिक्षा								
1	सरकारी स्कूलों में 22 पुस्तकालयों की स्थापना करना	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	दिल्ली एवं उत्तराखंड	50,00,000	4,10,868	11,443	4,22,311	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	सरकारी स्कूलों में 20 पुस्तकालयों की स्थापना करना		बस्तर जिला, छत्तीसगढ़	44,97,380	3,00,871	8,380	3,09,251	
3	सेठ आनंदी लाल पोद्दर मूक और बधिर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विकास/निर्माण कार्य करना		जयपुर, राजस्थान	1,15,81,000	28,55,100	79,518	29,34,618	
4	टीएचडीसी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पॉवर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बालिका छात्रावास का निर्माण करना		टहिरी, उत्तराखंड	4,00,00,000	1,20,00,000	3,34,213	1,23,34,213	
5	सरकारी स्कूलों में अवसंरचना सहायता देना		नयागढ़, ओडिशा	71,90,000	7,19,000	20,025	7,39,025	
6	सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना करना		गुंटूर एवं नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	84,62,485	16,92,497	47,138	17,39,635	
7	एक वर्षीय आवासीय शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए सहायता देना		देहरादून, उत्तराखंड	21,00,000	1,90,960	5,318	1,96,278	
8	बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी		कोंढवा और मोहम्मदवाडी, पूणे, महाराष्ट्र	43,96,000	4,25,027	11,837	4,36,864	
9	बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार		बस्ती और अंबेडकर नगर जिले, उत्तर प्रदेश	45,09,000	13,52,700	37,674	13,90,374	
10	इंजीनियरिंग परीक्षाओं में चयन के लिए 11 महीने के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देना		नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	55,82,000	5,58,000	15,541	5,73,541	
11	इंजीनियरिंग परीक्षाओं में चयन के लिए 11 महीने के निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग देना		श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	44,66,000	3,85,300	10,731	3,96,031	
			उप जोड़ (क)	**9,77,83,865**	**2,08,90,323**	**5,81,818**	**2,14,72,141**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख) ****	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
2 ख. कौशल विकास प्रशिक्षण								
1	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए रोजगार संवर्धनकारी व्यावसायिक कौशल एवं विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका के संवर्धन संबंधी परियोजनाएं	ओडिशा	1,56,50,000	63,61,725	1,77,181	65,38,906	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		उत्तर प्रदेश तथा बिहार	2,60,85,000	86,85,509	2,41,901	89,27,410	
3	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		मध्य प्रदेश में कटनी, धार, बालघाट एवं मंडला तथा छत्तीसगढ़ में कोरबा	1,48,00,000	61,09,901	1,70,167	62,80,068	
4	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	26,25,000	2,99,250	8,334	3,07,584	
5	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		फिरोजपुर और अमृतसर, पंजाब	72,25,000	39,55,906	1,10,176	40,66,082	
6	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		तमिलनाडु के कुड्डलोर एवं तिरूवनमलई जिले	1,14,30,000	61,00,950	1,69,918	62,70,868	
7	नेत्रहीन छात्रों को अनुकूलित सॉफ्टवेयर के साथ 50 लैपटॉप कंप्यूटरों का वितरण करना		नई दिल्ली	45,15,000	38,62,440	1,07,573	39,70,013	
8	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		नोएडा, उत्तर प्रदेश	65,00,000	26,00,000	72,413	26,72,413	
9	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		बिहार, ओडिशा, झारखंड आदि सहित पूर्वी एवं मध्य भारत	10,00,00,000	1,94,00,000	5,40,311	1,99,40,311	
			उप जोड़ (ख)	**18,88,30,000**	**5,73,75,681**	**15,97,975**	**5,89,73,656**	
			श्रेणी 2 का उप जोड़	**28,66,13,865**	**7,82,66,004**	**21,79,793**	**8,04,45,797**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख)** **	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
3 क. महिला सशक्तीकरण								
1	युवा शतरंज खिलाड़ी को सहायता देना	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना	हरियाणा	10,00,000	2,00,000	5,570	2,05,570	प्रत्यक्ष
2	महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका कार्यक्रम		सीतापुर एवं बाराबंकी, जिला, उत्तर प्रदेश	21,26,000	1,25,000	3,481	1,28,481	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3	"आजीविका के लिए उत्पादन और विपणन संसाधन केंद्र की स्थापना में सहयोग"		सीतापुर एवं बाराबंकी, जिला, उत्तर प्रदेश	28,67,000	2,39,690	6,676	2,46,366	
			उप जोड़ (क)	**59,93,000**	**5,64,690**	**15,727**	**5,80,417**	
3 ख. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं होस्टल/सुविधाओं की स्थापना								
1	वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पैकेज उपलब्ध कराना	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रो की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय करना	आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना	1,45,49,000	50,42,000	1,40,425	51,82,425	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप जोड़ (ख)	**1,45,49,000**	**50,42,000**	**1,40,425**	**51,82,425**	
			श्रेणी 3 का उप जोड़	**2,05,42,000**	**56,06,690**	**1,56,152**	**57,62,842**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख) ****	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
4 क. पर्यावरणीय धारणीयता, स्वच्छ गंगा निधि, आदि								
1	सौर स्ट्रीट लाईटिंग आधारित 861 एलईडी की व्यवस्था करना	गंगा नदी के जीर्णोद्वार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	ऊपरसियांग दिबांग वैली, लोवर दिबांग कुरूंग कुमे एवं लोहित जिले, अरूणाचल प्रदेश	3,55,00,000	28,15,886	78,425	28,94,311	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	सौर स्ट्रीट लाईटिंग आधारित 1600 एलईडी की व्यवस्था करना		अशोक नगर, गुना और शिवपुरी जिले, मध्य प्रदेश	5,05,00,000	1,85,89,242	5,17,730	1,91,06,972	
3	स्वच्छ ऊर्जा सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर माइक्रो ग्रिडों की स्थापना करना		झारखंड और ओडिशा	2,06,97,000	1,77,28,207	4,93,750	1,82,21,957	
4	गंगा नदी के जीर्णोद्वार एवं विकास के लिए स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान देना		नई दिल्ली	15,00,00,000	15,00,00,000	41,77,662	15,41,77,662	
			उप जोड़ (क)	**25,66,97,000**	**18,91,33,335**	**52,67,568**	**19,44,00,903**	
4 ख. सतत् विकास के लिए परियोजनाएं								
1	ढेंकानाल, ओडिशा, में 5 ऑफ ग्रिड स्थानों में सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिडों का कार्यान्वयन	गंगा नदी के जीर्णोद्वार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि में अंशदान करने सहित पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थिकी संतुलन, वनस्पति एवं जीव का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वन-विज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाये रखने को सुनिश्चित करना	ढेंकानाल, ओडिशा	21,65,000	2,16,500	6,030	2,22,530	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			उप जोड़ (ख)	**21,65,000**	**2,16,500**	**6,030**	**2,22,530**	
			श्रेणी 4 का उप जोड़	**25,88,62,000**	**18,93,49,835**	**52,73,598**	**19,46,23,433**	

(राशि ₹ में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है।	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य तथा जिले का उल्लेख करें, जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च **(6क+6ख) ****	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
5. राष्ट्रीय विरासत का संरक्षण								
1	शिल्पकला विरासत को पुनर्जीवित करना तथा कारीगरों को सतत आजीविका प्रदान करना	ऐतिहासिक महत्व की इमारतों एवं स्थलों तथा कलाकृतियों के पुनर्स्थापन करने सहित राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण करना; सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करना; पारंपरिक कला और शिल्पकला को प्रोन्नत करना एवं उनका विकास करना	अहमदाबाद, गुजरात	1,58,00,000	30,00,000	83,553	30,83,553	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			श्रेणी 5 का उप जोड़	1,58,00,000	30,00,000	83,553	30,83,553	
6. ग्रामीण विकास परियोजनाएं								
1	ग्रामीण आजीविका के सुधार हेतु कृषि-केंद्रिक एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मेहबूबनगर एवं अनंतपुर जिला	22,33,00,000	2,07,05,136	5,76,660	2,12,81,796	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
			श्रेणी 6 का उप जोड़	**22,33,00,000**	**2,07,05,136**	**5,76,660**	**2,12,81,796**	
	समग्र जोड़ (1+2+3+4+5+6)			**2,86,11,02,876**	**1,24,72,53,790**	**3,47,64,172**	**1,28,20,17,962**	

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-VII

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिलाभ का सार

(31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(I) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण तिथि	25 जुलाई, 1969
(iii)	कंपनी का नाम	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण-	
	पताः	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
	संपर्क विवरणः	दूरभाषः 011-24365161, फैक्स नं. 011-24360644
	ई-मेलः	complianceofficer@recl.nic.in
(vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ/नहीं)	हाँ
(vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम व पता, यदि कोई हो-	
	नामः	कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
	पताः	कार्वी सेलिनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गचीबोवली वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, भारत
	संपर्क विवरणः	दूरभाष सं. 91-40-67161500 फैक्स नं. 91-40-23420814
	ई-मेलः	einward.ris@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com, raju.sv@karvy.com
	वेबसाइट	www.karvycomputershare.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां - अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग	64920	100%

टिप्पणीः कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है, यह अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध है और विद्युत क्षेत्र के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार में जुड़ी है।

III. 31 मार्च, 2016 के अनुसार होल्डिंग, अनुषंगी और सहायक कंपनियों का ब्योरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ सहायक	धारित शेयरों का %	लागू खंड
1	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003	यू40101डीएल2007जीओआई165779	अनुषंगी	100%	2(87)
2	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल)		यू40101डीएल2007जीओआई157558	अनुषंगी	100%	2(87)
3	नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 2 देखें)		यू40104डीएल2012जीओआई245654	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
4	बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 2 देखें)		यू40106डीएल2013जीओआई247564	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
5	एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40106डीएल2015जीओआई279300	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
6	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2015जीओआई284168	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
7	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड (नीचे टिप्पणी 3 देखें)		यू40103डीएल2015जीओआई287880	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
8	खरगौन ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2015जीओआई287933	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
9	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड		यू40300डीएल2015जीओआई288066	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
10	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड	चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066	यू40200डीएल2009पीएलसी196789	सहायक कंपनी	28.8% (नीचे टिप्पणी 4 देखें)	2(6)

टिप्पणीः-

1) अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल), अंतर-राज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु "बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता" के रूप में कार्य कर रही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्य पारेषण परियोजना के प्रारंभिक विकास के लिए, आरईसीटीपीसीएल में इसके पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशन पर्पज व्हीकल शामिल है। आरईसीटीपीसीएल के पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां हैं। प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, अपनी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित संबद्ध प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी सफल बोलीदाता को अंतरित कर दी जाती है। लेखाकरण मानक 21 (समेकित वित्तीय विवरणी) के पैरा 11 के उपबंधों के अनुसार आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनियां आरईसी के वित्तीय विवरणों में समेकित हैं।

2) कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा के कार्यालय ने क्रमशः दिनांक 25 मई, 2016 और 16 जुलाई, 2016 के प्रमाणपत्रों के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कंपनी के रजिस्टर से "नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड" और "बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड" के नाम काटने को अनुमोदित कर दिया है तथा दोनों कंपनियों को भंग कर दिया गया है।

3) अनुषंगी कंपनी अर्थात् "नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड" को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के साथ दिनांक 8 जुलाई, 2016 को सफल बोलीदाता यथा "मैसर्स अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया था। इस प्रकार, उक्त तारीख से अमुक कंपनी आरईसीटीपीसीएल/ आरईसी की अनुषंगी कंपनी नहीं रही है।

4) 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, "एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड" में कंपनी की शेयरधारिता 28.8% थी। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, आरईसी द्वारा ईईएसएल को प्रदत्त ` 99 करोड़ की शेयर एप्लिकेशन राशि का आबंटन लंबित था। तत्पश्चात, ईईएसएल ने दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक ` 10/- के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर आरईसी को आबंटित कर दिए हैं और तदनुसार, वर्तमान में, ईईएसएल में आरईसी की शेयरधारिता 31.7% है।

IV. शेयरधारिता प्रतिरूप (कुल इक्विटी शेयर प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

(i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों का कुल %				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2016)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
क. प्रोमोटर									
1. भारतीय									
1) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2) केंद्र सरकार	64,81,68,218	0	64,81,68,218	65.64	59,87,67,680	0	59,87,67,680	60.64	-5.00
3) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5) बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
उप जोड़ (क) (1):-	64,81,68,218	0	64,81,68,218	65.64	59,87,67,680	0	59,87,67,680	60.64	-5.00
(2) विदेशी									
1) एनआरआई - व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
2) अन्य - व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
3) कारपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
4) बैंक/ वित्तीय संस्था	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
5) अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
6) अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क) (2):-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता (क)=(क)(1)+(क)(2)	**64,81,68,218**	**0**	**64,81,68,218**	**65.64**	**59,87,67,680**	**0**	**59,87,67,680**	**60.64**	**-5.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. **संस्थान**									
क) म्यूच्युअल फंड	3,15,15,282	0	3,15,15,282	3.19	2,07,39,064	0	2,07,39,064	2.10	-1.09
ख) बैंक/ वित्तीय संस्था	27,46,062	0	27,46,062	0.28	81,71,379	0	81,71,379	0.83	0.55
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरों का कुल %				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2016)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
ङ) उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) बीमा कंपनियां	3,84,14,283	0	3,84,14,283	3.89	8,35,86,726	0	8,35,86,726	8.46	4.57
छ) एफआईआई	20,60,21,271	0	20,60,21,271	20.86	21,10,23,812	0	21,10,23,812	21.37	0.51
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ) अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ञ) अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	0	0	0	0.00	100	0	100	0.00	0.00
विदेशी नागरिक	0	0	0	0.00	100	0	100	0.00	0.00
उप जोड़ (ख) (1):-	**27,86,96,898**	**0**	**27,86,96,898**	**28.22**	**32,35,21,081**	**0**	**32,35,21,081**	**32.76**	**4.54**
2. **गैर संस्थान**									
a) कारपोरेट निकाय									
i) भारतीय	2,90,72,645	0	2,90,72,645	2.94	1,72,69,411	0	1,72,69,411	1.75	-1.19
ii) विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
?) व्यक्तिगत									
i) `1 लाख तक न्यूनतम शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	2,46,21,508	13,046	2,46,34,554	2.50	3,77,40,092	15,407	3,77,55,499	3.82	1.33
ii) `1 लाख से अधिक की शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	49,94,182	0	49,94,182	0.51	62,89,246	0	62,89,246	0.64	0.13
3) अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	18,92,503	0	18,92,503	0.19	38,56,083	0	38,56,083	0.39	0.20
- आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	0	0	0	0.00	1,83,914	0	1,83,914	0.02	0.02
- क्लियरिंग सदस्य	5,26,860	0	5,26,860	0.05	7,01,124	0	7,01,124	0.07	0.02
- अनिवासी भारतीय	8,73,596	0	8,73,596	0.09	17,16,781	0	17,16,781	0.17	0.08
- न्यास	4,92,047	0	4,92,047	0.05	12,54,264	0	12,54,264	0.13	0.08
- अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख) (2):-	**6,05,80,838**	**13,046**	**6,05,93,884**	**6.14**	**6,51,54,832**	**15,407**	**6,51,70,239**	**6.60**	**0.47**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	**33,92,77,736**	**13,046**	**33,92,90,782**	**34.36**	**38,86,75,913**	**15,407**	**38,86,91,320**	**39.36**	**5.00**
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**98,74,45,954**	**13,046**	**98,74,59,000**	**100.00**	**98,74,43,593**	**15,407**	**98,74,59,000**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2015)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31 मार्च, 2016)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी/ ऋणग्रस्त शेयरों की संख्या	
1	भारत का राष्ट्रपति	64,81,68,218	65.64	-	59,87,67,680	60.64	-	-5.00
	जोड़	**64,81,68,218**	**65.64**	**-**	**59,87,67,680**	**60.64**	**-**	**-5.00**

(iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2015)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2016)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत का राष्ट्रपति					
	वर्ष के प्रारंभ में		64,81,68,218	65.64		
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	दिनांक	वृद्धि/कमी के कारण				
	8 अप्रैल, 2015	बिक्री (नीचे टिप्पणी देखें)	-4,93,72,950	-5.00	59,87,95,268	60.64
	10 अप्रैल, 2015	बिक्री (नीचे टिप्पणी देखें)	-27,588	-0.00	59,87,67,680	60.64
	वर्ष के अंत में				59,87,67,680	60.64

टिप्पणीः वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 4,93,72,950 इक्विटी शेयर अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 5% को, 8 अप्रैल, 2015 को बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) के अनुसरण में विनिवेश/बिक्री कर दिया गया तथा 27,588 इक्विटी शेयरों अर्थात् कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 0.003% को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेट फंड (सीपीएसई ईटीएफ) के तहत ऑफ-मार्केट लेन-देन के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को विनिवेश/बिक्री कर दिया गया। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास शेयरधारिता का प्रतिशत, कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 60.64% रह गया है।

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों की शेयरधारिता का प्रतिरूप (निदेशक, प्रोमोटर, जीडीआर और एडीआर के अन्यत्र)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2015)		शेयरधारिता में वृद्धि/ कमी		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2016)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम*	3,08,77,781	3.13	4,27,44,243		7,36,22,024	7.46
2	डीबी इंटरनेशनल (एशिया) लिमिटेड*	2,03,38,285	2.06		-35,29,066	1,68,09,219	1.70
3	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड@	1,29,59,079	1.31		-1,03,08,092	26,50,987	0.27
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि. -एचडीएफसी इक्विटी फंड@	98,46,450	1.00		-98,46,450	0	0.00
5	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एचएसबीसी जीआईएफ मॉरीशस लिमिटेड*	91,67,904	0.93		-35,51,640	56,16,264	0.57
6	ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर फंड लिमिटेड#	0	0.00	88,35,880		88,35,880	0.89
7	मोर्गन स्टेनले मॉरीशस कंपनी लिमिटेड#	1,29,713	0.01	64,27,537		65,57,250	0.66
8	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केटस् स्टॉक इंडेक्स फंड, एसीरिज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड*	65,14,433	0.66		-9,17,816	55,96,617	0.57
9	विस्डमट्री ट्रस्ट अकाऊंट विस्डमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इंक*	62,82,267	0.64		-15,93,714	46,88,553	0.47
10	सीपीएसई ईटीएफ*	51,25,549	0.52		-4,69,028	46,56,521	0.47
11	मोर्गन स्टेनले एशिया (सिंगापुर) पीटीई.@	50,75,258	0.51		-31,23,920	19,51,338	0.20
12	भारतीय जीवन बीमा निगम पीएंडजीएस फंड#	9,16,450	0.09	38,59,177		47,75,627	0.48
13	बुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी - गुलाब@	45,76,375	0.46		-11,05,910	34,70,465	0.35
14	टार्गेट वैल्यू फंड#	0	0.00	45,53,864		45,53,864	0.46

टिप्पणीयां :

कंपनी के शेयर का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है इसलिए शेयर-धरता में निधि-वार बृद्धि / द्वारा निर्दिष्ट नहीं है।

* शीर्ष 10 शेयर धारको को 1 अप्रैल, 2015 एवम 31 मार्च 2016 दोनों पर दर्शाता है।

@ शीर्ष 10 शेयर धारको को केवल 1 अप्रैल, 2015 पर दर्शाता है

शीर्ष 10 शेयर धारको को केवल 31 मार्च 2016 पर दर्शाता है

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) की शेयरधारिता

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2015)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2016)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	60	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			60	नगण्य
2	**श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी) - 12 अक्तूबर, 2015 तक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	4,030	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			4,030	नगण्य
3	**श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष के प्रारंभ में	242	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			242	नगण्य
4	**श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) - 16 अक्तूबर, 2015 से**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0.00
5	**श्री बद्री नारायण शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक - 06 अक्तूबर, 2015 तक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0.00
6	**डा. अरूण कुमार वर्मा, सरकारी नामिती निदेशक - 06 अक्तूबर, 2015 तक**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0.00
7	**श्री अरूण सिंह, स्वतंत्र निदेशक - 13 नवंबर, 2015 से**				
	वर्ष के प्रारंभ में	0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी	कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में			0	0.00

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता (01 अप्रैल, 2015)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2016)	
			शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
8	**श्री ए.कृष्ण कुमार, स्वतंत्र निदेशक, 13 नवंबर, 2015 से**					
	वर्ष के प्रारंभ में		0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में				0	0.00
9	**प्रो. टी.टी. राम मोहन, स्वतंत्र निदेशक, 13 नवंबर, 2015 से**					
	वर्ष के प्रारंभ में		0	0.00		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी		कोई नहीं			
	वर्ष के अंत में				0	0.00
10	**श्री जे.एस.अमिताभ, महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव (केएमपी)**					
	वर्ष के प्रारंभ में		121	नगण्य		
	वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी					
	तारीख	वृद्धि/कमी के लिए कारण				
	24 अगस्त, 2015	खरीदना	1,000	नगण्य	1121	नगण्य
	वर्ष के अंत में				1121	नगण्य

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

कुल ऋणग्रस्तता	जमा छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता (01 अप्रैल, 2015 के अनुसार)				
i) मूलधन	67,128.85	83,895.27	-	151,024.12
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	1.10	-	-	1.10
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,624.65	2,676.94	-	5,301.59
जोड़ (i+ii+iii)	**69,754.60**	**86,572.21**	**-**	**156,326.81**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि	9,487.02	33,509.88	-	42,996.90
* (कमी)	10,272.99	14,284.90	-	24,557.89
* विदेशी मुद्रा लाभ हानि	-	503.08		503.08
निवल परिवर्तन	**-785.97**	**19,728.06**	**-**	**18,942.09**
वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31 मार्च, 2016 के अनुसार)				
i) मूलधन	66,359.50	102,746.88	-	169,106.38
ii) देय ब्याज किंतु प्रदत्त नहीं	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज किंतु देय नहीं	2,651.87	3,586.78	-	6,238.65
जोड़ (i+ii+iii)	**69,011.37**	**106,333.66**	**-**	**175,345.03**

1. वर्ष के दौरान जुटाए और विमोचित किए गए कमर्शियल पेपर्स और कार्य पूंजी मांग ऋण का "वृद्धि/कमी" मद में विचार नहीं किया गया है।
2. संस्थागत बॉण्ड के संबंध में, उपचित किंतु देय नहीं ब्याज में जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज शामिल नहीं है क्योंकि उसे मूलधन में शामिल किया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	श्री राजीव शर्मा, सीएमडी	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (वित्त) - 12 अक्तूबर, 2015 तक	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)- 16 अक्तूबर, 2015 से	कुल राशि
1	सकल वेतन					
	1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	45,09,119	46,86,808	39,71,548	18,36,784	1,50,04,259
	2) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	8,46,009	9,42,285	1,15,222	1,83,909	20,87,425
	3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन					
	: लाभ के % के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	: अन्य, विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट					
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	2,68,906	1,36,879	2,40,643	1,14,730	7,61,158
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (1 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)	2,01,680	1,02,659	1,80,482	86,047	5,70,868
	जोड़ (क)	**58,25,714**	**58,68,631**	**45,07,895**	**22,21,470**	**1,84,23,710**
	अधिनियम के अनुसार परिसीमा	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट है।				

टिप्पणीः श्री संजीव कुमार गुप्ता, पूर्व कार्यकारी निदेशक(टी एंड डी)-आरईसी ने 16 अक्तूबर, 2015 से निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण कर लिया है। तदनुसार, उपरोक्त विवरण में इनके वेतन, परिलब्धियों आदि का विचार 16 अक्तूबर, 2015 से किया गया है।

2. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	स्वतंत्र निदेशक			सरकारी नामिती निदेशक		कुल राशि
		श्री अरूण सिंह - 13 नवंबर, 2015 से	श्री ए.कृष्ण कुमार - 13 नवंबर, 2015 से	प्रो. टी.टी. राम मोहन - 13 नवंबर, 2015 से	बद्री नारायण शर्मा - 06 अक्तूबर, 2015 तक	डा. अरूण कुमार वर्मा - 06 अक्तूबर, 2015 से	
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	• बोर्ड/समिति की बैठक में उपस्थिति शुल्क	1,20,000	2,20,000	2,00,000			5,40,000
	• कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	• अन्य	शून्य	शून्य	शून्य			शून्य
	जोड़ (1)	1,20,000	2,20,000	2,00,000			5,40,000
2	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशकगण**						
	• बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थिति शुल्क				शून्य	शून्य	शून्य
	• कमीशन				शून्य	शून्य	शून्य
	• अन्य, कृपया उल्लेख करें				शून्य	शून्य	शून्य
	जोड़ (2)				**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
	जोड़ (बी)=(1+2)	1,20,000	2,20,000	2,00,000	**शून्य**	**शून्य**	5,40,000
	जोड़ प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)						1,89,63,710
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	दिनांक 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों के लिए छूट है।					

टिप्पणीः बोर्ड की/उनकी समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क प्रदान करने के अलावा, निदेशकों को कंपनी की टीए/डीए नीति के अनुसार टीए/डीए भी भुगतान किया जाता है।

ग. प्रबंधक निदेशक, प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का ब्योरा	प्रमुख प्रबंधकीय			कुल राशि
		सीईओ	श्री जे.एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	सीएफओ	
1	सकल वेतन				
	1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	लागू नहीं	30,89,922	लागू नहीं	30,89,922
	2) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य		91,304		91,304
	3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ		शून्य		शून्य
2	स्टॉक विकल्प		शून्य		शून्य
3	स्वीट इक्विटी		शून्य		शून्य
4	कमीशन				
	: लाभ के % के रूप में		शून्य		शून्य
	: अन्य, विनिर्दिष्ट करें		शून्य		शून्य
5	अन्य, नीचे यथा निर्दिष्ट				
	- भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान		2,16,390		2,16,390
	- अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता का अंशदान (1 लाख रुपए से अधिक की राशि को परिलब्धियो में भी शामिल किया गया है)		1,62,293		1,62,293
	जोड़ (ग)		**35,59,909**		**35,59,909**

टिप्पणीः आरईसी के सरकारी कंपनी होने के नाते, सीईओ का कार्य "अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,आरईसी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है तथा सीएफओ का कार्य "निदेशक (वित्त)" द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

VII. अपराधों के लिए जुर्माना/दंड/समझौता

क्र. सं.	प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा	संक्षेप में विवरण	अधिरोपित जुर्माना/ दंड/ समझौता शुल्क	प्राधिकार [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गयी अपील, यदि कोई हो (ब्योरा दें)
क.	**कंपनी**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					
ग.	**दोषी अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 अगस्त, 2016

फार्म नं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुरूप)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित तथा उसमें दिए गए तीसरे नियम के तहत कुछ आर्म्स लेंग्थ लेन-देन सहित कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/समझौतों के ब्योरे के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म

1. गैर आर्म्स लेंग्थ आधार पर अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन का ब्योराः

संबंधित पार्टी के/का नाम एवं संबंध की प्रकृति	अनुबंध/ समझौतें/ लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ समझौतें/ लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन की मुख्य शर्तें	ऐसे अनुबंधों, समझौतों अथवा लेन-देन का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	धारा 188 के पहले नियम के तहत जैसा आवश्यक है, आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	अविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण की मॉनीटरिंग	लगभग 2 वर्ष	दिन-प्रतिदिन की मॉनीटरिंग से संबंधित कार्य का अवार्ड करना, वेबसाइट अनुरक्षण एवं अद्यतन करना, आरई मोबाईल एप्लिकेशन (गर्व ऐप्प) का विकास करना, कंट्रोल-रूम की स्थापना, कॉल सेंटर तथा पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी अर्थात् आरईसीपीडीसीएल के लिए 18,452 अविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण के दौरान गुणवत्ता निगरानी जांच करना आदि।	समय की बाधाओं, सौंपे गये कार्य का राष्ट्रीय महत्व होने, स्वच्छ विद्यालय अभियान के उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के कारण, संविदा का अवार्ड आरईसीपीडीसीएल को नामांकन आधार पर किया गया था क्योंकि अविद्युतकृत गांवों के विद्युतीकरण कार्य की मॉनीटरिंग में यही दृष्टिकोण अपनाया जाना है।	16 सितंबर, 2015	शून्य	16 सितंबर, 2015
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी	स्कूलों का सर्वेक्षण कार्य		आरईसी की सीएसआर पहलों के तहत ₹ 15 लाख के अनुमानित व्यय पर जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में शौचालयों की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य आयोजित करना।	कार्यक्रम के समयबद्ध समापन और स्वच्छ विद्यालय अभियान की मॉनीटरिंग में आरईसीपीडीसीएल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, संविदा का अवार्ड आरईसीपीडीसीएल को नामांकन आधार पर किया गया था।	10 फरवरी, 2016	शून्य	16 सितंबर, 2015

2. **आर्म्स लेंग्थ आधार पर सामग्री अनुबंधों अथवा समझौता अथवा लेन-देनों का ब्योराः** कंपनी द्वारा किसी संबंधित पार्टी के साथ किसी प्रकार का सामग्री अनुबंध अथवा समझौता अथवा लेन-देन नहीं किया गया है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:00973413)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 अगस्त, 2016

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX

31 मार्च, 2016 के अनुसार विभिन्न बांड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण

[सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 53 के अनुसार]

क्र. सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	श्रृंखला सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	विमोचन की तारीख	कूपन दर
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क : श्री अजीत गुरुजी फोन : 022-40807001 फैक्स नं. : 022-66311776 ई-मेल : ajit.guruji@idbitrustee.com response@idbitrustee.com वेबसाइट : www.idbitrustee.com	आईएनई020बी07सीक्यू7	81	प्रतिभूत	20/01/17	8.85%
		आईएनई020बी07सीयू9	82	प्रतिभूत	28/09/17	9.85%
		आईएनई020बी07डीई1	83	प्रतिभूत	28/02/18	9.07%
		आईएनई020बी07डीजी6	85	प्रतिभूत	13/06/18	9.68%
		आईएनई020बी07डीटी9	86-ए	प्रतिभूत	30/07/18	10.70%
		आईएनई020बी07डीडब्ल्यू3	86-बी III	प्रतिभूत	14/08/18	10.85%
		आईएनई020बी07डीवाई9	87-II	प्रतिभूत	01/10/18	10.85%
		आईएनई020बी07ईबी5	87ए- III	प्रतिभूत	24/10/18	11.15%
		आईएनई020बी07ईजी4	88	प्रतिभूत	15/01/19	8.65%
		आईएनई020बी07ईपी5	90	प्रतिभूत	03/08/19	8.80%
		आईएनई020बी07ईआर1	90बी-II	प्रतिभूत	04/09/19	8.72%
		आईएनई020बी07ईवी3	90सी-II	प्रतिभूत	07/10/19	8.80%
		आईएनई020बी07ईवाई7	91-II	प्रतिभूत	18/11/19	8.80%
		आईएनई020बी07एफसी0	92-II	प्रतिभूत	22/01/20	8.65%
		आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूत	09/06/25	8.75%
		आईएनई020बी08435	95-I	अप्रतिभूत	12/07/19	8.70%
		आईएनई020बी08443	95-II	अप्रतिभूत	14/07/25	8.75%
		आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूत	26/10/20	8.80%
		आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूत	30/11/20	8.80%
		आईएनई020बी08476	0 सीपीएन-I	अप्रतिभूत	15/12/20	0
		आईएनई020बी08484	0 सीपीएन-II	अप्रतिभूत	03/02/21	0
		आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूत	15/03/21	9.18%
		आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूत	15/07/21	9.63%
		आईएनई020बी08583	101-II	अप्रतिभूत	10/08/16	9.45%
		आईएनई020बी08591	101-III	अप्रतिभूत	10/08/21	9.48%
		आईएनई020बी08609	102	अप्रतिभूत	06/09/16	9.38%
		आईएनई020बी08617	103-I	अप्रतिभूत	19/10/16	9.35%
		आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूत	11/11/21	9.75%
		आईएनई020बी08658	106	अप्रतिभूत	15/02/17	9.28%
		आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूत	15/06/22	9.35%
		आईएनई020बी08757	108-I	अप्रतिभूत	20/07/17	9.40%
		आईएनई020बी08765	108-II	अप्रतिभूत	20/07/19	9.39%
		आईएनई020बी08773	109	अप्रतिभूत	28/08/17	9.25%
		आईएनई020बी08799	111-I	अप्रतिभूत	19/11/19	9.02%
		आईएनई020बी08807	111-II	अप्रतिभूत	19/11/22	9.02%
		आईएनई020बी08815	112	अप्रतिभूत	01/02/18	8.70%
		आईएनई020बी08823	113	अप्रतिभूत	09/03/20	8.87%
		आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूत	12/04/23	8.82%
		आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूत	31/05/23	8.06%
		आईएनई020बी7एचडब्ल्यू4	116-I	प्रतिभूत	17/10/16	9.05%
		आईएनई020बी07एचएक्स2	116- II	प्रतिभूत	17/10/18	9.24%
		आईएनई020बी07एचवाई0	117	प्रतिभूत	06/11/18	9.38%
		आईएनई020बी07एचजेड7	118	प्रतिभूत	03/01/19	9.61%
		आईएनई020बी07आईए8	119	प्रतिभूत	05/02/19	9.63%

		आईएनई020बी07आईबी6	120	प्रतिभूत	10/03/17	9.67%
		आईएनई020बी07आईआई1	121	प्रतिभूत	24/03/17	9.52%
		आईएनई020बी07आईवी4	122	प्रतिभूत	18/06/19	9.02%
		आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123-I	प्रतिभूत	17/07/21	9.40%
		आईएनई020बी07आईएक्स0	123-II	प्रतिभूत	08/08/16	9.27%
		आईएनई020बी07आईवाई8	123-III-3 वर्ष	प्रतिभूत	25/08/17	9.25%
		आईएनई020बी07आईजेड5	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूत	23/08/24	9.34%
		आईएनई020बी07जेए6	123- IV	प्रतिभूत	08/09/16	8.97%
		आईएनई020बी07जेबी4	124	प्रतिभूत	22/09/17	9.06%
		आईएनई020बी08856	125	अप्रतिभूत	11/10/19	9.04%
		आईएनई020बी08864	126	अप्रतिभूत	13/11/19	8.56%
		आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूत	04/12/21	8.44%
		आईएनई02008880	128	अप्रतिभूत	21/12/24	8.57%
		आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूत	23/01/25	8.23%
		आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूत	06/02/25	8.27%
		आईएनई020बी08914	131	अप्रतिभूत	21/02/25	8.35%
		आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूत	09/03/22	8.27%
		आईएनई020बी07एचए0	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	30/04/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचबी8	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/05/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचसी6	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	30/06/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचडी4	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/07/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचई2	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/08/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचएफ9	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	30/09/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचजी7	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/10/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचएच5	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	30/11/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचआई3	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/12/16	6.00%
		आईएनई020बी07एचजे1	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/01/17	6.00%
		आईएनई020बी07एचके9	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	28/02/17	6.00%
		आईएनई020बी07एचएल7	54ईसी श्रृंखला IX (2013-14)	प्रतिभूत	31/03/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईजे9	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	30/04/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईके7	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/05/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईएल5	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	30/06/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईएम3	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/07/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईएन1	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/08/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईओ9	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	30/09/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईपी6	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/10/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईक्यू4	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	30/11/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईआर2	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/12/17	6.00%
		आईएनई020बी07आईएस0	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/01/18	6.00%
		आईएनई020बी07आईटी8	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	28/02/18	6.00%
		आईएनई020बी07आईयू6	54ईसी श्रृंखला IX (2014-15)	प्रतिभूत	31/03/18	6.00%
		आईएनई020बी08500	इंफ्रा बांड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/21	8.00%
		आईएनई020बी08518	इंफ्रा बांड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/21	8.10%
		आईएनई020बी08526	इंफ्रा बांड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/21	8.20%
		आईएनई020बी08534	इंफ्रा बांड श्रृंखला-I (2010-11)	अप्रतिभूत	31/03/21	8.20%
2	एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लि.	आईएनई020बी08930	133	अप्रतिभूत	10/04/25	8.30%
	8, खेतान भवन, 5वां तल,	आईएनई020बी08948	134	अप्रतिभूत	14/08/20	8.37%
	198, जे.टी. रोड, चर्च गेट,	आईएनई020बी08955	135	अप्रतिभूत	22/09/20	8.36%
	मुंबई-400 020	आईएनई020बी08963	136	अप्रतिभूत	07/10/25	8.11%
	संपर्क : श्री अजीत जोशी	आईएनई020बी08971	137	अप्रतिभूत	07/12/18	8.05%
	फोन : 022-43025566	आईएनई020बी08989	138	अप्रतिभूत	04/03/17	8.28%
	फैक्स : 022-22040465	आईएनई020बी07जेसी2	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	30/04/18	6.00%
	ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जेडी0	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/05/18	6.00%
	investor.cell@sbicaptrustee.com	आईएनई020बी07जेई8	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	30/06/18	6.00%

		आईएनई020बी07जेएफ5	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/07/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेजी3	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/08/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेएच1	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	30/09/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेआई9	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/10/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेजे7	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	30/11/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेके5	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/12/18	6.00%
		आईएनई020बी07जेएल3	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/01/19	6.00%
		आईएनई020बी07जेएम1	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	28/02/19	6.00%
		आईएनई020बी07जेएन9	54ईसी श्रृंखला X (2015-16)	प्रतिभूत	31/03/19	6.00%
		आईएनई020बी07जीयू0	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	21/11/22	7.21%
		आईएनई020बी07जीवी8	2012-13 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	22/11/27	7.38%
		आईएनई020बी07जीडब्ल्यू6	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	19/12/22	7.22%
					19/12/22	7.72%
		आईएनई020बी07जीएक्स4	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	20/12/27	7.38%
					20/12/27	7.88%
		आईएनई020बी07जीवाई2	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	27/03/23	6.88%
					27/03/23	7.38%
		आईएनई020बी07जीजैड9	2012-13 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	27/03/28	7.04%
					27/03/28	7.54%
		आईएनई020बी07एचएम5	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1	प्रतिभूत	29/08/23	8.01%
		आईएनई020बी07एचएन3	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-1	प्रतिभूत	29/08/28	8.46%
		आईएनई020बी07एचओ1	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/23	8.01%
		आईएनई020बी07एचआर4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/23	8.26%
		आईएनई020बी07एचपी8	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/28	8.46%
		आईएनई020बी07एचएस2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	25/09/28	8.71%
		आईएनई020बी07एचक्यू6	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	26/09/33	8.37%
		आईएनई020बी07एचटी0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	26/09/33	8.62%
		आईएनई020बी07एचयू8	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2	प्रतिभूत	11/10/23	8.18%
		आईएनई020बी07एचवी6	2013-14 प्राइवेट प्लेसमेंट-2	प्रतिभूत	11/10/28	8.54%
		आईएनई020बी07आईसी4	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	22/03/24	8.19%
		आईएनई020बी07आईएफ7	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	22/03/24	8.44%
		आईएनई020बी07आईडी2	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	23/03/29	8.63%
		आईएनई020बी07आईजी5	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	23/03/29	8.88%
		आईएनई020बी07आईई0	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	24/03/34	8.61%
		आईएनई020बी07आईएच3	2013-14 पब्लिक इश्यू भाग-2	प्रतिभूत	24/03/34	8.86%
		आईएनई020बी07जेओ7	2015-16 प्राइवेट प्लेसमेंट	प्रतिभूत	23/07/25	7.17%
		आईएनई020बी07जेपी4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/25	6.89%
		आईएनई020बी07जेक्यू2	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/25	7.14%
		आईएनई020बी07जेआर0	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/30	7.09%
		आईएनई020बी07जेएस8	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/30	7.34%
		आईएनई020बी07जेटी6	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/35	7.18%
		आईएनई020बी07जेयू4	2015-16 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	05/11/35	7.43%
3	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लि. दी आईएलएंडएफएस फाईनेंशियल सेंटर, जी ब्लॉक, प्लॉट सी - 22, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पू), मुंबई-400 051 संपर्क : श्री संजय डोडती फोन : 022-26593644 फैक्स : 022-26533297 ई-मेल : sanjay.dodti@ilfsindia.com; shailesh.kokate@ilfsindia.com वेबसाइटः www.itclindia.com	आईएनई020बी08666	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16/02/17	8.95%
		आईएनई020बी08674	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16/02/17	8.95%
		आईएनई020बी08682	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16/02/19	9.15%
		आईएनई020बी08690	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	16/02/19	9.15%
		आईएनई020बी08708	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	15/02/22	8.95%
		आईएनई020बी08716	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	15/02/22	8.95%
		आईएनई020बी08724	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	15/02/27	9.15%
		आईएनई020बी08732	इंफ्रा बांड श्रृंखला-II (2011-12)	अप्रतिभूत	15/02/27	9.15%
		आईएनई020बी07जीजी9	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	28/03/22	7.93%
					28/03/22	8.13%
		आईएनई020बी07जीएच7	2011-12 पब्लिक इश्यू भाग-1	प्रतिभूत	29/03/27	8.12%
					29/03/27	8.32%

31 मार्च, 2016 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
I.	इक्विटी और देयताएं			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	1	**987.46**	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	**27,630.30**	23,869.57
	उप-जोड़ (1)		**28,617.76**	**24,857.03**
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	3	**138,789.43**	131,168.32
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	4	**49.75**	107.32
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	**9.50**	36.16
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	**1,295.03**	1,007.09
	उप-जोड़ (2)		**140,143.71**	**132,318.89**
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	7	**6,349.93**	734.00
	(ख)अन्य चालू देयताएं	8	**30,389.52**	24,811.40
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	**852.05**	453.71
	उप-जोड़ (3)		**37,591.50**	**25,999.11**
	जोड़ (1+2+3)		**206,352.97**	**183,175.03**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	9		
	(i) मूर्त परिसंत्तियां		**117.83**	72.50
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**0.91**	1.43
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**30.37**	7.39
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.21**	-
			150.32	81.32
	(ख) गैर-चालू निवेश	10	**2,317.46**	1,174.81
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	11	**157,794.10**	164,213.78
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	**101.06**	77.13
	उप- जोड़ (1)		**160,362.94**	**165,547.04**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	10	**149.16**	438.66
	(ख) रोकड़ और बैंक शेष	13	**1,728.55**	522.90
	(ग) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	14	**795.26**	1,100.24
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	**43,317.06**	15,566.19
	उप-जोड़ (2)		**45,990.03**	**17,627.99**
	जोड़ (1+2)		**206,352.97**	**183,175.03**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 51 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	16	**23,638.35**	20,229.53
II.	अन्य आय	17	**117.93**	158.52
III.	**कुल राजस्व** (I+II)		**23,756.28**	20,388.05
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	18	**14,283.12**	11,844.61
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	**137.44**	133.94
(iii)	मूल्यहस और परिशोधन	9	**5.45**	6.76
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	20	**128.20**	103.25
(v)	अन्य व्यय	21	**67.01**	69.49
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	22	**1,089.85**	802.96
	कुल व्यय (IV)		**15,711.07**	12,961.01
V.	**कर पूर्व लाभ** (III-IV)		**8,045.21**	7,427.04
VI.	**कर व्यय**			
(i)	चालू वर्ष		**2,477.89**	2,231.86
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		**(2.77)**	1.30
(iii)	आस्थगित कर		**(57.57)**	(65.99)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,417.55**	2,167.17
VII.	**सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ** (V-VI)		**5,627.66**	5,259.87
VIII.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	-
IX.	**इस वर्ष का लाभ** (VII+VIII)		**5,627.66**	5,259.87
X.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)**			
(1)	मूल	23	**56.99**	53.27
(2)	डायल्यूटेड	23	56.99	53.27

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 51 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

(पवन के. गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) लेखाकरण परंपरा: वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) अनुमानों का उपयोग: वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों के मामले में एनपीए मान्यता हेतु घटायी गयी अवधि के गैर-अनुप्रयोज्यता के संबंध में कुछ विशेष छूट दी है तथा आरबीआई के रिस्ट्रक्चरिंग नार्म्स के अनुप्रयोज्यता से कुछ परियोजनाओं के लिए छूट दी है तथा कंपनी को आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार लगातार विनियमित किए जाने की स्वीकृति दी है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

च. **निवेशों से आय**

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।
परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा। परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(1) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबंद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि की विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालय क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए दिनांक 11 जून, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा दी गयी छूट को ध्यान में रखते हुए, एक मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना या पुनःवार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक पाया गया हो।

(2) **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए):** कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति(एनपीए) हो जाएगीः-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त दो तिमाही अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

दो तिमाहियों की उपरोक्त अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 5 महीने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 4

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

महीने तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त और उसके बाद वित्त वर्ष के लिए 3 महीने होगी। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अक्टूबर, 2015 के पत्र के द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों, अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋण, को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के तहत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक नियमित किए जाने की अनुमति है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ होती है।

अनर्जक परिसंपत्तियों(एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(I) **उप-मानक परिसंपत्तः** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुनःविमर्शित या पुनःनिर्धारित अथवा पुनःसंरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुनःवार्ता या पुनःनिर्धारण अथवा पुनःसंरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरू होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(II) **संदिग्ध परिसंपत्तिः** 'संदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में रहती है।

(III) **हानि परिसंपत्तिः** हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य हैः

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि श्रेणी में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ उधारकर्ता-वार वर्गीकृत किया जाएगाः

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग रूप में अभिज्ञेय हो और उसी परियोजना पर प्रयुक्त होता है, आरईसी परियोजना-वार के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगीः

(I) हानि वाली परिसंपत्तियां - समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा :

(II) संदिग्ध परिसंपत्तियां -

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगाः

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध प्रावधान की प्रतिशतता	% रूप में माना गया है
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

(I) उप-मानक परिसंपत्तियां - 10% का प्रावधान किया जाएगा।

(II) मानक परिसंपत्तियां - मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि विस्तार परियोजनाओं के अधीन और हिमालयी क्षेत्र अथवा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र पुनर्गठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया होः	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगीः 31 मार्च, 2015 से 2.75% 31 मार्च, 2016 से 3.50% (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) 31 मार्च, 2017 से 4.25% (2016-17 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) 31 मार्च, 2018 से 5.00% (2017-18 की 4 तिमाहियों में विस्तारित)

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	उपरोक्त प्रावधान पुनर्गठन जब तक की संसोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से २ वर्ष जो भी बाद का है की तिथि से अपेक्षित है। 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित ऋणों के डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगीः 31 मार्च, 2015 से 0.25% 31 मार्च, 2016 से 0.30% 31 मार्च, 2017 से 0.35% 31 मार्च, 2018 से 0.40%

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोईभी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिंसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1 बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2 नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉसिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2 प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हें तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आया या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**1,20,00,00,000**	**1,200.00**	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
योग	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46

1.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

1.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः

नाम	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**598,767,680**	**60.64%**	64,81,68,218	65.64%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**86,490,414**	**8.76%**	3,08,77,781	3.13%

2. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
पूंजीगत आरक्षित निधि		**105.00**		105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,223.72**		3,223.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन		**0.28**		-
वर्ष के अंत में शेष		**3,224.00**		3,223.72
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**531.77**		345.98
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**196.59**		185.79
वर्ष के अंत में शेष		**728.36**		531.77
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**8,449.64**		6,820.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**1,900.00**		1,629.00
वर्ष के अंत में शेष		**10,349.64**		8,449.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**1,621.97**		1,268.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**390.00**		353.00
वर्ष के अंत में शेष		**2,011.97**		1,621.97

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 2.3 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		-335.46		-532.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)		-503.08		-62.80
वर्ष के दौरान परिशोधन		666.13		259.99
वर्ष के अंत में शेष		-172.41		-335.46
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		4,107.40		3,581.40
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		570.00		526.00
वर्ष के अंत में शेष		4,677.40		4,107.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		6,165.53		4,868.94
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 (टिप्पणी 2.4 के संदर्भ में) के उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास का अंतरण।		-		0.74
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ		5,627.66		5,259.87
घटाएं : विनियोजन				
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	1,900.00		1,629.00	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	390.00		353.00	
- लाभांश				
- अंतरिम लाभांश	1,184.95		789.97	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 2.5 के संदर्भ में)	503.60		266.61	
- लाभांश संवितरण कर				
- अंतरिम लाभांश	239.19		157.89	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	102.52		54.28	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	196.59		185.79	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	570.00	5,086.85	526.00	3,962.54
वर्ष के अंत में शेष		6,706.34		6,165.53
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		27,630.30		23,869.57

2.1 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त 0.28 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

2.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 185.79 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ 172.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 335.46 करोड़) है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षित निधि से किसी राशि का आहरण नहीं किया गया है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में ₹ 0.74 करोड़ (₹ 0.38 करोड़ के कर का निवल) की राशि को 2014-15 के दौरान हुई आमदनी में अचल परिसंपत्रियो के अनुसार में प्रतिधारित आमदनी में समायोजित किया गया है, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के उपबंधों के अनुरूप ऐसी परिस्थितियों की शेष उपयोगी कालावधि 01 अप्रैल, 2014 के शून्य थी।

2.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर				
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)		503.60		266.61
- लाभांश की दर		51.00%		27.00%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)		5.10		2.70

3. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि उधार " के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 8 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बॉण्ड				
- संस्थागत बॉण्ड	27,591.90	7,854.80	35,446.70	2,992.80
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	11,814.48	5,349.91	10,687.69	4,903.25
- कर मुक्त बॉण्ड	12,648.41	-	11,648.41	-
(ख) आवधिक ऋण				
- वित्तीय संस्थाओं से	750.00	350.00	1,100.00	350.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	52,804.79	13,554.71	58,882.80	8,246.05
(बी) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बॉण्ड				
- संस्थागत बॉण्ड	66,184.40	7,055.80	57,714.20	-
- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	34.90	207.49	162.98	213.34
- जीरो कूपन बॉण्ड	990.64	-	914.48	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	-	-	-	125.00
- भारत सरकार से	-	-	-	3.07
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	18,774.70	3,149.02	13,493.86	10,534.34
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	85,984.64	10,412.31	72,285.52	10,875.75
कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	138,789.43	23,967.02	131,168.32	19,121.80
कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	162,756.45		150,290.12	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.1 दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 3.3 को देखें)

3.1.1 बॉण्ड

(₹ **करोड़ में**)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.1	**संस्थागत बॉण्ड**				
	123-IIIबी श्रृंखला	**1,955.00**	**-**	1,955.00	
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय				-
	123-I श्रृंखला	**1,515.00**	**-**	1,515.00	
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				-
	92-II श्रृंखला	**945.30**	**-**	945.30	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	**995.90**	**-**	995.90	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 18.11.2019 को विमोचनीय				
	90- सी-II श्रृंखला	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय				
	90- बी-II श्रृंखला	**868.20**	**-**	868.20	-
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
	122वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	1,700.00	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	**2,090.00**	**-**	2,090.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	**1,655.00**	**-**	1,655.00	-
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
	117वीं श्रृंखला	**2,878.00**	**-**	2,878.00	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
	87-ए-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
	11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
	116-II श्रृंखला	**850.00**	**-**	850.00	-
	9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
	87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय				
	86-बी-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
	86-ए श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय				
	85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-
	9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
	124-I श्रृंखला	**2,610.00**	**-**	2,610.00	-
	9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय				
	123-III ए श्रृंखला	**1,275.00**	**-**	1,275.00	-
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
	121वीं श्रृंखला	**-**	**1,600.00**	1,600.00	-
	9.52% सममूल्य पर दिनांक 24.03.2017 को विमोचनीय				
	120वीं श्रृंखला	**-**	**1,100.00**	1,100.00	-
	9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
	81वीं श्रृंखला	**-**	**314.80**	314.80	-
	8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
	116-I श्रृंखला	**-**	**430.00**	430.00	-
	9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
	123-IV श्रृंखला	**-**	**2,750.00**	2,750.00	-
	8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
	123-II श्रृंखला	**-**	**1,660.00**	1,660.00	-
	9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
	80वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	500.00
	8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचित				
	79वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	500.00
	7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचित				
	78वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,795.70
	7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचित				
	77वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	197.10
	7.30% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2015 को विमोचित				
	कुल संस्थागत बॉण्ड	**27,591.90**	**7,854.80**	35,446.70	2,992.80
3.1.1.2	**54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**				
	श्रृंखला X (2015-16)	**6,476.70**	**-**	-	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2014-15)	**5,337.78**	**-**	5,337.78	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2013-14)	**-**	**5,349.91**	5,349.91	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2012-13)	**-**	**-**	-	4,903.25
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचित				
	जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**11,814.48**	**5,349.91**	10,687.69	4,903.25
3.1.1.3	**कर मुक्त बॉण्ड**				
	श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**700.00**	**-**	-	-
	वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 421.17 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2015-16 सीरिज 5ए	**300.00**	**-**	-	-
	7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,059.40**	**-**	1,059.40	-
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 530.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	**150.00**	**-**	150.00	-
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,440.60**	**-**	3,440.60	-
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,810.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	**1,350.00**	**-**	1,350.00	-
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**-**	131.06	-
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**2,017.35**	**-**	2,017.35	-
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 852.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012-13 भाग 2ए और 2बी	**500.00**	**-**	500.00	-
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोच्य हैं।				
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,648.41**	**-**	11,648.41	-
3.1.2 **आवधिक ऋण**				
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी)	**750.00**	**350.00**	1,100.00	350.00
₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 200 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 100 करोड़ बकाया है) एवं ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ` 800 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।				
जोड़: आवधिक ऋण	**750.00**	**350.00**	1,100.00	350.00

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

3.2.1 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.1	संस्थागत बॉण्ड				
	136वीं श्रृंखला	2,585.00	-	-	-
	8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय				
	95-II श्रृंखला	1,800.00	-	1,800.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय				
	94वीं श्रृंखला	1,250.00	-	1,250.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय				
	133वीं श्रृंखला	2,396.00	-	-	-
	8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय				
	131वीं श्रृंखला	2,285.00	-	2,285.00	-
	8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय				
	130वीं श्रृंखला	2,325.00	-	2,325.00	-
	8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
	129वीं श्रृंखला	1,925.00	-	1,925.00	-
	8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
	128वीं श्रृंखला	2,250.00	-	2,250.00	-
	8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
	115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड	2,500.00	-	2,500.00	-
	8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
	114वीं श्रृंखला	4,300.00	-	4,300.00	-
	8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
	111-II श्रृंखला	2,211.20	-	2,211.20	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
	107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	2,378.20	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
	132वीं श्रृंखला	700.00	-	700.00	-
	8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
	127वीं श्रृंखला	1,550.00	-	1,550.00	-
	8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
	105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
	9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
	101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
	9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
	100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
	98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
	9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
	97वीं श्रृंखला	2,120.50	-	2,120.50	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय				
	96वीं श्रृंखला	1,150.00	-	1,150.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय				
	135वीं श्रृंखला	2,750.00	-	-	-
	8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय				
	134वीं श्रृंखला	2,675.00	-	-	-
	8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	**-**	1,542.00	-
	8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय				
	111-I श्रृंखला	**452.80**	**-**	452.80	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
	126वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	1,700.00	-
	8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
	125वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
	9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय				
	108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	**960.00**	**-**
	9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
	95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	**200.00**	**-**
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
	137वीं श्रृंखला	**2,225.00**	**-**	**-**	**-**
	8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय				
	112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	**1,500.00**	**-**
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
	109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	**-**	**1,734.70**	**-**
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय				
	108-I श्रृंखला	**2,125.00**	**-**	**2,125.00**	**-**
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
	138वीं श्रृंखला	**-**	**2,895.00**	**-**	**-**
	8.28% Redeema₹le at par on 04.03.2017				
	106वीं श्रृंखला	**-**	**1,500.00**	**1,500.00**	**-**
	9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
	103-I श्रृंखला	**-**	**50.00**	**50.00**	**-**
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
	102वीं श्रृंखला	**-**	**2,216.20**	**2,216.20**	**-**
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
	101-II श्रृंखला	**-**	**394.60**	**394.60**	**-**
	9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
	जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**66,184.40**	**7,055.80**	**57,714.20**	**-**
3.2.1.2	**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**				
	श्रृंखला-II (2011-12)	**29.51**	**128.08**	**157.59**	**-**
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	श्रृंखला-I (2010-11)	**5.39**	**79.41**	**5.39**	**213.34**
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**34.90**	**207.49**	**162.98**	**213.34**
3.2.1.3	**जीरो कूपन बॉण्ड**				
	जेडसीबी - श्रृंखला - II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	**178.95**	**-**	**164.60**	**-**
	जेडसीबी - श्रृंखला - I (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	**811.69**	**-**	**749.88**	**-**
	जोड़ : जीरो कूपन बॉण्ड	**990.64**	**-**	**914.48**	**-**
3.2.2	**आवधिक ऋण**				
3.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**-**	**-**	**125.00**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.2.2	**भारत सरकार से ऋण**	-	-	-	3.07
	जोड़ - आवधिक ऋण	-	-	-	128.07
3.2.3	**अन्य ऋण और अग्रिम**				
3.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बॉण्ड - सीएचएफ 200 मिलियन	-	1,378.50	1,285.44	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	आरईजी एस बॉण्ड - 500 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	2,703.58
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचित				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	400.61	210.13	550.17	209.62
	0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2016 को देय हो रही है और 0.65% जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2016 को देय हो रही है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	93.33	51.10	144.43	51.40
	3.73% ऋण € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दि: 30.06.2016 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	1,788.96
	दिनांक 22.09.2015 को प्रदत्त				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस-70 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	311.36
	दिनांक 28.10.2015 को प्रदत्त				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिजूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	446.50
	दिनांक 30.03.2016 को प्रदत्त				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	446.50
	दिनांक 30.03.2016 को प्रदत्त				
	सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,367.24	1,367.24	-
	दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय।				
	केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	213.77	53.44	267.22	53.44
	2.89% ऋण, € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2016 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण- ¥19.029 बिलियन	1,184.43	-	1,184.43	-
	दिनांक 10.04.2017 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण- $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	1,366.49
	दिः19.11.2015 को प्रदत्त				
	केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	558.76	88.61	477.36	89.18
	1.86% ऋण, € 5.26 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 30.06.2016 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	1,544.42
	दिनांक 05.02.2016 को प्रदत्त				
	सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	1,522.89
	दिनांक 21.03.2016 को प्रदत्त।				
	सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन अमेरिकी डालर	1,780.28	-	1,780.28	-
	दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	1,521.75	-	1,499.29	-
	दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,435.78**	**-**	2,435.78	-
ऋण $230 मिलियन अमेरिकी डालर और $170 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,539.64**	**-**	2,502.22	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,909.56**	**-**	-	-
दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,653.25**	**-**	-	-
150 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय है।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,997.80**	**-**	-	-
दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,688.46**	**-**	-	-
दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $120 मिलियन अमेरिकी डालर	**797.28**	**-**	-	-
दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय।				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	**18,774.70**	**3,149.02**	13,493.86	10,534.34

3.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 81, 82, 83, 85, 86ए, 86बी-III, 87-II, 87 ए-III, 88, 90, 90 बी-II, 90 सी-II, 91-II, 92-II, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116-I, 116-II, 117, 118, 119, 120, 121 एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123-I, 123-II, 123-IIIए, 123-IIIबी, 123-IV, 124-I विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

3.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 65 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 3.2.3.1 में उपर उल्लेख किया गया है।

3.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का हस्तांतरण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग.

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर "एएए " रेटिंग प्राप्त है, जे क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जोकि क्रमशः "बीएए3 " तथा "बीबीबी " है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

3.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010-11)

ब्याज दर	राशि (करोड़ ₹ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	18.35	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	61.06	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
जोड़	84.80	

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (करोड़ ₹ में)	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	**95.23**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	**32.85**	
9.15% संचयी	**13.43**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	**5.01**	
8.95% संचयी	**5.73**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	
9.15% संचयी	**2.83**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	
जोड़	**157.59**	

4. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	**3.63**	4.00
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	**59.67**	116.10
जोड़	**63.30**	120.10
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	**8.06**	7.95
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	**5.49**	4.83
जोड़	**13.55**	12.78
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)	**49.75**	107.32

4.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

5. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	**9.50**	36.16
जोड़	**9.50**	36.16

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	- निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी हितलाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	**21.00**	2.30	20.30	2.68
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**82.50**	4.12	73.80	3.81
	चिकित्सा अवकाश देयता	**13.65**	2.22	13.26	1.96
	निपटान भत्ता	**1.06**	0.16	1.04	0.16
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**3.31**	0.03	2.71	0.01
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.45**	0.11	2.34	0.50
	उप-जोड़ (क)	**123.97**	**8.94**	113.45	9.12
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	**420.35**	123.08	446.13	44.79
	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**750.71**	70.63	447.51	4.26
	देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**-**	3.96	-	-
	प्रोत्साहन	**-**	18.13	-	16.71
	धन कर	**-**	-	-	0.37
	अनुषंगी लाभ कर	**-**	-	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	**-**	503.60	-	266.61
	कारपोरेट लाभांश कर	**-**	102.52	-	54.28
	सीएसआर व्यय	**-**	21.19	-	57.21
	उप-जोड़ (ख)	**1,171.06**	**843.11**	893.64	444.59
	जोड़ (क+ख)	**1,295.03**	**852.05**	1,007.09	453.71

6.1 लेखाकरण मानक-29 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधानों के ब्योरे निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	**22.98**	**6.21**	**5.89**	**23.30**
पिछले वर्ष	22.92	5.57	5.51	22.98
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**77.61**	**15.33**	**6.32**	**86.62**
पिछले वर्ष	66.64	16.39	5.42	77.61
चिकित्सा अवकाश देयता	**15.22**	**2.11**	**1.46**	**15.87**
पिछले वर्ष	14.74	1.81	1.33	15.22
निपटान भत्ता	**1.20**	**0.12**	**0.10**	**1.22**
पिछले वर्ष	1.16	0.20	0.16	1.20
आर्थिक पुनर्वास योजना	**2.72**	**1.26**	**0.64**	**3.34**
पिछले वर्ष	2.65	0.70	0.63	2.72
दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.84**	**0.02**	**0.30**	**2.56**
पिछले वर्ष	3.38	0.02	0.56	2.84
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**490.92**	**138.93**	**86.42**	**543.43**
पिछले वर्ष	370.38	120.54	-	490.92
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**451.77**	**369.57**	**-**	**821.34**
पिछले वर्ष	-	451.77	-	451.77
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**-**	**3.96**	**-**	**3.96**
पिछले वर्ष	-	-	-	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
प्रोत्साहन	**16.71**	**14.34**	**12.92**	**18.13**
पिछले वर्ष	15.42	13.30	12.01	16.71
सीएसआर व्यय	**57.21**	**128.20**	**164.22**	**21.19**
पिछले वर्ष	-	103.25	46.04	57.21
धन कर	**0.37**	**0.02**	**0.39**	**-**
पिछले वर्ष	0.37	0.37	0.37	0.37
अनुषंगी हितलाभ कर	**0.36**	**-**	**0.36**	**-**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	**-**	**1,184.95**	**1,184.95**	**-**
पिछले वर्ष	-	789.97	789.97	-
प्रस्तावित लाभांश	**266.61**	**503.60**	**266.61**	**503.60**
पिछले वर्ष	172.81	266.61	172.81	266.61
कारपोरेट लाभांश कर	**54.28**	**341.71**	**293.47**	**102.52**
पिछले वर्ष	29.37	212.17	187.26	54.28
आय कर	**5,249.83**	**2,521.82**	**1,350.67**	**6,420.98**
पिछले वर्ष	3,988.96	2,234.54	973.67	5,249.83

7. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	**749.93**	734.00
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	**5,600.00**	-
	- जोड़ (क+ख)	**6,349.93**	734.00

8. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं** *(टिप्पणी 3 के संदर्भ में)*	**23,967.02**	19,121.80
(ख)	**उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**6,229.15**	5,265.43
(ग)	**उपचित एवं उधारियों पर देय ब्याज**	**-**	1.10
(घ)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	**0.08**	0.08
(च)	**अप्रदत्त लाभांश**	**2.73**	2.62
(छ)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बांडों पर ब्याज**		
	- परिपक्व बांड एवं उन पर उपचित ब्याज	**44.83**	57.64
	- बॉण्डों पर ब्याज	**12.57**	14.33
(ज)	**अन्य देय राशियां**		
	- प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	**38,111.60**	33,641.80
	- जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 8.3 के संदर्भ में)	**18.10**	51.38
	- घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-38,091.35**	-33,399.90
	- सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**38.35**	293.28
	- चालू खाते में ओवरड्रॉफ्ट	**-**	0.38
	- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**21.87**	22.78
	- कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	**0.53**	0.62
	- अन्य देयताएं	**72.39**	31.34
	उप-जोड़ (ज)	**133.14**	348.40
	जोड़ (क से ज)	**30,389.52**	24,811.40

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडीः

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.22 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार**	31.03.2015 के अनुसार
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**2.22**	3.53
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.07**	0.13
घटाएंः उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**1.03**	1.44
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**1.26**	2.22

8.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई योजना के तहत प्राप्त निधियों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं " के तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान " के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 39.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.78 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 71.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.07 करोड़) की राशि वापस की गई है।

8.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार**	31.03.2015 के अनुसार
आरंभिक शेष	**51.38**	**11.55**
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**41.49**	**62.93**
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**74.19**	**22.34**
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.58**	**0.76**
वर्ष के अंत में शेष	**18.10**	**51.38**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. 31 मार्च, 2016 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2016 को बंद	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	45.92	0.05	**80.62**	-	-	-	**-**	**80.62**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.22	0.02	-	**0.24**	**1.21**	1.23
भवन	33.71	0.04	0.58	**33.17**	7.29	0.47	-	**7.76**	**25.41**	26.42
फर्नीचर और जुड़नार	7.05	0.26	0.28	**7.03**	4.58	0.57	0.23	**4.92**	**2.11**	2.47
वाहन	0.46	-	0.03	**0.43**	0.22	0.04	0.02	**0.24**	**0.19**	0.24
ईडीपी उपस्कर	16.62	1.22	0.85	**16.99**	11.29	2.43	0.62	**13.10**	**3.89**	5.33
कार्यालय उपस्कर	6.32	4.05	0.43	**9.94**	4.26	1.39	0.11	**5.54**	**4.40**	2.06
जोड़	100.36	51.49	2.22	**149.63**	27.86	4.92	0.98	**31.80**	**117.83**	72.50
पिछले वर्ष	93.68	9.95	3.27	**100.36**	24.01	5.73	1.88	**27.86**	**72.50**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.97	0.01	0.01	**6.97**	5.54	0.53	0.01	**6.06**	**0.91**	1.43
जोड़	6.97	0.01	0.01	**6.97**	5.54	0.53	0.01	**6.06**	**0.91**	1.43
पिछले वर्ष	6.96	0.01	-	**6.97**	4.51	1.03	-	**5.54**	**1.43**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	7.39	24.34	1.36	**30.37**	-	-	-	**-**	**30.37**	7.39
पिछले वर्ष	9.71	2.90	5.22	**7.39**	-	-	-	**-**	**7.39**	
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	1.21	-	**1.21**	-	-	-	**-**	**1.21**	-
पिछले वर्ष	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**	**-**	

9.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

9.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.3 **एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटनः**

समाशोधन दर - 20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो ।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- अनुषंगी कंपनियां				
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
- संयुक्त उद्यम				
- एनर्जी इफीसिएंसी सर्विज लिमिटेड	**4,75,00,000**	**47.50**	22,500,000	22.50
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**12,50,000**	**1.25**	12,50,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	**1,60,00,000**	**16.00**	1,60,00,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान	**-**	**(16.00)**	-	-
		-		16.00
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड -II	**6**	**282.96**	8	377.28
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2016 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- "स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि	**61,52,200**	**6.15**	76,82,816	7.68
प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के यूनिट				
(iv) डिबेंचर्स में निवेश				
- यूपी पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के 9.68% बांड	**38,050**	**380.50**	75,000	750.00
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
- इंडियन बैंक के 11.15% टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**		
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
- विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**		
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
- सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**		
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
(v) शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन				
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड		**99.00**		
जोड़: गैर-चालू निवेश (1)		**2,317.46**		1,174.81
(2) चालू निवेश				
(क) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	**10,20,00,000**	**102.00**	-	-
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- उत्तर प्रदेश सरकार के 8.57% -8.73% विशेष बांड	**-**	**-**	-	391.50
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड-II	**1**	**47.16**	1	47.16
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2016 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)*				
जोड़ - चालू निवेश (2)		**149.16**		438.66
जोड़ (1+2)		**2,466.62**		1,613.47

* चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 माह के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

10.1 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1) निवेशों का मूल्य				
(i) निवेशों का समग्र मूल्य				
(क) भारत में	**2,333.46**	**149.16**	1,174.81	438.66
(ख) विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				
(क) भारत में	**-**	**-**	-	-
(ख) विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	**-**	**-**	-	-
(क) भारत में	**2,317.46**	**149.16**	1,174.81	438.66
(ख) विदेशों में	**-**	**-**	-	-
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन				
(i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**	**-**	-	-
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**16.00**	**-**	-	-
(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	**-**	**-**	-	-
(iv) वर्ष के अंत में शेष	**16.00**	**-**	-	-
(3) उद्धृत निवेशों की समग्र राशि	**1,500.00**	**-**	-	391.50
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	**1,500.00**	**-**	-	405.63
(4) अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि	**833.46**	**149.16**	1,174.81	47.16
(5) निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान	**16.00**	**-**	-	-

10.2 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत "स्माल इज ब्यूटीफुल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2016 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.24 प्रति यूनिट है (पिछले वर्ष ₹ 9.70 प्रति यूनिट)।

10.3 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचनाः

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	28.79%
निगमन देश	भारत
प्रचालन का क्षेत्र	भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (28.79%)
	2. पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (13.63%)
	3. पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (28.79%)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

इसके अलावा, 31 मार्च, 2016 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 99.00 करोड़ का भुगतान किया गया है। ईईएसएल ने 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक ₹ 10/- के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए हैं और तदनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी का शेयर 31.71% बढ़ गया है।

31.03.2016 के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर- लेखापरीक्षित)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार/के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	434.53	78.94	78.97
(ii)	कुल देयताएं	371.71	50.21	51.39
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	15.32	6.23	5.08
(iv)	आकस्मिक देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	84.24	शून्य	14.99
(vi)	कुल आय	205.68	17.57	17.78
(vii)	कुल व्यय	191.40	14.37	14.38

संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । हालांकि, बाद में 3 जुलाई, 2015 को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई।

11. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	49.14	20.20
(ख)	प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	3.77	0.94
(ग)	संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	0.63	0.21
		0.63	0.21
(घ)	अन्य ऋण और अग्रिम		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	36.72	40.40
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	1,57,703.84	1,64,152.03
		1,57,740.56	1,64,192.43
	योग (क से घ)	1,57,794.10	1,64,213.78

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्योराः

11.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम				
(क1)	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु				
	(क) शोध्य समझा गया	0.01	0.01	0.04	0.02
(क2)	अन्य को				
	(क) शोध्य समझा गया	2.93	0.73	2.82	1.08
	(ख) वर्गीकृत अशोध्य	-	-	-	0.07
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	0.07
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (क1+क2)	2.94	0.74	2.86	1.10
(ख)	अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम				
(ख1)	मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु				
	(क) शोध्य समझा गया	0.62	0.19	0.17	0.06
(ख2)	अन्यों को				
	(क) शोध्य समझा गया	33.79	10.24	37.58	9.56
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	34.41	10.43	37.75	9.62
	सकल जोड़ (क+ख)	37.35	11.17	40.61	10.72

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियां के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	1,09,569.70	15,194.43	95,970.62	8,981.75
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	24,377.49	1,841.42	28,393.85	1,201.89
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	2,243.97	1,569.50	849.53	429.66
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	257.65	325.52	208.67	100.59
		1,986.32	1,243.98	640.86	329.07
	उप-जोड़ (क1+क2)	1,35,933.51	18,279.83	1,25,005.33	10,512.71
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	18,092.54	22,522.84	35,334.41	2,651.53
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	2,467.29	886.78	2,878.29	377.24
(ख3)	**ऋण - अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	1,210.50	99.51	934.00	490.99
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	-	430.10	56.19	-
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	430.10	56.19	-
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	21,770.33	23,509.13	39,146.70	3,519.76
	समग्र जोड़ (क+ख)	1,57,703.84	41,788.96	1,64,152.03	14,032.47

11.2.1 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 92.95% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 14,188 करोड़ लागत की शेष 7.05% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 72.94% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 23.37% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 3.69% अप्रतिभूत ऋण हैं।

11.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में, राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

11.2.3 अलकनंदा हाइड्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) श्रीनगर, एचईपी उत्तराखंड में स्थित है। वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान हुई घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि बैंकों को उत्तराखंड में बकाया सभी परियोजनाओं के ऋण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण और ब्याज की चुकौती पर रोक लगा देनी चाहिए। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2013 के पत्र के द्वारा ऐसे लाभ को एएचपीसीएल के लिए लागू कर दिया। तदनुसार, आरईसी ने जून, 2014 में एएचपीसीएल के लिए निधिपोषित ब्याज सावधिक ऋण (एफआईटीएल) को संस्वीकृत किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 को "गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा अग्रिम की पुनर्व्यवस्था पर मानदंड " के संबंध में परिपत्र जारी किया है। जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित है कि " एफआईटीएल की प्रतिनिधित्व वाली अप्राप्त आय के लिए किसी खाते में ऐसा ही ऋण होना चाहिए जैसे सनड्राई लाइबिलिटीज एकाउंट में निर्धारित है (ब्याज पूंजीकरण)। उपरोक्त परिपत्र की अनुप्रयोज्यता के प्रत्युत्तर में, आरईसी ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से यह अभिवेदन दिया कि "हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विद्युत परियोजनाओं को पुनर्व्यवस्था मानदंडों से बाहर रखा जाए "।

उपरोक्त अनुरोध के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा यह मंजूरी दी कि पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाएं, हिमालय क्षेत्र में हाईड्रो परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित को भी (31 मार्च, 2014 के अनुसार नये ऋण और ऋणों का बकाया स्टॉक) 31 मार्च, 2017 तक आरईसी के विद्यमान पुनर्संरचना मानदंडों के अनुसार अधिनियमित किया जाएगा।

अतः प्रबंधन का मत था कि एएचपीसीएल की उपरोक्त परियोजना, हिमालय क्षेत्र में एक हाइड्रो परियोजना और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के नाते, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के परिपत्र के दायरे से बाहर है तथा उसे आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार शासित किया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

जाएगा। ये मानदंड यह बताते हैं कि "एनपीए, जहां ब्याज के निधियन को आय के रूप में विचारा जाता है, के संबंध में ब्याज के निधिपोषण के मामले में, निधिकृत ब्याज पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।" जैसा कि एएचपीसीएल आरईसी की बही में एक मानक परिसंपत्ति है, इस प्रकार निधिकृत ब्याज के किसी प्रावधान का सृजन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण लंबित है, इसी प्रकार का सनड्राई लाइबिलिटीज अकाउंट सृजित करने की बजाय (ब्याज पूंजी करण), 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, एएचपीसीएल के संबंध में एफआईटीएल के लिए लेखा बही में ₹ 86.42 करोड़ का 100% प्रावधान सृजित किया गया था।

इस अनुरोध के प्रत्युत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2015 के पत्र सं. डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.123/03.10.001/2015-16 के द्वारा यह सुझाव दिया कि उक्त उधारकर्ता को स्वीकृत एफआईटीएल को आरबीआई के वित्तीय पुनर्संरचना मानदंडों के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी। तदनुसार, ₹ 86.42 करोड़ के 100% प्रावधान को रद्द कर दिया गया और उसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त हिसाब में लिया गया।

11.2.4 मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य में हाइड्रो वैद्युत परियोजना का निष्पादन कर रहा है। परियोजना में महत्वपूर्ण वास्तविक प्रगति अर्जित कर ली गयी है और उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की संचयी वास्तविक प्रगति 96.59% है।

परियोजना में इक्विटी समावेशन करने संबंधी मुद्दे का हल प्रोमोटरों के बीच हो गया था तथा तत्पश्चात, टीयूएल के शेयरधारकों के बीच 6 अगस्त, 2015 को शेयर खरीद अनुबंध निष्पादित किया गया था ताकि सिक्किम पॉवर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी), इक्विटी के समावेशन और अन्य शेयरधारकों से शेयरों की खरीद करने के द्वारा टीयूएल में 51% तक अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए समर्थ हो सके। तदनुसार, टीयूएल में सिक्किम पॉवर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान शेयरधारिता 51% है तथा टीयूएल को सिक्किम सरकार के उपक्रम के रूप में मान्यकृत किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरईसी सहित, कुछ उधारदाताओं ने, टीयूएल को दूसरी ओवररन लागत के लिए स्वीकृत ऋण के समक्ष, कंपनी के साथ द्विपक्षीय करार के आधार पर उनके देय बकाया ब्याज को समायोजित कर लिया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2015 के अनुसार, लंबित प्रलेखीकरण, ₹ 202.15 करोड़ की राशि को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओवररन लागत के तहत किया गया संवितरण चल परिसंपत्तियों पर प्रभार लागू होने से प्रतिभूत हो गया है। 29 जून, 2015 को उधारदाताओं के बीच संयुक्त प्रलेखीकरण निर्धारित हो गया है, सिवाय पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के , उन्होंने अभी परिग्रहण विलेख द्वारा प्रलेखीकरण में शामिल होना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार, दूसरी ओवररन लागत के तहत उधारकर्ता को किए गए ऋण संवितरण को प्रतिभूत ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11.2.5 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण-। टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइरसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2016 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की उपलब्ध पिछली रिपोर्ट के अनुसार परियोजना (जहां आरईसी प्रमुख है) के चरण-। की प्रगति, लगभग 96% है। हालांकि, खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्य-निर्धारक की रिपोर्ट के अनुसार, चरण-। परियोजना परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य ₹ 1,401.94 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 399.08 करोड़ की राशि ऋण की सीमा, प्रतिभूति के वसूलनीय मूल्य तक शामिल नहीं, और ₹ 412.66 करोड़ के लिए 100% का प्रावधान, ₹ 82.53 करोड़ की राशि के लिए 20% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल सृजित प्रावधान ₹ 481.61 करोड़ है।

इसके अलावा, उधारकर्ता और प्रोमोटर कंपनी, सीआईएएल, को कारपोरेट गारंटी के लिए रिकॉल नोटिस भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की गयी है। उधारदाता, बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में मूल आवेदन (ओए) को दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं।

11.2.6 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ संस्वीकृत किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2016 तक ₹ 33.24 करोड़ का संवितरण किया गया है। जैसा कि परियोजना में पर्याप्त रूप से विलंब हुआ है, उधारदाता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाशने और भावी कार्यनीति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्य-निर्धारक की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य ₹ 180.17 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 31.02 करोड़ की राशि ऋण की सीमा, प्रतिभूति के वसूलनीय मूल्य तक शामिल नहीं, और ₹ 2.22 करोड़ के लिए 100% का प्रावधान, ₹ 0.44 करोड़ की राशि के लिए 20% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार, ₹ 33.24 करोड़ के कुल बकाया ऋण पर कुल सृजित प्रावधान ₹ 31.46 करोड़ है।

इसके अलावा, उधारकर्ता और प्रोमोटर की निजी गारंटी के लिए रिकॉल नोटिस भेजा गया है। उधारकर्ता अपने देय बकायों की वसूली के लिए डीआरटी में संयुक्त आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

11.2.7 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ताओं में से एक की बकाया देय राशि ₹ 366.30 करोड़ 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय थी, इस प्रकार, 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण हेतु समय सीमा अधिक हो गयी। हालांकि, उधारकर्ता ने खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए जाने के संबंध में 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया तथा न्यायालय का अंतिम आदेश आने तक उधारकर्ता के वर्गीकरण को 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में रखा गया है। तदनुसार, बकाया

लेखा संबंधी टिप्पणियां

ऋण ₹ 1,875.71 करोड़ पर उप-मानक ऋणों के लिए लागू 10% प्रावधान को सृजित नहीं किया गया है तथा ₹ 366.30 करोड़ की ब्याज आय को, मानक परिसंपत्तियों पर आय की मान्यता हेतु कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, उपचित आधार पर मान्यकृत भी किया गया है। तथापि, जैसा कि खाता वर्तमान में पुनर्व्यविस्थित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, ₹ 93.79 करोड़ राशि के 5% का एक प्रावधान, ऋण के सं बंध में पूर्णतः सृजित किया गया है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2.3(iv) के अनुसार चरणबद्ध रूप से सृजित किया जाता है।

11.2.8 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमि कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से ₹ 102 करोड़ को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत ₹ 102 करोड़ की राशि को 20 अक्तूबर, 2015 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी में रूपांतरित देय ब्याज के समक्ष ₹ 3.96 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, विवेकपूर्ण मामले के रूप में, 31 मार्च, 2016 के अनुसार ₹ 236.80 करोड़ के बकाया शेष ऋण पर ₹ 15.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान, आरबीआई के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के परिपत्र के अनुसार किया गया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर ₹ 32.27 करोड़ की उपचित आय एवं अप्रदत्त रही राशि को, एसडीआर के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितता के कारण मान्यकृत नहीं किया गया है।

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	**6.79**	5.01
(ख)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	**6,515.25**	5,321.81
	घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान	**6,420.98**	5,249.83
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	**94.27**	71.98
(ग)	**अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू अंशः**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	**-**	0.14
	जोड़ (क से ग)	**101.06**	77.13

13. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	**960.58**	189.25
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	**767.61**	333.29
	उप-जोड़ (क)	**1,728.19**	522.54
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	**0.36**	0.36
	जोड़ (क+ख)	**1,728.55**	522.90
	बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल हैः		
	- बैंकों में अलग खातों में चिहिन्त शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**2.73**	2.62
	- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	**34.17**	54.94
	- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	**1.77**	2.15

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 2.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 236.19 करोड़.) की राशि चिहि्नत की गयी है। (ख) अन्य में - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिहि्नत ₹ 0.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.36 करोड़) की जमा राशि शामिल है।

13.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 700 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू को जारी किया है, जो ₹ 300 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के निजी व्यवस्थापन इश्यू के अतिरिक्त है। बॉण्डों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप आबंटित किया गया था तथा इश्यू आय को अब प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम, (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए ऋण)**	**0.95**	2.04
(ख)	**अन्य**		
(i)	**नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)**		
	(क) शोध्य समझे गए	**22.09**	1.21
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**2.06**	2.06
	घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**2.06**	2.06
		-	-
	कुल (i)	**22.09**	1.21
(ii)	**ऋण परिसंपत्तियाँ**		
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	- शोध्य समझे गए	**-**	485.88
	उप-जोड़ (क)	**-**	485.88
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	**672.22**	500.00
	- ऋण - अन्य		
	- शोध्य समझे गए	**100.00**	111.11
	उप-जोड़ (ख)	**772.22**	611.11
	कुल (ii)	**772.22**	1,096.99
	सकल जोड़	**795.26**	1,100.24

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.2 को देखें)**	**41,788.96**	14,032.47
(ख)	**स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.1 देखें)**	**11.17**	10.72
(ग)	**उपचित लेकिन देय नहीं ब्याजः**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर	**-**	7.89
	- दीर्घावधि निवेशों पर	**18.06**	30.25
	- आवधिक जमा पर	**1.32**	0.25
	उप-जोड़	**19.38**	38.39
(घ)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	**1,112.89**	1,019.94
(च)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	**301.73**	444.30
(छ)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश**	**0.30**	0.28
(ज)	**भारत सरकार से वसूलनीय**		
	- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई व्यय	**9.71**	8.49
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	**0.37**	0.29
	उप-जोड़	**10.08**	8.78
(झ)	**राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलनीय**	**5.11**	7.32
(ट)	**कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	**67.30**	-
(ठ)	**अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	**0.14**	3.99
	जोड़ (क से ठ)	**43,317.06**	15,566.19

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. प्रचालनों से आयः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	23,375.20		19,904.21	
	घटाएं : समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	1.49	23,373.71	2.70	19,901.51
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		96.95		170.57
	उप-जोड़ (क)		23,470.66		20,072.08
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		24.71		51.93
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		30.50		11.23
(iii)	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए शुल्क		32.78		15.29
	उप-जोड़ (ख)		87.99		78.45
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		68.21		69.46
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		11.49		9.54
	उप-जोड़ (ग)		79.70		79.00
	जोड़ (क से ग)		23,638.35		20,229.53

17. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय के अन्यत्र)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	43.23	47.51
	- दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	42.74	101.67
	- स्टाफ अग्रिमों से ब्याज	2.22	1.72
	उप-जोड़ (क)	88.19	150.90
(ख)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	10.01	0.35
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	3.05	3.63
	उप-जोड़ (ख)	13.06	3.98
(ग)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	12.29	-
(घ)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.02
	- रिटन बैक प्रावधान	0.98	0.57
	- विविध आय	3.41	3.05
	उप-जोड़ (घ)	4.39	3.64
	जोड़ (क से घ)	117.93	158.52

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	0.15	0.43
	- आरईसी के बॉण्डों पर	11,374.73	9,508.65
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	132.62	207.25

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	**1,616.14**	1,358.86
	- कमर्शियल पेपर पर	**285.91**	300.03
	- एआरईपी सब्सिडी पर	**0.04**	0.08
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	**-**	1.38
	उप-जोड़ (क)	**13,409.59**	11,376.68
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	**17.69**	18.31
	- पब्लिक इश्यू व्यय	**0.70**	-
	- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	**1.04**	1.05
	- बॉण्डों की ब्रोकरेज	**19.33**	20.48
	- बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क	**3.88**	4.03
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**157.74**	168.73
	उप-जोड़ (ख)	**200.38**	212.60
(ग)	**निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति**	**673.15**	255.33
	जोड़ (क से ग)	**14,283.12**	11,844.61

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**96.85**	92.46
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**12.07**	11.38
- उपदान	**0.53**	0.60
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**15.33**	16.39
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**12.66**	13.11
जोड़	**137.44**	133.94

20. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
प्रत्यक्ष व्यय	**124.72**	100.95
ओवरहैडस्	**3.48**	2.30
जोड़	**128.20**	103.25

20.1. सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरणः

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹ 127.46 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 103.25 करोड़)।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (करोड़ ₹ में):

	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर	**107.01**	**21.19**	**128.20**	46.04	57.21	103.25

*उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

21. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		11.23		9.97
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		5.20		5.97
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	2.65		2.69	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	4.64		3.75	
- अन्य	0.62	7.91	0.63	7.07
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		3.29		3.66
- दरें और कर		0.44		0.88
- बिजली और ईंधन		2.11		1.32
- बीमा खर्च		0.03		0.04
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		1.95		2.24
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		1.03		0.62
- परामर्शी सेवा प्रभार		3.39		2.74
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.38		0.11
- विविध व्यय		30.05		34.87
जोड़		67.01		69.49

21.1 **लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.45	0.38
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.08	0.08
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.21	0.08
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी		
कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू के लिए विवरणिका का प्रमाणन	0.12	-
अन्य प्रमाणन	0.03	0.02
- किए गए व्यय	0.09	0.03
- सेवा कर अंगभूत	0.05	0.03
जोड़	1.03	0.62

21.2 **विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्ययः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.49	-
- ब्याज	550.96	455.29
- वित्त प्रभार	130.91	149.36
- अन्य व्यय	3.11	3.18
जोड़	685.47	607.83

21.3 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 5.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.30 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.50 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार हैः

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ **करोड़ में**)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	**31.03.2016 के अनुसार**		31.03.2015 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	0.36	4.33	0.29	3.53
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	0.62	4.45	-	6.52
5 वर्ष से अधिक	-	0.70	-	0.66
जोड़	**0.98**	**9.48**	0.29	10.71

22. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	647.81	230.65
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	52.51	120.54
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	369.57	451.77
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ब्याज हेतु प्रावधान	3.96	-
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	16.00	-
जोड़	**1,089.85**	802.96

23. प्रति शेयर आय

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार**	31.03.2015 के अनुसार
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (करोड़ ₹ में)	**5,627.66**	5,259.87
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**98,74,59,000**	98,74,59,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	**56.99**	53.27

24. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

24.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	**57.45**	55.71
(ख) अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	**461.56**	260.84

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 3.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.75 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 53.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.96 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपीलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

24.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	**31.03.2016 के अनुसार**	31.03.2015 के अनुसार
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**287.97**	16.06
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**2.84**	4.32
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**89.44**	182.73

लेखा संबंधी टिप्पणियां

25. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योराः

(₹ करोड़ में)

विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i) कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल4010डीएल1969जीओआई005095
(ii) पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

26. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं. 043/03.10.119/2015-16 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(ii) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुर्देशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

27. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के पत्र डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन संख्या 4868/55.18.014/2013-14 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों से 31 मार्च, 2016 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निजी निधियों के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2015 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

28. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में लेखाकरण नीति को संशोधित किया है। इसके अतिरिक्त, मानक ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष भत्ते के सृजन हेतु लेखाकरण नीति को, दिनांक 10 नवंबर, 2014 की आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार मानक ऋणों की परिशोधित प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया है। लेखाकरण नीति में हुए इन परिवर्तनों के कारण, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 87.87 करोड़ कम हो गया है।

इसके अलावा, वित्तीय विवरणों, राजस्व मान्यता, मूर्त परिसंपत्तियों और नकदी प्रवाह विवरणों की तैयारी के आधार के संबंध में लेखाकरण नीति में आंशिक संशोधन किए गए हैं। हालांकि, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

29. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

29.1 आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 11 और 14 में वर्गीकृत) निम्नवत हैः

(₹ करोड़ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**21,058.26**	**821.34**	16,428.15	451.77
(ख)	उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**1,75,976.46**	**543.43**	1,61,883.41	490.92
	उप-जोड़ (i)	**1,97,034.72**	**1,364.77**	1,78,311.56	942.69

लेखा संबंधी टिप्पणियां

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां*	**2,908.19**	**291.01**	844.98	206.28
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**1,318.16**	**705.04**	473.18	141.95
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**4,243.57**	**1,013.27**	1,335.38	365.45
	जोड़	**2,01,278.29**	**2,378.04**	1,79,646.94	1,308.14

* इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 81.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

टिप्पणी:(i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

29.2 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र*	**2.11%**	0.74%

* इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत 0.40% (पिछले वर्ष शून्य) का ऋण, ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

29.3 एनपीए का संचलन

(₹ **करोड़ में**)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**1.61%**	0.54%
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1335.38**	490.40
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**2910.13**	844.98
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**1.94**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**4243.57**	1335.38
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**969.93**	353.54
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**2262.31**	616.39
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**1.94**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**3230.30**	969.93
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**365.45**	136.86
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**647.82**	228.59
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**-**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**1013.27**	365.45

टिप्पणी- उपरोक्त आंकड़ों में पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 81.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

30. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

30.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2016 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

30.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**265.85**	39.85
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	**-**	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	**-**	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	**-**	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	**-**	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	**-**	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	**6.15**	7.68
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**272.00**	47.53

30.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2016 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

31. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,17,632.78**	1,08,066.67
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**58.44%**	60.16%
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**1,94,864.96**	1,71,024.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**58.54%**	57.49%
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण***		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	1,318.16
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	**3,444.72**	1,318.16

*इसमें डीसीसीओ की पुनर्व्यवस्था/अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का ऋण शामिल है।

32. कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

33. आहरण अनुसूची के अनुपालन और प्रस्तुति में उधारकर्ताओं द्वारा सम्मुख की जा रही व्यवहारिक समस्याओं पर विचार करते हुए, कंपनी ने ₹ 8.83 करोड़ के बकाया प्रतिबद्धता प्रभार की छूट देने सहित सभी चालू और राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता प्रभार/अपफ्रंट शुल्क की आवश्यकता हेतु खंड को छूट प्रदान करने के द्वारा ऋण की नीति को परिशोधित किया है।

34. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य

लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

35. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

36. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

37. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के भुगतान में विलंब होने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

38. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

38.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ **करोड़ में**)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i) स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**24,770.59**	24,577.20
(ii) क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**1,529.12**	2,662.28
(iii) स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**शून्य**	शून्य
(iv) स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**नीचे टिप्पणी देखें**	नीचे टिप्पणी देखें
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	**1,223.39**	2,173.16

टिप्पणीः गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी-I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

38.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

38.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

38.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम -** बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(iii) **तरलता जोखिम** - तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जोखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम** - प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम** - विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम** - नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

38.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
	प्रतिरक्षण हेतु	**17,876.79**	17,433.40	**6,893.80**	7,143.80
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
(क)	परिसंपत्ति (+)	**1,487.63**	2,569.44	**41.49**	92.83
(ख)	देयता (-)	**131.57**	294.66	**174.16**	194.46
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	**17,876.79**	17,433.40	**6,893.80**	7,143.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	**4,046.93**	6,594.80	**लागू नहीं**	लागू नहीं

*इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।
**इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

39. 31 मार्च, 2016 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय रुपए करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए*
जापानी येन ¥	**30,014.85**	**1,795.17**	**27,940.48**	**1,672.66**	**2,074.37**	**122.51**
पिछले वर्ष	33,084.61	1,944.22	31,895.82	1,882.28	1,188.79	61.94
यूरो €	**150.47**	**1,059.01**	**125.02**	**867.91**	**25.45**	**191.10**
पिछले वर्ष	153.82	1,083.03	150.70	1,061.94	3.12	21.09
अमेरिकी डॉलर $	**2,855.00**	**17,691.04**	**2,500.00**	**15,336.22**	**355.00**	**2,354.82**
पिछले वर्ष	3,555.00	19,715.51	2,720.00	14,489.18	835.00	5,226.33
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	**200.00**	**1,378.50**	**-**	**-**	**200.00**	**1,378.50**
पिछले वर्ष	200.00	1,285.44	-	-	200.00	1,285.44
जोड़		**21,923.72**		**17,876.79**		**4,046.93**
पिछले वर्ष		24,028.20		17,433.40		6,594.80

* भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

39.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	सीएचएफ/ आईएनआर
31.03.2016 के अनुसार	**66.3329**	**0.5906**	**75.0955**	**68.9249**
31.03.2015 के अनुसार	62.5908	0.5211	67.5104	64.2719

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री पी.जे.ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)(12.10.2015 से समाप्त)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)(13.10.2015 से नियुक्त)
श्री जे.एस.अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित।

बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित।

गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 30.07.2014 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

गदरवाड़ा (क) ट्रांसको लिमिटेड - 05.08.2014 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (क) ट्रांसको लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 14.08.2014 को निगमित की गयी तथा आरईसीटीपीसीएल, महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं एसजीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 20.08.2015 को यह कंपनी, स्टॅरलाइट ग्रिड 3 लिमिटेड (एसजीएल) को हस्तांतरित की गयी।

वेमागिरी II ट्रांसमिशन लिमिटेड - 06.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, वेमागिरी II ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 04.12.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड - 13.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं केपीटीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 06.01.2016 को यह कंपनी, कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड - 21.04.2015 को निगमित की गयी।

एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड - 18.08.2015 को निगमित की गयी।

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड - 27.11.2015 को निगमित की गयी।

खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड - 28.11.2015 को निगमित की गयी।

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड - 02.12.2015 को निगमित की गयी।

3. संयुक्त उपक्रम

एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
आरईसीटीपीसीएल	**60.00**	60.00
आरईसीपीडीसीएल	**10.44**	7.00
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.17
ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**0.22**	2.04
आरईसीपीडीसीएल	**0.73**	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.83**	0.29
अन्य चालू देयताएं		
आरईसीपीडीसीएल	**5.37**	2.27
आरईसीपीडीसीएल	**-**	1.05

लेखा संबंधी टिप्पणियां

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्योरे:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
आरईसीपीडीसीएल	3.44	-
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.01	-
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.53	0.04
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री		
आरईसीपीडीसीएल	0.01	-
शेयर पूंजी में निवेश (आवेदित सहित)		
ईईएसएल	124.00	-
भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/ अनुदान से संवितरण		
आरईसीपीडीसीएल	6.90	-
अनुषंगी कंपनियों से लाभांश		
आरईसीटीपीसीएल	9.51	0.10
आरईसीपीडीसीएल	0.50	0.25
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.04	0.06
कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य खर्चों का संविभाजन		
आरईसीटीपीसीएल	2.35	2.58
आरईसीपीडीसीएल	4.32	2.20
वित्तीय लागत		
आरईसीटीपीसीएल को प्रदत्त ब्याज	4.70	4.70
आरईसीपीडीसीएल को प्रदत्त ब्याज	0.64	0.54
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	0.01	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	2.33	1.91
सीएसआर व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	91.77	19.04
ईईएसएल	0.28	1.59
अन्य व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	2.22	7.31

41. **लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरणः**

(1) **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। इस ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्यों के अंशदान पर एक निर्धारित दर से ब्याज दिया जाना होता है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्यकृत राशिः

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	**6.88**	6.52
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	**5.10**	4.77
	जोड़	**11.98**	11.29

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र सेवानिवृत कर्मचारी उसके विवाहिती सहित को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है। लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत हैः

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्ययः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015
चालू सेवा लागत	**2.02**	1.93	**1.45**	1.23	**0.05**	0.05
ब्याज लागत	**3.05**	3.24	**6.21**	5.66	**0.10**	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**3.03**	3.24	**-**	-	**-**	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	**(1.51)**	(1.33)	**7.67**	9.50	**(0.03)**	0.05
अभिस्वीकृत व्यय	**0.53**	0.60	**15.33**	16.39	**0.12**	0.20

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशिः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करता है)

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**37.34**	38.16	**86.62**	77.61	**1.22**	1.20
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.48**	36.25	**-**	-	**-**	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	**(1.86)**	(1.91)	**(86.62)**	(77.61)	**(1.22)**	(1.20)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015	**31.03.2016**	31.03.2015
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**38.16**	38.07	**77.61**	66.64	**1.20**	1.16
ब्याज लागत	**3.05**	3.24	**6.21**	5.66	**0.10**	0.10
चालू सेवा लागत	**2.02**	1.93	**1.45**	1.23	**0.05**	0.05
प्रदत्त हितलाभ	**4.42**	3.89	**6.32**	5.42	**0.10**	0.16
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	**(1.47)**	(1.19)	**7.67**	9.50	**(0.03)**	0.05
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**37.34**	38.16	**86.62**	77.61	**1.22**	1.20

लेखा संबंधी टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.25	35.94	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.03	3.24	-	-	-	-
अंशदान	0.62	0.82	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	4.42	3.89	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	-	0.14	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.48	36.25	-	-	-	-

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजनः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	37.34	38.16	38.07	37.85	36.46
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.48	36.25	35.94	35.14	31.24
निधिपोषित स्थिति	(1.86)	(1.91)	(2.13)	(2.71)	(5.22)
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	(0.76)	(0.01)	0.68	1.17	1.51
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	0.14	0.58	(0.30)	(0.40)	(0.23)

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक

(करोड़ ₹ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
सेवा एवं ब्याज लागत	1.25	0.64	(0.84)	(1.09)
पीबीओ (अंत में)	11.93	11.09	(8.45)	(7.81)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
प्रयुक्त विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.36%	9.00%	-	-	-	-
वेतन में भावी वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।.

42. **राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति**

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में आगे अंतरण करारों को, यदि अपेक्षित है, अंतरण योजना के अंतिम रूप दिए जाने पर निष्पादित किया जाएगा।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार हैः

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजी जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

43. विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराउंड को प्राप्त करने के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे - वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 50% और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 25% ग्रहण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों ने योजना में भागीदारी के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के तहत संबंधित राज्यों द्वारा वितरण कंपनियों के ऋणों को ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण ₹ 10,003.69 करोड़ की रकम को पूर्व-प्रदत्त कर दिया है, जिसमें से ₹ 1,214.14 करोड़ की राशि अप्रैल, 2016 में प्राप्त की गयी थी। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वितरण कंपनियों द्वारा ₹ 19,640.22 करोड़ की पूर्व-प्रदत्त अदायगी किए जाने की संभावना है।

44. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

45. **जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी**

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) (टियर-। पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार
(i) सीआरएआर (%)	**20.38%**	19.56%
(ii) सीआरएआर - टियर-। पूंजी (%)	**17.48%**	16.52%
(iii) सीआरएआर - टियर-।। पूंजी (%)	**2.90%**	3.04%
(iv) टियर-।। पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (करोड़ ₹ में)	**-**	-
(v) शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (करोड़ ₹ में)	**-**	-

46. **परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूपः**

(करोड़ ₹ में)

31.03.2016 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	**2,798**	**-**	**2,118**	**-**	**-**	**-**
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	**1,971**	**-**	**2,999**	**-**	**-**	**-**
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	**6,610**	**-**	**2,366**	**97**	**-**	**-**
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	**21,395**	**-**	**8,239**	**1,473**	**-**	**-**
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	**10,543**	**149**	**11,446**	**1,579**	**-**	**-**
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	**36,506**	**189**	**36,540**	**7,815**	**-**	**-**
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	**34,735**	**94**	**27,305**	**10,691**	**-**	**-**
5 वर्षों से अधिक	**86,720**	**2,035**	**56,170**	**269**	**-**	**-**
जोड़	**2,01,278**	**2,467**	**1,47,183**	**21,924**	**-**	**-**

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(करोड़ ₹ में)

31.03.2016 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	**745**	**-**	1,036	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	**664**	**-**	355	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	**1,449**	**-**	666	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	**3,307**	**-**	1,068	2,712	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	**9,065**	**439**	6,196	7,726	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	**38,350**	**189**	34,344	4,629	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	**35,891**	**189**	26,942	8,623	-	-
5 वर्षों से अधिक	**90,176**	**796**	56,389	241	-	-
जोड़	**1,79,647**	**1,613**	1,26,996	24,028	-	-

47. **इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।**

48. **31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।**

हालांकि, कंपनी को, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्त न करने के संबंध में, सूचीकरण अनुबंध के खंड 49(II)(ए)(1) का अनुपालन न करने के लिए क्रमशः ₹ 1,42,000 और ₹ 1,47,000 (सेवा कर सहित) की अदायगी हेतु सेबी के परिपत्र संख्या सर/सीएफडी/सीएमडी/1/2015 दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के अनुसरण में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से उनके पत्र संख्या फाईन्स/2015-16/45075 दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 के तहत तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पत्र संख्या लिस्ट/कंप/49-वूमन डायरेक्टर/126/2015-16 दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से दंड की राशि को माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार महिला निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और निदेशक मंडल या कंपनी, निदेशक मंडल में महिला निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तथा महिला निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी की तरफ से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजों के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

49. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

51. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 51 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन
गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी
पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 072209

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः				
कर-पूर्व निवल लाभ	**8,045.21**		7,427.04	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि(-)	**0.38**		0.09	
2. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**5.45**		6.76	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,089.85**		802.96	
4. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**285.91**		300.03	
5. रिटनबैक पर अधिक प्रावधान	**-0.07**		-	
6. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-12.29**		-	
7. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**666.13**		259.99	
8. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**-10.01**		-0.35	
9. निवेशों से लाभांश	**-3.05**		-3.63	
10. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**-85.97**		-149.18	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**-**		1.38	
12. बट्टे खाते डाले गए बांडों पर छूट	**3.99**		4.83	
13. जीरो कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	**76.17**		70.39	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभः	**10,061.70**		8,720.31	
वृद्धि/कमीः				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-21,733.35**		-31,005.84	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**27.89**		-366.08	
3. प्रचालन देयताएं	**936.54**		944.51	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-10,707.22**		-21,707.10	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,539.74**		-2,284.67	
2. आयकर वापसी	**42.00**		-	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-13,204.96**		-23,991.77
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.86**		0.18	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकासशील एवं पूंजीगत अग्रिम के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं)	**-104.63**		-7.64	
3. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के शेयरों में निवेश (शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन सहित)	**-124.00**		-	
4. इंडियन बैंक के 11.15% अतिरिक्त टियर-I बेमियादी बॉण्ड	**-500.00**		-	
5. विजया बैंक के 11.15% अतिरिक्त टियर-I बेमियादी बॉण्ड	**-500.00**		-	
6. सिंडिकेट बैंक के 11.15% अतिरिक्त टियर-I बेमियादी बॉण्ड	**-500.00**		-	
7. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
8. दीर्घकालिक निवेशों की बिक्री	**762.53**		-	
9. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**12.29**		-	
10. दीर्घकालिक निवेश/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**106.05**		154.10	
11. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**10.01**		0.35	
12. निवेशों से लाभांश	**3.05**		3.63	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-739.52**		244.94

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**14,972.72**		21,806.74	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**-459.07**		-955.40	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**-2,607.56**		6,344.25	
4. ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	**4,436.52**		3,421.17	
5. अनुदानों का संवितरण	**-4,691.45**		-3,639.69	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	**-3.07**		-4.86	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-266.61**		-172.81	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	**-1,184.95**		-789.97	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-293.47**		-187.26	
10. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	**0.28**		-	
11. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**5,246.79**		-2,745.74	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**15,150.13**		23,076.43
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**1,205.65**		-670.40
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**522.54**		1,192.94
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,728.19**		522.54
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:				
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष:				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		**923.68**		131.69
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान		**34.17**		54.94
- अप्रदत्त लाभांश लेखे		**2.73**		2.62
- अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा		**767.61**		333.29
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**1,728.19**		522.54

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 1.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.15 करोड़ रुपए) अनुदान संवितरण के लिए शामिल है और अनुसूसचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 2.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 236.19 करोड़ रुपए) शामिल है जो डीडीयूजीजेवाईऩ अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 072209

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुलग्नक

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या नियंत्रण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानंदड (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2007 के पैराग्राफ 13, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर उन्हें लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि बकाया	राशि अतिदेय
(1)	**देयता पक्ष:**		
	एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:		
	(क) डिबेंचर/बांड :		
	(i) प्रतिभूत	65,259.50	-
	(ii) अप्रतिभूत	74,473.23	-
	(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग) सावधिक ऋण		
	- भारत सरकार से	-	-
	- वित्तीय संस्थाओं से	1,100.00	-
	- बैंकों से	-	-
	(घ) अंतर-कारपोरेट ऋण और उधारी	-	-
	(च) कमर्शियल पेपर	5,600.00	-
	(छ) अन्य ऋण		
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	21,923.72	-
	- बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
	- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मांग पर प्रतिदेय ऋण	749.93	-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बकाया राशि
	परिसंपत्ति पक्ष:	
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा	
	(क) प्रतिभूत	1,54,217.02
	(ख) अप्रतिभूत	46,172.47
(3)	**निवेश :**	
	चालू निवेशः	
	अनुद्धृत:	
	(i) शेयर: इक्विटी	102.00
	दीर्घकालिक निवेशः	
	उद्धृतः	
	(i) डिबेंचर और बांड	1,500.00
	अनुद्धृत:	
	(i) शेयर: (क) इक्विटी	64.85
	(ख) अधिमान्य	-
	(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	380.50
	(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें	6.15
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	330.12
	(v) शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	99.00

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	0.95	0.95
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	0.02	0.81	0.83
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,54,217.00	46,170.71	2,00,387.71
जोड़	**1,54,217.02**	**46,172.47**	**2,00,389.49**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	बाजार मूल्य/ विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. **संबंधित पक्षकार**		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	146.50	146.50
2. **संबंधित से भिन्न पक्षकार**	2,320.17	2,320.02
जोड़	**2,466.77**	**2,466.62**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) **सकल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	4,243.57
(ii) **निवल अनर्जक परिसंपत्तियां**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	3,230.30
(iii) **ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ**	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

कृते ए.आर. एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002744सी

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 072209

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी ") के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम ") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों तथा कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य लेखांकन मानकों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और उन्हें लागू करना; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन किया जा रहा था, शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का संचालन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता है। लेखापरीक्षा में, कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों के समुचित होने तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं:

(क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी के कार्यों की स्थिति,
(ख) लाभ और हानि विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की स्थिति,
(ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

मामले का जोर

वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता हैः-

(क) मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए मानक परिसंपत्ति के रूप में एक उधारकर्ता के लेखे के वर्गीकरण के संबंध में नोट सं. 11.2.7

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (""आदेश"") के तहत यथा अपेक्षित है, हमने लागू सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध-क के रूप में दिया है।

2. हम, अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी की ऐसी बहियों और अभिलेखों, जिन्हें हमने उपयुक्त समझा, की जांच के आधार पर तथा हमे दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार अपनी रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों तथा उप-निर्देशों के अनुरूप अनुबंध-ख के रूप में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः
   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।
   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।
   (च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(च) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट दी गयी है।
   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, ""अनुबंध-ग"" में हमारी पृथक रिपोर्ट को देखें; तथा
   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसारः
      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 24.1 के संदर्भ में;
      (ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;
      (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.	**कृते ए.आर.एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन	फर्म पंजी.सं.002744सी
गोपाल कृष्ण	**पवन के. गोयल**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 081085	सदस्यता सं. 072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(I) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों का रखरखाव किया है।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी में अचल परिसंपत्तियों को एक चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने संबंधी नीति है किंतु वर्ष के दौरान आईटी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे वास्तविक सत्यापन में पायी गयी विसंगतियों का लेखा बहियों में उपयुक्त रूप से हिसाब दिया गया है। हमारी राय में, वास्तविक सत्यापन की आवधिकता, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपात्तियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त है।

(ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित को छोड़कर अचल संपत्तियों के विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	मामलों की सं.	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	अभ्युक्ति
फ्रीहोल्ड भूमि	1	45.92	45.92	अभी हस्तांतरण विलेख हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाना है।
बिल्डिंग	1	4.59	2.39	अभी हस्तांतरण विलेख सार्वजनिक उद्यमों की स्थायी समिति द्वारा निष्पादित किया जाना है।

(II) गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी की कोई फेहरिस्त (इनवेंटरी) नहीं है; इस प्रकार यह खंड लागू नहीं है।

(III) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क), (ख) और (ग) लागू नहीं है।

(IV) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते, कंपनी को अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों तथा ऋणों एवं गारंटियों के संबंध में संबंधित नियमों से छूट प्राप्त है। इसके अलावा, निवेश के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

(V) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(VI) हमारी पूर्ण जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(VII) (क) कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य-योजित कर (वैट), उपकर तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग ₹ 0.96 करोड़ की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत हैः

(₹ करोड़ में)

सांविधि का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	22.35	22.35	-	मूल्यां.वर्ष 2005-06, मूल्यां.वर्ष 2006-07 मूल्यां.वर्ष 2007-08 मूल्यां.वर्ष 2008-09 से मूल्यां.वर्ष 2011-12	आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	12.08	12.08	-	मूल्यां.वर्ष 2012-13, मूल्यां.वर्ष 2013-14	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	अनुषंगी लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यां.वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.12	-	0.12	वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2015-16	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	1.23	-	1.23	वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2014-15	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2011-12	सेवा कर आयुक्त (एलटीयू), दिल्ली
	योग	**35.39**	**34.43**	**0.96**		

(VIII) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(IX) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋण इंस्ट्रूमेंटों के पब्लिक ऑफर के द्वारा जुटाई गयी धनराशि का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया, जिनके लिए उक्त राशि को जुटाया गया था। इसके अलावा, वर्ष के दौरान अगले पब्लिक ऑफर या आवधिक ऋणों के माध्यम से कोई राशि नहीं जुटाई गयी थीं।

(X) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी किए जाने की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

(XI) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों को धारा 197 के उपबंधों से छूट प्रदान की है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(XII) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(XIII) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, यथा लागू संबंधित पक्षों के लेन-देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है तथा वित्तीय विवरणों आदि में आवश्यक प्रकटन किए गए हैं, जैसा कि लागू लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है।

(XIV) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरो या परिवर्तनीय डिबेंचरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(XV) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या व्यक्तियों के साथ उनसे संबद्ध कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(XVI) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-Iक के तहत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है। यथा अपेक्षित पंजीकरण संख्या विधिवत प्राप्त कर ली गयी है तथा कंपनी को जारी पंजीकरण संख्या 14.000011 है।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं.072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के संदर्भ में।

क्र.सं.	दिशानिर्देश/उप-दिशानिर्देश	कृत कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क. दिशानिर्देश			
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख हैं? यदि नहीं है, तो कृपया फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि का क्षेत्रफल बतायें जिसके लिए अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड और पट्टाकृत भूमि के लिए स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है। हालांकि, कंपनी को आबंटित 39,770 वर्ग मीटर के एक रिहायशी प्लॉट, जिसकी कीमत ₹ 45.92 करोड़ है, तथा 5,911.69 वर्ग मीटर की एक भूमि एवं इमारत, जिसकी कीमत ₹ 4.59 करोड़ है, के संबंध में हस्तांतरण विलेख के पंजीकरण की औपचारिकताएं अभी निष्पादित किया जाना शेष है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
2.	क्या ऋण/ब्याज आदि में छूट देने/बट्टे में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इनके कारण और संबद्ध धनराशि बतायें।	विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा शुरू की गयी उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अनुसरण में ₹ 11.42 करोड़ की छूट देने सहित ₹ 11.50 करोड़ के विलंबित ब्याज/दंड ब्याज की सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत छूट दी गयी है। इसके अलावा, उक्त योजना के तहत इस प्रकार तैयार किए गए डिस्कॉम ऋण पर पूर्व-भुगतान के संबंध में कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, आहरण अनुसूची को प्रस्तुत करने और उसका अनुपालन करने में उधारकर्ताओं द्वारा सम्मुख की जा रही व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने ₹ 8.83 करोड़ के बकाया प्रतिबद्धता प्रभारों को माफ करने सहित राज्य क्षेत्र की सभी चालू एवं भावी विद्युत उत्पादन और पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता प्रभार/अपफ्रंट शुल्क की आवश्यकता के खंड में छूट प्रदान करने के द्वारा अपनी नीति में संशोधन किया है। विद्युत मंत्रालय की उपयुक्त स्वीकृति के बिना और लेखा बहियों में वसूलनीय के रूप में बुक की गयी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के संबंध में खर्च हुए ₹ 2.30 करोड़ राशि को भी, काफी लंबे समय बकाया शशि को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बट्टे खाते में डाला गया है।	'कृत कार्रवाई' कॉलम के तहत प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है, जोकि आवश्यक नहीं है।
3.	क्या अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के अभिलेख का उपयुक्त रखरखाव किया जा रहा है।	कंपनी के, एक एनबीएफसी होने के नाते, अन्य पक्षकारों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में खंड लागू लागू नहीं है	शून्य
ख. उप-दिशानिर्देश			
1.	सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण की आवश्यकताओं का प्रावधान करने के संबंध में, क्या ऐसे सभी ऋणों के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए कोई तंत्र विद्यमान है तथा वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है?	कंपनी, प्रबंधन मूल्यांकन और उधारदाताओं के इंजीनियरों, उधारदाताओं के वित्तीय सलाहकार तथा परियोजना मॉनीटरिंग समूह की समीक्षा/प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सभी पुनर्गठित, पुनर्निधारित या पुनः विमर्शित ऋण के लिए उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र का अनुसरण कर रही है। हमारी राय में, कंपनी के तंत्र में, इसके कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप सुधार किए जाने की जरूरत है। हालांकि, ऐसे सभी ऋणों के लिए वर्ष के दौरान कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान का सृजन किया गया है।	शून्य

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं.072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने, वर्ष समाप्ति की तिथि के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

(1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;

(2) उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, सिवाय प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में अनर्जक परिसंपत्तियों के निर्धारण, ऋणों की स्वीकृतियों की संरचना/पुनर्संरचना, पुनर्वैधीकरण तथा ऋणों के आवेदनों के गैर-विचारन/अस्वीकरण/निपटान की रिकार्डिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर संबंधित कार्यालयों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रत्युत्तर प्रेषित करने के लिए समय-सीमा के कारण स्थगन अवधि में परिवर्तन के एक पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2016 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन किया गया था।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2016 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

पवन के. गोयल
भागीदार
सदस्यता सं.072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप परिसर,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जो काफी हद तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, जारी किए गए और बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2008 द्वारा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

1. कंपनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-Iए में व्यवस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिसका पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के बदले में, जिसने आरईसी को आरबीआई परिपत्र सीसी सं. 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है, दिनांक 17 सितंबर, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया। इसके अलावा, यह कंपनी 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय पद्धति के अनुसार ऐसे पंजीकरण को जारी रखने के लिए पात्र है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी सं. 052/03.10. 119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के पैरा 2(V), के अनुसार, परिसंपत्तियों एवं आरक्षित निधि की प्रतिशत के रखरखाव संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-Iबी और 45-Iसी; सरकारी जमा राशियों को स्वीकार करने वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 (बाद में विवेकपूर्ण मानदंड दिशानिर्देश अधिसूचना संख्या 192 दिनांक 22 फरवरी, 2007 द्वारा निरस्त कर दिया गया) जिसमें निदेशक, लेखापरीक्षक आदि को पता बदलने के संबंध में रिजर्व बैंक को जानकारी देने से संबंधित उक्त निर्देशों का पैराग्राफ 13ए शामिल नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I(एफ)में परिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कंपनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक-मंडल ने किसी सरकारी जमा राशियां की गैर-स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान किसी सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2015 के अनुसार, आरईसी जो एक सरकारी कंपनी है, "प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2015" की अनुप्रयोज्यता से छूट लेती रही है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों (प्रूडेंशियल नार्म्स) का पालन करने को कहा है। परिसंपत्तियों की संरचना के संबंध में, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 11 जून, 2014 के जरिए, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि विस्तार (लाइफ एक्सटेंशन) परियोजनाओं तथा हिमालयी क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई संरचना मानदंडों से कंपनी को छूट की अनुमति दी है। विद्युत उत्पादन कंपनियों के 01 अप्रैल, 2015 से गठित नए परियोजना ऋणों के लिए भी प्रावधान की जरूरत 5% होगी और ऐसी परियोजनाओं के ऋणों के स्टॉक के लिए 31 मार्च, 2015 को यथास्थिति प्रावधान 2.75% के साथ शुरू होकर 31 मार्च, 2018 में 5% तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 05 अक्तूबर, 2015 के पत्र द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अंतर्गत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक विनियमित किए जाने की अनुमति है।

   31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने आय स्वीकरण, लेखाकरण मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण और "प्रणालीबद्ध महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2015" के रूप में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का, कंपनी को प्रदत्त उपरोक्त छूट के अधीन, अनुपालन किया है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीएनबीएस.पीडी/सीसी सं.93/03-05. 002/2006-07, दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक में एनबीएस-7 जमा करने से छूट प्राप्त है। एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते कंपनी को, 15% (टियर-I पूंजी का न्यूनतम 10% के साथ) का जोखिम पूंजी भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) का बनाये रखना अपेक्षित है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर का अनुपालन कर रही है।

कृते राज हर गोपाल एंड कं.	**कृते ए.आर.एंड कं.**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन	फर्म पंजी.सं.002744सी
गोपाल कृष्ण	**पवन के. गोयल**
भागीदार	भागीदार
सदस्यता सं. 081085	सदस्यता सं. 072209

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(रीतिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक
लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2016

31 मार्च, 2016 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	2	**987.46**	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	**27,905.94**	24,085.12
	उप-जोड़ (1)		**28,893.40**	**25,072.58**
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	**138,783.85**	131,123.26
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	**47.54**	105.80
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	**10.09**	36.18
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	**1,295.46**	1,007.39
	उप-जोड़ (2)		**140,136.94**	**132,272.63**
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	8	**6,460.77**	734.00
	(ख) ट्रेड देय	9	**118.69**	30.83
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	**30,476.70**	24,887.16
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	7	**858.42**	458.71
	उप-जोड़ (3)		**37,914.58**	**26,110.70**
	जोड़ (1+2+3)		**206,944.92**	**183,455.91**
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	11		
	(i) मूर्त परिसंत्तियां		**253.05**	108.50
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.03**	1.47
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**76.84**	9.81
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.21**	-
			332.13	119.78
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**2,202.14**	1,157.21
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	13	**157,796.82**	164,215.25
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	**109.26**	85.11
	उप- जोड़ (1)		**160,440.35**	**165,577.35**
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	12	**149.41**	438.81
	(ख) फेहरिस्त (इनवेंटरियां)	15	**66.79**	-
	(ग) ट्रेड प्राप्य	16	**231.89**	120.28
	(घ) रोकड़ और बैंक शेष	17	**1,864.08**	645.71
	(च) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	18	**809.24**	1,100.45
	(छ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	19	**43,383.16**	15,573.31
	उप-जोड (2)		**46,504.57**	**17,878.56**
	जोड़ (1+2)		**206,944.92**	**183,455.91**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 60 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
I.	प्रचालनों से राजस्व	20	**24,012.88**	20,384.34
II.	अन्य आय	21	**117.05**	165.55
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**24,129.93**	**20,549.89**
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	22	**14,282.35**	11,839.59
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	**143.19**	**136.75**
(iii)	मूल्यहास और परिशोधन	11	**19.67**	8.32
(iv)	कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	24	**120.29**	102.07
(v)	अन्य व्यय	25	**355.57**	104.10
(vi)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	26	**1,096.18**	806.18
(vii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		**32.42**	0.44
(viii)	स्टॉक-इन-ट्रेड की फेहरिस्त में परिवर्तन तथा चालू कार्य	27	**-66.79**	-
	कुल व्यय (IV)		**15,982.88**	**12,997.45**
V.	**अवधि मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**8,147.05**	7,552.44
VI.	अवधि मद पूर्व	28	**0.39**	0.10
VII.	कर पूर्व लाभ (V-VI)		**8,146.66**	**7,552.34**
VIII.	कर व्यय			
(i)	चालू वर्ष		**2,516.85**	2,273.93
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		**(2.77)**	0.75
(iii)	आस्थगित कर		**(58.84)**	(66.76)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,455.24**	**2,207.92**
IX.	**सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ (VII-VIII)**		**5,691.42**	5,344.42
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	-
XI.	**इस वर्ष का लाभ (IX+X)**		**5,691.42**	**5,344.42**
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर हेतु ₹ में)**			
	(1) मूल	29	**57.64**	54.12
	(2) डायल्यूटेड	29	**57.64**	**54.12**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 60 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('दि कंपनी'), इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक (एएस) 21- "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसरण में अंतरा-समूह शेषों और अंतरा-समूह लेन-देनों को पूरी तरह से निकालने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़ा गया है।

सयुंक्त उपक्रम एंटिटी के वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक (एएस) 27- "संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसरण में आनुपातिक शेयर वसूली न किए गए लाभ या हानियों को निकालकर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की एक जैसी मदों की बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़े गए हैं।

जहां तक संभव है समेकित वित्तीय विवरण एक जैसे लेन-देन व समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक जैसी लेखाकरण नीतियों का उपयोग कर, तैयार किए गए हैं तथा कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के तौर पर समान तरह से प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. अन्य महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परंपरा:** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि एमसीए सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम, 2013 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग:** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान करना (प्रोविजनिंग)

कंपनी, समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा यथा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियामक मानदंडों का अनुपालन कर रही है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋणों के मामले में एनपीए मान्यता हेतु घटायी गयी अवधि के गैर-अनुप्रयोज्यता के संबंध में कुछ विशेष छूट दी है तथा आरबीआई के रिस्ट्रक्चरिंग नार्म्स के अनुप्रयोज्यता से कुछ परियोजनाओं के लिए छूट दी है तथा कंपनी को आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार लगातार विनियमित किए जाने की स्वीकृति दी है। आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः निर्धारित/पुनःसंरचित एवं मानक ऋणों के रूप में प्रतिधारित हों, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है।

ख. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

च. परामर्शी सेवा से आय को लेखाकरण मानक 9 - आय मान्यता के अनुसार आनुपातिक समापन विधि के आधार पर मान्यता दी गयी है।

छ. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय को रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के आरईसी के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

परंतु यह कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए केवल तभी विचारा जाएगा जब वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश का अनुमोदन कर दिया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

परंतु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(3) कारपोरेट निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2. परिसंपत्ति वर्गीकरण

ऋणों तथा अग्रिमों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर मानक परिसंपत्तियों और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **मानक परिसंपत्तियां:** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन की चूकरहित चुकौती या ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि की विस्तार परियोजनाओं तथा हिमालय क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के लिए दिनांक 11 जून, 2015 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा दी गयी छूट को ध्यान में रखते हुए, एक मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना या पुनःवार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवहारिक पाया गया हो।

(ii) **अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए):** कोई ऋण परिसंपत्ति अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) हो जाएगीः-

(क) यदि ब्याज तथा/या मूल की किस्त दो तिमाही अथवा उससे अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
दो तिमाहियों की उपरोक्त अवधि 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 5 महीने, 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 4 महीने तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त और उसके बाद वित्त वर्ष के लिए 3 महीने होगी। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने 05 अत्तूबर, 2015 के पत्र के द्वारा यह अनुमति दी है कि कंपनी के विद्यमान ऋणों, अर्थात् 31 मार्च, 2015 को या उससे पूर्व स्वीकृत ऋण, को आरईसी के विद्यमान परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड के तहत (180 दिन) 31 मार्च, 2017 तक नियमित किए जाने की अनुमति है।

(ख) हिमालय या आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अधीन होने की स्थिति में, ऋण परिसंपत्ति को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा, यदि यह मूल डीसीसीओ से 2 वर्ष के अंतर्गत या ऐसे विलंब के कारणों के आधार पर 3/4 वर्ष (निश्चित शर्तों के अध्यधीन),जैसा भी मामला हो, वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने में असमर्थ होती है।

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) को निम्नलिखित मानदंड के आधार पर उप-मानक, संदिग्ध और हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(i) **उप-मानक परिसंपत्तिः** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जिसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऐसी परिसंपत्ति जिसे पुनःविमर्शित या पुनःनिर्धारित अथवा पुनःसंरचित किया गया है, उप-मानक परिसंपत्ति होगी या उसी श्रेणी में रहेगी जिसमें उसे, उसके पुनःवार्ता या पुनःनिर्धारण अथवा पुनःसंरचना करने से पूर्व, संदिग्ध परिसंपत्ति या हानि परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखा गया था। ऐसी परिसंपत्ति को केवल तभी उन्नयनीकृत किया जाएगा जब ब्याज या मूलधन की पहली किस्त की अदायगी, ऋण के पुनर्गठन पैकेज की अवधि के तहत ऋण स्थगन की दीर्घ अवधि के साथ क्रेडिट सुविधा पर, दोनों में से जो भी बाद में हो, शुरू होने से एक वर्ष की अवधि के दौरान सभी बकाया ऋण/खाते में सुविधाएं संतोषजनक रूप से निष्पादन कर रही हों। ऐसी परिसंपत्ति के उन्नयनीकृत किए जाने तक यथा लागू आवश्यक प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तिः** 'संदिग्ध परिसंपत्तियों' से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 16 महीनों; 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 14 महीनों; और 31 मार्च, 2018 को या उसके बाद समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिकतम 12 महीनों की एक अवधि हेतु उप-मानक परिसंपत्ति के रूप में रहती है।

(iii) **हानि परिसंपत्तिः** हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य हैः

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिसे आरईसी या इसके आंतरिक अथवा बाह्य लेखापरीक्षक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हानि परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित कर दिया गया है तथा जिसे हानि वाली परिसंपत्ति की सीमा तक आरईसी द्वारा बट्टेखाते नहीं डाला गया हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण अथवा उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।
मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि श्रेणी में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ उधारकर्ता-वार वर्गीकृत किया जाएगाः
सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग रूप में अभिज्ञेय हो और उसी परियोजना पर प्रयुक्त होता है, आरईसी परियोजना-वार के आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगीः

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां -** समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100% प्रावधान किया जाएगाः

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां -**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अंतर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा;

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली-योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगाः

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध रूप में माना गया है	प्रावधान का %
1 वर्ष तक	20%
1 से 3 वर्ष तक	30%
3 वर्ष से अधिक	50%

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां -** 10% का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) **मानक परिसंपत्तियां -** मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि विस्तार परियोजनाओं के अधीन और हिमालयी क्षेत्र अथवा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हाइड्रो परियोजनाओं के अन्यत्र पुनर्गठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय समापन के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया होः	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगीः
(क) यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो, 4 वर्ष (ख) यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अन्यत्र) तो, 3 वर्ष	• 31 मार्च, 2015 से 2.75% • 31 मार्च, 2016 से 3.50% (2015-16 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2017 से 4.25% (2016-17 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) • 31 मार्च, 2018 से 5.00% (2017-18 की 4 तिमाहियों में विस्तारित) उपरोक्त प्रावधान, पुनर्गठित होने की तिथि से संशोधित डीसीसीओ होने तक या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष, जो भी बाद में हो, तक अपेक्षित है| 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
उपरोक्त विनिर्दिष्ट के अन्यत्र मानक परिसंपत्तियों के लिए	31 मार्च, 2015 के अनुसार बकाया ऋणों के स्टॉक के संबंध में प्रावधानिक आवश्यकता इस प्रकार होगीः 31 मार्च, 2015 से 0.25% 31 मार्च, 2016 से 0.30% 31 मार्च, 2017 से 0.35% 31 मार्च, 2018 से 0.40% वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान वृद्धि संबंधी ऋणों के लिए, प्रावधान क्रमशः 0.30%, 0.35 % तथा 0.40 % की दर से किया जायेगा और जिसमे आगे भी चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जाएगी ताकि यह 31 मार्च, 2018 तक 0.40 % के समान हो सके|

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान, केवल बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितीकरण के बाद ही रिवर्स होते हैं।

2.5 पुनःसंरचित/पुनःनिर्धारित परिसंपत्तियों के लिए, प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों (विशेष छूटों के अध्यधीन) के अनुसार किए गए हैं, जिसमें यह आवश्यक है कि पुनःसंरचना के पूर्व और पश्चात ऋण परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर को, संबंधित ऋण परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान करने के अलावा, उपलब्ध कराया जाए।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को संचित मूल्यह्रास से घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, यदि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया जाता है, बजाय इस पर क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई ₹ 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान पर आधारित सीधी रेखा पर आबंटित किया जाता है। प्रबंधन अमूर्त परिसंपत्तियों के 5 वर्षों तक के लिए उपयोग करने की अवधि का अनुमान लगाती है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि, निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। उद्धृत (कोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनुद्धृत (अनकोटेड) वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिंसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर विधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर-योग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूली-योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली-योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलन-पत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बॉण्ड/ऋण निर्गम

10.1 बॉण्डों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बॉण्ड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2 निगम बॉण्ड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3 निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (बाह्य वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

11.1 नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

11.2 नकदी में, हाथ में नकदी, बैंकों में डिमांड डिपॉसिटों, डाक प्राधिकारियों के पास अग्रदाय और अपने पास उपलब्ध चैक/ड्रॉफ्ट/भुगतान-आदेश शामिल हैं। कंपनी नकदी समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेषों (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित) के रूप में विचार करती है, उच्चतम तरल निवेश जोकि नकदी की ज्ञात राशि में तुरंत परिवर्तनीय हैं तथा जोकि मूल्य में परिवर्तनों के महत्वहीन जोखिम पर आधारित हैं।

12. पूर्वावधि/पूर्व-प्रदत्त समायोजन

12.1 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2 प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षो में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी हितलाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर, जहां तक ये किसी मूल्यहास-योग्य पूंजीगत परिसंपत्तियों का संबंध है, ये संबंधित अचल परिसंपत्तियों में पूंजीकृत है तथा आय के रूप में मान्यता के द्वारा अचल परिसंपत्तियों की शेष उपयोगी अवधि के दौरान ऋण परिशोधित है या ऐसी प्रत्येक अवधियों में व्ययित है, और अन्य मामलों में "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर लेखा" में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हें तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आया या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेन-देन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

17. फेहरिस्त (इनवेंटरियां)

17.1 ट्रेड में स्टॉक का मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.2 खरीद की गयी सामग्री और प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य ओवरहैडस् से युक्त चालू कार्य को मूल्य लागत के निम्नतर पर और निवल वसूलनीय मूल्य पर आंका गया है।

17.3 लागत भारित औसत के आधार पर निर्धारित की गयी है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

1. समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन), इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उपक्रम एंटिटी के समेकित लेखे को दर्शाते हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया हैः

अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखे की स्थिति
अनषंगी कंपनी का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उपक्रम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड*	भारत	25%	गैर-लेखापरीक्षित

*वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं है तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित हैं और जिन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचारा गया है। वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े ऑडिट के पूर्ण होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।

पारेषण परियोजनाओं हेतु एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी के तौर पर आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) का गठन इस आशय के साथ किया गया है कि इन एसपीवी को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एएस-21 के पैरा 11 के अनुसार, एक अनुषंगी कंपनी को समेकन से बाहर रखना चाहिए, जब नियंत्रण अस्थायी होना अभिप्रेत है क्योंकि अनुषंगी कंपनी को अभिगृहीत किया गया है तथा उसके निकट भविष्य में निपटान के लिए उसे विशेष रूप से रखा गया है। इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों (नामतः दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड, नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड, नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड) के वित्तीय विवरणों को कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. **शेयर पूंजी**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृतः				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	1,20,00,00,000	1,200.00	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्तः				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
योग	**98,74,59,000**	**987.46**	**98,74,59,000**	**987.46**

2.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

2.2 **पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारकः**

नाम	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**598,767,680**	**60.64%**	64,81,68,218	65.64%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**86,490,414**	**8.76%**	3,08,77,781	3.13%

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

3. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
पूंजीगत आरक्षित निधि	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 3.1 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,223.72**	3,223.72
जोड़ें: वर्ष के दौरान संवर्धन	**0.28**	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,224.00**	3,223.72
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**531.77**	345.98
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**196.59**	185.79
वर्ष के अंत में शेष	**728.36**	531.77
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**8,449.64**	6,820.64
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**1,900.00**	1,629.00
वर्ष के अंत में शेष	**10,349.64**	8,449.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,621.97**	1,268.97
जोड़ें: अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**390.00**	353.00
वर्ष के अंत में शेष	**2,011.97**	1,621.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-335.46**	-532.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	**-503.08**	-62.80
वर्ष के दौरान परिशोधन	**666.13**	259.99
वर्ष के अंत में शेष	**-172.41**	**-335.46**
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,154.15**	3,623.39
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम	**572.89**	530.76
वर्ष के अंत में शेष	**4,727.04**	**4,154.15**
अधिशेष लेखा		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**6,334.33**	4,959.99
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 (टिप्पणी 3.4 के संदर्भ में) के उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास का अंतरण।	**-**	0.74
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ	**5,691.42**	5,344.42
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन (टिप्पणी 3.6 के संदर्भ में)	**0.30**	-
घटाएं : विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,900.00**	1,629.00
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**390.00**	353.00
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	**1,184.95**	789.97
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 3.5 के संदर्भ में)	**503.60**	266.61
- लाभांश संवितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	**239.19**	157.89
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**106.49**	56.32
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**196.59**	185.79
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**572.89**	530.76
वर्ष के अंत में शेष	**6,932.34**	**6,334.33**
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**27,905.94**	**24,085.12**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

3.1 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बॉण्डों के निर्गम पर प्राप्त ₹ 0.28 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

3.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 196.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 185.79 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

3.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि ₹ 172.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 335.46 करोड़) है।

3.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आरक्षित निधि से किसी राशि का आहरण नहीं किया गया है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में ₹ 0.74 करोड़ (₹ 0.38 करोड़ के कर का निवल) की राशि को प्रतिधारित आमदनी में समायोजित किया गया है, जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के उपबंधों के अनुरूप ऐसी परिस्थितियों की शेष उपयोगी कालावधि 01 अप्रैल, 2014 के शून्य थी।

3.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर	राशि	राशि
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	503.60	266.61
- लाभांश की दर	51.00%	27.00%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	5.10	2.70

3.5 पिछले वर्ष के दौरान, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, ने अपने गैर-लेखापरीक्षित लेखे में कर उपरांत लाभ के रूप में आरईसी समूह के समेकन हेतु विचार करने के लिए ₹ 10.36 करोड़ की राशि की रिपोर्ट दी। तत्पश्चात, कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे में ₹ 9.06 करोड़ का लाभ दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, संयुक्त उपक्रम में कंपनी के शेयर के अनुपात में हुई ₹ 0.33 करोड़ की कटौती को, ₹ 0.14 करोड़ राशि के लाभांश वितरण कर में शेयर के लिए कटौती सहित चालू वर्ष के दौरान अधिशेष राशि के समायोजन में शामिल कर दिया गया है।

इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, आरईसी ने ₹ 25 करोड़ का नये निवेश किए हैं, जिसके बाद आरईसी की शेयरधारिता 25% से बढ़कर 28.78% हो गयी है। इस परिवर्तन के कारण, अधिशेष लेखे के प्रारंभिक शेष के आरईसी लिमिटेड के शेयर में 0.77 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसे चालू वर्ष के दौरान अधिशेष लेखे के समायोजन में शामिल किया गया है। इस प्रकार, चालू वर्ष के दौरान अधिशेष लेखा में क्रियान्वित कुल समायोजन ₹ 0.30 करोड़ है।

4. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि उधार" के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 10 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए)	प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क)	बॉण्ड				
	- संस्थागत बॉण्ड	27,591.90	7,854.80	35,446.70	2,992.80
	- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	11,814.48	5,349.91	10,687.69	4,903.25
	- कर मुक्त बॉण्ड	12,577.97	-	11,581.41	-
(ख)	आवधिक ऋण				
	- वित्तीय संस्थाओं से	750.00	350.00	1,100.00	350.00
	कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	52,734.35	13,554.71	58,815.80	8,246.05

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(बी)	अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क)	बॉण्ड				
	- संस्थागत बॉण्ड	66,184.40	7,055.80	57,714.20	-
	- इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	34.90	207.49	162.98	213.34
	- जीरो कूपन बॉण्ड	990.64	-	914.48	-
(ख)	आवधिक ऋण				
	- बैंकों से	-	-	-	125.00
	- भारत सरकार से	-	-	-	3.07
(ग)	अन्य ऋण एवं अग्रिम				
	- विदेशी मुद्रा उधारियां	18,839.56	3,149.02	13,515.80	10,534.34
	कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	**86,049.50**	**10,412.31**	72,307.46	10,875.75
	कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	**1,38,783.85**	**23,967.02**	**1,31,123.26**	**19,121.80**
	कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	**1,62,750.87**		**1,50,245.06**	

दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

4.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 4.3 को देखें)

4.11 बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.1	**संस्थागत बॉण्ड**				
	123-IIIबी श्रृंखला	1,955.00	-	1,955.00	
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2024 को विमोचनीय				-
	123-I श्रृंखला	1,515.00	-	1,515.00	
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				-
	92-II श्रृंखला	945.30	-	945.30	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	995.90	-	995.90	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
	90- सी-II श्रृंखला	1,040.00	-	1,040.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2019 को विमोचनीय				
	90- ख-II श्रृंखला	868.20	-	868.20	-
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	2,000.00	-	2,000.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
	122वीं श्रृंखला	1,700.00	-	1,700.00	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	2,090.00	-	2,090.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	1,495.00	-	1,495.00	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	1,655.00	-	1,655.00	-
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
117वीं श्रृंखला	**2,878.00**	**-**	2,878.00	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
87-क-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
116-II श्रृंखला	**850.00**	**-**	850.00	-
9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 01.10.2018 को विमोचनीय				
86-ख-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
10.70% सममूल्य पर दिनांक 30.07.2018 को विमोचनीय				
85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-
9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
124-I वीं श्रृंखला	**2,610.00**	**-**	2,610.00	-
9.06% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2017 को विमोचनीय				
123-III क श्रृंखला	**1,275.00**	**-**	1,275.00	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
121वीं श्रृंखला	**-**	**1,600.00**	1,600.00	-
9.52% सममूल्य पर दिनांक 24.03.2017 को विमोचनीय				
120वीं श्रृंखला	**-**	**1,100.00**	1,100.00	-
9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	**-**	**314.80**	314.80	-
8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
116-I श्रृंखला	**-**	**430.00**	430.00	-
9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
123-IV श्रृंखला	**-**	**2,750.00**	2,750.00	-
8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
123-II श्रृंखला	**-**	**1,660.00**	1,660.00	-
9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	500.00
8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचित				
79वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	500.00
7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचित				
78वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,795.70
7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचित				
77वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	197.10
7.30% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2015 को विमोचित				
कुल संस्थागत बॉण्ड	**27,591.90**	**7,854.80**	**35,446.70**	**2,992.80**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.2	**54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड**				
	श्रृंखला X (2015-16)	**6,476.70**	**-**	-	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2014-15)	**5,337.78**	**-**	5,337.78	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला IX (2013-14)	**-**	**5,349.91**	5,349.91	-
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
	श्रृंखला VIII (2012-13)	**-**	**-**	-	4,903.25
	6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचित				
	जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**11,814.48**	**5,349.91**	**10,687.69**	**4,903.25**
4.1.1.3	**कर मुक्त बॉण्ड**				
	श्रृंखला 2015-16 भाग 1	**696.56**	**-**	-	-
	वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹ 172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹ 417.73 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2015-16 सीरिज 5क	**300.00**	**-**	-	-
	7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 भाग 2	**1,057.40**	**-**	1,057.40	-
	वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 528.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹ 109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	**-**	150.00	-
	वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 भाग 1	**3,410.60**	**-**	3,410.60	-
	वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,780.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	**-**	1,350.00	-
	वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 2	**131.06**	**-**	131.06	-
	वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 1	**1,982.35**	**-**	1,982.35	-
	वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 817.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
श्रृंखला 2012-13 भाग 2क और 2ख	**500.00**	**-**	500.00	-
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹ 839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2022 को विमोच्य हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2027 को विमोच्य हैं।				
जोड़ - कर-मुक्त बॉण्ड	**12,577.97**	**-**	**11,581.41**	**-**

4.1.2 **आवधिक ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**750.00**	**350.00**	1,100.00	350.00
₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 200 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 100 करोड़ बकाया है) एवं ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ₹ 800 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।				
जोड़: आवधिक ऋण	**750.00**	**350.00**	**1,100.00**	**350.00**
4.2 **अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:**				
4.2.1 **बॉण्ड**				
4.2.1.1 **संस्थागत बॉण्ड**				
136वीं श्रृंखला	**2,585.00**	**-**	-	-
8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय				
95-II श्रृंखला	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय				
94वीं श्रृंखला	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय				
133वीं श्रृंखला	**2,396.00**	**-**	-	-
8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय				
131वीं श्रृंखला	**2,285.00**	**-**	2,285.00	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय				
130वीं श्रृंखला	**2,325.00**	**-**	2,325.00	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
129वीं श्रृंखला	**1,925.00**	**-**	1,925.00	-
8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
128वीं श्रृंखला	**2,250.00**	**-**	2,250.00	-
8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बॉण्ड	**2,500.00**	**-**	2,500.00	-
8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	**4,300.00**	**-**	4,300.00	-

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	**2,211.20**	**-**	2,211.20	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	**2,378.20**	**-**	2,378.20	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
132वीं श्रृंखला	**700.00**	**-**	700.00	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
127वीं श्रृंखला	**1,550.00**	**-**	1,550.00	-
8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	**3,922.20**	**-**	3,922.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
101-III श्रृंखला	**3,171.80**	**-**	3,171.80	-
9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं श्रृंखला	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय				
96वीं श्रृंखला	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय				
135वीं श्रृंखला	**2,750.00**	**-**	-	-
8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय				
134वीं श्रृंखला	**2,675.00**	**-**	-	-
8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	**-**	1,542.00	-
8.87% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	**452.80**	**-**	452.80	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
126वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	1,700.00	-
8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
125वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
9.04% सममूल्य पर दिनांक 11.10.2019 को विमोचनीय				
108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	960.00	-
9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	200.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
137वीं श्रृंखला	**2,225.00**	**-**	-	-
8.05% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2018 को विमोचनीय				
112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	**-**	1,734.70	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 28.08.2017 को विमोचनीय				
108-I श्रृंखला	**2,125.00**	**-**	2,125.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	138वीं श्रृंखला	-	**2,895.00**	-	-
	8.28% सममूल्य पर दिनांक 04.03.2017 को विमोचनीय				
	106वीं श्रृंखला	-	**1,500.00**	1,500.00	-
	9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
	103-I श्रृंखला	-	**50.00**	50.00	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
	102वीं श्रृंखला	-	**2,216.20**	2,216.20	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
	101-II श्रृंखला	-	**394.60**	394.60	-
	9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
	जोड़ - संस्थागत बॉण्ड	**66,184.40**	**7,055.80**	**57,714.20**	-
4.2.1.2	**इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड**				
	श्रृंखला-II (2011-12)	**29.51**	**128.08**	157.59	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
	श्रृंखला-I (2010-11)	**5.39**	**79.41**	5.39	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
	जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड	**34.90**	**207.49**	**162.98**	**213.34**
4.2.1.3	**जीरो कूपन बॉण्ड**				
	जेडसीबी - श्रंखला - II (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।	**178.95**	-	164.60	-
	जेडसीबी - श्रृंखला - I (अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।	**811.69**	-	749.88	-
	जोड़ : जीरो कूपन बॉण्ड	**990.64**	-	**914.48**	-
4.2.2	**आवधिक ऋण**				
4.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-	-	-	125.00
4.2.2.2	**भारत सरकार से ऋण**	-	-	-	3.07
	जोड़ - आवधिक ऋण	-	-	-	**128.07**
4.2.3	**अन्य ऋण और अग्रिम**				-
4.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बॉण्ड - सीएचएफ 200 मिलियन	-	**1378.50**	1,285.44	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	आरईजी एस बॉण्ड - 500 मिलियन अमेरिकी डालर	-	-	-	2,703.58
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचित				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**400.61**	**210.13**	550.17	209.62
	0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2016 को देय हो रही है और जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2016 को देय हो रही है।				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**93.33**	**51.10**	144.43	51.40
3.73% ऋण € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दि: 30.06.2016 को देय है।				
केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**64.86**	**-**	21.94	-
1.96% ऋण € 2.941 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय और तत्पश्चात € 2.942 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। पहली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है। 31.03.2016 के अनुसार कुल ऋण राशि ₹ 226.34 करोड़ है, आरईसी का शेयर ₹ 64.86 करोड़ है।				
सिंडिकेट ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	1,788.96
दिनांक 22.09.2015 को प्रदत्त				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस-70 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	311.36
दिनांक 28.10.2015 को प्रदत्त				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिज़ूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	446.50
दिनांक 30.03.2016 को प्रदत्त				
द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	446.50
दिनांक 30.03.2016 को प्रदत्त				
सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**1,367.24**	1,367.24	-
दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय।				
केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**213.77**	**53.44**	267.22	53.44
2.89% ऋण, € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2016 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण- ¥19.029 बिलियन	**1,184.43**	**-**	1,184.43	-
दिनांक 10.04.2017 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण- $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	1,366.49
दि:19.11.2015 को प्रदत्त				
केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**558.76**	**88.61**	477.36	89.18
1.86% ऋण, € 5.26 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 30.06.2016 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	1,544.42
दिनांक 05.02.2016 को प्रदत्त				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**-**	-	1,522.89
दिनांक 21.03.2016 को प्रदत्त।				
सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,780.28**	**-**	1,780.28	-
दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,521.75**	**-**	1,499.29	-
दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,435.78**	**-**	2,435.78	-
ऋण $230 मिलियन अमेरिकी डालर और $170 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,539.64**	**-**	2,502.22	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,909.56**	**-**	-	-
दिनांक 29.07.2020 को प्रतिदेय।				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	1,653.25	-	-	-
150 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण क्रमशः दिनांक 18.09.2018 तथा 19.11.2018 को प्रतिदेय है।				
सिंडिकेट ऋण - $300 मिलियन अमेरिकी डालर	1,997.80	-	-	-
दिनांक 01.12.2020 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	1,688.46	-	-	-
दिनांक 05.02.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $120 मिलियन अमेरिकी डालर	797.28	-	-	-
दिनांक 21.03.2019 को प्रतिदेय।				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	18,839.56	3,149.02	13,515.80	10,534.34

4.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला 81, 82, 83, 85, 86ए, 86बी-।।।, 87-।।, 87 ए-।।।, 88, 90, 90 बी-।।, 90 सी-।।, 91-।।, 92-।।, बॉण्डों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 116-।, 116-।।, 117, 118, 119, 120, 121 एवं 122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बॉण्ड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखलाएं 123-।, 123-।।, 123-।।।ए, 123-।।।बी, 123-IV, 124-। विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में प्रतिभूत हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बॉण्डों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बॉण्ड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्डों की बॉण्ड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बॉण्ड, शॉप नं. 12, भूतल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्यों पर मालबंधन हैं।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए गए पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड और कर मुक्त बॉण्ड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला बड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्यों पर मालबंधन हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

4.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 65 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 4.2.3.1 में ऊपर उल्लेख किया गया है।

4.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का हस्तांतरण

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर "एएए " रेटिंग प्राप्त है, जे क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जोकि क्रमशः "बीएए3 " तथा "बीबीबी-" है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ है।

जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

4.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्डों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला-I (2010-11)

ब्याज दर	राशि (करोड़ ₹ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	18.35	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5/6/7/8/9 वर्ष के बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	61.06	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
जोड़	**84.80**	

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (करोड़ ₹ में)	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	95.23	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	32.85	
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बॉण्डधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.01	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**157.59**	

5. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	4.48	4.15
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	59.67	116.10
जोड़	**64.15**	**120.25**
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	8.13	7.98
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.49	4.83
उपदान के लिए प्रावधान	0.03	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2.03	0.86
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	0.79	0.72
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान	0.11	0.06
प्रचालन पट्टा देयताएं	0.03	-
जोड़	**16.61**	**14.45**
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)	**47.54**	**105.80**

5.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

6. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	9.50	36.16
- अन्य	0.59	0.02
जोड़	10.09	36.18

7. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	कर्मचारी हितलाभ				
	अर्जित अवकाश देयता	21.35	2.31	20.51	2.68
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	82.50	4.12	73.80	3.81
	चिकित्सा अवकाश देयता	13.65	2.22	13.26	1.96
	निपटान भत्ता	1.06	0.16	1.04	0.16
	आर्थिक पुनर्वास योजना	3.31	0.03	2.71	0.01
	दीर्घ सेवा अवार्ड	2.45	0.11	2.34	0.50
	लॉयल्टी बोनस	0.08	0.07	0.09	-
	उप-जोड़ (क)	124.40	9.02	113.75	9.12
(ख)	अन्य				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	420.35	123.08	446.13	44.79
	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	750.71	70.63	447.51	4.26
	देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	-	3.96	-	-
	प्रोत्साहन	-	18.13	-	16.71
	धन कर	-	-	-	0.37
	अनुषंगी लाभ कर	-	-	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	-	503.60	-	266.61
	कारपोरेट लाभांश कर	-	106.49	-	56.32
	सीएसआर व्यय	-	21.22	-	58.04
	परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताएं	-	2.29	-	2.13
	उप-जोड़ (ख)	1,171.06	849.40	893.64	449.59
	जोड़ (क+ख)	1,295.46	858.42	1,007.39	458.71

7.1 लेखाकरण मानक-29 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधानों के ब्योरे निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	23.19	6.38	5.87	23.66
पिछले वर्ष	23.00	5.70	5.51	23.19
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	77.61	15.33	6.32	86.62
पिछले वर्ष	66.64	16.39	5.42	77.61
चिकित्सा अवकाश देयता	15.22	2.11	1.46	15.87
पिछले वर्ष	14.74	1.81	1.33	15.22
निपटान भत्ता	1.20	0.12	0.10	1.22
पिछले वर्ष	1.16	0.20	0.16	1.20

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
आर्थिक पुनर्वास योजना	**2.72**	**1.26**	**0.64**	**3.34**
पिछले वर्ष	2.65	0.70	0.63	2.72
दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.84**	**0.02**	**0.30**	**2.56**
पिछले वर्ष	3.38	0.02	0.56	2.84
लॉयल्टी बोनस	**0.09**	**0.06**	**-**	**0.15**
पिछले वर्ष	-	0.09	-	0.09
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**490.92**	**138.93**	**86.42**	**543.43**
पिछले वर्ष	370.38	120.54	-	490.92
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**451.77**	**369.57**	**-**	**821.34**
पिछले वर्ष	-	451.77	-	451.77
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण पर ब्याज	**-**	**3.96**	**-**	**3.96**
पिछले वर्ष	-	-	-	-
प्रोत्साहन	**16.71**	**14.34**	**12.92**	**18.13**
पिछले वर्ष	15.42	13.30	12.01	16.71
सीएसआर व्यय	**58.04**	**125.70**	**162.52**	**21.22**
पिछले वर्ष	0.28	102.07	44.31	58.04
धन कर	**0.37**	**0.02**	**0.39**	**-**
पिछले वर्ष	0.37	0.37	0.37	0.37
अनुषंगी हितलाभ कर	**0.36**	**-**	**0.36**	**-**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	**-**	**1,184.95**	**1,184.95**	**-**
पिछले वर्ष	-	789.97	789.97	-
प्रस्तावित लाभांश	**266.61**	**503.60**	**266.61**	**503.60**
पिछले वर्ष	172.81	266.61	172.81	266.61
कारपोरेट लाभांश कर	**56.32**	**345.68**	**295.51**	**106.49**
पिछले वर्ष	29.43	214.21	187.32	56.32
आय कर	**5,322.76**	**2,560.78**	**1,351.30**	**6,533.48**
पिछले वर्ष	4,031.20	2,276.62	985.06	5,322.76
परियोजना लागत संशोधनों की आकस्मिकताएं	**2.13**	**2.96**	**2.80**	**2.29**
पिछले वर्ष	1.15	1.71	0.73	2.13

8. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	**749.93**	734.00
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	**5,600.00**	-
(ग)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- बैंकों से		
	प्रतिभूत	**71.97**	-
	अप्रतिभूत	**10.08**	-
	- वित्तीय संस्थाओं से, प्रतिभूत*	**28.79**	-
	जोड़ (क+ख+ग)	**6,460.77**	**734.00**

* बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अन्य ऋण एवं अग्रिम ईईएसएल, कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम, से संबंधित हैं, जो ईईएसएल की ऋण बही के प्रभार के साथ-साथ प्रतिभूत हैं।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

9. ट्रेड देय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
ट्रेड देय	**118.69**	30.83
जोड़	**118.69**	**30.83**

10. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 4 के संदर्भ में)	**23,967.02**	19,121.80
(ख) उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं	**6,227.74**	5,263.67
(ग) उपचित एवं उधारियों पर देय ब्याज	**-**	1.10
(घ) अग्रिम में प्राप्त आय	**21.50**	24.17
(च) अप्रदत्त लाभांश	**2.73**	2.62
(छ) अप्रदत्त मूलधन एवं बांडों पर ब्याज		
- परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	**44.83**	57.64
- बॉण्डों पर ब्याज	**12.57**	14.33
(ज) अन्य देय राशियां		
- प्राप्त सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां	**38,111.60**	33,641.80
जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 10.3 के संदर्भ में)	**18.10**	51.38
घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-38,091.35**	-33,399.90
सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**38.35**	**293.28**
- चालू खाते में ओवरड्रॉफ्ट	**-**	0.38
- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**36.37**	28.65
- कर्मचारी हितलाभों हेतु निधिपोषित देय राशियां	**0.53**	0.62
- अन्य देयताएं	**125.06**	78.90
उप-जोड़ (ज)	**200.31**	**401.83**
जोड़ (क से ज)	**30,476.70**	**24,887.16**

10..1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडीः

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा. सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 1.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.22 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**2.22**	3.53
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.07**	0.13
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**1.03**	1.44
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**1.26**	2.22

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

10.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष "अन्य चालू देयताएं" के तहत "असंवितरित सब्सिडी/अनुदान " के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 39.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 61.78 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 71.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 22.07 करोड़) की राशि वापस की गई है।

10.3 **वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
आरंभिक शेष	**51.38**	11.55
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**41.49**	62.93
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**74.19**	22.34
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.58**	0.76
वर्ष के अंत में शेष	**18.10**	**51.38**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

11. 31 मार्च, 2016 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2015 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2016 को बंद	31.03.2015 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	45.92	0.05	80.62	-	-	-	-	80.62	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	0.08	-0.40	1.93	0.22	0.05	-0.01	0.28	1.65	1.23
भवन	33.71	0.04	0.58	33.17	7.29	0.47	-	7.76	25.41	26.42
फर्नीचर और जुड़नार	7.30	0.50	-0.32	8.12	4.60	0.70	0.18	5.12	3.00	2.70
वाहन	0.46	-	0.03	0.43	0.22	0.04	0.02	0.24	0.19	0.24
ईडीपी उपस्कर	17.41	2.20	0.80	18.81	11.62	2.77	0.60	13.79	5.02	5.79
कार्यालय उपस्कर	43.36	110.26	-4.67	158.29	6.00	15.06	-0.07	21.13	137.16	37.37
जोड़	138.44	159.00	-3.93	301.37	29.95	19.09	0.72	48.32	253.05	108.50
पिछले वर्ष	95.21	46.53	3.31	138.43	24.56	7.28	1.91	29.93	108.50	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7.06	0.12	-	7.18	5.59	0.58	0.02	6.15	1.03	1.47
जोड़	7.06	0.12	-	7.18	5.59	0.58	0.02	6.15	1.03	1.47
पिछले वर्ष	6.99	0.06	-	7.05	4.54	1.04	-	5.58	1.47	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	9.81	195.23	128.20	76.84	-	-	-	-	76.84	9.81
पिछले वर्ष	10.53	4.50	5.22	9.81	-	-	-	-	9.81	

11.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 50.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

11.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11.3 **एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटनः**

समाशोधन दर - 20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

12. निवेश

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		संख्या	रकम	संख्या	रकम
	लागत पर मूल्यांकित				
(1)	**गैर-चालू निवेश**				
(क)	**अन्य निवेश (उद्धृत)**				
	(i) कर मुक्त बॉण्डों में निवेश				
	हुडको लिमिटेड के 8.76% बॉण्ड	50,000	5.00	50,000	5.00
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	हुडको लिमिटेड के 7.39% बॉण्ड	86,798	8.68	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	एनएचएआई के 7.35% बॉण्ड	42,855	4.29	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	एनएचएआई के 7.39% बॉण्ड	35,463	3.55	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	आईआरईडीए लिमिटेड के 7.49% बॉण्ड	61,308	6.13	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	आईआरएफसी लिमिटेड के 7.35% बॉण्ड	22,338	2.23	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	नबार्ड के 7.35% बॉण्ड	14,028	1.40	-	-
	प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
(ख)	**अन्य निवेश (अनुद्धृत)**				
	(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
	- अनुषंगी कंपनियां				
	- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	50,000	-	50,000	-
	₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
	- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	50,000	-	50,000	-
	₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
	- संयुक्त उद्यम				
	- एनर्जी इफीसिएंसी सर्विज लिमिटेड	4,75,00,000	-	2,25,00,000	-
	₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
	- अन्य				
	- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000	1.25	12,50,000	1.25
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतया प्रदत्त हैं।				
	- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लि.	1,60,00,000	16.00	1,60,00,000	16.00
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	घटाएं: निवेश में कमी के लिए प्रावधान		(16.00)		-
			-		16.00
	(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड -II	6	282.96	8	377.28
	प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2016 को देय है।				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		संख्या	रकम	संख्या	रकम
	(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
	(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
	- "स्माल इज ब्यूटीफुल" निधि	**61,52,200**	**6.15**	76,82,816	7.68
	प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के यूनिट				
	(iv) डिबेंचर्स में निवेश				
	- यूपी पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के 9.68% बॉण्ड	**38,050**	**380.50**	75,000	750.00
	₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	- इंडियन बैंक के 11.15% टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**	-	-
	₹ 0.10 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	- विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**	-	-
	₹ 0.10 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	- सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-1 बेमियादी बॉण्ड	**5,000**	**500.00**	-	-
	₹ 0.10 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बॉण्ड				
	जोड़ः गैर-चालू निवेश (1)		**2,202.14**		1,157.21
(2)	**चालू निवेश**				
	लागत के निम्नतर और उचित मूल्य में मूल्यांकित				
(क)	**इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड	**10,20,00,000**	**102.00**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	-	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**-**	50,000	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	**50,000**	**-**	50,000	-
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- गदरवाड़ा ए ट्रांसको लिमिटेड	**-**	**-**	50,000	0.05
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- गदरवाड़ा बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50,000	0.05
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				
	- महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड	**-**	**-**	50,000	0.05
	प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, जो पूर्णतः प्रदत्त हैं।				

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		संख्या	रकम	संख्या	रकम
(ख)	**सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)**				
	- उत्तर प्रदेश सरकार के 8.57% -8.73% विशेष बॉण्ड	-	-	-	391.50
	- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बॉण्ड-II				
	प्रत्येक एक बॉण्ड समान छमाही किस्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किस्त 01.10.2016 को देय है।	1	47.16	1	47.16
	(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बॉण्ड)*				
	जोड़ - चालू निवेश (2)		**149.41**		**438.81**
	जोड़ (1+2)		**2,351.55**		**1,596.02**

*चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 माह के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

12.1 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1)	**निवेशों का मूल्य**				
(i)	निवेशों का समग्र मूल्य				
	(क) भारत में	2,218.14	149.51	1,157.21	438.91
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
(ii)	मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				
	(क) भारत में	16.00	0.10	-	0.10
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य				
	(क) भारत में	2,202.14	149.41	1,157.21	438.81
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
(2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**				
(i)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	0.10	-	-
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	16.00	-	-	0.10
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	-	-	-	-
(iv)	**वर्ष के अंत में शेष**	16.00	0.10	-	0.10
(3)	**उद्धृत निवेशें की समग्र राशि**	1,531.28	-	72.00	391.50
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	1,532.32	-	6.00	405.63
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	686.86	149.41	1,152.21	47.31
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	16.00	0.10	-	0.10

12.2 निवेश में ₹ 6.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत "स्माल इज ब्यूटीफुल" (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 6.15 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2016 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 10.24 प्रति यूनिट है (पिछले वर्ष ₹ 9.70 प्रति यूनिट)।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

12.3 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचनाः

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात		28.79%
निगमन देश		भारत
प्रचालन का क्षेत्र		भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (28.79%)	
	2. पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (13.63%)	
	3. पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (28.79%)	

इसके अलावा, 31 मार्च, 2016 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 99.00 करोड़ का भुगतान किया गया है। ईईएसएल ने 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक ₹ 10/- के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए हैं और तदनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी का शेयर 31.71% बढ़ गया है।

31.03.2016 के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर तथा संयुक्त उद्यम के संबंध में अवधि के लिए आय एवं व्यय निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार/के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	**434.53**	78.94	78.97
(ii)	कुल देयताएं	**371.71**	50.21	51.39
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	**15.32**	6.23	5.08
(iv)	आकस्मिक देयताएं	**शून्य**	शून्य	शून्य
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	**84.24**	शून्य	14.99
(vi)	कुल आय	**205.68**	17.57	17.78
(vii)	कुल व्यय	**191.40**	14.37	14.38

*संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । हालांकि, बाद में 3 जुलाई, 2015 को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की गई। परिसंपत्तियों और देयताओं के अलेखापरीक्षित और लेखापरीक्षित आंकड़ों में परिवर्तन को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ईईएसएल के तुलन पत्र आंकड़ों में पहले ही समायोजित कर लिया गया है।

13. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**49.14**	20.20
(ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**4.34**	1.31
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	**0.63**	0.21
		0.63	0.21
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	**36.72**	40.40
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	**1,57,703.84**	1,64,152.03
	- अन्य (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया0	**2.15**	1.10
		1,57,742.71	**1,64,193.53**
	जोड़ (क से घ)	**1,57,796.82**	**1,64,215.25**

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्योराः

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

13.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-19 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	**0.01**	**0.01**	0.04	0.02
(क2)	**अन्य को**				
	(क) शोध्य समझा गया	**2.93**	**0.73**	2.82	1.08
	(ख) वर्गीकृत अशोध्य	**-**	**-**	-	0.07
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**-**	-	0.07
		-	**-**	-	-
	उप-जोड़ (क1+क2)	**2.94**	**0.74**	2.86	1.10
(ख)	**अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	**0.62**	**0.19**	0.17	0.06
(ख2)	**अन्यों को**				
	(क) शोध्य समझा गया	**33.79**	**10.24**	37.58	9.56
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	**34.41**	**10.43**	**37.75**	**9.62**
	सकल जोड़ (क+ख)	**37.35**	**11.17**	**40.61**	**10.72**

13.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-19 'अन्य चालू परिसंपत्तियां के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**1,09,569.70**	**15,194.43**	95,970.62	8,981.75
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**24,377.49**	**1,841.42**	28,393.85	1,201.89
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	**2,243.97**	**1,569.50**	849.53	429.66
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**257.65**	**325.52**	208.67	100.59
		1,986.32	**1,243.98**	640.86	329.07
	उप-जोड़ (क1+क2)	**1,35,933.51**	**18,279.83**	**1,25,005.33**	**10,512.71**
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**18,092.54**	**22,522.84**	35,334.41	2,651.53
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**2,467.29**	**886.78**	2,878.29	377.24

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ख3)	**ऋण - अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	**1,210.50**	**99.51**	934.00	490.99
	(ख) वर्गीकृत संदिग्ध	**-**	**430.10**	56.19	-
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**-**	**430.10**	56.19	-
		-	**-**	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ख2+ख3)	**21,770.33**	**23,509.13**	**39,146.70**	**3,519.76**
	समग्र जोड़ (क+ख)	**1,57,703.84**	**41,788.96**	**1,64,152.03**	**14,032.47**

13.2.1 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 92.95% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं। ₹ 14,188 करोड़ लागत की शेष 7.05% ऋण परिसंपत्तियों, जिनके लिए शेष अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं, में से 72.94% ऋण परिसंपत्तियों के मालबंधन रखने के रूप में प्रतिभूत हैं, 23.37% सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में प्रतिभूत हैं तथा 3.69% अप्रतिभूत ऋण हैं।

13.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

13.2.3 अलकनंदा हाइड्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) श्रीनगर, एचईपी उत्तराखंड में स्थित है। वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान हुई घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि बैंकों को उत्तराखंड में बकाया सभी परियोजनाओं के ऋण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण और ब्याज की चुकौती पर रोक लगा देनी चाहिए। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2013 के पत्र के द्वारा ऐसे लाभ को एएचपीसीएल के लिए लागू कर दिया। तदनुसार, आरईसी ने जून, 2014 में एएचपीसीएल के लिए निधिपोषित ब्याज सावधिक ऋण (एफआईटीएल) को संस्वीकृत किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 को "गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा अग्रिम की पुनर्व्यवस्था पर मानदंड " के संबंध में परिपत्र जारी किया है। जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित है कि " एफआईटीएल की प्रतिनिधित्व वाली अप्राप्त आय के लिए किसी खाते में ऐसा ही ऋण होना चाहिए जैसे सिंड्री लाइबिलिटीज एकाउंट में निर्धारित है (ब्याज पूंजीकरण)। उपरोक्त परिपत्र की अनुप्रयोज्यता के प्रत्युत्तर में, आरईसी ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से यह अभिवेदन दिया कि "हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विद्युत परियोजनाओं को पुनर्व्यवस्था मानदंडों से बाहर रखा जाए"।

उपरोक्त अनुरोध के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा यह मंजूरी दी कि पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाएं, हिमालय क्षेत्र में हाईड्रो परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित को भी (31 मार्च, 2014 के अनुसार नये ऋण और ऋणों का बकाया स्टॉक) 31 मार्च, 2017 तक आरईसी के विद्यमान पुनर्संरचना मानदंडों के अनुसार अधिनियमित किया जाएगा।

अतः प्रबंधन का मत था कि एएचपीसीएल की उपरोक्त परियोजना, हिमालय क्षेत्र में एक हाइड्रो परियोजना और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने के नाते, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के परिपत्र के दायरे से बाहर है तथा उसे आरईसी के विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार शासित किया जाएगा। ये मानदंड यह बताते हैं कि "एनपीए, जहां ब्याज के निधियन को आय के रूप में विचारा जाता है, के संबंध में ब्याज के निधिपोषण के मामले में, निधिकृत ब्याज पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।" जैसा कि एएचपीसीएल आरईसी की बही में एक मानक परिसंपत्ति है, इस प्रकार निधिकृत ब्याज के किसी प्रावधान का सृजन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण लंबित है, इसी प्रकार का सिंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट सृजित करने की बजाय (ब्याज पूंजी करण), 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, एएचपीसीएल के संबंध में एफआईटीएल के लिए लेखा बही में ₹ 86.42 करोड़ का 100% प्रावधान सृजित किया गया था।

इस अनुरोध के प्रत्युत्तर में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 17 जुलाई, 2015 के पत्र सं. डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.123/03.10.001/2015-16 के द्वारा यह सुझाव दिया कि उक्त उधारकर्ता को स्वीकृत एफआईटीएल को आरबीआई के वित्तीय पुनर्संरचना मानदंडों के उपबंधों से छूट प्राप्त होगी। तदनुसार, ₹ 86.42 करोड़ के 100% प्रावधान को रद्द कर दिया गया और उसे 31 मार्च, 2016 को समाप्त हिसाब में लिया गया।

13.2.4 मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य में हाइड्रो वैद्युत परियोजना का निष्पादन कर रहा है। परियोजना में महत्वपूर्ण वास्तविक प्रगति अर्जित कर ली गयी है और उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की संचयी वास्तविक प्रगति 96.59% है।

परियोजना में इक्विटी समावेशन करने संबंधी मुद्दे का हल प्रोमोटरों के बीच हो गया था तथा तत्पश्चात, टीयूएल के शेयरधारकों के बीच 6 अगस्त, 2015 को शेयर खरीद अनुबंध निष्पादित किया गया था ताकि सिक्किम पॉवर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (सिक्किम सरकार के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी), इक्विटी के समावेशन और अन्य शेयरधारकों से शेयरों की खरीद करने के द्वारा टीयूएल में 51% तक अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए समर्थ हो सके। तदनुसार, टीयूएल में सिक्किम पॉवर इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान शेयरधारिता 51% है तथा टीयूएल को सिक्किम सरकार के उपक्रम के रूप में मान्यकृत किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, आरईसी सहित, कुछ उधारदाताओं ने, टीयूएल को दूसरी ओवररन लागत के लिए स्वीकृत ऋण के समक्ष, कंपनी के साथ द्विपक्षीय करार के आधार पर उनके देय बकाया ब्याज को समायोजित कर लिया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2015 के अनुसार, लंबित प्रलेखीकरण, ₹ 202.15 करोड़ की राशि को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओवररन लागत के तहत किया गया संवितरण चल परिसंपत्तियों पर प्रभारत लागू होने से प्रतिभूत हो गया है। 29 जून, 2015 को उधारदाताओं के बीच संयुक्त

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

प्रलेखीकरण निर्धारित हो गया है, सिवाय पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक के, उन्होंने अभी परिग्रहण विलेख द्वारा प्रलेखीकरण में शामिल होना है। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार, दूसरी ओवररन लागत के तहत उधारकर्ता को किए गए ऋण संवितरण को प्रतिभूत ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

13.2.5 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण-I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है। ऋण कंपनी की सभी वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र और कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी के तौर पर प्रतिभूत है। तत्पश्चात, आरइसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 31 मार्च, 2016 के अनुसार बकाया ऋण ₹ 811.74 करोड़ है।

उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की उपलब्ध पिछली रिपोर्ट के अनुसार परियोजना (जहां आरईसी प्रमुख है) के चरण-I की प्रगति, लगभग 96% है। हालांकि, खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्य-निर्धारक की रिपोर्ट के अनुसार, चरण-I परियोजना परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य ₹ 1,401.94 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 399.08 करोड़ की राशि ऋण की सीमा, प्रतिभूति के वसूलनीय मूल्य तक शामिल नहीं, और ₹ 412.66 करोड़ के लिए 100% का प्रावधान, ₹ 82.53 करोड़ की राशि के लिए 20% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार कुल सृजित प्रावधान ₹ 481.61 करोड़ है।

इसके अलावा, उधारकर्ता और प्रोमोटर कंपनी, सीआईएएल, को कारपोरेट गारंटी के लिए रिकॉल नोटिस भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की गयी है। उधारदाता, बकायों की वसूली के लिए ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) में मूल आवेदन (ओए) को दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं।

13.2.6 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ संस्वीकृत किए हैं, जिसमें 31 मार्च, 2016 तक ₹ 33.24 करोड़ का संवितरण किया गया है। जैसा कि परियोजना में पर्याप्त रूप से विलंब हुआ है, उधारदाता परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाशने और भावी कार्यनीति पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, उधारकर्ता के खाते को संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्वतंत्र मूल्य-निर्धारक की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना परिसंपत्तियों का उचित बाजार मूल्य ₹ 180.17 करोड़ है। तदनुसार, ₹ 31.02 करोड़ की राशि ऋण की सीमा, प्रतिभूति के वसूलनीय मूल्य तक शामिल नहीं, और ₹ 2.22 करोड़ के लिए 100% का प्रावधान, ₹ 0.44 करोड़ की राशि के लिए 20% का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 2.3 (ii) के अनुसार बहियों में सृजित किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2016 के अनुसार, ₹ 33.24 करोड़ के कुल बकाया ऋण पर कुल सृजित प्रावधान ₹ 31.46 करोड़ है।

इसके अलावा, उधारकर्ता और प्रोमोटर की निजी गारंटी के लिए रिकॉल नोटिस भेजा गया है। उधारकर्ता अपने देय बकायों की वसूली के लिए डीआरटी में संयुक्त आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

13.2.7 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ताओं में से एक की बकाया देय राशि ₹ 366.30 करोड़ 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय थी, इस प्रकार, 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण हेतु समय सीमा अधिक हो गयी। हालांकि, उधारकर्ता ने खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत न किए जाने के संबंध में 18 सितंबर, 2015 को माननीय मद्रास उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त कर लिया तथा न्यायालय का अंतिम आदेश आने तक उधारकर्ता के वर्गीकरण को 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में रखा गया है। तदनुसार, बकाया ऋण ₹ 1,875.71 करोड़ पर उप-मानक ऋणों के लिए लागू 10% प्रावधान को सृजित नहीं किया गया है तथा ₹ 366.30 करोड़ की ब्याज आय को, मानक परिसंपत्तियों पर आय की मान्यता हेतु कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, उपचित आधार पर मान्यकृत भी किया गया है। तथापि, जैसा कि खाता वर्तमान में पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्ति की श्रेणी में है, ₹ 93.79 करोड़ राशि के 5% का एक प्रावधान, ऋण के संबंध में पूर्णतः सृजित किया गया है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति बी-2.3(iv) के अनुसार चरणबद्ध रूप से सृजित किया जाता है।

13.2.8 आरईसी ने मई, 2012 में, प्रारंभिक परियोजना एससीओडी में आईसीआईसीआई बैंक के साथ प्रमुख उधारदाता के रूप में मैसर्स लैंको तीस्ता हाइड्रो पॉवर लिमिटेड को ₹ 390 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था। हालांकि, प्रोमोटरों की इक्विटी क्रंच, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और खराब रॉक स्ट्राटा के कारण, परियोजना अभी तक कमीशन नहीं की जा सकी। परियोजना, जोकि वर्तमान में ठप पड़ी है, का पुनरूद्धार करने के लिए, स्वामित्व में परिवर्तन किया जाना अत्यंत अनिवार्य है, जो नये निवेशक द्वारा अतिरिक्त संसाधन लाये जाने को सुनिश्चत करेगा। इस दिशा में, स्वामित्व के परिवर्तन पर, दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया व्यवस्था के तहत प्रभावपूर्ण ढंग से विचार किया जा सकता है। आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 8 जून, 2015 की सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) विनियम के अनुसार, उधारदाताओं के कंर्सोटियम ने 24 जुलाई, 2015 को हुई उधारदाताओं की बैठक में एसडीआर को लागू करने का निर्णय लिया। तदनुसार, आरईसी ने 24 सितंबर, 2015 को, प्रबंधन में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए आरईसी के बकाया ऋण में से ₹ 102 करोड़ को 10/- के अंकित मूल्य पर इक्विटी शेयर में परिवर्तित करने के लिए आरबीआई के दिनांक 08 जून, 2015 के परिपत्र के अनुसरण में सामरिक ऋण पुनर्व्यवस्था (एसडीआर) पैकेज को अनुमोदित किया। तत्पश्चात, 20 अक्तूबर, 2015 को, शेयरधारक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने सहित आवश्यक दस्तावेजीकरण कार्य किया गया तथा आरईसी द्वारा स्वीकृत ₹ 102 करोड़ की राशि को 20 अक्तूबर, 2015 को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी में रूपांतरित देय ब्याज के समक्ष ₹ 3.96 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, विवेकपूर्ण मामले के रूप में, 31 मार्च, 2016 के अनुसार ₹ 236.80 करोड़ के बकाया शेष ऋण पर ₹ 15.50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान, आरबीआई के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के परिपत्र के अनुसार किया गया है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर ₹ 32.27 करोड़ की उपचित आय एवं अप्रदत्त रही राशि को, एसडीआर के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए अनिश्चितता के कारण मान्यकृत नहीं किया गया है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश	6.79	5.01
(ख)	अग्रिम आय कर एवं टीडीएस	6,633.82	5,399.62
	घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान	6,533.48	5,322.76
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	100.34	76.86
(ग)	अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू अंशः		
	- बॉण्डों के निर्गम पर छूट	-	0.14
(घ)	12 महीनों से अधिक परिपक्वता की बैंकों में आवधिक जमा	2.13	3.10
	जोड़ (क से घ)	109.26	85.11
	- उपरोक्त में से		
	प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में धारित आवधिक जमा	2.13	3.10

15. इंवेन्टरियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क) स्टॉक-इन-ट्रेड*	49.68	-
(ख) चालू कार्य	17.11	-
जोड़	66.79	-

*स्टॉक-इन-ट्रेड में ₹ 3.32 करोड़ लागत का संक्रमण-सामान शामिल है।

16. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क) अप्रतिभूत		
6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
- शोध्य समझे गए	90.19	50.53
- संदिग्ध समझे गए	5.87	2.53
घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5.87	2.53
	-	-
6 महीने से कम		
- शोध्य समझे गए	141.70	69.75
जोड़	231.89	120.28

17. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क) नकदी एवं नकदी समतुल्य		
- बैंकों में शेष रकम	1,038.01	202.35
- हाथ में नकद (पोस्टेज एवं इम्प्रेस्ट सहित)	0.01	-
- अन्य		
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	778.54	356.57
उप-जोड़ (क)	1,816.56	558.92

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(ख) अन्य		
- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	**47.52**	86.79
उप-जोड़ (क)	**47.52**	86.79
जोड़ (क+ख)	**1,864.08**	**645.71**
बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल हैः		
- बैंकों में अलग खातों में चिह्नित शेष		
- अप्रदत्त लाभांश हेतु	**2.73**	2.62
- डीडीयूजीजेवाई, एजी एंड एसपी, एनईएफ और अन्य अनुदान हेतु	**34.17**	54.94
अप्रयुक्त सीएसआर निधि हेतु	**-**	-
- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	**1.77**	2.15

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 2.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 236.19 करोड़.) की राशि तथा स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) के लिए ₹ 7.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य में - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ` 0.36 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.36 करोड़) की जमा राशि शामिल है।

- प्रतिभूति/मार्जिन मनी के रूप में धारित आवधिक जमा	**0.49**	-
- बारह महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा	**15.86**	16.20

17.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 700 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू को जारी किया है, जो ₹ 300 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के निजी व्यवस्थापन इश्यू के अतिरिक्त है। बॉण्डों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप आबंटित किया गया था तथा इश्यू आय को अब प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

18. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम**		
	अप्रतिभूत		
	(क) शोध्य समझे गए	**3.35**	2.09
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**0.06**	0.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**0.06**	0.06
		-	-
(ख)	**अन्य**		
(i)	**नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)**		
	(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	**-**	
	(ख) अप्रतिभूत		
	(क) शोध्य समझे गए	**33.67**	1.35
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**2.06**	2.06
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**2.06**	2.06
		-	**-**
	कुल (i)	**33.67**	**1.37**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(ii)	**ऋण परिसंपत्तियाँ**		
	(क) प्रतिभूत ऋण		
	- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	- शोध्य समझे गए	-	485.88
	उप-जोड़ (क)	**-**	**485.88**
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	-संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	672.22	500.00
	- ऋण - अन्य		
	- शोध्य समझे गए	100.00	111.11
	उप-जोड़ (ख)	**772.22**	**611.11**
	कुल (ii)	**772.22**	**1,096.99**
	सकल जोड़	**809.24**	**1,100.45**

19. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(क)	**दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 13.2 को देखें)**	41,788.96	14,032.47
(ख)	**स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 13.1 देखें)**	11.17	10.72
(ग)	**उपचित लेकिन देय नहीं ब्याजः**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	7.89
	- दीर्घावधि निवेशों पर	18.40	30.78
	- आवधिक जमा पर	3.20	4.30
	उप-जोड़	21.60	42.97
(घ)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	1,112.89	1,019.94
(च)	**ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज**	301.73	444.30
(छ)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश**	0.30	0.28
(ज)	**भारत सरकार से वसूलनीय**		
	- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई व्यय	9.71	8.49
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	0.37	0.29
	उप-जोड़	10.08	8.78
(झ)	**राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलनीय**	16.28	9.35
(ट)	**आयकर वसूलनीय**	0.18	0.39
(ठ)	**कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार**	67.30	-
(ड)	**पूर्व-प्रदत्त व्यय**	9.90	0.11
(ढ)	**अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	0.14	3.99
(ण)	**अन्य**	42.63	
	जोड़ (क से ण)	**43,383.16**	**15,573.31**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

20. प्रचालन से आय

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	23,375.20		19,904.21	
	घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	1.49	23,373.71	2.70	19,901.51
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		96.95		170.57
	उप-जोड़ (क)		**23,470.66**		**20,072.08**
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, लीड शुल्क, एलसी कमीशन आदि		24.71		51.93
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		30.50		11.23
(iii)	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए शुल्क		32.78		15.29
	उप-जोड़ (ख)		**87.99**		**78.45**
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		68.21		69.46
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		11.49		9.54
	उप-जोड़ (ग)		**79.70**		**79.00**
(घ)	**परामर्शी इंजीनियर सेवाओं से आय**		374.53		154.81
	जोड़ (क से घ)		**24,012.88**		**20,384.34**

21. अन्य आय

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय के अन्यत्र)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	43.23	47.51
	- दीर्घावधि निवेशों/आवधिक जमा/अन्य से ब्याज	52.05	106.87
	- स्टाफ अग्रिमों से ब्याज	2.22	1.72
	- अनुषंगी कंपनियों/एसपीवी से ब्याज	0.29	0.09
	- आवेदन राशि पर ब्याज	0.19	-
	उप-जोड़ (क)	**97.98**	**156.19**
(ख)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	2.37	3.63
	उप-जोड़ (ख)	**2.37**	**3.63**
(ग)	**दीर्घावधि निवेशों की बिक्री से निवल लाभ**	12.29	-
(घ)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.02
	- रिटन बैक प्रावधान	1.04	0.78
	- विविध आय	3.37	4.93
	उप-जोड़ (घ)	**4.41**	**5.73**
	जोड़ (क से घ)	**117.05**	**165.55**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

22. वित्तीय लागतें

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	0.15	0.43
	- आरईसी के बॉण्डों पर	11,369.39	9,503.41
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	134.18	207.43
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारियों पर	1,616.97	1,358.86
	- कमर्शियल पेपर पर	285.91	300.03
	- एआरईपी सब्सिडी पर	0.04	0.08
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	0.46	1.38
	उप-जोड़ (क)	**13,407.10**	**11,371.62**
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	19.14	18.31
	- पब्लिक इश्यू व्यय	0.70	-
	- बॉण्ड रखरखाव प्रभार	1.04	1.05
	- बॉण्डों की ब्रोकरेज	19.33	20.48
	- बॉण्डों पर स्टाम्प शुल्क	3.88	4.03
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	157.80	168.75
	उप-जोड़ (ख)	**201.89**	**212.62**
(ग)	**निवल अंतरण/लेन-देन विनिमय क्षति**	**673.36**	**255.35**
	जोड़ (क से ग)	**14,282.35**	**11,839.59**

23. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	101.50	94.76
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	12.44	11.48
- उपदान	0.57	0.60
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	15.33	16.39
- कर्मचारी कल्याण व्यय	13.35	13.52
जोड़	**143.19**	**136.75**

24 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- प्रत्यक्ष व्यय	116.81	99.77
- ओवरहैडस्	3.48	2.30
जोड़	**120.29**	**102.07**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

24.1 सीएसआर व्यय के संबंध में प्रकटीकरणः

वर्ष के दौरान खर्च की गयी राशि (करोड़ ₹ में):

	विवरण	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है*	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर	99.07	21.22	120.29	44.31	57.76	102.07

**उपलब्ध करायी गयी राशि को दर्शाता है।*

25. अन्य व्यय

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		12.85		10.97
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		7.51		6.29
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	3.18		2.97	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	4.64		3.75	
- अन्य	1.20	9.02	0.73	7.45
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		4.92		4.91
- दरें और कर		0.44		0.90
- बिजली और ईंधन		2.30		1.43
- बीमा खर्च		0.05		0.04
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		2.12		2.36
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		1.09		0.67
- परामर्शी सेवा प्रभार		5.13		1.78
- परियोजना व्यय		279.45		37.12
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.38		0.12
- एसपीवी के बट्टे खाते डालने पर हानि		-		1.77
- विविध व्यय		30.31		28.29
जोड़		**355.57**		**104.10**

25.1 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.50	0.41
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.09	0.09
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.21	0.08
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी#		
(i) कर मुक्त बॉण्ड पब्लिक इश्यू के लिए विवरणिका का प्रमाणन	0.12	0.01
(ii) अन्य प्रमाणन	0.03	0.02
- किए गए व्यय	0.09	0.03
- सेवा कर अंगभूत	0.05	0.03
जोड़	**1.09**	**0.67**

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

25.2 **विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्ययः**

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	0.49	-
- ब्याज	550.96	455.29
- वित्त प्रभार	130.91	149.36
- अन्य व्यय	3.11	3.21
जोड़	**685.47**	**607.86**

25.3 समूह कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए पट्टे पर स्थल लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 6.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.07 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.50 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार हैः

(करोड़ ₹ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2016 के अनुसार		31.03.2015 के अनुसार	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	0.36	4.85	0.29	3.53
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	0.62	6.53	-	6.52
5 वर्ष से अधिक	-	4.73	-	0.66
जोड़	**0.98**	**16.11**	**0.29**	**10.71**

26. **प्रावधान और आकस्मिकताएं**

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	651.18	232.06
मानक ऋण परिसंपत्तियों के लिए आकस्मिक प्रावधान	52.51	120.54
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष प्रावधान	369.57	451.77
देय एवं इक्विटी में परिवर्तित ब्याज हेतु प्रावधान	3.96	-
निवेशों में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	16.00	0.10
परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	2.96	1.71
जोड़	**1,096.18**	**806.18**

27. **इनवेंटरियों में परिवर्तन**

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
स्टाक-इन-ट्रेड		
आरंभिक शेष	-	-
अंतशेष	49.68	-
स्टाक-इन-ट्रेड की इनवेंटरियों में परिवर्तन	(49.68)	-
चालू कार्य		
आरंभिक शेष	-	-
अंतशेष	17.11	-
चालू कार्य की इनवेंटरियों में परिवर्तन	(17.11)	-
जोड़	**(66.79)**	-

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

28. पूर्व अवधि मदें

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
-अन्य	0.39	0.10
जोड़	**0.39**	**0.10**

29. प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (करोड़ ₹ में)	5,691.42	5,344.42
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	98,74,59,000	98,74,59,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और डायल्यूटेड अर्जन (₹ में)	57.64	54.12

30 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

30.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(क)	कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	58.28	56.54
(ख)	गारंटियां	28.04	40.36
(ग)	अन्य		
	- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	461.56	260.84

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 3.86 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.75 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है।

इसके अलावा, इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग/सेवा कर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 53.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.96 करोड़) की रकम भी शामिल है। कंपनी कर की मांगों के लिए लड़ रही है और प्रबंधन का यह विश्वास है कि अपलीय प्रक्रिया में कंपनी की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम, कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के निष्कर्ष पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकेंगे।

30.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष	372.20	16.06
- अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष	2.84	4.32
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	89.44	182.73

31. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योराः

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल4010डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

32. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी हैं और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि सृजित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी नं. 043/03.10.119/2015-16 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(ii) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी "सुव्यवस्थित महत्वपूर्ण गैर-बैकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2015" की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

33. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के पत्र डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन संख्या 4868/55.18.014/ 2013-14 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों से 31 मार्च, 2022 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियें के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो एंटिटी के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2016 एवं 31 मार्च 2015 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण प्रकटीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण प्रकटीकरण सीमा से अधिक नहीं था।

34. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में लेखाकरण नीति को संशोधित किया है। इसके अतिरिक्त, मानक ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष भत्ते के सृजन हेतु लेखाकरण नीति को, दिनांक 10 नवंबर, 2014 की आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार मानक ऋणों की परिशोधित प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया गया है। लेखाकरण नीति में हुए इन परिवर्तनों के कारण, 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 87.87 करोड़ कम हो गया है।

इसके अलावा, वित्तीय विवरणों, राजस्व मान्यता, मूर्त परिसंपत्तियों और नकदी प्रवाह विवरणों की तैयारी के आधार के संबंध में लेखाकरण नीति में आंशिक संशोधन किए गए हैं। हालांकि, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

35. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

35.1 आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 13 और 18 में वर्गीकृत) निम्नवत हैः

(करोड़ ₹ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
(क)	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (नीचे टिप्पणी देखें)	**21,058.26**	**821.34**	16,428.15	451.77
(ख)	उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**1,75,976.46**	**543.43**	1,61,883.41	490.92
	उप-जोड़ (i)	**1,97,034.72**	**1,364.77**	1,78,311.56	942.69
(ii)	**अनर्जक परिसंपत्तियां**				
(क)	उप-मानक परिसंपत्तियां*	**2,908.19**	**291.01**	844.98	206.28
(ख)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	**1,318.16**	**705.04**	473.18	141.95

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(करोड़ ₹ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
		शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान	शेष ऋण	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित प्रावधान
(ग)	परिसंपत्तियों में क्षति	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	उप-जोड़ (ii)	**4,243.57**	**1,013.27**	1,335.38	365.45
	जोड़	**2,01,278.29**	**3,742.81**	3,57,958.50	2,250.83

**इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 81.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।*

टिप्पणी:(i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. बी 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

35.2 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र*	2.11%	0.74%

** इसमें पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत 0.40% (पिछले वर्ष शून्य) का ऋण, ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।*

35.3 अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) का संचलन

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**1.61%**	0.54%
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1335.38**	490.40
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**2910.13**	844.98
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**1.94**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**4243.57**	1335.38
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**969.93**	353.54
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**2262.31**	616.39
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**1.94**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**3230.30**	969.93
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**365.45**	136.86
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**647.82**	228.59
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	**-**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**1013.27**	365.45

टिप्पणी- उपरोक्त आंकड़ों में पुनर्व्यवस्था/डीसीसीओ की अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 811.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) ऋण तथा उसके संबंध में ₹ 81.27 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि शामिल है।

36. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

36.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2016 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

36.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	119.25	17.25
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	6.15	7.68
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**125.40**	**24.93**

36.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2016 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित की जाती हैं।

37. अग्रिमों, प्रकटनों और अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	1,17,632.78	1,08,066.67
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	58.44%	60.16%
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	1,94,864.96	1,71,024.07
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	58.54%	57.49%
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण***		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	3,444.72	1,318.16
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	3,444.72	1,318.16

**इसमें डीसीसीओ की पुनर्व्यवस्था/अनुपलब्धता के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत ₹ 777.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का ऋण शामिल है।*

38. कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

39. आहरण अनुसूची के अनुपालन और प्रस्तुति में उधारकर्ताओं द्वारा सम्मुख की जा रही व्यवहारिक समस्याओं पर विचार करते हुए, कंपनी ने ₹ 8.83 करोड़ के बकाया प्रतिबद्धता प्रभार की छूट देने सहित सभी चालू और राज्य क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्धता प्रभार/अपफ्रंट शुल्क की आवश्यकता हेतु खंड को छूट प्रदान करने के द्वारा ऋण की नीति को परिशोधित किया है।

40. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

41. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

42. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

43. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटीकरणः

(करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
वर्ष के अंत में प्रदत्त किंतु देय शेष मूलधन	**4.21**	0.11
वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज	**0.14**	0.03
वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे पूर्तिकार को की गयी भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज	**-**	0.13
भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज किंतु इसमें एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	**0.11**	-
वर्ष के अंत में उपचित और शेष अप्रदत्त ब्याज	**0.14**	-
उत्तरवर्ती वर्षों में ऐसी तिथि तक, शेष देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, जब तक कि उपरोक्त ब्याज का भुगतान वास्तव में छोटे उद्यमियों को नहीं किया जाता है	**-**	0.03

44. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

44.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**24,770.59**	24,577.20
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**1,529.12**	2,662.28
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**शून्य**	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**नीचे टिप्पणी देखें**	नीचे टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**1,223.39**	2,173.16

टिप्पणीः गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी-I, केवल अधिकृत डीलर बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

44.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

44.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

44.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम** - बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम** - तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम** - प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम** - विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम** - नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

44.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)				
	प्रतिरक्षण हेतु	**17,876.79**	**17,433.40**	6,893.80	7,143.80
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
क)	परिसंपत्ति (+)	**1,487.63**	**2,569.44**	41.49	92.83
ख)	देयता (-)	**131.57**	**294.66**	174.16	194.46
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	**17,876.79**	**17,433.40**	6,893.80	7,143.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	**4,111.79**	**6,616.74**	लागू नही	लागू नही

** इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।*

*** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।*

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

45. 31 मार्च, 2016 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति निम्नवत हैः-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय रुपए करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए*
जेपीवाई ¥	30,014.85	1,795.17	27,940.48	1,672.66	2,074.37	122.51
पिछले वर्ष	33,084.61	1,944.22	31,895.82	1,882.28	1,188.79	61.94
यूरो €	159.15	1,123.87	125.02	867.91	34.13	255.96
पिछले वर्ष	157.07	1,104.97	150.70	1,061.94	6.37	43.03
अमेरिकी डॉलर $	2,855.00	17,691.04	2,500.00	15,336.22	355.00	2,354.82
पिछले वर्ष	3,555.00	19,715.51	2,720.00	14,489.18	835.00	5,226.33
सीएचएफ (स्विस फ्रेंक)	200.00	1,378.50	-	-	200.00	1,378.50
पिछले वर्ष	200.00	1,285.44	-	-	200.00	1,285.44
जोड़		21,988.58		17,876.79		4,111.79
पिछले वर्ष		24,050.14		17,433.40		6,616.74

** भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।*

45.1 लेखाकरण नीति बी 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गयी हैः

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर
31.03.2016 के अनुसार	66.3329	0.5906	75.0955	68.9249
31.03.2015 के अनुसार	62.5908	0.5211	67.5104	64.2719

46. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री पी.जे.ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)(12.10.2015 तक)
श्री संजीव कुमार गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)(13.10.2015 से)
श्री जे.एस.अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(2) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित।

गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 30.07.2014 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

गदरवाड़ा (क) ट्रांसको लिमिटेड - 05.08.2014 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (क) ट्रांसको लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 14.08.2014 को निगमित की गयी तथा आरईसीटीपीसीएल, महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं एसजीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 20.08.2015 को यह कंपनी, स्टॅरलाइट ग्रिड 3 लिमिटेड (एसजीएल) को हस्तांतरित की गयी।

वेमागिरी II ट्रांसमिशन लिमिटेड - 06.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, वेमागिरी II ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 04.12.2015 को यह कंपनी, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को हस्तांतरित की गयी।

अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड - 13.04.2015 को निगमित की गयी और आरईसीटीपीसीएल, अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं केपीटीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 06.01.2016 को यह कंपनी, कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड (केपीटीएल) को हस्तांतरित की गयी।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड - 21.04.2015 को निगमित की गयी।

एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड-18.08.2015 को निगमित की गयी।

नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड - 27.11.2015 को निगमित की गयी।

खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड - 28.11.2015 को निगमित की गयी।

दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड - 02.12.2015 को निगमित की गयी।

संबंधित पक्षों से/को देय राशि का ब्योरा:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2015 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.10**	0.17
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.83**	0.29

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देनों का ब्योरा:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.01**	-
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.53**	0.04
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.04**	0.06
वित्तीय लागत		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	**0.01**	0.01
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**2.33**	1.91

47. **लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:**

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। इस ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्यों के अंशदान पर एक निर्धारित दर से ब्याज दिया जाना होता है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्यकृत राशि:

(करोड़ ₹ में)

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	**7.15**	6.60
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	**5.10**	4.77
	जोड़	**12.25**	11.37

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। योजना का निधिपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है तथा प्रबंध पृथक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ईईएसएल के केस में लेखा पुस्तिका में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कोई अलग ट्रस्ट एंव उपदान के लिए देयता प्रदत्र नहीं है तथा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर देयता की पहचान की जाती हैं ।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति/(पत्नी) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
चालू सेवा लागत	2.05	1.93	1.45	1.23	0.05	0.05
ब्याज लागत	3.05	3.24	6.21	5.66	0.10	0.10
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.03	3.24	-	-	-	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	(1.50)	(1.33)	7.67	9.50	(0.03)	0.05
अभिस्वीकृत व्यय	0.57	0.60	15.33	16.39	0.12	0.20

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशिः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	37.42	38.16	86.62	77.61	1.22	1.20
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.48	36.25	-	-	-	-
निवल परिसंपत्रियां/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	(1.78)	(1.91)	(86.62)	(77.61)	(1.22)	(1.20)

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.21	38.07	77.61	66.64	1.20	1.16
ब्याज लागत	3.05	3.24	6.21	5.66	0.10	0.10
चालू सेवा लागत	2.05	1.93	1.45	1.23	0.05	0.05
प्रदत्त हितलाभ	4.42	3.89	6.32	5.42	0.10	0.16
दायित्व पर बीमांकित (लाभ)/हानि	(1.47)	(1.19)	7.67	9.50	(0.03)	0.05
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	37.42	38.16	86.62	77.61	1.22	1.20

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के लिए संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.25	35.94	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.03	3.24	-	-	-	-
अंशदान	0.62	0.82	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	4.42	3.89	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ/(हानि)	-	0.14	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.48	36.25	-	-	-	-

उपदान के समक्ष देयता के लिए निधिपोषित स्थिति और अनुभव का समायोजनः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012
वर्ष के अंत में देयता का वर्तमान मूल्य	37.34	38.16	38.07	37.85	36.46
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.48	36.25	35.94	35.14	31.24
निधिपोषित स्थिति	(1.94)	(1.91)	(2.13)	(2.71)	(5.22)
अनुभव समायोजन;					
लाभ/(हानि):					
योजनागत देनदारियों पर अनुभव समायोजन	(0.76)	(0.01)	0.68	1.17	1.51
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुभव समायोजन	0.14	0.58	(0.30)	(0.40)	(0.23)

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभावः

(करोड़ ₹ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
सेवा एवं ब्याज लागत	1.25	0.64	(0.84)	(1.09)
पीबीओ (अंत में)	11.93	11.09	(8.45)	(7.81)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2015
प्रयुक्त विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.36%	9.00%	-	-	-	-
वेतन में भावी वृद्धि*	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

* ईईएसएल के मामले में, भावी वेतन वृद्धि दर को 5.5% के हिसाब से अनुमानित किया गया है।

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बॉण्डों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

48. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में आगे अंतरण करारों को, यदि अपेक्षित है, अंतरण योजना के अंतिम रूप दिए जाने पर निष्पादित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार हैः

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव-निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

49. विद्युत मंत्रालय ने अत्यधिक ऋण और हानियों के बोझ से जूझ रही वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्नअराउंड को प्राप्त करने के लिए एक योजना 'उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना' (उदय) की शुरूआत की। उदय योजना पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार राज्य, वितरण कंपनी के 75% ऋण को 2 वर्षों के दौरान ग्रहण करेंगे - वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 50% और वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 25% ग्रहण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों ने योजना में भागीदारी के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के तहत संबंधित राज्यों द्वारा वितरण कंपनियों के ऋणों को ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वितरण कंपनियों ने उनके बकाया ऋण ₹ 10,003.69 करोड़ की रकम को पूर्व-प्रदत्त कर दिया है, जिसमें से ₹ 1,214.14 करोड़ की राशि अप्रैल, 2016 में प्राप्त की गयी थी। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान वितरण कंपनियों द्वारा ₹ 19,640.22 करोड़ की पूर्व-प्रदत्त अदायगी किए जाने की संभावना है।

50. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

51. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% के जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) (टियर-। पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**20.38%**	19.56%
(ii)	सीआरएआर - टियर-। पूंजी (%)	**17.48%**	16.52%
(iii)	सीआरएआर - टियर-।। पूंजी (%)	**2.90%**	3.04%
(iv)	टियर-।। पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबऑर्डिनेट ऋण की राशि (करोड़ ₹ में)	**-**	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (करोड़ ₹ में)	**-**	-

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

52. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूपः

(करोड़ ₹ में)

31.03.2016 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्तियां	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	2,798	-	2,118	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	1,971	-	2,999	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	6,610	-	2,366	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	21,395	-	8,256	1,473	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	10,543	149	11,539	1,579	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	36,506	189	36,540	7,828	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	34,735	94	27,305	10,716	-	-
5 वर्षों से अधिक	86,720	1,920	56,100	296	-	-
जोड़	**2,01,278**	**2,352**	**1,47,222**	**21,989**	**-**	**-**

(करोड़ ₹ में)

31.03.2015 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्तियां	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	745	-	1,036	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	664	-	355	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	1,449	-	666	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	3,307	-	1,068	2,712	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	9,065	439	6,196	7,726	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,350	189	34,344	4,629	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	35,891	189	26,942	8,643	-	-
5 वर्षों से अधिक	90,176	779	56,322	243	-	-
जोड़	**1,79,647**	**1,596**	**1,26,929**	**24,050**	**-**	**-**

53. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा अपेक्षित समेकित एंटिटियों के संबंध में प्रकटीकरण

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल संपत्तियों में से कुल देनदारियों को घटाकर		लाभ या हानि में शेयर	
		समेकित निवल परिसंपत्तियों के अनुसार	राशि (करोड़ ₹ में)	समेकित निवल परिसंपत्तियों के अनुसार	राशि (करोड़ ₹ में)
(1)	**मूल अनुषंगी कंपनी - भारत**				
1.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**0.41%**	**117.51**	0.64%	36.17
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लि.	**0.43%**	**123.41**	0.51%	28.81
(2)	**संयुक्त उपक्रम - भारत**				
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	**0.22%**	**62.82**	0.17%	9.47
	जोड़	**1.06%**	**303.74**	1.31%	74.45

54. समूह कंपनियों की विभिन्न लेखाकरण नीतियों के संबंध में प्रकटीकरण

(i) आरईसीपीडीसीएल ने, वर्ष के दौरान, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से कुछ निश्चित अचल परिसंपत्ति मद-मोबाइल/टेबलेट, फर्नीचर एवं फिक्चर्स और अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भिन्न लाभदायक कार्यकाल अवधि को अंगीकार कर लिया है। तदनुसार, प्रारंभ से ही ऐसी प्रत्येक परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास का पुनःपरिकलन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभारित किए जा रहे ₹ 0.22 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास निर्धारित किया गया है।

लेखा संबंधी समेकित टिप्पणियां

(ii) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के मामले में, सेल फोन पर मूल्यह्रास की जानकारी, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त, विभिन्न दरों पर उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015-16 के लिए इन समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित की गयी, सेल फोन पर, संयुक्त उपक्रम, ईईएसएल में कंपनी के शेयर से संबंधित मूल्यह्रास और सकल ब्लॉक की कुल राशि ₹ 0.05 करोड़ तथा ₹ 0.01 करोड़ है, जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

(iii) कंपनियों के समूह की एक कंपनी लागत का निर्धारण करने के लिए भारित औसत विधि के स्थान पर फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आऊट (एफआईएफओ)का पालन कर रही है। टिप्पणी 15 में यथा विनिर्दिष्ट इनवेंटरियों में, एफआईएफओ आधार पर मूल्यांकित ₹ 17.11 करोड़ की राशि शामिल है।

55. नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) और बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसटीएल) नामक दो परियोजनाएं, जो आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) की अनुषंगी कंपनी (एसपीवी) हैं, जिन्हें विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क्रमशः 15/9/2013-ट्रांस दिनांक 03.01.2014 तथा 100/1/ईसी(33)/ एसपीएंडपीए/2013 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा डि-नोटिफाइड किया गया था। डि-नोटिफिकेशन के परिणामस्वरूप, प्रबंधन ने "फास्ट ट्रैक मोड ऑफ एक्जिट" के द्वारा उक्त दो एसपीवी के विघटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी पंजीयक की वेबसाइट में दर्शाई गयी स्थिति "नाम हटाने की प्रक्रियाधीन" है।

56. आरईसीपीडीसीएल, आरईसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी, ने पिछले अनुभव के आधार पर, परियोजना लागत में संशोधन के कारण संभवता आय के रिवर्सल को दूर करने के लिए अपने वार्षिक टर्नओवर के 2% की दर से परियोजना लागत संशोधन की आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान कर दिया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान ₹ 2.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.71 करोड़) का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, आरईसीपीडीसीएल के मुख्य देय राज्यों की प्रभुत्तासंपन्न विद्युत यूटिलिटियों से हैं और जिन्हें शोध्य समझा गया है। हालांकि, देय राशि की वसूली में साधारणतया काफी समय लगता है। आरईसीपीडीसीएल ने अपने ट्रेड प्राप्यों के काल प्रभावन के आधार पर वर्ष के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए ₹ 3.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.41 करोड़) का प्रावधान किया है।

56.1 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

57. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है (पिछले वर्ष शून्य)।

हालांकि, कंपनी को, 30 सितंबर, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्त न करने के संबंध में, सूचीकरण अनुबंध के खंड 49(॥)(ए)(1) का अनुपालन न करने के लिए क्रमशः ₹ 1,42,000 और ₹ 1,47,000 (सेवा कर सहित) की अदायगी हेतु सेबी के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/1/2015 दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के अनुसरण में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) से उनके पत्र संख्या फाईन्स/2015-16/45075 दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 के तहत तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के पत्र संख्या लिस्ट/कंप/49-वूमन डायरेक्टर/126/2015-16 दिनांक 6 अक्तूबर, 2015 के द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से दंड की राशि को माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार महिला निदेशक/ स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और निदेशक मंडल या कंपनी, निदेशक मंडल में महिला निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं तथा महिला निदेशक/ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी की तरफ से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। स्टॉक एक्सचेंजों के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

58. 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है (पिछले वर्ष शून्य)।

59. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

60. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 60 तक टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजीत कुमार अग्रवाल**	**राजीव शर्मा**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन-02231613	डीआईएन-00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

	कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	**कृते ए.आर. एंड कंपनी**
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजी. सं. 002074एन	फर्म पंजी. सं. 002744सी
	गोपाल कृष्ण	**प्रियांशु जैन**
स्थानः नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
दिनांकः 27 मई, 2016	सदस्यता सं. 081085	सदस्यता सं. 530262

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः				
कर-पूर्व निवल लाभ	**8,146.66**		7,552.34	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि(-)	**0.38**		0.10	
2. मूल्यह्रास एवं परिशोधन	**19.67**		8.32	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**1,096.18**		806.08	
4. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**285.91**		300.03	
5. विविध उधारियों का ब्याज व्यय	**3.90**		0.19	
6. रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-0.05**		0.03	
7. निवेशों की बिक्री/विमोचन पर लाभ	**-12.29**		-	
8. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**666.13**		259.99	
9. निवेशों से लाभांश	**-2.37**		-3.63	
10. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**-95.76**		-154.47	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**-**		1.38	
12. बट्टे खाते डाले गए बॉण्डों पर छूट	**3.99**		4.83	
13. जीरो कूपन बॉण्डों पर उपचित ब्याज	**76.17**		70.39	
14. निवेश के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान	**-**		0.10	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभः	**10,188.52**		8,845.68	
वृद्धि/कमीः				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-21,733.35**		-31,005.84	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**-229.97**		-435.35	
3. प्रचालन देयताएं	**1,029.88**		1,027.56	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-10,744.92**		-21,567.95	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,575.09**		-2,330.28	
2. आयकर वापसी	**42.00**		-	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-13,278.01**		-23,898.23
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.85**		0.18	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी, विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं पूंजीगत अग्रिम भी शामिल हैं)	**-259.41**		-45.34	
3. इंडियन बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-500.00**		-	
4. विजया बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-I मियादी बॉण्ड में निवेश	**-500.00**		-	

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
5. सिंडिकेट बैंक के 11.25% अतिरिक्त टियर-I मियादी बॉण्ड में निवेश	-500.00		-	
6. मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बॉण्ड-II का विमोचन	94.32		94.32	
7. दीर्घकालिक निवेशों से ब्याज	762.53		-	
8. निवेशों की बिक्री/विमोचन से ब्याज	12.29		-	
9. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	114.96		158.41	
10. निवेशों से लाभांश	3.05		3.63	
11. साथी अनुषंगी कंपनियों के शेयरों में निवेश	-0.10		-	
12. कर मुक्त बांडों/अन्यों में निवेश	-26.28		-	
13. वर्ष के दौरान की गयी मियादी जमा	-1.25		-84.49	
14. वर्ष के दौरान परिपक्व मियादी जमा	43.34		24.38	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		-755.70		151.09
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. बॉण्डों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	14,969.28		21,806.74	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	-308.65		-955.40	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	-2,607.56		6,366.18	
4. ब्याज सहित सब्सिडी/अनुदान के रूप में आगे वितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधियां (वापसी का निवल)	4,436.52		3,421.17	
5. अनुदानों का संवितरण	-4,691.45		-3,639.69	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	-3.07		-4.86	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	-266.61		-172.81	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-1,184.95		-789.97	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-295.51		-187.32	
10. विविध उधारियों पर प्रदत्त ब्याज	-3.90		-0.19	
11. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	0.28		-	
12. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	5,246.79		-2,745.74	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		15,291.17		23,098.11
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		1,257.46		-649.03
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		559.10		1,207.95
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		1,816.56		558.92

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2016 को समाप्त वर्ष		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	
- हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)		**0.01**		-
- निम्न के संबंध में बैंको में शेषः				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		**1,001.11**		144.79
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई, एजीएंडएसपी, राष्ट्रीय विद्युत निधि और अन्य अनुदान #		**34.17**		54.94
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #		**2.73**		2.62
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा		**778.54**		356.57
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**1,816.56**		558.92

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखी चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 1.77 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.15 करोड़) अनुदान संवितरण के लिए अपास्त शामिल हैं और अनुसूसचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 2.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 236.19 करोड़) शामिल हैं जो डीडीयूजीजेवाई अनुदान एवं अन्य अनुदान के लिए चिह्नित हैं तथा ₹ 7.86 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) स्वच्छ विद्यालय अभियान (एसवीए) परियोजना के लिए चिहिन्त हैं।

टिप्पणी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

फार्म एओसी-I

वर्ष 2015-16 के लिए अनुषंगी कंपनियों/एसोसिएटों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को अंतर्निहित करता विवरण

भाग कः अनुषंगी कंपनियां

1	क्रमांक	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड	नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड	खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
6	आरक्षित एवं अधिशेष	117.45	123.35	(0.05)	(0.05)	-	-	-	-	-
7	कुल परिसंपत्तियां	216.23	134.69	-	-	1.49	0.73	0.45	0.42	0.52
8	कुल देयताएं	98.73	11.28	-	-	1.44	0.69	0.41	0.37	0.47
9	निवेश	15.44	86.53	-	-	-	-	-	-	-
10	टर्नओवर	151.54	44.15	-	-	-	-	-	-	-
11	कर पूर्व लाभ	55.44	42.42	-	-	-	-	-	-	-
12	कर हेतु प्रावधान	19.27	13.61	-	-	-	-	-	-	-
13	कर पश्चात लाभ	36.17	28.80	-	-	-	-	-	-	-
14	प्रस्तावित लाभांश	10.85	8.65	-	-	-	-	-	-	-
15	शेयरधारिता %	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

1. **अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं:**

   31 मार्च, 2016 के अनुसार, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) की पांच अनुषंगी कंपनियों नामतः एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएस XXXVI ट्रांसमिशन लिमिटेड, नार्थ कर्णपुरा ट्रांसको लिमिटेड, खार्गोन ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा दिंचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड के प्रचालन अभी शुरू किए जाने हैं।

   आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) की दो अनुषंगी कंपनियों नामतः नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) और बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसटीएल) नामक (एसपीवी), को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की अधिसूचना संख्या क्रमशः 15/9/2013-ट्रांस दिनांक 03.01.2014 तथा 100/1/ईसी(33)/ एसपीएंडपीए/2013 दिनांक 09.02.2015 के द्वारा डि-नोटिफाइड किया गया था। डि-नोटिफिकेशन के परिणामस्वरूप, प्रबंधन ने "फास्ट ट्रैक मोड ऑफ एक्जिट" के द्वारा उक्त दो एसपीवी के विघटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी पंजीयक की वेबसाइट में दर्शाई गयी स्थिति "नाम हटाने की प्रक्रियाधीन" है।

2. **अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है:**

   आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) की पांच अनुषंगी कंपनियों नामतः गदरवाड़ा (ए) ट्रांसको लिमिटेड, गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड, महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड, वेमागिरी-II ट्रांसमिशन लिमिटेड और अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड का वर्ष के दौरान विक्रय कर दिया गया।

भाग खः एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम

एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम का नाम		**एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम)**
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तिथि	31 मार्च, 2015
2	समाप्त वर्ष को कंपनी द्वारा प्रतिधारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	4,75,00,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	47.50
	होल्डिंग की सीमा (%)	28.79%
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	होल्डिंग 28.79% तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को क्यों समेकित नहीं किया गया है, का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता हेतु आरोप्य निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	27.58
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	
i.	समेकित समझा गया	9.47
ii.	समेकित नहीं समझा गया	शून्य

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2016 के अनुसार एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को शेयर आवेदन राशि के रूप में ₹ 99.00 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है। ईईएसएल ने 25 अप्रैल, 2016 को प्रत्येक 10 के 9,90,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी को आबंटित किए हैं तथा तदनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी के शेयर बढ़कर 31.71% हो गये हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002074एन

कृते ए.आर.एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं.002744सी

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल **इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां, जिन्हें "समूह " के रूप में संदर्भित किया गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (यहां इसके उपरांत इसे "समेकित वित्तीय विवरण " के रूप में संर्भित किया गया है)।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के साथ समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (यहां इसके उपरांत इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में, समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव तथा कपट और अन्य अनियमितताओं को पता लगाना एवं उनका निवारण करना; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और अनुप्रयोग; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा था, जो ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित हैं, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, जिनका उपयोग उपर्युक्त होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ किया गया है, शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में होल्डिंग कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें, जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा में, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, 31 मार्च, 2016 के अनुसार समूह, संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी के मामलों की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाहों के समनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर बल

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया हैः

(1) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को ध्यान में रखते हुए मानक परिसंपत्ति के रूप में एक उधारकर्ता के लेखे के वर्गीकरण के संबंध में टिप्पणी सं. 13.2.7 के लिए उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं है।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2016 के अनुसार ₹ 350.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 300.88 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 195.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 160.20 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 8.70

करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 14.33 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 64.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 82.31 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के अनुषंगी कंपनियों के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतयाः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित एक एंटिटी, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2016 के अनुसार ₹ 434.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 78.94 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 205.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 17.57 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 60.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.04 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। समेकित वित्तीय विवरणों में, ₹ 9.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.27 करोड़) राशि के, कर उपरांत निवल लाभ के संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के शेयर शामिल हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में विचारा गया है। ये वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित विवरणों पर हमारी राय में, जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विववरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के एमसीए सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463(ई) के तहत, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के उपबंधों की अनुप्रयोज्यता से छूट प्राप्त है।

(छ) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में, "अनुबंध-क" में हमारी रिपोर्ट को देखें; तथा

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 30.1 के संदर्भ में;

(ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2016

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर उसी तिथि को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-क

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 के अनुसार तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर की गयी हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (यहां इसके उपरांत इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया है) तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि उक्त तिथि को, भारत में निगमित की गयी कंपनियां हैं, के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी, इसकी अनुषंगी कंपनियों, इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, जोकि भारत में निगमित कंपनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में दिशानिर्देश टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना करने एवं उनका रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके कारोबार का सुव्यवस्थित और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। इसमें, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना, धोखाधड़ियों एवं त्रुटियों का पता लगाना एवं उनका निवारण करना, लेखांकन अभिलेखों परिशुद्धता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ("मार्ग-निर्देशन टिप्पणी") तथा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित समझे गए लेखापरीक्षा पर मानकों के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लागू सीमा तक, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा में दोनों के लिए लागू है तथा, दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है, क्रियान्वित की है। इन मानकों और मार्ग-दर्शन टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें तथा लेखापरीक्षा का निष्पादन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया गया था तथा यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग में प्रचालित किया गया, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की वचनबद्धता प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का मूल्यांकन करना जिसमें कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद हो, तथा मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य और नीचे दिए गए अन्य मामले से संबंधी अनुच्छेद में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, सामान्यतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाईन की गयी एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जोकिः

1. ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों और स्वभावों का उपयुक्त ब्योरा, परिशुद्धता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित करती है;
2. उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं जो साधारणतया स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति हेतु अनिवार्य रूप से अभिलेखबद्ध हैं, तथा जिनकी प्राप्तियों और कंपनी के व्ययों को केवल समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार क्रियान्वित किया जा रहा है; और
3. समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनसे वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, के उपयोग या प्रकृति, अनधिकृत अधिग्रहण का सामयिक पता लगाने अथवा निवारण करने के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाएं

नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन या मिलीभगत की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, कपटवश या भूलवश महत्वपूर्ण मिथ्याकथन हुए और उनका पता नहीं लगाया जा सका। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के प्रक्षेपण ऐसे जोखिम के अधीन हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितयों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो जाता है, या नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन का स्तर बढ़ जाता है।

राय

हमारी राय में, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में, सिवाय प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों एवं अग्रिमों से संबंधित ईआरपी प्रणाली में सुधार, ईआरपी प्रणाली में अनर्जक परिसंपत्तियों के निर्धारण, ऋणों की स्वीकृतियों की संरचना/पुनर्संरचना, पुनर्वैधीकरण

तथा ऋणों के आवेदनों के गैर-विचारन/अस्वीकरण/निपटान की रिकार्डिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग पर संबंधित कार्यालयों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टो के प्रत्युत्तर प्रेषित करने के लिए समय-सीमा के कारण स्थगन अवधि में परिवर्तन के एक पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अंगभूतों पर विचार करते हुए समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2016 के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन किया गया था।

हमने सुधार के क्षेत्रों की पहचान की है, जिनके कंपनी के 31 मार्च, 2016 के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा जांच की प्रकृति, समय अवधि और परिसीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताये गये अनुसार और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, सुधार के ये क्षेत्र, समूह तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह ऐसी दो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, की प्रचालन प्रभावकारिता और पर्याप्तता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखापरीक्षकों की तदनुरूपी रिपोर्टो के आधार पर है।

संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी, मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड, जो अलेखापरीक्षित है, के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली, हमे उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कंपनी ने उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित किया है तथा क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2016 के अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के लिए, कंपनी की संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी का अंशदान, महत्वपूर्ण नहीं है।

इसके अतिरिक्त, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के वित्तीय विवरणों की हमारी रिपोर्ट में प्रयुक्त लेखापरीक्षा के परीक्षणों की प्रकृति, समय एवं सीमा के निर्धारण में ऊपर बताये गये प्रकटीकरण पर विचार किया है, तथा उपरोक्त प्रकटीकरण, समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रचालन प्रभावकारिता पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।.

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते ए.आर.एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002744सी

प्रियांशु जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 530262

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 मई, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129 (4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने वर्ष की समाप्त तिथि के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

कृते एवं भारत के
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

(रीतिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 2016

प्रबंधन दल

श्रीमती आभा आनंद किशोर
मुख्य सर्तकता अधिकारी

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशासन/आरईएन एंड एसडी/संपदा/उत्पादन निजी क्षेत्र/एए-आरटीआई)

डॉ. दिनेश अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(पीएमजी) एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(वित्त-संसाधन/सीए/बैंकिंग/कराधान/सीएसआर)

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/आईटी/पीएंडसी)

श्रीमती रितु माहेश्वरी
कार्यकारी निदेशक
(टीएंडडी/उत्पादन-राज्य क्षेत्र एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल/एनपीपी/एनईएफ)

श्री टी.एस.सी. बोस
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्रीमती कल्पना कौल
कार्यकारी निदेशक
(मा.सं./सीसीएंडपीआर/राजभाषा)

श्री जी.एस.भाटी
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(टीएंडडी)/उत्पादन-राज्य क्षेत्र/एनईएफ

श्री सी.पी.भाटिया
महाप्रबंधक
(वित्त)-सीएसआर

श्री राकेश सरीन
महाप्रबंधक
(वित्त-ऋण एवं रिकवरी/एएलएम/जोखिम प्रबंधन/वेतन)

श्री जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री एस.एल.बत्ता
महाप्रबंधक
(विधि/पीआईओ-आरटीआई)

श्री आर.पी.वैष्णव
महाप्रबंधक
(आंतरिक लेखापरीक्षा)

श्री जी.वी.महेन्दर
महाप्रबंधक
(एंटिटी मूल्यांकन)

श्री अजय चौधरी
महाप्रबंधक
(वित्त)-वित्तीय स्वीकृति एवं नीति

श्री वी.के.सिंह
महाप्रबंधक
(उत्पादन-निजी क्षेत्र/नवीकरणीय ऊर्जा)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पीएमजी)

श्री पी.के.मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक
(आईटी)

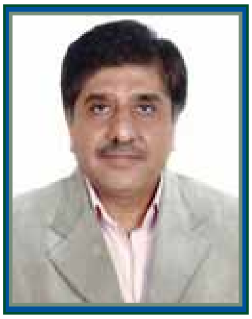

श्री सलिल कुमार
महाप्रबंधक
(सतर्कता)

श्री पी.के.सिंघल
महाप्रबंधक
(प्रशासन/संपदा)

श्री राजीव सूद
महाप्रबंधक
(वित्त) - कोष

श्रीमती वल्ली नटराजन
महाप्रबंधक
(टी एंड डी)

श्रीमती मालती सुंदरराजन
महाप्रबंधक
(एफ एंड ए) - ऋण

श्री पी.बाबूराज
महाप्रबंधक एवं
प्रभारी उत्तरी क्षेत्र

आरईसी के कार्यालयों के पते

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
	पंजीकृत एवं/ कारपोरेट कार्यालय	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	011-41020101 011-24365161	फैक्स: 011-24360644 ई-मेल: reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आंचलिक कार्यालयों/राज्यों एवं संघशासित राज्यों के अंचल/स्थान			
1	**मध्य अंचल - लखनऊ** उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं झारखण्ड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ--226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944	फैक्स: 0522-2716815 ई-मेल: recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
2	**पूर्वी अंचल - कोलकाता** पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य	I बी,-186 सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23356998	फैक्स: 033-23356990 ई-मेल: zmkolkata@recl.nic.in
3	**उत्तरी अंचल - पंचकुला** हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स: 0172-2567692 ई-मेल: popanchkula@recl.nic.in
4	**दक्षिणी अंचल- बेंगलूरू** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलुरू - 560042	080-25550240 080-25598244	फैक्स: 080-25598243 ई-मेल: pobangalore@recl.nic.in
5	**पश्चिमी अंचल - मुंबई** महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टॉवर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021	022-22830985 022-22833055	फैक्स: 022-22831004 ई-मेल: zmmumbai@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली पोस्ट एनपीए,आरामघर के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, हैदराबाद-500052	040-29805034 040-29804520 040-64583563	फैक्स: 040-24014235 ई-मेल: zmhyderabad@recl.nic.in reclpohyd@yahoo.com
2	असम, नागालैंड एवं अरूणाचल प्रदेश	"श्रद्धा" एम.जी. रोड-जी.एस. रोड, क्रॉसिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	0361-2343712 0361-2343713 0361-2343714	फैक्स: 0361-2343712 ई-मेल: poguwahati@gmail.com poguwahati@recl.nic.in
3	बिहार	ब्लॉक-सी, चौथा तल, मौर्या लोक कांप्लेक्स,न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	0612-2221131	फैक्स: 0612-2224596 ई-मेल: popatna@yahoo.com popatna@recl.nic.in
4	गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुष्टि कॉम्प्लेक्स के पीछे, वीएमसी वार्ड कार्यालय के सामने, आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	0265-2397487	फैक्स: 0265-2397652 ई-मेल: recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
5	हरियाणा, चंडीगढ़ एवं पंजाब	बे.नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स: 0172-2567692 ई-मेल: popanchkula@recl.nic.in
6	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077	फैक्स: 0177-2804077 ई-मेल: poshimla@recl.nic.in
7	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450868 0191-2450800	फैक्स: 0191-2450868 ई-मेल: pojammu@recl.nic.in
8	झारखंड	ए-101 एवं डी-104 ओम श्री इंक्लेव, नजदीक लोयोला स्कूल, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची-834002	0651-2253123	फैक्स: 0651-2251320 ई-मेल: rec_ranchi@yahoo.com poranchi@recl.nic.in

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
9	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलुरू-560042	080-25598244 080-25550240	फैक्सः 080-25598243 ई-मेलः pobangalore@recl.nic.in
10	केरल एवं लक्षद्वीप	ओ - 5, चौथा तल, "सफालयम" कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	0471-2328662	फैक्सः 0471-2328579 ई-मेलः potrivandrum@recl.nic.in rectrivandrum@gmail.com
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	मेट्रो वॉक, द्वितीय तल, वेस्ट हॉल नं. 3,बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016	0755-2460006	फैक्सः 0755-2460008 ई-मेलः reccentralzone@yahoo.com
12	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टावर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833055	फैक्सः 022-22831004 ई-मेलः zmmumbai@recl.nic.in
13	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	'रिनाडी' ओल्ड जोवाई रोड, लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687	फैक्सः 0364-2225687 ई-मेलः poshillong@recl.nic.in
14	ओडिशा	दीनदयाल भवन, 5वीं मंजिल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2536649 0674-2393206	फैक्सः 0674-2536669 ई-मेलः ecpobbsr@yahoo.co.in pobhubaneswar@recl.nic.in
15	राजस्थान	जे-4-ए, झलाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2706986 0141-2700161 0141-2707840	फैक्सः 0141-2706986 ई-मेलः pojaipur@recl.nic.in
16	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं.12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180,लूज चर्च रोड, (लूज कार्नर) मायलापोर, चेन्नई-600004	044-24672376 044-24987960 044-24671196 044-24987841	फैक्सः 044-24670595 ई-मेलः pochennai@recl.nic.in cpmchennai@yahoo.com
17	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ--226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944	फैक्सः 0522-2716815 ई-मेलः recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
18	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	I बी,-186 सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23356998	फैक्सः 033-23356990 ई-मेलः zmkolkata@recl.nic.in
	उप-कार्यालय			
1	छत्तीसगढ़	केएच नं. 185/17, शान्ति विहार कॉलोनी, (विवेकानंद सीनियर सैकेंडरी स्कूल के सामने) दंगनिया, रायपुर-492013	0771-2241055	फैक्सः 0771-2241055 ई-मेलः recraipur@yahoo.com
2	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799	फैक्सः 0135-2650799 ई-मेलः recsoddn@gmail.com
3	वाराणसी	एन-8/239, जे. नेवादा, सुंदरपुर वाराणसी-221005	09415115102	ई-मेलः recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
	प्रशिक्षण केंद्र			
1	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन	शिवरामपल्ली, पोस्ट-एन.पी.ए., नजदीक आरामघर, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, हैदराबाद - 500052	040-24015901 040-24015897 040-64584526	फैक्सः 040-24015896 040-24018583 ई-मेलः cire@recl.nic.in cire.rec@gmail.com

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप परिसर, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 एल40101 डीएल1969जीओआई005095 **दूरभाषः** +911124365161 **फैक्सः** +911124360644
ई-मेलः complianceofficer@recl.nic.in **वेबसाइटः** www.recindia.com

उपस्थिति पर्ची

वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003, में बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली 47वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
*फोलियो संख्या	
डीपी आईडी संख्या	
क्लाईंट आईडी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में,) यह तब भरा जाना है यदि सदस्य के स्थान पर प्रॉक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा है।	

मैं/हम, एतद्‌वारा बुधवार, 21 सितंबर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे **वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003,** में आयोजित की जाने वाली 47वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ/करते हैं।

*भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में लागू.

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां:

1. **उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर, कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आर एंड टीए)/निक्षेपगार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित पर्ची (पर्चियां) स्थल पर आरटीए काउंटर (रों) पर दी जानी चाहिए, जिनके बदले आरटीए प्रवेश कार्ड देगा। सभागार में प्रविष्टि कठोरतापूर्वक आरटीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर होगी। स्वयं सदस्य तथा प्रॉक्सी धारक कृपया पहचान/सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं।**
2. **केवल स्वयं शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्रॉक्सी को ही प्रविष्ट किया जाएगा।**
3. **कठोर सुरक्षा कारणों से, मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का सामान तथा अन्य सामान सभागार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक(को)/प्रॉक्सी धारक(को) को अपने सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी।**
4. **वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

वार्षिक आम बैठक स्थल के लिए रूट मैप

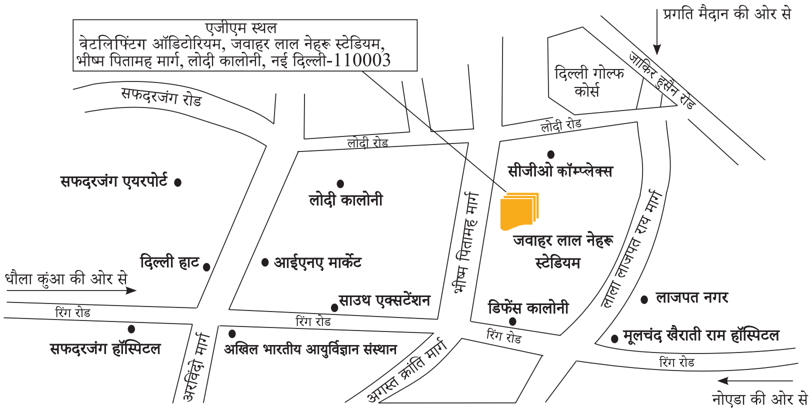

ईवीईएन (ई-मतदान इवेंट संख्या)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड/पिन

यह पृष्ठ इरादतन खाली छोड़ा गया है

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः कोर-4, स्कोप परिसर, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 एल40101 डीएल1969जीओआई005095 **दूरभाषः** +911124365161 **फैक्सः** +911124360644
ई-मेलः complianceofficer@recl.nic.in **वेबसाइटः** www.recindia.com

प्रॉक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं. एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सदस्य(यों) का नाम	फोलियो सं./ डीपी आईडी-क्लाईंट आईडीः
पंजीकृत पताः	
धारित शेयरों की संख्याः	ई-मेल आईडीः

मैं/हम, उक्त कंपनी के..................शेयरों के सदसय होने के नाते, एतद्‌द्वाराः

1.	नामः		
	पताः	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडीः		
अथवा उनके न आने पर			
2.	नामः		
	पताः	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडीः		
अथवा उनके न आने पर			
3.	नामः		
	पताः	हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडीः		
अथवा उनके न आने पर			

बुधवार 21 सितंबर, 2016 को प्रातः 11:00 बजे वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 47वीं वार्षिक आम बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने तथा नीचे निर्दिष्ट संकल्पों पर मत डालने (मतदान में) के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं:

क्र.सं.	**विवरण**
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को और उन पर निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को प्राप्त करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल (डीआईएनः02231613), जो चक्रानुक्रम पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4.	वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	श्री संजीव कुमार गुप्ता (डीआईएनः03464342) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना, चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए दायी।
6.	श्री अरूण सिंह (डीआईएनः00891728) को कंपनी के अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
7.	श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार (डीआईएनः00871792) को कंपनी के अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
8.	प्रोफेसर तिरूवल्लूर तट्टई राम मोहन (डीआईएनः00008651) को कंपनी के अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
9.	कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसरण में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) या अन्य किसी कंपनी(कंपनियों) (वर्तमान या भावी) के साथ लेन-देन करना।
10.	कंपनी की अधिकृत पूंजी में ₹ 1200 करोड़ से ₹ 5000 करोड़ की बढ़ोतरी करना।
11.	कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के पूंजीगत खंड में परिवर्तन करना।
12.	कंपनी के शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करना।
13.	कंपनी के विद्‌यमान संस्था के अंतर्नियमों में निहित विनियमों के पूर्ण अपवर्जन और उसके प्रतिस्थापन में, कंपनी के संशोधित संस्था के अंतर्नियमों को स्वीकार करना।
14.	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार निजी प्लेसमेंट के जरिए अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉण्डों/डिबेंचरों को जारी करना।

आज, दिनांक.................. 2016 को हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर............................ प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर.....................

यहां ₹ 1/- की राजस्व टिकट लगाएं

टिप्पणियां:

(1) प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत रूप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से, जिनके पास कंपनी की शेयर पूंजी के मतदान अधिकारों वाले कुल मिलाकर अधिकतम दस प्रतिशत शेयर हैं, प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक के शेयर धारण करने वाला व्यक्ति एक एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

यह पृष्ठ इरादतन खाली छोड़ा गया है

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 24365161, फैक्स: 24360644,
ई-मेल: reccorp@recl.nic.in, वेबसाइट: www.recindia.com, सीआईएन: एल40101डीएल1969जीओआई005095

बर्दों इक इण्डिया प्रा. लि., के द्वारा मुद्रित